र्दश माला, खंड 34, अंक 23

गुरुवार, 24 अप्रैल, 2008
4 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 18 Mar 2009

(खंड 34 में अंक 21 से 28 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

प्रतिभा कश्यप
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 34, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)]

अंक 23, गुरुवार, 24 अप्रैल, 2008/4 वैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 453, 454, 458 और 441	2–64
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 442 से 452, 455 से 457, 459 और 460	64–91
अतारांकित प्रश्न संख्या 4338 से 4548	91–354
सभा पटल पर रखे गए पत्र	355–363
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	363
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
विवरण	363–364
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
15वां प्रतिवेदन	364
नियम 377 के अधीन मामले	365–369
(एक) केन्द्रीय पूल से केरल को बिजली का कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. करूणाकरन	365
(दो) सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने और विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित सीटों का कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	366
(तीन) चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भरवारी और सिरायु रेलवे स्टेशनों पर चौरी-चौरा एक्सप्रेस, सियालदह-दिल्ली एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	366–367
(चार) देश में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	367

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट (कोंकण क्षेत्र) में मछुआरों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत गंगाराम गीते	368
(छह) महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-पार्ली रेलवे लाइन का निर्माण समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील	368-369
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2008-2009	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	369-461
श्रीमती सुमित्रा महाजन	371-377
श्री देवव्रत सिंह	377-383
श्री पी. करूणाकरन	383-388
श्री शैलेन्द्र कुमार	388-391
श्री ई.जी. सुगावनम	391-394
श्री राम कृपाल यादव	394-398
श्री एम. अप्पादुरई	398-401
श्री कीरेन रिजीजू	401
श्री तथागत सत्पथी	401-408
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	409-412
श्री अजय चक्रवर्ती	412-414
श्रीमती करूणा शुक्ला	414-418
श्री एन.एस.वी. चित्तन	418-420
श्रीमती मीना सिंह	420-421
प्रो. एम. रामदास	421-425
श्रीमती जयाप्रदा	425-429
श्रीमती रंजीत रंजन	430-431
श्री एस.के. खारवेनथन	432-433
श्री दीप गोगोई	434
डा. सिबैस्टियन पॉल	434-435
श्रीमती कृष्णा तीरथ	435-437

विषय	कॉलम

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 438

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 439

श्री मोहन रावले 440

श्री प्रबोध पांडा 440–441

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना 441–442

डा. सत्यनारायण जटिया 442–443

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 443–461

बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा जाना 462–475

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2008 477–479

विचार करने के लिए प्रस्ताव 478

खंड 2 से 4 और 1 478

पारित करने के लिए प्रस्ताव 479

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 481

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 482–486

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 487–488

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 487–490

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 24 अप्रैल, 2008/4 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

प्र. 441–डा. रामलखन सिंह–उपस्थित नहीं

प्र. 442–श्री मनोरंजन भक्त–उपस्थित नहीं

प्र. 443–श्रीमती सुमित्रा महाजन–उपस्थित नहीं

श्रीमती जयाप्रदा–उपस्थित नहीं

प्र. 444–श्री अधीर चौधरी–उपस्थित नहीं

श्री महावीर भगोरा–उपस्थित नहीं

यदि प्रश्नकाल के दौरान कोई प्रश्न नहीं लिया जाता है तो मैं नहीं जानता कि क्या किया जाए।

प्र. 445–श्रीमती किरण माहेश्वरी–उपस्थित नहीं

श्री गिरधारी लाल भार्गव–उपस्थित नहीं

श्री भार्गव ने मुझे बताया था कि वे केवल कल उपस्थित नहीं रहेंगे।

प्र. 446–श्री चन्द्रभान सिंह–उपस्थित नहीं

श्रीमती मिनाती सेन–उपस्थित नहीं

बहुत अच्छे-सभी एक जैसे हैं।

प्र. 447–श्री रूपचन्द मुर्मू–उपस्थित नहीं

श्री छत्तर सिंह दरबार–उपस्थित नहीं

प्र. 448–डा. एम. जगन्नाथ–उपस्थित नहीं

प्र. 449–श्री हरिसिंह चावड़ा–उपस्थित नहीं

मुझे आशा है कि देश की जनता इसे देख रही है।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा–उपस्थित नहीं

प्र. 450–चौ. मुनव्वर हसन–उपस्थित नहीं

ऐसी स्थिति में अध्यक्षता करना अध्यक्ष के लिए गर्व की बात नहीं है।

प्र. 451–श्री उदय सिंह–उपस्थित नहीं

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव–उपस्थित नहीं

प्र. 452–श्री चन्द्रभूषण सिंह–उपस्थित नहीं

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री येरननायडु प्रश्न संख्या 453 पूछिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विमान टिकटों पर दोहरा कर लगाना

***453. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से खरीदे जाने वाले विमान (एयरलाइन) टिकटों पर दोहरा कर लगाए जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में ट्रेवल एजेंटों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस संबंध में सरकार को ट्रैवल एजेंटों से कोई सूचना/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: किसी भी स्थिति में मुझे इस विषय पर छूट देनी ही होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, माननीय मंत्री ने भाग (क) और (ख) के लिए 'नहीं' में उत्तर दिया है; (ग) और (घ) के लिए–सरकार को इस संबंध में ट्रैवल एजेंट से कोई जानकारी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है और (ङ) के लिए–प्रश्न नहीं उठता।

महोदय, मैं अपने प्रश्न में सरकार का ध्यान 'ट्रैवल एजेंट के माध्यम से खरीदे गए एयरलाइन टिकटों पर 'दोहरा कर' शब्द की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। पहला, सरकार ट्रैवल एजेंट को बेचे गए टिकटों पर सेवा कर लगाती है और तत्पश्चात् ट्रैवल एजेंट द्वारा प्रभारित कमीशन पर कर लगाती है। इस दोहरे कर के परिणामस्वरूप किरायों में वृद्धि होती है जिससे अन्ततः पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है। इसे समाप्त करने के लिए मैं सरकार से वित्त अधिनियम, 1994 के संगत भाग में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

यहां, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या दोहरे कर के कारण यात्रियों पर यह भार नहीं है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं? इस कराधान के कारण पर्यटक भारत नहीं आ रहे हैं। इस दोहरे कर को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, आप माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न अथवा अनुपूरक प्रश्न से समझ ही गए होंगे कि कर का मामला नागर विमानन मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। जहां तक हमारा संबंध है, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बीच में पूछे गए प्रश्न का उत्तर न दें।

श्री प्रफुल पटेल: मुझे लगता है कि जहां तक नागर विमानन मंत्रालय का संबंध है, हमने कुछ वर्ष पहले एक नीतिगत निर्णय लिया था कि हम किरायों का निर्धारण नहीं करेंगे। बाजार के अनुसार किराए निर्धारित किए जाते हैं। जहां तक कर का संबंध है, सरकार सभी विमानपत्तनों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए मात्र 200 रु. का यात्री सेवा शुल्क लेती है।

वस्तुतः सरकार यात्रियों से केवल यही कर लेती है।

माननीय सदस्य ने ट्रैवल एजेंट के कमीशन पर सेवा कर अथवा कर के बारे में भी पूछा है। मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल एजेंट को कमीशन इस परिधि में आता है, क्योंकि यह संबंधित एयरलाइन द्वारा ट्रैवल एजेंट को दिया जाता है, और यात्रियों द्वारा टिकट के किराए के अतिरिक्त अलग से नहीं दिया जाता। लेकिन यदि यह दोहरे कर से संबंधित मामला है, तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न वित्त मंत्री से पूछा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप चाहते हैं कि एयरलाइन्स सभी करों को समाप्त कर दे।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, इन करों के लगाए जाने के कारण यात्रियों पर अत्यधिक बोझ है। हम समाचार-पत्रों में प्रायः एयरपोर्ट टैक्स, सेवाकर, यात्री कर और अन्य करों के बारे में पढ़ते रहते हैं। हमें इन करों को समाप्त करने के लिए बाजार की ताकतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार को नियंत्रण करना चाहिए और उचित किराए निर्धारित करने चाहिए। अन्यथा, यात्रियों को परेशानी होगी। सरकार भविष्य में इस संबंध में और क्या कदम उठाने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: हालांकि यह प्रश्न इससे पूरी तरह संगत नहीं है फिर भी मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। आज इसके अलावा कोई और प्रश्न नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल: मैं माननीय सदस्य की किराए निर्धारित करने के संदर्भ में हमारे मंत्रालय के बारे में की गई टिप्पणी की सराहना करता हूं। हम कोई कर नहीं लगाते जैसाकि धारणा व्यक्त की जा रही है। अधिकांशतः, ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण टिकटों पर अधिप्रभार लगाया जाता है। अतः एयरलाइन बाजार के अनुकूल टिकटों का किराया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां फ्री-मार्केट डायनामिक्स प्रचालन में हैं। सरकार किराए को विनियमित नहीं करती है। सरकार द्वारा यात्रियों से यात्री सेवा कर के रूप में केवल 200 रु. की राशि प्रभारित की जाती है।

माननीय सदस्य ने नए विमानपत्तनों, प्रयोक्ता विकास शुल्क और अन्य मामलों के बारे में भी पूछा है। वर्तमान में सरकार ने किसी भी नए विमानपत्तनों पर कोई प्रयोक्ता विकास शुल्क नहीं

लगाया है। प्रयोक्ता विकास शुल्क केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से लिया जाता है और वह भी लगभग 1,000 रु. है और घरेलू यात्रियों को कोई प्रयोक्ता विकास शुल्क नहीं देना होगा जब तक कि हम इस बात का सही निर्धारण न कर लें कि यात्रियों के हित में क्या होगा।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि पुराने विमानपत्तनों को यथावत रखा जाए। अन्यथा, नए विमानपत्तन की शहर से दूरी के कारण यात्रियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से किस प्रकार संबंधित है?

श्री रूपचंद पाल: इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय: आज, आप ज्यादा ही छूट ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री राधाकृष्णन द्वारा उनके पसंदीदा प्रश्न ''फ्लाइट टू द मिडिल ईस्ट'' पूछे जाने का इंतजार कर रहा हूं।

श्री प्रफुल पटेल: वास्तव में, सभी का विस्तृत ब्यौरा देना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नए विमानपत्तन के खोले जाने और पुराने विमानपत्तन को बंद करने के विरुद्ध कोई रोक नहीं लगाई है। मैं इस बारे में अधिक ब्यौरा नहीं दे सकता क्योंकि यह न्यायिक आदेश है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक न्यायिक टिप्पणी है।

श्री प्रफुल पटेल: लेकिन यह टिप्पणी यात्रियों के हित में है। अत: हम इस मामले पर वार्ता कर सकते हैं, जिसे हम शीघ्र ही करेंगे।

श्री रूपचंद पाल: आप पहले वाले मामले पर वार्ता कर सकते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: मुझे नहीं लगता कि यह कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश है। जैसाकि मैंने कहा, यह उच्च न्यायालय की टिप्पणी है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने सही उल्लेख किया था।

श्री छेवांग थुपस्तन: माननीय मंत्री ने अभी उत्तर दिया है कि वह किराए के निर्धारण को बाजार की शक्तियों पर छोड़ते हैं। मैं यह माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। जहां तक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य मार्गों का संबंध है, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन लद्दाख जैसे और अन्य दुरूह क्षेत्रों में उन मार्गों के बारे में क्या सोचा है, जहां ज्यादा यात्री नहीं हैं? सरकार की जिम्मेदारी है कि उन क्षेत्रों में हवाई सेवाएं चलाये। पिछले वर्ष तक लद्दाख का एक तरफ का हवाई यातायात का किराया 8,650 रुपये था। अब, जबकि अन्य एयरलाइनों के शुरू हो जाने से बाजार शक्तियां खुलकर सामने आई हैं और अब हमें 3,500 रुपये, उससे भी कम का भुगतान करना पड़ता है। तथापि, लद्दाख साल में छ: महीने बाकी देश से कटा रहता है और यात्रा का एकमात्र साधन हवाई यातायात है, तो सरकार ऐसे क्षेत्रों में हवाई किरायों को नियमित करने के लिए क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप को पूरी जानकारी है और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं सोचता हूं माननीय सदस्य ने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी तो किराए 8,000 रुपये से अधिक थे और प्रतिस्पर्धा की शुरूआत से किराए 3,500 रुपये तक आ गए हैं। यह स्वयं दर्शाता है कि बाजार शक्तियां कार्य कर रही हैं। वास्तव में सरकार का यही प्रयास रहा है क्योंकि अधिक प्रतिस्पर्धा से यात्रियों को बेहतर सेवाएं, बेहतर किराए और चयन का विकल्प मिलता है।

श्री छेवांग थुपस्तन: मैं यह कहूंगा कि लद्दाख का किराया अब भी ज्यादा है।

श्री प्रफुल पटेल: मैं प्रश्न में निहित भावना की कद्र करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह थोड़ी प्रतिस्पर्धा और चाहते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: लेकिन माननीय सदस्य ने एक तरह से अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया है क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अब वे सेवाएं प्राप्त हो रही है जो एक वर्ष पहले तक बहुत ही सीमित थीं।

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हम रोज-ब-रोज अखबारों में देखते हैं, इश्तेहार पढ़ते हैं कि दिल्ली से मुम्बई का किराया 599 रुपए हैं, दिल्ली से अहमदाबाद 799 रुपए में जाइए, अमरीका 21 हजार रुपए में जाइए, लेकिन जब हम टिकट लेने जाते हैं, तो टैक्स लगा कर वह टिकट दो हजार रुपए में पड़ता है, तीन हजार रुपए में पड़ता है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे मिसगाइड करने वाले इश्तेहारों को रोकने के लिए क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन ट्रैवेल एजेंट्स और एयरलाइंस पर कुछ पाबंदी लगाना चाहता है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी अन्य सामान्य दिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी होती। लेकिन लगता है मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री प्रफुल पटेल: आज का दिन ऐसा लगता है कि जैसे सारी मुसीबतें मेरे सर पर टूट पड़ी हों।

महोदय, किराए. बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं और मुझे यकीन है, जब उपभोक्ता विज्ञापन पढ़ते हैं तो उसके साथ हमेशा एक राइडर होता है, जैसाकि किसी भी व्यापारिक रणनीति में होता है कि अन्य किराए और कर अतिरिक्त हैं। मुझे विश्वास है कि लोग इतने नादान नहीं है। यह भी तो भली-भांति प्रचारित किया जाता है कि इसमें कर घटक है जो इन सबसे अलग है।

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने मेरे बोडोलैण्ड क्षेत्र में एक नया हवाई अड्डा बनाने के लिए अभी तक पहल क्यों नहीं की है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह काफी समय से प्रतीक्षित है। महोदय, बोडोलैण्ड के लोगों को हवाई यात्रा सेवाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है? अब तक कुछ नहीं किया गया है। यह बोडोलैण्ड क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं आपके माध्यम से वास्तव में केवल इतना जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बोडोलैण्ड क्षेत्र में विशेष रूप से कोकराझार में अब तक नया हवाई अड्डा बनाने की पहल क्यों नहीं की? मैं सरकार से शिद्दत से यह मांग करता हूं कि कोकराझार में हरित हवाई क्षेत्र बनाने के लिए यथासंभव शीघ्र समुचित उपाय करे।

अध्यक्ष महोदय: इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। आप कह सकते हैं आप इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं माननीय सदस्य से पहले भी मिला हूं। वह भली-भांति जानते हैं कि हमने इस पर चर्चा की थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह भी पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुद्दा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है, जो इन सभी मामलों के संबंध में कार्यवाही करता है। बेहतर यह होगा कि वह इन मुद्दों को समुचित मंच पर रखें। वहां पर चर्चा के बाद हम इस प्रश्न का उत्तर देने की बेहतर स्थिति में होंगे।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, प्रश्न हवाई प्रभारों पर दोहरे कराधान के संबंध में है। मेरा प्रश्न कराधान और अधिभारों से संबंधित है। जब हम पूरा हवाई किराया दे देते हैं तो बीजक में विभिन्न अधिभारों और अन्य करों का विवरण होता है। विशेष रूप से मध्य-पूर्व के स्थानों के बीच और भारत में विभिन्न स्थानों की यात्रा के किराए के संबंध में ...

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न बहुत स्पष्ट है। आप इससे कितनी दूर जा सकते हैं?

श्री एन.एन. कृष्णदास: मैं बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका स्पष्ट प्रश्न पूरी तरह असंबद्ध है। आप दोहरे कराधान के बारे में बात कीजिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास: भारत से मध्य-पूर्व की ओर जाने वाले यात्रियों की यह चिरकाल से लंबित शिकायत है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की तुलना में वर्तमान हवाई किराए उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास: बीजक में दिए गए ब्यौरे पढ़ते समय उसमें कई सारे अधिभार, कराधान, ईंधन अधिभार इत्यादि दिये होते हैं। यह शिकायत अब भी लंबित है। अत: मेरा संगत और विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार मध्य-पूर्व और भारत के बीच विमान किरायों की विवेकपूर्ण व्याख्या करने पर फिर से विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय: यह विशिष्ट है परंतु असंगत है। फिर मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल: मैं माननीय सदस्य और केरल के सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सभा और उसके बाहर बार-बार की गई इस प्रकार की मांगों को देखकर राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' नाम से एक सहायक कंपनी चालू की है जो खाड़ी देशों में जाने वाले यात्रियों और काम करने वाले लोगों के लिए कम किराए पर विमान सेवाएं प्रदान कर रही है। जिसके परिणामस्वरूप मैं संतोष और अधिकार के साथ यह कह सकता हूं कि विगत के मुकाबले बहुत कम किराए पर विमान सेवाएं

उपलब्ध कराने की इस प्रकार की पहल पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

अध्यक्ष महोदयः रायापति सांबासिवा राव जी, कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री रायापति सांबासिवा रावः मैं संक्षेप में ही प्रश्न पूछूंगा। महोदय, हालांकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है परंतु चूंकि माननीय मंत्री जी को काफी ज्ञान है इसलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हैदराबाद में घरेलू उड़ानों के लिए उपभोक्ता प्रभार लिया जाता है। दूसरे, यह बताया गया है कि बेगमवेट हवाई अड्डे पर काफी धनराशि व्यय की गई है परंतु अब यह बेकार पड़ा है। हैदराबाद में अभी हाल ही में नया राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री घरेलू उड़ानों के लिए पुराने हवाई अड्डे का प्रयोग करने की अनुमति क्यों नहीं देते।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री इसका कई बार उत्तर दे चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः श्री शैलेन्द्र कुमार।

क्या आपका क्वैश्चन कानपुर एअरपोर्ट के बारे में है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इलाहाबाद में एअरपोर्ट है।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, येरननायडु जी ने बहुत सामयिक क्वैश्चन किया था। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हम लोगों के आग्रह पर हमारे यहां से एअर इंडिया की फ्लाइट चलायी है। यह बात सत्य है कि अगर कोई भी पैसेंजर एक-दो महीने पहले टिकट लेता है तो उसे बहुत कम दाम पर टिकट मिल जाता है। अगर किसी को तत्काल इमर्जेंसी में यात्रा करनी है तो डबल-ट्रिपल कर लगा कर टिकट दिया जाता है। एक-दो महीने पहले टिकट लिया, तो पता लगता है कि दो-तीन-चार हजार रुपए में टिकट मिल गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह सब बताने की जरूरत नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमारः अगर कोई तत्काल टिकट ले तो आठ-साढ़े आठ हजार रुपए का टिकट मिलता है। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि उनका ट्रैवल एजेंट्स पर कोई अंकुश नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है। इस तरह यात्रियों की जेब पर एक तरीके से डकैती डालने का काम हो रहा है जिस पर अंकुश लगाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः ट्रेन में जाइए।

श्री प्रफुल पटेलः अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद माननीय सदस्य के समझने में थोड़ा फर्क है। ट्रैवल एजेंट टैक्स या हवाई टिकट का किराया निर्धारित नहीं करता है। टिकट का किराया हवाई जहाज कम्पनी निर्धारित करती है। ट्रैवल एजेंट केवल सर्विस प्रोवाइडर है और एअरलाइन्स कम्पनी उसे रिइम्बर्स करती है।

श्री शैलेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, इससे विभाग की साख गिरती है।

श्री प्रफुल पटेलः अगर टिकट पहले खरीदा जाए तो वह बहुत कम दाम में मिलता है, यह एक अच्छी बात है और ऐसा पहले कभी नहीं होता था।

श्री अमिताभ नन्दीः माननीय मंत्री ने यह बताया है कि यात्री टिकट पर विभाग कोई कर नहीं लगा रहा है। फिर भी हवाई अड्डों के निजीकरण के कारण अधिभारों और प्रभारों को कई प्रकार से बढ़ाया जा रहा है। अब निजी कम्पनियां हवाई अड्डों का स्वयं संचालन कर रही हैं। कभी-कभी वे यात्रियों पर प्रभार लगा देते हैं। अतः, यात्रियों को सरकार द्वारा लगाए जा रहे करों से अधिक लागत वहन करनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदयः आप विमान में मुफ्त में यात्रा नहीं कर सकते।

श्री अमिताभ नन्दीः क्या सरकार यात्रियों पर प्रभार और अधिभार लगाने हेतु निजी विमान प्राधिकरणों को विनियमित करने पर विचार कर रही है?

श्री प्रफुल पटेलः महोदय, मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं जब से मुम्बई और दिल्ली में नए प्रबंधन आए हैं उनके द्वारा कोई नया अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया गया है क्योंकि सरकार का यात्रियों के प्रति भी कोई दायित्व है। वे विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हैं जिसे अभी-अभी स्थायी समिति ने मंजूरी दी है और अब यह हमारे पास है। निस्संदेह अब यह विचार करने और पारित करने हेतु पुनः

इस सभा के समक्ष आएगा। तत्पश्चात् ही प्रभारों को बढ़ाया जाएगा अथवा विशेषकर लागत और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा ताकि यात्रा करने वाले लोगों पर कोई अतिरिक्त अथवा अनावश्यक भार न पड़े।

[हिन्दी]

रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण हेतु कार्ययोजना

*454. **श्री रामदास आठवले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण, विकास तथा अवसंरचनात्मक विस्तार हेतु उच्च प्राथमिकता कार्ययोजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य योजना की क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 2005-2010 के लिए एक एकीकृत रेल आधुनिकीकरण योजना (आईआरएमपी) बनाई गई है जिसमें क्रियान्वयन हेतु नियत समयसीमा के साथ गतिविधियों की पहचान की गई है। इसमें 3 क्षेत्र शामिल हैं जिनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

यात्री व्यवसाय क्षेत्र में सभी राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में आधुनिक सवारी डिब्बों को सेवा में लगाया जाना, पूरे देश में यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) का विस्तार, सवारी डिब्बों में पर्यावरण हितैषी शौचालय, सवारी डिब्बों की क्रैशवर्दीनेस के मायनों में उन्नत संरक्षा विशेषताएं और अग्नि रोधी विशेषताएं शामिल हैं।

माल व्यवसाय क्षेत्र में चिह्नित मार्गों पर उच्चतर धुरा भार, डबल स्टैक कंटेनरों और रोल-आन-रोल-आफ माल डिब्बों की शुरुआत, हल्के वजन के और जंग रोधी स्टील एवं एल्युमिनियम के माल डिब्बों की शुरुआत, टर्मिनल, रेक और कर्मीदल प्रबंधन प्रणाली को शामिल करने के लिए माल परिचालन प्रबंधन प्रणाली का विस्तार, कुछ अन्य थ्रूपुट संवर्धन कार्यों सहित राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एनआरवीवाई) के अंतर्गत चिह्नित कार्यों को पूरा करना आदि शामिल हैं।

अन्य आधुनिकीकरण उपायों में रेलपथ आधुनिकीकरण और उनकी अनुरक्षण पद्धतियां, पुल प्रबंधन प्रणाली, सिगनल एवं दूरसंचार प्रणाली, यांत्रिक एवं बिजली प्रणाली और आपदा प्रबंधन प्रणालनी का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

आईआरएमपी में चिह्नित मदों के निष्पादन के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय की संकल्पना की गई है।

वर्तमान वित्त वर्ष में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रमुख मदें नीचे लिखे अनुसार हैं:

1. थ्रूपुट संवर्धन कार्यों को पूरा करना।
2. आधुनिक माल टर्मिनलों का विकास।
3. डबल स्टैक कंटेनरों की शुरुआत।
4. रेल टर्मिनलों के निकट गोदाम सुविधाएं।
5. यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) का विस्तार।
6. रेलपथ, पुल और सिगनल आधुनिकीकरण।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, रेल मंत्रालय ने रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के संबंध में बहुत गंभीरता से विचार किया है। जिस तरह से प्रफुल पटेल जी के नेतृत्व में सिविल एविएशन और विमानों का नेटवर्क अच्छी तरह से चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी ज्यादा चल रहा है, मेरा प्रश्न है कि रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण का क्या प्रस्ताव है? इस संबंध में रेल विकास के लिए आप क्या करने वाले हैं?

अध्यक्ष महोदय: उत्तर में सब कुछ बता दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु हमने वर्ष 2005-2010 के लिए एक एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना बनाई है जिसमें 24,000 करोड़ रु. के निवेश पर विचार किया गया है। इस योजना में यात्री, मालभाड़ा और अन्य खण्डों पर विचार किया गया है। रेलवे स्टेशनों आदि के आधुनिकीकरण संबंधी विशिष्ट प्रश्न एक सतत प्रक्रिया है। माननीय सदस्य की

जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि स्टेशनों पर आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष हमने आबंटन को बढ़ाकर 852 करोड़ रु. कर दिया है। मैं माननीय मंत्री को यह आश्वासन देता हूं कि रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: रेल मंत्रालय ने एनाउंस किया था कि जैसे जापान और जर्मनी में बुलेट ट्रेन चलती है उसी तरह मुम्बई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से मुम्बई तक बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है? आप कब तक इसे करने वाले हैं?

अध्यक्ष महोदय: इसका जापान में किराया कितना है, क्या आप जानते हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: मैं इस प्रश्न का उत्तर इस सम्माननीय सभा में कई बार दे चुका हूं। हम यह बता चुके हैं कि दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिम चारों क्षेत्रों में व्यवहार्य अध्ययन किया जाएगा। व्यवहार्य अध्ययन करने के बाद ही हम इच्छुक राज्य सरकारों के सहयोग से इस मामले को उठाएंगे। अंतिम बजट के बाद से ही हमने यह कार्य आरंभ कर दिया है। व्यवहार्य अध्ययन होने के पश्चात् हम जब भी संभव होगा इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे।

मोहम्मद सलीम: महोदय, भारत में रेलवे का एक विशाल नेटवर्क है। जब हम रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब आज की मांग के अनुसार इस नेटवर्क में नए उपकरण शामिल करना है। परंतु जब हम अपने देश की तुलना चीन अथवा अन्य देशों से करते हैं, वहां जिस प्रकार वायु और सड़क यातायात नेटवर्क बढ़ रहा है तो हम यह देखते हैं कि हमने नेटवर्क में मुश्किल ही कुछ सुधार किया है और यही कारण है कि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां अभी तक रेलवे का विस्तार नहीं हुआ है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में त्रि-सूत्री आधुनिकीकरण योजना की बात की थी। मेरा प्रश्न तीसरे खण्ड के संबंध में है जो रेल की पटरी के प्रबंधन, नवीकरण, आधुनिकीकरण, सिग्नल और दूरसंचार संबंधी आधुनिकीकरण पहलों के बारे में है। जो गति, गतिशीलता और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मंत्री महोदय अपने उत्तर में पहले ही यह वायदा कर चुके हैं कि वह चालू वित्त वर्ष में इस खण्ड पर ध्यान देंगे। अत: हम जानना चाहते हैं कि रेल की पटरी, सेतुओं, सुरक्षा, सिग्नल और दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने कितनी धनराशि निर्धारित की है।

अध्यक्ष महोदय: आपको सारे आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास आंकड़े हैं तो आप उनके पास भेज दीजिए।

श्री आर. वेलु: मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमने विशेष रेलवे सुरक्षा निधि का सृजन किया था। जिसके तहत अपने रेल की पटरी, सिग्नल आदि विभिन्न वस्तुओं के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 17,000 करोड़ रु. खर्च किए थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इन क्षेत्रों के लिए 24,000 करोड़ रु. निर्धारित किए गए थे जिसमें से 20,000 करोड़ रु. पहले ही खर्च हो चुके हैं। यदि वह किसी अन्य मद के संबंध में कोई और जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें वह दे दूंगा।

श्री ए. कृष्णास्वामी: इस योजना में राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में आधुनिकतम डिब्बे लगाने को महत्व दिया गया है। परंतु वे भारत में राजधानी, शताब्दी और अन्य रेलगाड़ियों में यह डिब्बे लगाने में विफल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी आधुनिकतम डिब्बे बनाए जा रहे हैं उनका निर्यात किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप हम देश में रेलगाड़ियों में ऐसे डिब्बे नहीं लगा पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने डिब्बों को आधुनिकीकृत किया जाएगा और वे इन डिब्बों को कितने रेलगाड़ियों में लगाएंगे। मेरे विचार में यदि आधुनिकीकृत डिब्बों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो यह कार्य शीघ्र पूरा किया जा सकता है।

मेरा दूसरा प्रश्न सेतु प्रबंधन कार्य के आधुनिकीकरण के बारे में है। भारत में ऐसे सैकड़ों रेल उपरि पुल हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं। उनकी पहचान करके उन्हें गिरा दिया जाना चाहिए। उनकी पहचान कब होगी और उन्हें कब गिराया जाएगा? हाल ही के वर्षों में भारत में विशेषकर तमिलनाडु में उनमें से कितने पुलों को आधुनिकीकृत किया गया है?

श्री आर. वेलु: आधुनिकीकरण के संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि 11 राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में से 5 रेलगाड़ियों में आधुनिकतम डिब्बे लगाए गए हैं और आने वाले दो वर्षों में बाकी छह रेलगाड़ियों में भी ये डिब्बे लगा दिए जाएंगे। चार शताब्दी रेलगाड़ियों में हमने आधुनिकतम डिब्बे लगा दिए हैं और सात में भी हम ये डिब्बे लगा देंगे। हमने लगभग 266 डिब्बे लगा दिए हैं। और हमें 400 और डिब्बों की आवश्यकता है। आगामी दो वर्षों में हम सभी राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में आधुनिकतम डिब्बे लगा देंगे क्योंकि अब आईसीएफ और आरसीएफ, कपूरथला और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षा निधि के तहत पुलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त राशि खर्च की गई है। 2300 से अधिक पुलों की पहचान की गई थी और लगभग सभी को पूरा कर लिया गया है तथा शेष बने लगभग 95 पुलों को इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

प्रो. चन्द्र कुमार: महोदय, रेल मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार आधुनिकीकरण हेतु कार्य योजना के तहत पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेल लाइन के अंतर्गत सैनिक तैनाती हेतु वैकल्पिक मार्ग के लिए कुल्लु मनाली से लाहौल स्पीति की छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने और उसे जम्मू-कश्मीर के सीमा क्षेत्र लेह और लद्दाख तक बढ़ाने की योजना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह चीन की सीमा के साथ लगने वाला एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र है क्या रेलवे विभाग की इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने की कोई योजना है?

श्री आर. वेलु: अभी हमारी इस संबंध में कोई योजना नहीं है। चूंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है अत: हम इसकी जांच करवाएंगे और यह देखेंगे कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

श्री सांताश्री चटर्जी: जहां तक एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना का संबंध है। माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या रेलवे अधिकारी निजी कम्पनियों को इस क्षेत्र में आमंत्रित करने का विचार कर रहे हैं और क्या रेल संबंधी स्थायी समिति निजी कम्पनियों को इस क्षेत्र में लाने के विरुद्ध है?

श्री आर. वेलु: महोदय, इस सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब संयुक्त उद्यम की अवधारणा सामने आई है जिसके तहत निजी व्यक्तियों और निजी उद्यमों को अपने धन का निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में कई कार्यक्रम और कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इनमें से एक परियोजना विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की है जिसके तहत महानगरीय और उप-महानगरीय स्टेशनों सहित 26 स्टेशनों की पहचान की गई है। इस कार्यक्रम में निजी कम्पनियां भी शामिल होंगी जिसमें से अपनी भूमिका निभा सकते है। राजस्थान जैसे क्षेत्र के लिए हमने कहा है कि निजी कम्पनियां वहां रेल की पटरी बिछा सकती हैं, उनका रखरखाव कर सकती हैं और उन्हें रेलवे को सौंप सकती हैं। इसी प्रकार निजी कम्पनियां माल डिब्बे अपने स्वामित्व में लेकर मालडिब्बा योजनाओं में भाग ले सकती है तथा रेलवे के माध्यम से उनका संचालन कर सकती हैं तथा इसके लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: प्र.सं. 455-श्री मित्रसेन यादव उपस्थित नहीं।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील-उपस्थित नहीं।

प्र.सं. 456-श्री बृज किशोर त्रिपाठी-उपस्थित नहीं।

उन्होंने मुझे पत्र भेजा था।

प्र.सं. 457-श्री बालासोवरी वल्लभनेनी-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

रेल माल ढुलाई सेवा

+
***458. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे जोनों को माल ढुलाई सेवाओं की मौजूदा मांग को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेलवे जोनों में पर्याप्त माल ढुलाई सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों ने कुल मिलाकर माल सेवाओं की वर्तमान मांग को संतोषजनक तरीके से पूरा किया है। वस्तुत: भारतीय रेल ने कुल 794.21 मिलियन टन का माल लदान करके वर्ष 2007-08 के लिए 785 मिलियन टन के प्रारंभिक बजट लक्ष्यों और 790 मिलियन टन के संशोधित लक्ष्यों को पार कर लिया है। बहरहाल, कतिपय क्षेत्रों में मौसमी कमीबेशी, परिचालनिक कठिनाइयों, टर्मिनलों की तंगियों आदि के कारण मांग और आपूर्ति के बीच कुछ अंतर रहे हैं। रेलवे के पास थ्रूपुट संवर्धन कार्यों, यातायात सुविधा कार्यों, नेटवर्क क्षमता संवर्धन, माल टर्मिनलों आदि के विकास आदि के रूप में अनेक कार्य चल रहे हैं जिनसे अतिरिक्त माल की सम्हलाई के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। चल स्टाक के संवर्धित उत्पादन/खरीद के साथ उपर्युक्त कदमों से क्षेत्रीय रेलों में पर्याप्त माल सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, उस विवरण में कहा गया है कि क्षेत्रीय रेलों ने कुल मिलाकर माल सेवाओं की वर्तमान मांग को संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया है। वस्तुत: भारतीय रेल ने कुल 794.21 मिलियन टन का माल लदान करके वर्ष 2007-08 के लिए 785 मिलियन टन के प्रारम्भिक बजट लक्ष्यों और 790 मिलियन टन के संशोधित लक्ष्यों को पार कर लिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय रेल के जोन हैं, उन जोनों का विवरण क्या है और सभी जोन काम कर रहे हैं या कहीं कठिनाई है, उसका विवरण नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से उसका विवरण चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, मैं नहीं जानता, परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को पता होगा कि प्रतिशतता में माल भाड़े की वृद्धि दर 8.98 है, जोकि देश की जीडीपी वृद्धि दर से काफी अधिक है। सभी जोन कार्य कर रहे हैं। कुछ जोन में अधिक माल ढुलाई होती है। उदाहरण के लिए पूर्वी तट जोन में, दक्षिण मध्य जोन में, दक्षिण पूर्वी जोन में अधिक माल ढुलाई होती है। इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि किसी मामले में कोई जोन कार्य नहीं कर रहा है, तो मैं उन्हें इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद ही कबूल किया है, वह कहते हैं कि लक्ष्यों को पार कर लिया गया है, रेल ने अधिक लाभ कमाकर पूरे देश में छवि बनाने का काम किया है लेकिन साथ-साथ यहां प्रश्नों में तथ्यों को छिपाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या किसी रेलवे जोन में गड़बड़ी है या धीमा काम हो रहा है। विभिन्न जोन्स के जो आंकड़े आये होंगे, उन आंकड़ों से साफ होगा कि सारे जोन्स में एक समान ढंग से काम नहीं हो रहा है। उस जोन में आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और वहां कब तक सामान्य ढंग से काम शुरू हो जाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सामान्यत: कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा।

श्री आर. वेलु: मैं पुन: दोहराना चाहूंगा कि सभी जोन कार्य कर रहे हैं। ऐसे जोन्स हो सकते हैं जहां आवाजाही हेतु मांग अधिक हो, मांग-सूची लंबित हो, उदाहरण के लिए जैसा कि दक्षिण पूर्वी रेल में होता है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको उन्हें लिखित में सूचित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: अध्यक्ष महोदय, व्यापार बढ़ने से भारतीय रेलों की माल सेवा की मांग बढ़ रही है। इसके लिए जो काम किये जा रहे हैं, उनसे अभी तक बढ़ती मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। लोगों को अपना माल बुक करने में दलालों की मदद लेनी पड़ती है और भ्रष्ट आचरण अपनाना पड़ता है। अगर रेलवे में मालभाड़ा सेवा दुरुस्त हो जाए तो हम महंगाई को रोक सकते हैं क्योंकि मांग बढ़ने पर उस क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति को तुरंत पूरा किया जा सकता है। जब माल समय पर नहीं पहुंचता है तो उससे उपभोक्ता एवं व्यापारी परेशान होते हैं और सामान भी खराब होता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेलवे में माल ढोने के लिए मालभाड़ा सेवा में क्या उन्हें किसी भ्रष्ट आचरण की जानकारी मिली है, अगर हां, तो विगत 3 सालों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: हमारे पास माल के लदान और उतारने की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली है। किसी भी भ्रष्ट आचरण को हमारी जानकारी में लाया जा सकता है और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अथवा यदि यह दलालों द्वारा किया जाता है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि दलाल वहां न केवल मालभाड़ा क्षेत्र में बल्कि वे अन्यत्र यात्री क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। हम दलालों को हटाने के लिए आवधिक जांच, औचक जांच भी करते हैं।

श्री ए.के.एस. विजयन: वेदारणयम, भारत का एक सर्वाधिक नमक उत्पादक क्षेत्र है। यहां से नमक ले जाने वाली लारियां, सड़क परिवहन को काफी बाधित करती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के पास यहां माल भाड़ा सेवा हेतु नई बी.जी. लाइन का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। यदि हां, तो यह कब तक शुरू किया जाएगा?

श्री आर. वेलु: माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों की सूचना के लिए, महोदय, वेदारणयम में उत्पादित नमक को नमक सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। अब यह लाईन तिरुवरुर से तिरुथुरईपुंडी और वहां से अगस्तीयनपल्ली को जाती है। यह अनेक वर्षों से बंद पड़ी है। नमक उत्पादक अपने माल को नहीं

भेज पाते हैं। इससे पूर्व नमक को पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्यों में सभी जगहों पर भेजा जाता था। अब एजी लाईन के कारण इसमें वाहनान्तरण लागत सम्मिलित है, इस कारण नमक नहीं भेजा जा सका। इस स्थिति को महसूस करते हुए, मैंने पिछले वर्ष वेदारणयम का दौरा किया और वहां समस्याओं का मूल्यांकन किया। पिछले बजट में हमने इस मार्ग के लिए बड़ी लाईन स्वीकृत की थी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने के बाद नमक एक बार फिर न केवल तमिलनाडु बल्कि अन्य राज्यों को भी भेजा जाएगा ताकि पुराने व्यापार को पुनः स्थापित किया जा सके।

श्री सचिन पायलट: महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे पिछले चार-पांच वर्षों में काफी लाभ कमा रही है और मेरे विचार से माल भाड़ा सेवाओं ने रेलवे की काया पलट में काफी अहम योगदान दिया है। आप यह भी जानते होंगे कि कच्चे माल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण उपभोग वस्तुओं सहित, सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। मेरा माननीय मंत्री जी यह प्रश्न है। क्या रेल मंत्रालय में भी ऐसा ही चिन्तन है, जोकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में भी प्रकट हुआ है कि कुछ मालभाड़ा प्रभारों विशेषकर लौह और इस्पात पर प्रभार कम किया जाए जो मूल्य वृद्धि को कम करने में मदद करेगा, जिसका कि हम आज सामना कर रहे हैं?

श्री आर. वेलु: महोदय, चार बार ईंधन के मूल्य में वृद्धि के बावजूद, हमने न तो माल भाड़ा अथवा न ही यात्री भाड़े में कोई वृद्धि की है। मालभाड़ा दरों को सुकर बनाने के लिए श्रेणियों की संख्या को कम किया गया है ताकि इसे अधिक ग्राहक-सुलभ बनाया जा सके। माननीय सदस्य ने मूल्य के मुद्दे को उठाया है और क्या रेलवे अपने सामर्थ्य से सहयोग दे सकेगी ताकि यह मूल्य वृद्धि को रोक सके। लौह अयस्क जोकि निर्यात हेतु है, हमने इसमें आंशिक वृद्धि की है क्योंकि इसे निर्यात करने वाले व्यक्ति को जब इतना अंतर और लाभ मिल रहा है, तो वह इस लाभ को रेलवे के साथ क्यों नहीं बांट सकता ताकि हम लगभग 5000 करोड़ रु., जोकि यात्री यातायात पर होने वाला नुकसान है, की आर्थिक सहायता को पार कर सकें? इसलिए माननीय सदस्य के इस निवेदन की हमें इसकी जांच करवानी होगी कि क्या हम लौह और इस्पात पर मालभाड़ा दर को कम कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में कहा है कि टर्मिनलों की तंगी के कारण मांग और आपूर्ति के बीच कुछ अंतर है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिपावाव से सुरेन्द्रनगर-अहमदाबाद ब्राडगेज हमारे एरिया में हुआ है। वहां टर्मिनल लगाया गया है लेकिन रेक पाइंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। जहां रेक पाइंट मिलने की संभावना है। वहां क्या आप इसे करना चाहते हैं या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न आधुनिकीकरण से संबंधित है।

[हिन्दी]

आप टर्मिनल के बारे में कह रहे हैं।

श्री वी.के. ठुम्मर: सर, वहां टर्मिनल है।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, मालभाड़े हेतु एक रेक प्रबंधन प्रणाली है। निःसंदेह, हम स्वीकार करते हैं कि यहां-वहां कुवितरण हो सकता है। परन्तु एक बार हमारी जानकारी में आने के बाद, हम इसका सुधार कर रहे हैं और जो भी रेक आवश्यकता है, हम उसे प्रदान कर रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, यह माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि गुजरात नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। उद्योग के साथ-साथ नमक का परिवहन करने वाले लोगों से यह निरंतर मांग रही है कि नमक को रेल द्वारा देश के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाए। चैम्बर आफ कामर्स और व्यापारियों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें यह वैगन उपलब्ध कराए जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों न इस समस्या का समाधान एक ही बार में किया जाए न कि तदर्थ आधार पर। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां उद्योग प्रति वर्ष और हर बार इसकी मांग के लिए मंत्रालय आए।

श्री आर. वेलु: हम निस्संदेह गुजरात राज्य को नमक की आवाजाही में मदद करेंगे। हम यह देखेंगे कि क्या यह खाद्य नमक या गैर-खाद्य औद्योगिक नमक है और तदनुसार हम वरीयता प्रदान करेंगे और राज्य की मदद करेंगे।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: मैं जानना चाहूंगा कि माननीय रेल मंत्री के पास पोनमल्लई वैगन कार्यशाला, त्रिरुचि, तमिलनाडु के आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: आपके द्वारा विचार किया जाए?

श्री आर. वेलु: गत वर्ष हमने पोनमलाई वैगन वर्कशाप के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि आवंटित की थी। हम आगे भी कार्यवाही करेंगे। यदि किसी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो, तो रेल मंत्रालय को अधिक निधि आवंटित करने में कोई हिचक नहीं रहेगी।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, प्रति वर्ष पूर्वी गोदावरी से केरल के लिये चावल भेजा जाता है। माननीय मंत्री जी को पता है कि प्रतिवर्ष वैगनों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। सभी चावल उत्पादक और चावल मिलर यहां आते हैं और वैगनों के लिए अभ्यावेदन देते हैं। यह भली-भांति विदित है कि यदि पूर्वी गोदावरी से चावल की ढुलाई रोक दी जाए तो केरल में आपूर्ति में कमी आ जायेगी। इस वर्ष दर 20 रु. तक पहुंच गई। केवल तब हम ढुलाई के लिए प्रबन्ध कर सकते थे।

क्या मंत्रालय आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को पहली प्राथमिकता देने हेतु कोई नियम बनाने के बारे में विचार कर रहा है? आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई हेतु वैगनों की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

श्री आर. वेलु: माननीय सदस्य को जानकारी है कि उनके निवेदन पर मैंने निजी रूप से हस्तक्षेप किया था और केरल को चावल की ढुलाई के लिए रेक का प्रबन्ध किया था। इसके बाद, उन्हें अनेक रेक मिल गईं।

उनका निवेदन है कि क्या इन खाद्य सामग्रियों को ले जाने के लिए स्थायी प्रबंध हो सकता है। रेलवे सार्वजनिक वितरण सामग्रियों को ले जाने को प्राथमिकता देता है। यह अभाव वाले क्षेत्रों में केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ही नहीं बल्कि चावल की ढुलाई के लिए भी है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 459-श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा-उपस्थित नहीं।

प्रश्न 460-श्री टेकलाल महतो-उपस्थित नहीं।

पहली बार हम पीछे जा रहे हैं। प्रश्न 441

[हिन्दी]

उर्वरकों का आबंटन

***441. डा. राम लखन सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित/आबंटित किये जाने वाले उर्वरकों का अलग-अलग राज्य-वार कितना कोटा है;

(ख) रासायनिक उर्वरकों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश को रासायनिक उर्वरकों की जिला-वार कितनी मात्रा आबंटित की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक मौसम अर्थात् खरीफ और रबी के शुरू होने से पहले उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। खरीफ 2008 के लिए डीएसी ने 137.11 लाख मी. टन यूरिया, 42.75 लाख मी. टन डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी), 17.20 लाख मी. टन म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी) तथा 48.97 लाख मी. टन मिश्रित उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। रबी 2008-09 के लिए उर्वरक विभाग ने डीएसी के परामर्श से रबी 2007-08 में अनुमानित आवश्यकता से 10 प्रतिशत अधिक की आवश्यकता रखी है। इसके आधार पर खरीफ 2008 और रबी 2008-09 (मिश्रित उर्वरकों को छोड़कर) में उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता क्रमशः संलग्न अनुबंध-I और II में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के आकलन के आधार पर उर्वरकों का जिला-वार वितरण करती हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खरीफ 2008 के लिए मध्य प्रदेश में उर्वरकों की जिला-वार आवश्यकता संलग्न अनुबंध-III में दर्शाई गई है। रबी 2008-09 के लिए जिला-वार आवश्यकता का अनुमान अगस्त-सितंबर, 2008 में लगाया जाएगा।

अनुबंध I

खरीफ 2008 के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित की आवश्यकता

(टन में)

राज्य	यूरिया	डीएपी	एमओपी	मिश्रित
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1350000	425000	250000	1150000
कर्नाटक	800000	380000	230000	567000
केरल	75000	20000	70000	98000
तमिलनाडु	435000	210000	200000	175000
गुजरात	925000	335000	90000	263500
मध्य प्रदेश	625000	400000	70000	300000
चंडीगढ़	450000	135000	60000	99000
महाराष्ट्र	1425000	475000	170000	965000
राजस्थान	560000	260000	15000	82000
गोवा	3000	900	700	4450
हरियाणा	875000	200000	21000	24500
पंजाब	1300000	260000	60000	31000
उत्तर प्रदेश	2500000	500000	100000	400000
उत्तरांचल	125000	15000	8000	20000
हिमाचल प्रदेश	37500	0	500	14000
जम्मू-कश्मीर	70000	40000	17000	0
बिहार	950000	150000	50000	165000
झारखण्ड	130000	70000	8000	20000
उड़ीसा	375000	120000	80000	188201
पश्चिम बंगाल	500000	200000	150000	299000
असम	120000	58000	56000	15000
त्रिपुरा	19400	1000	3500	0
मणिपुर	34000	6650	3350	0

1	2	3	4	5
मेघालय	3200	2100	340	0
नागालैण्ड	400	300	130	0
अरुणाचल प्रदेश	565	79	50	0
मिजोरम	1500	2000	900	0
सिक्किम	0	0	0	0
अखिल भारत	13711330	4275837	1719993	4897691

अनुबंध II

रबी 2008-09 के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी की आवश्यकता

(टन में)

राज्य	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1485000	440000	352000
कर्नाटक	550000	220000	220000
केरल	71500	11000	77000
तमिलनाडु	605000	247500	286000
गुजरात	962500	330000	110000
मध्य प्रदेश	990000	440000	66000
चंडीगढ़	121000	60500	22000
महाराष्ट्र	957000	308000	198000
राजस्थान	1045000	357500	16500
गोवा	1705	242	330
हरियाणा	1210000	440000	27500
पंजाब	1375000	605000	38500
उत्तर प्रदेश	3300000	1155000	165000
उत्तरांचल	110000	22000	11000
हिमाचल प्रदेश	28600	220	5500
जम्मू-कश्मीर	66000	38500	13200

1	2	3	4
बिहार	1210000	275000	143000
झारखण्ड	71500	33000	5500
उड़ीसा	192500	55000	55000
पश्चिम बंगाल	852500	297000	275000
असम	132000	49500	55000
त्रिपुरा	16500	1320	2915
मणिपुर	13750	1705	1155
मेघालय	2805	902	468
नागालैण्ड	330	352	83
अरुणाचल प्रदेश	330	286	110
मिजोरम	1650	2200	990
सिक्किम	0	0	0
अखिल भारत	15403025	5404575	2157122

अनुबंध III

खरीफ 2008 के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी का माहवार लक्ष्य क्रमशः 12:32:16, 20:20:0 और 10:26:26

जिला	यूरिया						
	अप्रैल-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08	अगस्त-08	सितम्बर-08	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्यः मध्य प्रदेश							
जबलपुर	440	1232	2288	3520	2112	1408	11000
कटनी	260	728	1352	2080	1248	832	6500
मांडला	280	784	1456	2240	1344	896	7000
धनदोरी	80	224	416	640	384	256	2000
बालाघाट	760	2128	3952	6080	3648	2432	19000
छिंदवाड़ा	980	2744	5096	7840	4704	3136	24500
सिवनी	360	1008	1872	2880	1728	1152	9000
नरसिंहपुर	340	952	1768	2720	1632	1088	8500
जबलपुर प्रभाग	3500	9800	18200	28000	16800	11200	87500

1	2	3	4	5	6	7	8
सागर	140	392	728	1120	672	448	3500
दमोह	100	280	520	800	480	320	2500
पन्ना	60	168	312	480	288	192	1500
छतरपुर	140	392	728	1120	672	448	3500
टिकमगढ़	80	224	416	640	384	256	2000
सागर प्रभाग	520	1456	2704	4160	2496	1664	13000
रीवा	460	1288	2392	3680	2208	1472	11500
सतना	420	1176	2184	3360	2016	1344	10500
सिद्धि	280	784	1456	2240	1344	896	7000
शाहडोल	120	336	624	960	576	384	3000
अन्नोपुर	40	112	208	320	192	128	1000
उमरिया	40	112	208	320	192	128	1000
रीवा प्रभाग	1360	3808	7072	10880	6528	4352	34000
इंदौर	980	2744	5096	7840	4704	3136	24500
धार	2340	6552	12168	18720	11232	7488	58500
झबुआ	1380	3864	7176	11040	6624	4416	34500
खारगोन	2240	6272	11648	17920	10752	7168	56000
वडवानी	1000	2800	5200	8000	4800	3200	25000
खांडवा	740	2072	3848	5920	3552	2368	18500
बुरहानपुर	580	1624	3016	4640	2784	1856	14500
इंदौर प्रभाग	9260	25928	48152	74080	44448	29632	231500
उज्जैन	680	1904	3536	5440	3264	2176	17000
रतलाम	1020	2856	5304	8160	4896	3264	25500
मंदसौर	780	2184	4056	6240	3744	2496	19500
नीमच	620	1736	3224	4960	2976	1984	15500
देवास	760	2128	3952	6080	3648	2432	19000
शाजापुर	440	1232	2288	3520	2112	1408	11000
उज्जैन प्रभाग	4300	12040	22360	34400	20640	13760	107500

1	2	3	4	5	6	7	8
ग्वालियर	460	1288	2392	3680	2208	1472	11500
शिवपुर	200	560	1040	1600	960	640	5000
गुना	220	616	1144	1760	1056	704	5500
अशोक नगर	100	280	520	800	480	320	2500
दतिया	240	672	1248	1920	1152	768	6000
ग्वालियर प्रभाग	1220	3416	6344	9760	5856	3904	30500
भिण्ड	480	1344	2496	3840	2304	1536	12000
मुरैना	940	2632	4888	7520	4512	3008	23500
शियोपुरकाला	360	1008	1872	2880	1728	1152	9000
मुरैना प्रभाग	1780	4984	9256	14240	8544	5696	44500
भोपाल	124	347	645	992	595	397	3100
सेहोर	460	1288	2392	3680	2208	1472	11500
रायसेन	340	952	1768	2720	1632	1088	8500
विदिशा	184	515	957	1472	883	589	4600
बेतूल	660	1848	3432	5280	3168	2112	16500
राजगढ़	440	1232	2288	3520	2112	1408	11000
भोपाल प्रभाग	2208	6182	11482	17664	10598	7066	55200
होशंगाबाद	612	1714	3182	4896	2938	1958	15300
हरदा	240	672	1248	1920	1152	768	6000
हैदराबाद प्रभाग	852	2386	4430	6816	4090	2726	21300
म.प्र. राज्य	25000	70000	130000	200000	120000	80000	625000

राज्य: मध्य प्रदेश

जिला	डीएपी						
	अप्रैल-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08	अगस्त-08	सितम्बर-08	कुल
जबलपुर	1005	5025	4188	1675	1508	3350	16750
कटनी	324	1620	1350	540	486	1080	5400
मांडला	234	1170	975	390	351	780	3900

1	2	3	4	5	6	7	8
धनदोरी	114	570	475	190	171	380	1900
बालाघाट	894	4470	3725	1490	1341	2980	14900
छिंदवाड़ा	714	3570	2975	1190	1071	2380	11900
सिवनी	534	2670	2225	890	801	1780	8900
नरसिंहपुर	294	1470	1225	490	441	980	4900
जबलपुर प्रभाग	4113	20565	17138	6855	6170	13710	68550
सागर	885	4425	3688	1475	1328	2950	14750
दमोह	444	2220	1850	740	666	1480	7400
पन्ना	264	1320	1100	440	396	880	4400
छतरपुर	885	4425	3688	1475	1328	2950	14750
टिकमगढ़	414	2070	1725	690	621	1380	6900
सागर प्रभाग	2892	14460	12050	4820	4338	9640	48200
रीवा	474	2370	1975	790	711	1580	7900
सतना	945	4725	3938	1575	1418	3150	15750
सिद्धि	228	1140	950	380	342	760	3800
शाहडोल	228	1140	950	380	342	760	3800
अन्नोपुर	144	720	600	240	216	480	2400
उमरिया	114	570	475	190	171	380	1900
रीवा प्रभाग	2133	10665	8888	3555	3200	7110	35550
इंदौर	654	3270	2725	1090	981	2180	10900
धार	1425	7125	5938	2375	2138	4750	23750
झबुआ	354	1770	1475	590	531	1180	5900
खारगोन	1305	6525	5438	2175	1958	4350	21750
वडवानी	474	2370	1975	790	711	1580	7900
खांडवा	834	4170	3475	1390	1251	2780	13900
बुरहानपुर	384	1920	1600	640	576	1280	6400
इंदौर प्रभाग	5430	27150	22625	9050	8145	18100	90500

1	2	3	4	5	6	7	8
उज्जैन	1125	5625	4688	1875	1688	3750	18750
रतलाम	825	4125	3428	1375	1238	2750	13750
मंदसौर	534	2670	2225	890	801	1780	8900
नीमच	384	1920	1600	640	576	1280	6400
देवास	684	3420	2850	1140	1026	2280	11400
शाजापुर	624	3120	2600	1040	936	2080	10400
उज्जैन प्रभाग	4176	20880	17400	6960	6264	13920	69600
ग्वालियर	645	3225	2688	1075	968	2150	10750
शिवपुर	765	3825	3188	1275	1148	2550	12750
गुना	705	3525	2938	1175	1058	2350	11750
अशोक नगर	495	2475	2063	825	743	1650	8250
दतिया	375	1875	1563	625	563	1250	6250
ग्वालियर प्रभाग	2985	14925	12438	4975	4478	9950	49750
भिण्ड	795	3975	3313	1325	1193	2650	13250
मुरैना	885	4425	3688	1475	1328	2950	14750
शियोपुरकाला	444	2220	1850	740	666	1480	7400
मुरैना प्रभाग	2124	10620	8850	3540	3186	7080	35400
भोपाल	294	1470	1125	490	441	980	4900
सेहोर	765	3825	3188	1275	1148	2550	12750
रायसेन	975	4875	4063	1625	1463	3250	16250
विदिशा	1005	5025	4188	1675	1508	3350	16750
बेतूल	474	2370	1975	790	711	1580	7900
राजगढ़	795	3975	3313	1325	1193	2650	13250
भोपाल प्रभाग	4308	21540	17950	7180	6462	14360	71800
होशंगाबाद	1125	5625	4688	1875	1688	3750	18750
हरदा	714	3570	2975	1190	1071	2380	11900
हैदराबाद प्रभाग	1839	9195	7663	3065	2759	6130	30650
म.प्र. राज्य	30000	150000	125000	50000	45000	100000	500000

राज्यः मध्य प्रदेश

जिला	एमओपी						
	अप्रैल-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08	अगस्त-08	सितम्बर-08	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर	86	643	429	107	86	150	1500
कटनी	11	86	57	14	11	20	200
मांडला	6	43	29	7	6	10	100
धनदोरी	3	21	14	4	3	5	50
बालाघाट	86	643	429	107	86	150	1500
छिंदवाड़ा	183	1371	914	229	183	320	3200
सिवनी	29	214	143	36	29	50	500
नरसिंहपुर	69	514	343	86	69	120	1200
जबलपुर प्रभाग	471	3536	2357	589	471	825	8250
सागर	9	64	43	11	9	15	150
दमोह	3	21	14	4	3	5	50
पन्ना	2	13	9	2	2	3	30
छतरपुर	3	21	14	4	3	5	50
टिकमगढ़	1	9	6	1	1	2	20
सागर प्रभाग	17	129	86	21	17	30	300
रीवा	17	129	86	21	17	30	300
सतना	11	86	57	14	11	20	200
सिद्धि	6	43	29	7	6	10	100
शाहडोल	11	86	57	14	11	20	200
अन्नोपुर	14	107	71	18	14	25	250
उमरिया	3	21	14	4	3	5	50
रीवा प्रभाग	63	471	314	79	63	110	1100
इंदौर	114	857	571	143	114	200	2000
धार	286	2143	1429	357	286	500	5000
झबुआ	29	214	143	36	29	50	500

1	2	3	4	5	6	7	8
खारगोन	686	5143	3429	857	686	1200	12000
बडवानी	229	1714	1143	286	229	400	4000
खांडवा	343	2571	1714	429	343	600	6000
बुरहानपुर	571	4286	2857	714	571	1000	1000
इंदौर प्रभाग	2257	16929	11286	2821	2257	3950	39500
उज्जैन	103	771	514	129	103	180	1800
रतलाम	229	1714	1143	286	229	400	4000
मंदसौर	11	86	57	14	11	20	200
नीमच	17	129	86	21	17	30	300
देवास	229	1714	1143	286	229	400	4000
शाजापुर	29	214	143	36	29	50	500
उज्जैन प्रभाग	617	4629	3086	771	617	1080	10800
ग्वालियर	17	129	86	21	17	30	300
शिवपुर	3	21	14	4	3	5	50
गुना	6	43	29	7	6	10	100
अशोक नगर	3	21	14	4	3	5	50
दतिया	3	21	14	4	3	5	50
ग्वालियर प्रभाग	31	236	157	39	31	55	550
भिण्ड	6	43	29	7	6	10	100
मुरैना	6	43	29	7	6	10	100
शियोपुरकाला	6	43	29	7	6	10	100
मुरैना प्रभाग	17	129	86	21	17	30	300
भोपाल	57	429	86	21	17	30	300
सेहोर	86	643	429	107	86	150	1500
रायसेन	114	857	571	143	114	200	2000
विदिशा	11	86	57	14	11	20	200
बेतूल	86	643	429	107	86	150	1500
राजगढ़	29	214	143	36	29	50	500
भोपाल प्रभाग	383	2871	1914	479	383	670	6700

1	2	3	4	5	6	7	8
होशंगाबाद	86	643	429	107	86	150	1500
हरदा	57	429	286	71	57	100	1000
हैदराबाद प्रभाग	143	1071	714	179	143	250	2500
म.प्र. राज्य	4000	30000	20000	5000	4000	7000	7000

राज्य: मध्य प्रदेश

जिला	एनपीके 12:32:16						
	अप्रैल-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08	अगस्त-08	सितम्बर-08	कुल
जबलपुर	57	143	343	229	57	171	1000
कटनी	57	143	343	229	57	171	1000
मांडला	6	14	34	23	6	17	100
धनदोरी	6	14	34	23	6	17	100
बालाघाट	200	500	1200	800	200	600	3500
छिंदवाड़ा	286	714	1714	1143	286	857	5000
सिवनी	57	143	343	229	57	171	1000
नरसिंहपुर	40	100	240	160	40	120	700
जबलपुर प्रभाग	709	1771	4251	2834	709	2126	12400
सागर	86	214	514	343	86	257	1500
दमोह	34	86	206	137	34	103	600
पन्ना	29	71	171	114	29	86	500
छतरपुर	57	143	343	229	57	171	1000
टिकमगढ़	17	43	103	69	17	51	300
सागर प्रभाग	223	557	1337	891	223	669	3900
रीवा	34	86	206	137	34	103	600
सतना	34	86	206	137	34	103	600
सिद्धि	29	71	171	114	29	86	500
शाहडोल	26	64	154	103	26	77	450

1	2	3	4	5	6	7	8
अन्नोपुर	6	14	34	23	6	17	100
उमरिया	6	14	34	23	6	17	100
रीवा प्रभाग	134	336	806	537	134	403	2350
इंदौर	800	2000	4800	3200	800	2400	14000
धार	514	1286	3086	2057	514	1543	9000
झबुआ	200	500	1200	800	200	600	3500
खारगोन	857	2143	5143	3429	857	2571	15000
वडवानी	286	714	1714	1143	286	857	5000
खांडवा	200	500	1200	800	200	600	3500
बुरहानपुर	420	1050	2520	1680	420	1260	7350
इंदौर प्रभाग	3277	8193	19663	13108	3277	9832	57350
उज्जैन	686	1714	4114	2743	686	2057	12000
रतलाम	543	1357	3257	2171	543	1629	9500
मंदसौर	514	1286	3086	2057	514	1543	9000
नीमच	514	1286	3086	2057	514	1543	9000
देवास	571	1429	3429	2286	571	1714	10000
शाजापुर	486	1214	2914	1943	486	1457	8500
उज्जैन प्रभाग	3314	8286	19886	13257	3314	9943	58000
ग्वालियर	86	214	514	343	86	257	1500
शिवपुर	229	571	1371	914	229	686	4000
गुना	171	429	1029	686	171	514	3000
अशोक नगर	86	214	514	343	86	257	1500
दतिया	57	143	343	229	57	171	1000
ग्वालियर प्रभाग	629	1571	3771	2514	629	1886	11000
भिण्ड	171	429	1029	686	171	514	3000
मुरैना	143	357	857	571	143	429	2500
शियोपुरकाला	86	214	514	343	86	257	1500
मुरैना प्रभाग	400	1000	2400	1600	400	1200	7000

1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	57	143	343	229	57	171	1000
सेहोर	229	571	1371	914	229	686	4000
रायसेन	86	214	514	343	86	257	1500
विदिशा	143	357	857	571	143	429	2500
बेतूल	171	429	1029	686	171	514	3000
राजगढ़	229	571	1371	914	229	686	4000
भोपाल प्रभाग	914	2286	5486	3657	914	2743	16000
होशंगाबाद	229	571	1371	914	229	686	4000
हरदा	171	428	1028	686	171	514	3000
हैदराबाद प्रभाग	400	999	2399	1600	400	1200	7000
म.प्र. राज्य	10000	25000	60000	40000	10000	30000	175000

राज्यः मध्य प्रदेश

जिला	एनपीके 20:20:0						
	अप्रैल-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08	अगस्त-08	सितम्बर-08	कुल
जबलपुर	100	600	740	300	100	160	200
कटनी	50	300	370	150	50	80	1000
मांडला	0	0	0	0	0	0	0
धनदोरी	0	0	0	0	0	0	0
बालाघाट	50	300	370	150	50	80	1000
छिंदवाड़ा	10	60	74	30	10	16	200
सिवनी	10	60	74	30	10	16	200
नरसिंहपुर	5	30	37	15	5	8	100
जबलपुर प्रभाग	225	1350	1665	675	225	360	4500
सागर	150	900	1110	450	150	240	3000
दमोह	75	450	555	225	75	120	1500
पन्ना	50	300	370	150	50	80	1000
छतरपुर	75	450	555	225	75	120	1500

1	2	3	4	5	6	7	8
टिकमगढ़	5	30	37	15	5	8	100
सागर प्रभाग	335	2130	2627	1065	355	568	7100
रीवा	60	360	444	180	60	96	1200
सतना	150	900	1110	450	150	240	3000
सिद्धि	50	300	370	150	50	80	1000
शाहडोल	60	360	444	180	60	96	1200
अन्नोपुर	50	300	370	150	50	80	1000
उमरिया	25	150	185	75	25	40	500
रीवा प्रभाग	395	2370	2923	1185	395	632	7900
इंदौर	400	2400	2960	1200	400	640	8000
धार	350	2100	2590	1050	350	560	7000
झबुआ	150	900	1110	450	150	240	3000
खारगोन	75	450	555	225	75	120	1500
वडवानी	75	450	555	225	75	120	1500
खांडवा	100	600	740	300	100	160	2000
बुरहानपुर	10	60	74	30	10	16	200
इंदौर प्रभाग	1160	6960	8584	3480	1160	1856	23200
उज्जैन	200	1200	1480	600	200	320	4000
रतलाम	150	900	1110	450	150	240	3000
मंदसौर	200	1200	1480	600	200	320	4000
नीमच	75	450	555	225	75	120	1500
देवास	60	360	444	180	60	96	1200
शाजापुर	125	750	925	375	125	200	2500
उज्जैन प्रभाग	810	4860	5994	2430	810	1296	16200
ग्वालियर	375	2250	2775	1125	375	600	7500
शिवपुर	60	360	444	180	60	96	1200
गुना	50	300	370	150	50	80	1000
अशोक नगर	75	450	555	225	75	120	1500

1	2	3	4	5	6	7	8
दतिया	200	1200	1480	600	200	320	4000
ग्वालियर प्रभाग	760	4560	5624	2280	760	1216	15200
भिण्ड	200	1200	1480	600	200	320	4000
मुरैना	275	1650	2035	825	275	440	5500
शियोपुरकाला	25	150	185	75	25	40	500
मुरैना प्रभाग	500	300	3700	1500	500	800	10000
भोपाल	50	300	370	150	50	80	1000
सेहोर	125	750	925	375	125	200	2500
रायसेन	75	450	555	225	75	120	1500
विदिशा	275	1650	2035	825	275	440	5500
बैतूल	30	180	222	90	30	48	600
राजगढ़	150	900	1110	450	150	240	3000
भोपाल प्रभाग	705	4230	5217	2115	705	1128	14100
होशंगाबाद	40	240	296	120	40	64	800
हरदा	50	300	370	150	50	80	1000
हैदराबाद प्रभाग	90	540	666	270	90	144	1800
म.प्र. राज्य	5000	30000	37000	15000	5000	8000	100000

राज्यः मध्य प्रदेश

जिला	एनपीके 10:26:26						
	अप्रैल-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08	अगस्त-08	सितम्बर-08	कुल
जबलपुर	20	140	160	80	40	60	500
कटनी	24	168	192	96	48	72	600
मांडला	0	0	0	0	0	0	0
धनदोरी	0	0	0	0	0	0	0
बालाघाट	12	84	96	48	24	36	300
छिंदवाड़ा	4	28	32	16	8	12	100
सिवनी	4	28	32	16	8	12	100

1	2	3	4	5	6	7	8
नरसिंहपुर	6	42	48	24	12	18	150
जबलपुर प्रभाग	70	490	560	280	140	210	1750
सागर	12	84	96	48	24	36	300
दमोह	8	56	64	32	16	24	200
पन्ना	5	34	38	19	10	14	120
छतरपुर	5	34	38	19	10	14	120
टिकमगढ़	5	34	38	19	10	14	120
सागर प्रभाग	34	241	275	138	69	103	860
रीवा	2	17	19	10	5	7	60
सतना	28	196	224	112	56	84	700
सिद्धि	2	17	19	10	5	7	60
शाहडोल	0	0	0	0	0	0	0
अन्नोपुर	0	0	0	0	0	0	0
उमरिया	0	0	0	0	0	0	0
रीवा प्रभाग	33	230	262	131	66	98	820
इंदौर	320	2240	2560	1280	640	960	8000
धार	4	28	32	16	8	12	100
झबुआ	0	0	0	0	0	0	0
खारगोन	72	504	576	288	144	216	1800
वडवानी	2	17	19	10	5	7	60
खांडवा	20	140	160	80	40	60	500
बुरहानपुर	120	840	960	480	240	360	3000
इंदौर प्रभाग	538	3769	4307	2154	1077	1615	13460
उज्जैन	100	700	800	400	200	300	2500
रतलाम	4	28	32	16	8	12	100
मंदसौर	0	0	0	0	0	0	0
नीमच	5	34	38	19	10	14	120
देवास	120	840	960	480	240	360	3000

1	2	3	4	5	6	7	8
शाजापुर	48	336	384	192	96	144	1200
उज्जैन प्रभाग	277	1938	2214	1107	554	830	6920
ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	0
शिवपुर	0	0	0	0	0	0	0
गुना	5	34	38	19	10	14	120
अशोक नगर	8	56	64	32	16	24	200
दतिया	0	0	0	0	0	0	0
ग्वालियर प्रभाग	13	90	102	51	26	38	320
भिण्ड	0	0	0	0	0	0	0
मुरैना	0	0	0	0	0	0	0
शियोपुरकाला	0	0	0	0	0	0	0
मुरैना प्रभाग	0	0	0	0	0	0	0
भोपाल	2	14	16	8	4	6	50
सेहोर	2	17	19	10	5	7	60
रायसेन	2	11	13	6	3	5	40
विदिशा	5	34	38	19	10	14	120
बैतूल	0	0	0	0	0	0	0
राजगढ़	20	140	160	80	40	60	500
भोपाल प्रभाग	31	216	246	123	62	92	770
होशंगाबाद	4	28	32	16	8	12	100
हरदा	0	0	0	0	0	0	0
हैदराबाद प्रभाग	4	28	32	16	8	12	100
म.प्र. राज्य	1000	7000	8000	4000	2000	3000	25000

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार से पूछा था कि रसायन और उर्वरक किस प्रदेश को कितना आबंटन किया गया है, खास तौर से मध्य प्रदेश को कितना आबंटित किया गया है? इसमें जवाब आया है कि यूरिया छः लाख 25 हजार डीएपी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप डिटेल मत पढ़िए, प्रश्न पूछिए।

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सदन में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में खादों को लेकर किसान परेशानी में रहे, उसके कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई, उसका उत्पादन उन्हें नहीं मिल सकता,

किसान बर्बाद हो गया। केन्द्र सरकार ने बार-बार मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध के बावजूद, ठीक से संतोषजनक खाद का आबंटन नहीं किया। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वे कौन से कारण थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश को खाद का आबंटन, जितनी जरूरत थी, उतना नहीं दिया गया। हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप जिस तरह से आबंटन करते हैं, उसके क्या मापदंड हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः प्रश्नकाल टिप्पणी करने के लिए नहीं है, बल्कि जानकारी प्राप्त करने के लिए है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सही नहीं है। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितनी खाद की मांग की गई थी, उससे ज्यादा उपलब्ध कराई गई है और जितनी उपलब्ध कराई गई, उससे बहुत कम बिक्री हुई। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कम खाद सप्लाई हेतु कोई शिकायत की है, यह भी ठीक नहीं है। मैं सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने हमें धन्यवाद ज्ञापित किया कि पासवान जी, पहली बार हमें संतोषजनक तरीके से खाद मिल रही है।

अध्यक्ष महोदयः उन्हें शायद इस बारे में खबर नहीं है।

डा. राम लखन सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि इस बात के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद का जो आबंटन आपने किया, वह कौन से महीने और किन-किन तारीखों में किया, यह बताने की कृपा करें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः वह अब यह कैसे दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया विवादों में न पड़ें। यह आपकी बुरी आदत है। आप हमेशा अध्यक्ष को चुनौती देते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः सर, मैं उतना तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रैल के महीने में जितनी खाद की सप्लाई की मांग की, वह हमने पूरी है। मेरे पास अप्रैल महीने की, दिनांक 21.04.2008 तक की सूची है। मध्य प्रदेश सरकार ने 25 हजार टन यूरिया मांगा था, उसे 81 हजार टन यूरिया दिया गया और उसमें से केवल 2089 हजार टन बिक्री हुई। इसके बाद उन्होंने डी.ए.पी. 30 हजार टन मांगी, उन्हें 30.47 हजार टन दी गई और उसमें से केवल 0.81 हजार टन की बिक्री हुई। उसके बाद उन्होंने एम.ओ.पी. 4 हजार टन मांगी, उन्हें 12 हजार टन दी गई और 2.65 हजार टन बिक्री हुई।

डा. राम लखन सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल महीने में खाद की किसान को कहां जरूरत होती है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नो, सारी। छोड़िए-छोड़िए।

[अनुवाद]

नहीं, यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने विस्तार से, रबी फसल के लिए जिस प्रकार से हमें खादों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसका ब्यौरा दिया है। जो खाद डी.ए.पी. है, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि जितनी इस वर्ष उसकी आवश्यकता है, उसकी उतनी मात्रा में पूर्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसकी आपूर्ति में कमी देखी जा रही है और आगे आने वाले महीनों में जब रबी की फसल बोई जाएगी, तब उसमें और भी कमी हो सकती है। खासतौर पर हरियाणा में रबी की फसल की बुआई के समय डी.ए.पी. खाद की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि डी.ए.पी. की पूर्ति पूर्णरूप से और सुरक्षित तरीके से की जाएगी?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, सरकार आश्वासन देती है कि डी.ए.पी. की सप्लाई पूर्णरूप से की जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उत्तर इसी तरह दिए जाने चाहिए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनर्वास प्रक्रिया के भाग के रूप में एफएसीटी, केरल के लिए मंत्रालय के पास क्या विस्तार योजना है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सर, एफ.ए.सी.टी. घाटे में चल रही है, लेकिन सरकार ने वादा किया है कि हम इसे बन्द नहीं होने देंगे। इस बार उसके रिवाइबल हेतु 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वह तब तक मुनाफे में नहीं आ सकती है, जब तक कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती है। जब तक गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तब तक सरकार घाटा पूरा करने का केवल प्रयास ही नहीं करेगी, बल्कि जो भी घाटा होगा, उसे देगी और हम उसे बन्द नहीं होने देंगे।

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, खाद जैसे गम्भीर विषय पर आज यहां प्रश्न आया है। यह तथ्य सही है या नहीं कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं, वे कहां से आए हैं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि मंत्री जी को ये आंकड़े, उनके विभाग के संबंधित अधिकारियों ने दिए हों, लेकिन यह भी सही है कि समाचारपत्रों में, पूरे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में खाद की कमी के चलते, किसान लाठी खाने को मजबूर हुआ, किसान रात-रात भर जागा, लाइन लगाई और हम लोगों ने भी स्थल पर जाकर किसी प्रकार खाद बंटवाई। कई किसानों की खाद नहीं मिलने के कारण बुआई नहीं हो पाई। किसानों को खेत में जाने पर बुआई के साधन नहीं मिले, न बिजली मिली, न पानी मिला और खाद, जो सबसे इम्पौर्टेंट साधन खाद है, वह भी नहीं मिली। मंत्री जी कहां से आंकड़े दे रहे हैं, वह यह तो बताएं कि अगर उनके आंकड़े सही हैं, तो गांव की जनता और किसानों ने जो कष्ट झेला है, वह सही है या गलत है? मंत्री जी, मेरा अनुरोध है कि आप कृपा करके अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि जो आंकड़ेबाजी हिन्दुस्तान को चलाने में की जा रही है, यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* विजेन्द्र जी कहीं न कहीं आप भी इसे झेलेंगे, जब किसान लाठी खाएगा, तो आप से भी पूछेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अहम मुद्दा है। आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह विशेषाधिकार हनन है? कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है कि बुवाई के समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। थोड़ा शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: महोदय, जो एलाटमेंट किया जाता है, उसमें हम फिफ्टी पर्सेंट यूरिया का एलाटमेंट करते हैं। ...*(व्यवधान)* आपने क्वैश्चन तो पूछ लिया, लेकिन जब हम जवाब दे रहे हैं, तो आप उनसे बात कर रहे हैं। मैं बता रहा था कि फिफ्टी पर्सेंट यूरिया का हम आवंटन करते हैं। डीएपी, एमओपी सारे के सारे डी-कंट्रोल में है, लेकिन हम उसकी मानीटरिंग करते हैं।

माननीय सदस्य ने पूछा कि आप कहां से आंकड़े लाते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपसे ही आंकड़े लाता हूं। मैं सब्सिडी का पैसा तभी देता हूं, जब राज्य सरकार के यहां से कन्फर्मेशन हो जाता है कि इतना खाद हमारे यहां पहुंच चुका है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मेरे पास उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा है। अप्रैल तक उत्तर प्रदेश ...*(व्यवधान)* हम सभी प्रदेशों का बता देते हैं, हमारे पास सभी की डिटेल्स हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश सभी का है। आपके द्वारा जो सूचना मांगी गयी, अप्रैल तक यूरिया की रिक्वायरमेंट एक लाख छप्पन हजार टन की थी, जबकि चार लाख इकतालीस हजार टन दिया गया, बिक्री हुयी केवल इक्कीस हजार टन की, डीएपी एक लाख टन मांगी गयी और दी गयी छप्पन हजार चौदह टन, जबकि बिक्री हुयी केवल छः हजार टन की। एमओपी दस हजार टन मांगी गयी, दिया गया बत्तीस हजार टन ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय मंत्री जी आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। अप्रैल में ...*(व्यवधान)* देश को गुमराह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ब्रजेश जी, यह बहुत दुख की बात है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मेरे पास पूरे साल का भी आंकड़ा है और माननीय सदस्य को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप कहेंगे, तो सदन के पटल पर उसे रख दूंगा, इनको कहेंगे, तो इनको दे दूंगा। यदि डिमांड और सप्लाई में कमी आएगी, जितनी आपने मांग की है और जितनी हमने दी है और जितनी बिक्री हुई-

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

महीने-वार आवश्यकता, 2007-08 के दौरान डीएपी की उपलब्धता और बिक्री के आंकड़े,

[हिन्दी]

रबी फसल की मेरे पास है। उत्तर प्रदेश की रबी की फसल की रिक्वायरमेंट अक्तूबर में तीन लाख तीस हजार टन थी, दिया गया तीन लाख बावन हजार टन, मैं पूरे सीजन की बात कह रहा हूं, जबकि बिक्री हुयी केवल एक लाख तिरानवे हजार टन। ...*(व्यवधान)* आप पहले सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है? एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें। यह बहुत अनुचित है।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, माननीय मंत्री इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप प्रश्न पूछिए। उन्हें सुनने के लिए आपमें थोड़ा भी धैर्य नहीं है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक, मैं आपके व्यवहार की निन्दा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: महोदय, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)* महोदय, या तो इनको सुनने के लिए कहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है। मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यदि आपने एक शब्द भी कहा, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः श्री पाठक यह अनुचित है। मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप जानबूझकर सभा के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। श्री पाठक, आज आपने जैसा आचरण दिखाया है मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह बात ठीक नहीं है। किसानों के लिये इस तरह से नहीं सोचा जाता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अगर अब आपने एक भी शब्द कहा तो मैं आपको बाहर भेज दूंगा। यह निराशाजनक व्यवहार है। यह शर्मनाक है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैं आपके व्यवहार की निन्दा करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री पाठक अगर आपने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तो मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए। यह मजाक की जगह नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठकः सर, मजाक नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मजाक हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठकः मजाक कतई नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपने प्रश्न किया, मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह निराशाजनक है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठकः फर्जी आंकड़ों से देश नहीं चलने वाला है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्रो. राम गोपाल यादव, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप मंत्री जी से प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने प्रश्न पूछा और मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको जवाब सुनने का धीरज नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. राम गोपाल यादव, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक मैं आपके व्यवहार की निन्दा करता हूं। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मेरी अनुमति के बिना जो भी खड़ा होगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको परिणाम भुगतने होंगे। इसे कोरी धमकी न समझें। श्री दुम्मर मैं आपके विरुद्ध भी कार्यवाही करूंगा। बस बहुत हो गया।

[हिन्दी]

यह मजाक की जगह नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक: मैं किसानों के मुद्दे पर बहुत गंभीर हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम भी किसानों के लिए चिंतित हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इन नामों को नोट कर लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, मैं आपकी टिप्पणियों की निन्दा करता हूं।

[हिन्दी]

हम यह नहीं करने देंगे। हमें यहां कुर्सी से हटा दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य सलोगन दे रहे हैं, उनके नाम लिख लिए जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

निःशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण कार्यक्रमों की निगरानी

***442. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसिक रूप से निःशक्त तथा विकलांग व्यक्तियों, स्थायी रूप से रोगमुक्त किए गए कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास आदि के लिए समाज कल्याण कार्यक्रमों/अनुदानों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए किसी समिति/कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केंद्र सरकार राज्यों में इन केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में अन्य बातों के साथ-साथ "समानता के लिए अभिकल्पित कार्यक्रम और निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी" की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय समन्वयन समिति और "केन्द्र सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की निगरानी" के लिए मुख्य आयुक्त (निःशक्त व्यक्ति) की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ए.टी.सी. के आधुनिकीकरण संबंधी समिति

***443. श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों के विमानपत्तनों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों के विमानों के बड़े पैमाने पर आवागमन के परिणामस्वरूप एअर ट्रैफिक कंट्रोल (ए.टी.सी.) पर काफी दबाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्री अजय प्रसाद की अध्यक्षता में ए.टी.सी. के आधुनिकीकरण से संबंधित किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) यातायात में अप्रत्याशित वृद्धि तथा इसके परिणामस्वरूप विमान संचलन में हुई वृद्धि ने विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) सहित हवाईअड्डा अवसंरचना के लिए विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न कर दी है।

(ग) से (ङ) समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.3.2008 को प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

समिति ने अल्पकालीन/तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना के आधार पर भावी विमान दिक्चालन मास्टर योजना पर विभिन्न सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। दृष्टिकोण जो समिति ने ग्रहण किया है वह है कि भारत को यातायात की बढ़ती मात्रा के लिए व्यवस्था करनी होगी तथा इसे सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किये बगैर कुशलता से प्राप्त किया जायेगा।

[अनुवाद]

नागरिक विमानों की दुर्घटनाएं

***444. श्री अधीर चौधरी:**
श्री महावीर भगोरा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुई नागरिक विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप दुर्घटना-वार कितने यात्री मारे गए और कितने घायल हुए तथा कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को कितने मुआवजे/राहत का भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं के सही कारण का पता लगाने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों की 12 दुर्घटनाएं हुई थीं। इन दुर्घटनाओं में से 9 दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। दिनांक 21.5.2007 को मैसर्स प्रभातम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रचालित विमान की एक दुर्घटना में एक मृत्यु हुई थी, 14.7.2007 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रचालित विमान तथा दिनांक 8.9.2007 को मैसर्स जाय अलुक्कास ट्रेडर्स (इंडिया) प्रा.लि. की दो दुर्घटनाओं में प्रत्येक में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एयरलाइन प्रचालकों द्वारा पीड़ित परिवारों को दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति का रिकार्ड नहीं रखती है। जहां तक सम्पत्ति को हानि का संबंध है मुख्य क्षति विमान को हुई है। उपर्युक्त दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना में विमान को आंशिक क्षति पहुंची है। 9 दुर्घटनाओं में विमान को व्यापक क्षति पहुंची है तथा दो दुर्घटनाओं विमान में नष्ट हो गये हैं।

(घ) और (ङ) इन दुर्घटनाओं की जांच विमानन नियमावली, 1937 के नियम 71 के अंतर्गत नियुक्त दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की गई थी।

(च) विमान दुर्घटनाओं से बचने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा विभिन्न दुर्घटना निवारण कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं। प्रचालक के प्रचालन/इंजीनियरिंग विभागों में खतरों का पता लगाने के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा, निगरानी निरीक्षण आदि किये जाते हैं। खतरों को समाप्त करने या कम करने के लिए निवारक कार्रवाई की गई है। सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनर्रावृत्ति से बचने के लिए संबंधित इकाईयों द्वारा लागू किये जाने के लिए जांचों के परिणामस्वरूप सुरक्षा सिफारिशों का नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं

***445. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने तथा किन-किन विमानपत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग की सुविधा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक इन विमानपत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो का वर्ष-वार और विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन विमानपत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग की सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कार्गो विमानपत्तनों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्तमान में 23 हवाईअड्डों यथा कोलकाता, चैन्नई, नागपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कोयम्बतूर, मुम्बाई, दिल्ली, अमृतसर, इंदौर, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, वाराणसी, पुणे, कालीकट, श्रीनगर, विशाखापत्तनम, गोवा, भुवनेश्वर, त्रिवेन्द्रम और कोचीन हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) उपर्युक्त हवाईअड्डों द्वारा पिछले 3 वर्षों तथा 2004-05, 2006-07 तथा 2007-08 (फरवरी, 2008 तक) के दौरान कार्गो हैंडलिंग का ब्यौरा संलग्न विवरण पर उपलब्ध है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, इंदौर, अहमदाबाद तथा पटना के अपने हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने/स्तरोन्नयन का प्रस्ताव है। हैदराबाद तथा बंगलौर के ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों में विश्वस्तरीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2010 तक सीएसआई हवाईअड्डा, मुम्बई तथा आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली में उन्नत कार्गो सुविधाएं स्थापित की जायेंगी।

(घ) और (ङ) सरकार देश में कार्गो हवाईअड्डे/हब की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

विवरण

*कार्गो हैंडलिंग/आपूर्ति सुविधा वाले हवाईअड्डों पर मालभाड़ा यातायात रूझान: 2004-05 से 2007-08**

(टन में)

क्र.सं.	हवाई अड्डे	अंतर्राष्ट्रीय				घरेलू				कुल			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	मुम्बई	273265	288960	328022	338553	129450	142361	152159	146564	402715	431321	480181	485117
2.	दिल्ली	237923	273410	273463	273783	106578	109642	116027	119271	344501	383052	389490	393054
3.	चेन्नई	146443	167853	195195	205759	39427	38118	43130	39265	185870	205971	238325	245054
4.	बंगलौर	64433	81991	99392	98244	46143	50186	64374	63606	110576	132177	163766	161850
5.	कोलकाता	30529	32164	36379	37303	39099	42335	47144	45691	69628	74499	83523	82994
6.	हैदराबाद	13924	16949	21715	21811	20083	19572	22952	24694	34007	36521	44667	46505
7.	कोचीन (सीआईएल)	18210	16206	15569	17124	3965	5031	5820	5589	22175	21237	21389	22713
8.	अहमदाबाद	2535	3614	4240	5957	14157	13264	16149	15601	16692	16878	20389	21558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	गोवा	1233	1356	964	707	3623	3812	3934	3860	4856	5168	4898	4567
10.	त्रिवेन्द्रम	22287	23280	30465	27773	1368	1300	1442	1314	23655	24580	31907	29087
11.	पुणे	0	0	7	2	8791	8666	13036	9088	8791	8666	13043	9090
12.	कालीकट	9411	9193	10691	7818	1178	1437	770	572	10589	10630	11461	8390
13.	गुवाहाटी	2	140	50	6	4308	4460	3648	1908	4310	4600	3698	1914
14.	कोयम्बटूर	965	1749	1612	1035	3720	3272	3645	3359	4685	5221	5257	4394
15.	जयपुर	240	509	728	386	1531	1853	1940	2228	1771	2362	2668	2614
16.	श्रीनगर	0	0	0	0	2172	2665	2145	1760	2172	2665	2145	1760
17.	नागपुर	0	0	1	0	2780	3180	3357	3751	2780	3180	3358	3751
18.	लखनऊ	626	552	158	129	1962	2040	1743	1502	2588	2592	1901	1631
19.	अमृतसर	1278	1331	1744	1119	34	68	98	90	1312	1399	1842	1209
20.	इंदौर	0	0	0	0	2925	2349	3657	4538	2925	2349	3657	4538
21.	भुवनेश्वर	0	0	0	0	945	875	1018	1131	945	875	1018	1131
22.	वाराणसी	0	0	0	11	627	574	384	325	627	574	384	336
23.	विशाखापत्तनम	0	0	0	0	670	504	541	423	670	504	541	423
	कुल	823304	919457	1020395	1037520	435536	457564	509113	496130	1258840	1377021	1529508	1533650

*2007-08 (अप्रैल से फरवरी)

भिक्षावृत्ति उन्मूलन

***446. श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) भिक्षुओं के कल्याणार्थ चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) केन्द्र सरकार भिक्षा उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान नहीं कर रही है। तथापि, यह वृद्धि व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और नि:शक्त व्यक्तियों जो भिक्षावृत्ति के लिए विवश किए जा सकते हैं, जैसे वर्गों की सहायता के लिए कुछ योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेगा फूड पार्क

***447. श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री छत्तर सिंह दरबार:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में पूरे देश में मेगा फूड पार्कों की स्थापना संबंधी योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के लिए फूड पार्क-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है/आबंटित की जाएगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु एक स्कीम विकसित की है, जिसमें सहायक बुनियादी सुविधाओं और सुस्थापित सप्लाई श्रृंखला समेत अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण तथा अपेक्षित फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्य श्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है। मेगा खाद्य पार्क का स्वामित्व और प्रबंधन एस पी वी में निहित होगा जिसमें संगठित खुदरा विक्रेता, प्रसंस्करणकर्त्ता, सेवा प्रदान करने वाले किसान आदि इक्विटीधारक हो सकते हैं या अपने अनुषंगियों, संबद्ध कंपनियों और अन्य पणधारियों सहित एक एंकर निवेशक भी हो सकता है। सरकारी एजेंसियां भी विशेष प्रयोजन वीइकल में अधिकतम 49 प्रतिशत तक की शेयरधारक हो सकती हैं।

यह स्कीम परियोजना उन्मुख है। मेगा खाद्य पार्कों के स्थलों का चयन निरूपित आपूर्ति श्रृंखला वाले तथा पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों द्वारा सुसमर्थित मांग-प्रेरित झुंड आधारित पहुंच से किया जाना है। मेगा खाद्य पार्क किसी भी क्षेत्र हेतु आवश्यकता और फल एवं सब्जी, डेरी, मांस और पाल्ट्री आदि जैसी व्यवहार्यता आधार पर स्थापित किए जा सकते हैं अथवा इनमें फल और सब्जी, डेरी, मांस और पाल्ट्री आदि का संयोजन भी हो सकता है, इस पर निर्णय विशेष प्रयोजन वीइकल द्वारा लिया जाएगा।

इस स्कीम में निजी क्षेत्रों समेत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 करोड़ रुपये है अथवा अनुमोदित सुविधाओं की लागत, जो भी कम है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना का उल्लेख है। स्कीम के अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों को रोजगार

***448. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई नई स्व-रोजगार योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है और इससे सिर पर मैला ढोने वाले कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) भारत सरकार ने जनवरी, 2007 में सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक स्व-रोजगार योजना आरम्भ की। योजना में सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के स्व-रोजगार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण, रियायती ऋण और पूंजीगत आर्थिक सहायता की व्यवस्था है।

(ग) योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक निर्गत निधियां और लाभान्वित सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्गत निधियां (लाख रुपए में)	के माध्यम से कवर किए गए लाभार्थी	
			प्रशिक्षण	ऋण
1	2	3	4	5
1.	असम	260.33	1375	6
2.	बिहार	207.285	115	शून्य
3.	दिल्ली	शून्य	39	शून्य
4.	गुजरात	200.00	शून्य	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	170.157	322	455
6.	जम्मू-कश्मीर	13.22	शून्य	शून्य
7.	झारखण्ड	279.75	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	311.66	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
9.	मध्य प्रदेश	1353.665	3849	1000
10.	महाराष्ट्र	413.81	1033	456
11.	उड़ीसा	994.28	29	3155
12.	पुद्दुचेरी	24.15	30	शून्य
13.	राजस्थान	174.02	225	59
14.	तमिलनाडु	55.90	शून्य	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	82.5	शून्य	शून्य
16.	पश्चिम बंगाल	143.545	63	शून्य
	कुल	4684.272	7080	5131

[हिन्दी]

शीतागार

***449. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शीतागारों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में प्रत्येक जिले में शीतागार की पर्याप्त सुविधा नहीं है तथा शीतागार का प्रयोग करने हेतु किसानों से अत्यधिक शुल्क लिया जाता है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शीतागारों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई और राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ङ) क्या शीतागारों के सामान रखने का शुल्क लिए जाने के लिए कोई नियम विद्यमान नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (छ) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार देश में शीतागारों की कुल संख्या 5101 है। उनके राज्य-वार और क्षमता-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

सरकार को देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपलब्ध शीतश्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास की अपर्याप्तता की जानकारी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपनी योजना स्कीमों के तहत, शीतश्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकारी/निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा था। चूंकि वित्तीय सहायता संबंधी स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं, अत: राज्य-वार निधियां आबंटित नहीं की गई है। वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान शीतागारों समेत बुनियादी ढांचा विकास के संबंध में मंत्रालय द्वारा उपयोग किया गया बजट आबंटन क्रमश: 15.65 करोड़ रुपये, 13.21 करोड़ रुपये और 14.80 करोड़ रुपये था।

मूल्यवर्धन करने तथा अपव्यय के स्तर को कम करने के लिए बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज आदि के विकास हेतु पैक हाउसों, प्राथमिक संस्करण केन्द्रों, सक्षम आपूर्ति श्रृंखला जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास सृजित करने के लिए बृहत निवेश की आवश्यकता पर विचार करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खेत से उपभोक्ताओं तक निर्बाध रूप से उत्पादन स्थलों, प्रशीतित वैनों और मोबाइल कूलिंग इकाइयों में पूर्व-प्रशीतन सुविधाओं सहित संपूर्ण शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों-कृषि स्तरीय प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र-सह-शीत श्रृंखला, संग्रहण/संचयी केंद्रों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केंद्रों-पर समेकित शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है। इस पहल का उद्देश्य सप्लाई श्रृंखला में मौजूद अन्तर को पाटना, शीत श्रृंखला संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, नैसर्गिक उपज समेत बागवानी समुद्री, डेरी, मांस, पाल्ट्री आदि के लिए छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रसंस्करण जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ मूल्यवर्धन करना है। इस स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50 प्रतिशत की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में 75 प्रतिशत की दर पर सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने का उल्लेख है जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी सरकार की अन्य एजेंसियां और राज्य सरकारें भी अपने से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता उपलब्ध कराती हैं।

सरकार शीतागारों का उपयोग करने के लिए जाने वाले शुल्कों को विनियमित नहीं करती है जो सामान्यत: बाजार प्रेरित होते हैं और भंडारण सामग्री की मात्रा, बिजली आपूर्ति, ईंधन की लागत, मजदूरी प्रभार आदि समेत विभिन्न कारकों पर निर्भर होते है।

विवरण

शीतागारों का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.12.2006 की स्थिति के अनुसार	
		कुल संख्या	कुल क्षमता मीट्रिक टन में
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित)	02	210
2.	आंध्र प्रदेश	276	820808
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	5000
4.	असम	23	70916
5.	बिहार	238	910582
6.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	06	12216
7.	छत्तीसगढ़	55	266022
8.	दिल्ली	93	126091
9.	गुजरात	374	973768
10.	गोवा	28	7105
11.	हरियाणा	243	392121
12.	हिमाचल प्रदेश	17	18375
13.	जम्मू-कश्मीर	19	42869
14.	झारखण्ड	25	80625
15.	केरल	177	47298
16.	कर्नाटक	138	253168
17.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	01	15
18.	महाराष्ट्र	437	510854
19.	मध्य प्रदेश	179	762802
20.	मणिपुर	00	00
21.	मेघालय	03	3200
22.	मिजोरम	00	00
23.	नागालैण्ड	02	6150
24.	उड़ीसा	90	216420
25.	पाण्डिचेरी (संघ शासित)	03	85
26.	पंजाब	420	1377517
27.	राजस्थान	106	312130
28.	सिक्किम	00	00
29.	तमिलनाडु	136	227229
30.	त्रिपुरा	08	18450
31.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	1567	8931918
32.	पश्चिम बंगाल	434	5340042
	कुल	5101	21693986

[अनुवाद]

औषधियों की कीमतों में कटौती

***450. चौ. मुनव्वर हसन:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 886 औषधियों में से अधिकांश औषधियां जिनकी कीमतों में कंपनियां कटौती करने के लिए तैयार हो गयी थीं, या तो प्रचलन में नहीं हैं या उनका उत्पादन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्र सरकार को यह सूचित किया है कि इन औषधियों की कीमतों में कमी नहीं की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) फार्मा कंपनियां, जेनरिक दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को थोक विक्रेताओं के लिए 15 प्रतिशत और खुदरा विक्रेताओं के लिए 35 प्रतिशत तक स्वैच्छिक तौर पर सीमित करने के लिए सहमत हो गई थीं। ट्रेड मार्जिन पर इस नियंत्रण के परिणामस्वरूप ग्यारह कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से जिन 886 दवाओं की कीमतें घटाने पर सहमति जताई गई थी, उनका एक संकलन तैयार किया गया है जो इस विभाग के वेबसाइट www.chemicals.gov.in पर उपलब्ध है। इस सूची की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी रखी गयी हैं। इस सूची में टैबलेट, कैप्सूल और सिरप इत्यादि जैसे सभी खुराक प्रकारों के फार्मूलेशन शामिल हैं तथा इनका उपयोग अनेक बीमारियों के उपचार में होता है। इन दवाओं में मधुमेह रोधी, एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप, दर्द-निवारक तथा शल्य क्रिया के दौरान उपयोग की जाने वाली, संक्रामक रोगों तथा हाइपरटेंशन आदि के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के मूल्य में स्वैच्छिक कटौती 0.26 प्रतिशत से 74.53 प्रतिशत के बीच है।

कंपनियों द्वारा 2 अक्तूबर/2 नवंबर, 2006 के बाद विनिर्मित पैकों पर संशोधित दरें लागू की जानी थीं। हाल ही में इन दवाओं के मूल्यों पर फार्मा पीएसयू के माध्यम से एक सर्वेक्षण कराया गया था (रिपोर्ट दिनांक 15.4.2008 को इस विभाग को सौंपी गई थी) और कुछ कंपनियों से फीडबैक भी प्राप्त हुआ था। इस सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार 886 दवाओं में से 154 दवाओं को कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों द्वारा बंद कर दिया गया है। शेष 732 दवाओं में से 563 दवाएं घटी हुई दरों पर दिल्ली बाजार में उपलब्ध हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि इनमें से कुछ उत्पाद घटे मूल्य पर उपलब्ध हैं और इनकी उपलब्धता एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है।

उद्योग द्वारा ट्रेड मार्जिन में यह कटौती केवल ट्रेड द्वारा संवर्द्धित होने वाली दवाओं (आमतौर पर जेनरिक-जेनरिक या ब्रांडेड जेनरिक दवाएं कही जाती हैं) पर ही लागू की गई है जहां ये मार्जिन अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों तथा गैर-अनुसूचीबद्ध ब्रांडेड फार्मूलेशन पैकों की तुलना में अधिक हैं। यह खण्ड देश के कुल औषध बाजार का मात्र एक छोटा हिस्सा है।

राष्ट्रीय औषधीय नीति, 2006 प्रारूप के माध्यम से ट्रेड मार्जिन की प्रणाली में सुचारू बनाने का प्रस्ताव है जिसमें ट्रेड मार्जिन पर अंकुश लगाना प्रस्तावित है। ट्रेड मार्जिन में कमी के आधार पर जेनरिक दवाओं के मूल्य में कमी होने की संभावना है। इस नीति को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम इस मामले पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। जीओएम का गठन हो चुका है और अब तक इसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं। जीओएम द्वारा मंत्रिमंडल को अभी अपनी सिफारिशें दी जानी हैं।

ओएनजीसी की तेल प्राप्ति योजना

***451. श्री उदय सिंह:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने तेल प्राप्ति योजनाओं (आयल रिकवरी स्कीम) के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अपने मुख्य तेल तथा गैस क्षेत्रों में से 14 क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन मुख्य तेल तथा गैस क्षेत्रों में तेल और गैस उत्पादन में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) उनके पुनरुद्धार हेतु क्या योजना तैयार की गई है; और

(घ) इन मुख्य तेल तथा गैस क्षेत्रों में कितना निवेश किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) जी, हां। मुंबई हाई, हीरा, नीलम, गंधार कालोल, सानांद, उत्तर काडी, संथाल, बालोल, जोताना, सोभासन, लाकवा, गेलेकी, तथा रूद्र सागर क्षेत्रों में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तथा वर्धित तेल निकासी (ईओआर) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अपने 14 बड़े तेल और गैस क्षेत्रों का पता लगाया है जो कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत अंशदान करते है।

(ख) उत्पादन में कमी के कारण निम्नवत् हैं-

(1) कुछ तेल क्षेत्रों का पुराना होना तथा प्राकृतिक रूप से उनमें उत्पादन कम होना।

(2) निकासी की कठिनाईयों के कारण ओएनजीसी के उत्तर-गुजरात क्षेत्र में कमी होना।

(3) अपतटीय रिगों की बहुत कम उपलब्धता के कारण मुंबई अपतट में परिकल्पित साइड ट्रेक कूपों की कमी।

(4) कूपों के वर्कओवर की आवश्यकता।

(5) जुलाई, 2005 में मुंबई हाई उत्तर (बीएचएन) प्लेटफार्म पर दुर्भाग्यपूर्ण अग्नि कांड, विशेष रूप से मुंबई हाई उत्तर (एमएचएन) में वेल फ्ल्यूड हैंडलिंग क्षमताओं के संबंध में परिणामी प्रभाव।

(ग) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) विभिन्न कूप तकनीकों जैसे उन्नत तेल निकासी (आईओआर)/ वर्धित तेल निकासी (ईओआर) परियोजनाओं के तहत नई सिद्ध प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित कर रही है, जैसे पुराने कूपों में पार्श्व-मार्ग बनाकर क्षैतिज व बहुमुखी कूपों का वेधन, बौद्धिक कूप कार्य समाप्ति, वर्कओवर, उद्दीपन, जल-भंजन, अम्लीकरण आदि वर्द्धित तेल उत्पादन के लिए भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

(घ) ओएनजीसी की उन्नत तेल निकासी (आईओआर)-वर्द्धित तेल निकासी (ईओआर) योजनाओं की कुल अनुमोदित लागत 14060.25 करोड़ रु. की है। ओएनजीसी ने मार्च, 2008 तक 13434 करोड़ रु. का निवेश किया है।

विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन

*452. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं से मुख्य रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशनों/स्थानों के रूप में विकसित करने हेतु उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन स्टेशनों को सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से विकसित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (घ) महानगरों और छोटे महानगरों एवं महत्वपूर्ण केन्द्रों में चिह्नित रेलवे स्टेशनों को स्टेशनों पर और उनके चारों ओर मौजूद अतिरिक्त भूमि एवं वायु स्थान का लाभ उठाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने का विनिश्चय किया गया है।

चिह्नित स्टेशन इस प्रकार हैं: आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, आनंद विहार (दिल्ली), बैंगलोर, भोपाल (हबीबगंज), भुवनेश्वर, बिजवासन (दिल्ली), कर्नाक बंदर, (मुंबई सीएसटी), चंडीगढ़, चेन्नै सेन्ट्रल, गया, गुवाहाटी, हावड़ा, जयपुर, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, मथुरा, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, पुणे, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुपति और वाराणसी।

उपर्युक्त स्टेशनों का विकास शुरू करने का कार्य भिन्न-भिन्न समय वाले चरणों में शुरू कर दिया गया है। पहली बार में चार स्टेशनों नामत: नई दिल्ली, पटना, कर्नाटक बंदर (मुंबई सीएसटी) और सिकंदराबाद के कार्य शुरू किए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन के लिए वास्तुकार और तकनीकी परामर्शदाता, वित्त परामर्शदाता और कानूनी सलाहकार नियुक्त किए जा चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विकास के लिए एक विश्वव्यापी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता की प्रक्रिया शुरू की गई है।

पटना स्टेशन के लिए वास्तुकार और तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं। कर्नाक बंदर (मुंबई सीएसटी) स्टेशन और सिंकदराबाद स्टेशन के लिए वास्तुकार और तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बोली प्रक्रिया पूरी होने से पहले बोलीदाताओं की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण

*455. **श्री मित्रसेन यादव:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने कुछ ऐतिहासिक विरासतों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व निजी कम्पनियों को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में ए.एस.आई. द्वारा राज्य-वार कुल कितनी ऐतिहासिक विरासतों का अनुरक्षण किया जा रहा है;

(घ) क्या ए.एस.आई. को कुछ विदेश स्थित ऐतिहासिक विरासतों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एएसआई इस समय धन की कमी का सामना कर रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान ऐतिहासिक विरासतों के अनुरक्षण हेतु एएसआई द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निजी कम्पनियों को अनुरक्षण के लिए कोई केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं सौंपा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित घोषित तथा अनुरक्षित किए गए स्मारकों/स्थलों की कुल संख्या 3667 है। इनकी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विदेश स्थित किसी ऐतिहासिक विरासत भवनों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया है। तथापि, आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कम्बोडिया में ता प्रोहम मंदिर के संरक्षण का कार्य सौंपा गया है।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों में अधिक बजटीय आबंटन से निधियों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षण, पुनरुद्धार, अनुरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपए करोड़ों में)
1.	2005-06	101.95
2.	2006-07	108.17
3.	2007-08	128.86

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	असम	53
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	175
7.	दमन और दीव	12
8.	गोवा	21
9.	गुजरात	202
10.	हरियाणा	90
11.	हिमाचल प्रदेश	40
12.	जम्मू-कश्मीर	69
13.	झारखण्ड	12
14.	केरल	26
15.	कर्नाटक	507
16.	महाराष्ट्र	286
17.	मध्य प्रदेश	286
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	8
20.	नागालैण्ड	4
21.	उड़ीसा	78
22.	पंजाब	31
23.	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7
24.	राजस्थान	161
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	743
29.	उत्तरांचल	42
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3667

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन

***456. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के औषधि और भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसंधान और विकास हेतु किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2008-09 के लिए तैयार किए गए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी विभागों द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	118.0 करोड़ रु.
(2)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)	2.3 करोड़ रु.
(3)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)	59.91 करोड़ रु.
(4)	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)	38.18 करोड़ रु.
(5)	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (राष्ट्रीय औषधीय शिक्षण एवं शोध संस्थान, मोहाली के जरिए)	8.61 करोड़ रु.

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग मधुमेह, तपेदिक, मलेरिया और कालाजार आदि के लिए नई दवा की खोज हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य जारी रखने के लिए राष्ट्रीय औषध शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान, मोहाली को सहायता प्रदान करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) औषध और भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी) के अंतर्गत सहयोगात्मक परियोजनाओं के लिए उद्योग को आसान ऋण उपलब्ध कराता रहेगा जिसके लिए वर्ष 2008-09 में 100.00 करोड़ रु. का बजट प्रदान किया गया है।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) परजीवी और माइक्रोबियल रोगों, कैंसर-रोधी, मधुमेह, अस्थमा आदि के क्षेत्र में नई दवाओं के विकास का कार्य जारी रखेगा।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग वैक्सीन विकास के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकीय औषधियों सहित जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

(घ) सरकार द्वारा कई वित्तीय उपाए किए जा रहे हैं जैसे आयकर अधिनियम 1901 की धारा 35 (2एबी) के अधीन 150 प्रतिशत की दर से भारत कर छूट और अनुसंधान व विकास में संलग्न कंपनियों को 125 प्रतिशत की दर से वेटिड टैक्स डिडक्शन देने का प्रस्ताव करके आउटसोर्सिंग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया जा रहा है। औषधीय क्षेत्र में अनुसंधान व विकास को संवर्द्धित करने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के औषध और भेषज अनुसंधान कार्यक्रम और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनिसिएटिव (एसबीआईआरआई) के माध्यम से कई गैर-राजकोषीय उपाए किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य परिचर्या पर्यटन

***457. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वास्थ्य परिचर्या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किसी कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतिक बल द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(घ) चालू वर्ष में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) देश में स्वास्थ्य परिचर्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) औषधि की पारम्परिक प्रणाली सहित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन पर ब्रोशर, सीडीज और अन्य प्रचार

सामग्रियां तैयार की गई हैं और संभाव्य बाजारों में प्रचार हेतु, विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से इनको बड़े पैमाने पर परिचालित किया गया है।

(2) चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले रोगियों और उनके एटेंडेंटों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 'मेडिकल वीजा' की एक नई श्रेणी की शुरूआत की गई है।

प्राचीन भाषाओं पर विशेषज्ञ समिति

***459. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ भाषाओं, विशेषकर तेलुगु और कन्नड को "प्राचीन" भाषा का दर्जा प्रदान करने संबंधी मुद्दे की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की अब तक हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैठकों में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस समिति द्वारा अपना अंतिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) सरकार ने, श्रेण्य भाषाओं के रूप में, भाषाओं के वर्गीकरण के लिए भविष्य की मांगों पर विचार करने के लिए दिनांक 01.11.2004 को भाषाई विशेषज्ञ समिति गठित की है।

तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को श्रेण्य भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को उक्त समिति को अग्रेषित कर दिया गया है। समिति ने 13.01.2005 तथा 04.05.2005 को दो बैठकें आयोजित की हैं। समिति ने इन बैठकों में मुख्य रूप से एक भाषा को श्रेण्य भाषा के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए विचार-विमर्श किया तथा सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे जो अब समिति को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

इस संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का विशेषज्ञों द्वारा गहराई अध्ययन किया जाना तथा वैज्ञानिक दृष्टि से इनकी प्रति-जांच की जानी अपेक्षित है तथा उनकी राय की प्रतीक्षा की जा रही है। चूंकि समग्र प्रक्रिया विस्तृत है, अतः इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

***460. श्री टेक लाल महतो:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अकुशल तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए व्यक्तियों का वर्ष-वार/माह-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुशल, प्रशिक्षित कामगारों और प्रबंधकीय मानव शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित चार कार्यकलापों के लिए सहायता देता है।

(1) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं सृजन जिसमें विश्वविद्यालयों/कालेजों आदि को उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में 75.00 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(2) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, उद्यमशीलता विकास संस्थाओं, राज्य परामर्शी संगठनों, उद्योग संगठनों/एसोसिएशनों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए राज्य नोडल एजेंसियों, ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों आदि को 2.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

(3) केंद्रीय खाद्य तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आदि जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण तथा वर्तमान उद्यमियों की दक्षता उन्नयन के लिए भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं। सहायता अनुदान के रूप में सहायता की मात्रा प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रशिक्षण की अवधि आदि के बारे में स्थितियों के अध्यधीन अधिकतम 1.00 लाख रुपये है।

(4) सरकार अदक्ष तथा बेरोजगार युवाओं की दक्षता-उन्नयन के लिए देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों एवं सहकारिताओं आदि को सहायता भी दे रही है ताकि उन्हें स्वयं के खाद्य प्रशिक्षण यूनिट की स्थापना कर सकने या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में पर्याप्त रोजगार प्राप्त कर सकने के योग्य बनाया जा सके। मंत्रालय उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत स्वयं कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाता है।

मंत्रालय एकल खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 4.00 लाख रुपये और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 2.00 लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में देता है। बहुउद्देशीय उत्पाद श्रृंखला खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए मंत्रालय मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 11.00 लाख रुपये और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 4.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान देता है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये है।

विवरण I

वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों तथा मानव संसाधन विकास संस्थानों के राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र			उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम			सहायता प्राप्त मानव संसाधन विकास संस्थाएं	
		जिले	स्वीकृत धनराशि	सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या	जिला	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की संख्या	स्वीकृत धनराशि	जिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	-	-	-	घोपु, गुवाहटी	2	2.61	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, निजामाबाद, अनंतपुर, हैदराबाद	13.50	4	बालानगर	1	0.58	-	-
3.	दिल्ली	-	-	-	दिल्ली	3	2.02	-	-
4.	गुजरात	-	-	-	जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड प्रत्येक राज्यों में एक-एक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	2 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 100 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (तीसरी किस्त)	25.00	-	-
5.	हरियाणा	रोहतक	1.994	1	फरीदाबाद, भिवानी, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, हिसार, अम्बाला	7	6.557	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हिमाचल प्रदेश	सोलन, शिमला	9.30	2	शिमला	15	14.95	-	-
7.	झारखंड	हजारीबाग	1.60	1	-	-	-	-	-
8.	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	-	2.64	जम्मू	25.00
9.	केरल	पथानामथिता	7.00	1	तिरुवनन्तपुरम	1	0.835	मालापुरम	25.00
10.	कर्नाटक	सुतूर	7.204	1					
11.	महाराष्ट्र	परभनी, औरंगाबाद, नागपुर, परभनी, नागपुर	10.00	5	परभनी, अकोला, नवी मुंबई, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग, नागपुर, वर्धा, अहमदनगर, पुणे	14	7.68	कोल्हापुर	25.00
12.	मध्य प्रदेश	मुरैना, भोपाल, बेतुल, अशोक नगर, हरदा, शाजापुर, दतिया, ग्वालियर, टिकमगढ़, भिंड, गुना, मुरैना	21.607	12	विदिशा, भोपाल	2	1.305		
13.	मिजोरम	आइजोल	7.50	1					
14.	उड़ीसा	कालाहांडी	2.00	1	बालासोर, जगतसिंहपुर, कांधामाला	3	5.65		
15.	सिक्किम	-	-	-	सिंगातम, जोरथांग	2	1.35		
16.	पंजाब	रोपड़	1.624	1	अबोहर, गुरदासपुर, जालंधर, मोगा, भटिंडा	10	7.368		
17.	त्रिपुरा	-	-	-	अगरतला	1	0.48		
18.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेल्ली, मदुरै	3.686	2	डंडीगुल, विरुद्नगर	2	8.563	कोयम्बटूर	25.00
19.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, कौशाम्बी, हाथरस, बरेली	22.755	7	कानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, हिसार, मुजफ्फरनगर	11	5.928		
20.	उत्तराखंड	-	-	-	अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, रूड़की, मोहाली	25	16.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी मेदनीपुर, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता	4.00	2	24 दक्षिण परगना, बैरकपुर, कामदेबपुर, नदिया, कोलकाता, बीरभूम, उलुबेरिया, मेदिनीपुर, सिलीगुड़ी, हावड़ा	14	11.19	पूर्वा मेदिनीपुर	25.00
	कुल		113.77	41		113	121.206	5	125.00

विवरण II

वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों से संबंधित ब्यौरे

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या		
		खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास संस्थान
1.	2005-06	400	4300	450
2.	2006-07	2300	4300	850
3.	2007-08	4100	2825	250

[अनुवाद]

कर्नाटक में पर्यटन का विकास

4338. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी मसौदा पर्यटन नीति में पर्यटन परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि का उपयोग परिवर्तन शुल्क माफ करने सहित इसे गैर-कृषि भूमि में शीघ्रतापूर्वक रूपान्तरित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य कई पहलों की योजना तैयार की है;

(ग) क्या पर्यटन विभाग ने छः महीने में स्वीकृतियां प्राप्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या केंद्र सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मदद तथा सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने राज्य में पर्यटन के समग्र विकास के प्रयोजन हेतु, 2007-2012 की अवधि के लिए एक मसौदा पर्यटन नीति तैयार की है।

(ङ) और (च) पर्यटक रुचि के स्थलों के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया कर्नाटक राज्य सहित, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष, पर्यटक गंतव्यों/परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, मेलों/उत्पादों/कार्यक्रमों और आईटी परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित वर्ष के दौरान, संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां अवमुक्त की जाती हैं। 10वीं योजना के दौरान, कर्नाटक राज्य के लिए 9002.72 लाख रुपयों की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2007-08 के लिए कर्नाटक में पर्यटन के विकास के लिए 2004.71 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में स्मारक

4339. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के वारंगल, नलगोंडा, खम्माम तथा करीम नगर जिलों में काकतीय राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों तथा स्तूपों में प्रतिबिम्बित सांस्कृतिक विरासत की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन मंदिरों तथा स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 137 स्मारक/स्थल हैं जिसमें वारंगल जिले में काकतीय अवधि के तीन स्मारक भी शामिल हैं। ये स्मारक अच्छी हालत में परिरक्षित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास द्वारा इन स्मारकों/स्थलों का परिरक्षण, संरक्षण तथा रख-रखाव करता है जो संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमित पहरा तथा निगरानी स्टाफ के अतिरिक्त इन स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कार्मिकों को भी तैनात किया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित घोषित स्मारकों/स्थलों में करीमनगर, नालगोंडा, वारंगल तथा खम्माम जिलों में काकतीय अवधि के स्मारक शामिल हैं। राज्य संरक्षित स्मारकों का संरक्षण करना आंध्र प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

चिरिया लौह अयस्क खान का पट्टा

4340. **श्री हितेन बर्मन:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चिरिया खान में उपलब्ध अनुमानित लौह अयस्क कितना है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव चिरिया खान के कुछ भागों के पट्टे को मित्तल स्टील को हस्तांतरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) चिरिया में उपलब्ध लौह अयस्क की अनुमानित मात्रा लगभग 1850 मिलियन टन है।

(ख) और (ग) चिरिया में 6 खनन पट्टे मूल रूप से तत्कालीन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) को आबंटित किए गए थे और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ विलय के बाद इन पट्टों को सेल को दे दिया गया है। 6 पट्टों में से 3 पट्टों की अवधि बढ़ाई गई मानी गई है। शेष 3 पट्टों के लिए नवीकरण आवेदन सेल द्वारा झारखंड सरकार को समय पर प्रस्तुत किए गए थे किंतु उन्हें वर्ष 2004-05 में नामंजूर कर दिया गया था। खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टों का नवीकरण करने के लिए राज्य सरकार प्राधिकृत है। अब यह मामला न्यायालय के पास लम्बित है और इस्पात मंत्रालय भी न्यायालय के बाहर ही इस मामले का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहा है।

चिरिया के कुछ भागों के पट्टे मित्तल स्टील को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सेल चिरिया खानों के संसाधनों को शेयर करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि अपनी दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेल के पास पर्याप्त लौह अयस्क संसाधन नहीं हैं।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय अनुदान

4341. **श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों के लिए केन्द्रीय अनुदान हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ख) वर्तमान में मंत्रालय के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) लंबित प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) अनुदान सहायता की संस्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक प्रस्ताव पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गुणावगुण आधार पर निर्णय लिया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	1505
3.	बिहार	242
4.	चंडीगढ़	9
5.	छत्तीसगढ़	102
6.	दादरा और नगर हवेली	3
7.	दमन और दीव	4
8.	दिल्ली	638
9.	गोवा	36
10.	गुजरात	330
11.	हरियाणा	195
12.	हिमाचल प्रदेश	84
13.	जम्मू-कश्मीर	50
14.	झारखण्ड	25
15.	कर्नाटक	1088
16.	केरल	531
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	570
19.	महाराष्ट्र	726
20.	उड़ीसा	905
21.	पाण्डिचेरी	11
22.	पंजाब	146
23.	राजस्थान	614
24.	तमिलनाडु	728
25.	उत्तर प्रदेश	1066
26.	उत्तराखंड	126
27.	पश्चिम बंगाल	782
28.	अरुणाचल प्रदेश	17
29.	असम	411
30.	मणिपुर	526
31.	मेघालय	36
32.	मिजोरम	56
33.	नागालैण्ड	56
34.	सिक्किम	50
35.	त्रिपुरा	45
	कुल	11665

[हिन्दी]

रेलवे वैगन मरम्मत/क्रेन विनिर्माण फैक्ट्री में घटता कार्य

4342. श्री संतोष गंगवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरेली स्थित पूर्वोत्तर रेलवे की रेल वैगन मरम्मत/क्रेन विनिर्माण फैक्ट्री में लगातार कार्य घटता जा रहा है तथा श्रमिकों की संख्या भी घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्थान पर कुछ अन्य कार्य को करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। इस कारखाने में कर्मचारियों की संख्या कुछ कम हुई है।

(ख) इसी प्रकार की अन्य रेल इकाइयों में, रेलवे द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद मिश्र में बदलाव, कार्य-कलापों के युक्तिकरण और मीटर लाइन के चल स्टाक से संबंधित कार्यभार में कमी के कारण बरेली जिले के इज्जतनगर कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में कुछ (विगत पांच वर्षों के दौरान लगभग 7.6 प्रतिशत) कमी हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) रेलवे की परिवर्तित चल स्टाक आवधिक ओवरहालिंग जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इज्जतनगर कारखाने में बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग सुविधाओं के सृजन हेतु 58 करोड़ रुपए की लागत पर एक कार्य को स्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

4343. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच क्षेत्रीय नाट्य विद्यालय (एन.एस.डी.) स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसमें से एक पूर्वोत्तर में होगा;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थान कौन से हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस पर कितनी लागत आएगी?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की व्यापक आधार वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर, 11वीं योजना के दौरान 5 क्षेत्रीय विद्यालयों को निम्नानुसार खोलने का प्रस्ताव है:-

(1) बंगलौर स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मौजूदा क्षेत्रीय संसाधन केंद्र का एक पूर्ण विकसित क्षेत्रीय विद्यालय में उन्नयन; (2) कोलकाता; (3) जम्मू और कश्मीर; (4) महाराष्ट्र/गोवा; और (5) पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सहित इन क्षेत्रीय नाट्य विद्यालयों की स्थापना हेतु अपेक्षित सर्वेक्षण तथा मापदंडों और आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है।

भेषज क्षेत्र का पुनर्गठन

4344. **श्री रनेन बर्मन:**
श्री सुब्रत बोस:
श्री नरहरि महतो:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भेषज क्षेत्र के पुनर्गठन पर पेटेंट कानून के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है जिसे तीन वर्ष पूर्व लागू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के पुनर्गठन के फलस्वरूप कुछ इकाइयां बंद हो गई थीं;

(ङ) यदि हां, तो इकाइयों के बंद होने के फलस्वरूप कितनी बेरोजगारी हुई; और

(च) बंद इकाइयों, यदि कोई हों तो, के कौशल प्राप्त श्रमशक्ति को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (च) भारत, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले करार का एक हस्ताक्षरकर्ता है। डब्ल्यूटीओ करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, आईपीआर संबंधी एक करार नामत: आईपीआर के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर करार (ट्रिप्स) शामिल है। राष्ट्रीय करार के तहत सदस्य राष्ट्रों द्वारा बौद्धिक संपदा से संबंधित अपने कानून ट्रिप्स करार के तहत उनकी बाध्यताओं के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं। पेटेंटों के संबंध में ट्रिप्स करार ने औषध, खाद्यान्न और कृषि-रसायन आविष्कारों के लिए 1.1.2005 से उत्पाद पेटेंट लागू करने की अनुशंसा की थी। तदनुसार, भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करते हुए उत्पाद पेटेंट संरक्षण का प्रावधान किया गया है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन पर विचार करते समय भारत सरकार के सभी संबंधित विभागों के साथ और औषध उद्योग की प्रमुख एसोसिएशनों सहित संबंधित विभिन्न संगठनों और उद्योग संघों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। औषध उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताओं व आशंकाओं जिनमें संपूर्ण औषध

उद्योग पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल है, पर मोटे तौर पर विचार किया गया और संशोधनों को अंतिम रूप देने के दौरान, वाजिब मूल्यों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को कानून में शामिल किया गया है।

यह अनुमान है कि भारत में उत्पादित हो रही 95 प्रतिशत से अधिक औषधियां पेटेंट से बाहर हैं और उत्पाद पेटेंट के लागू किए जाने से प्रभावित नहीं होंगी। इसी प्रकार, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003 में शामिल दवाएं भी पेटेंट से बाहर हैं और उत्पाद पेटेंट तंत्र से प्रभावित नहीं होगी। बहुत कम संख्या में औषधियां (5 प्रतिशत से भी कम) जिनके उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है और नए पेटेंट तंत्र के लागू होने की तारीख को जिनका भारत में उत्पादन हो रहा था, का बिना किसी बाधा के देश में उत्पादन जारी रहेगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में अद्यतन संशोधन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है। ऐसी औषधियों के उत्पादन पर पेटेंट धारक कंपनी को उचित रायल्टी देय होगी।

चूंकि उत्पादन पेटेंट तंत्र को लागू किए जाने से भारत में उत्पादित की जा रही विद्यमान औषधियों का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, अतः इस कारण से कुछ इकाइयों को बंद किए जाने की संभावना नहीं है। अतः उत्पाद पेटेंट तंत्र के लागू होने के कारण भारत में फार्मा उद्योग में बेरोजगारी होने का कोई प्रश्न नहीं है।

आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त उत्पादन इकाइयां

4345. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की कुछ उत्पादन इकाइयों को आई.एस.ओ. प्रमाणन प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने अधिक इकाइयों के लिए आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेल की सभी उत्पादन इकाइयों अर्थात् रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला, सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै, डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी, रेल पहिया एवं धुरा कारखाना, येहलंका, बेंगलूरू, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन और डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला को आईएसओ प्रमाणन अर्थात् गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001 और पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001 दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वहनीय लागत पर उड़ान प्रशिक्षण

4346. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थाओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक पायलट बनने की अभिलाषा रखने वाले भारतीय नौजवानों को प्रशिक्षण के लिए महंगे वैश्विक स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने को विवश होना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो देश में इस प्रकार के संस्थान पर्याप्त संख्या में स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन लोगों को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक लागत वहन करने में असमर्थ है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) इस समय देश में 27 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्रचालनरत हैं। तथापि, भारत अथवा विदेश में प्रशिक्षण लेना प्रशिक्षु की व्यक्तिगत रुचि का मामला है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को देश के विभिन्न भागों में नये उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 54 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उद्योग जगत में पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में मौजूद उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। स्थिति को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें नये स्कूलों, इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी (इग्नुआ) की प्रशिक्षु क्षमता को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण अवधि कम करने के लिए उसकी प्रशिक्षण अवसंरचना का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण करने, गोंदिया, महाराष्ट्र में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने तथा नागर विमानन महानिदेशालय, एयरो क्लब आफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण विमान आवंटित कर उड़ान क्लबों को सहायता करने का अनुमोदन इसमें शामिल है।

[अनुवाद]

औषधि उद्योग में सरकारी-निजी भागीदारी

4347. **डा. बाबू राव मिडियम:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी-निजी भागीदारी के सिद्धांत पर कितनी फर्म वर्तमान में परिचालन में हैं;

(ख) क्या यह सिद्धांत औषधि उद्योग के लिए नुकसानदेह है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषधि उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रभुत्व को नियंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) इस विभाग द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार, दवाओं के विनिर्माण के लिए फार्मा सीपीएसयूज को सुदृढ़ कर रही है।

[हिन्दी]

साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे

4348. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न एक्सप्रेस/मेल/सुपर फास्ट यात्री गाड़ियों में साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान कितने नए साधारण श्रेणी, स्लीपर कोच, चेयर कार्स, III ए.सी., II ए.सी. तथा I ए.सी. डिब्बे जोड़े गए/प्रदान किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शामिल किए गए/मुहैया कराए गए सवारी डिब्बों की संख्या निम्नानुसार है:-

साधारण सवारी डिब्बे-638, स्लीपर सवारी डिब्बे-862, कुर्सीयान-64, III वातानुकूल-351, II वातानुकूल-59 और I वातानुकूल-19

[अनुवाद]

कोचीन में आई.टी. पार्क

4349. **श्रीमती सी.एस. सुजाता:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का विचार सी.आई.ए.एल. हवाई अड्डे के समीप एक आई.टी. पार्क का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मैसर्स कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) ने सूचित किया है कि उन्होंने हवाईअड्डे के साथ उपलब्ध सिटी साइड की भूमि पर एक एयरोट्रोपालिस (हवाई अड्डा नगर) के विकास की योजना बनाई है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्यान इस प्रस्तावित हवाईअड्डा नगर का हिस्सा है। इस प्रयोजन के लिए 35 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी उद्यान कुल निर्मित क्षेत्र 4 मिलियन वर्ग फुट का होगा जिसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा।

(ग) सरकार को अभी तक सीआईएएल की ओर से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत जापान समर्पित मालढुलाई गलियारा

4350. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा जापान के बीच समर्पित मालढुलाई गलियारा (डी.एफ.सी.) के संबंध में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई दिल्ली तथा मऊ के बीच राजधानी एक्सप्रेस

4351. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा राजधानी/गुवाहाटी राजधानी/शिवगंगा एक्सप्रेस अप जैसी रेलगाड़ियों का मऊ तक विस्तार करने संबंधी अनुरोध पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक नई दिल्ली तथा मऊ के बीच राजधानी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) हावड़ा राजधानी/गुवाहाटी राजधानी/शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों को मऊ तक चलाने के मामले की जांच की गई है लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) नई दिल्ली और मऊ के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में स्मारक

4352. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कई ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति दयनीय है तथा उन पर अवैध कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्मारक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) उड़ीसा में 78 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। स्मारक अच्छी हालत में परिरक्षित हैं। निम्नलिखित तीन स्मारकों में आंशिक अतिक्रमण किए गए हैं:-

1. बाराबटी किला, कटक
2. शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर
3. उदयगिरि तथा खंडगिरि गुफाएं, भुवनेश्वर

अतिक्रमणों को रोकने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी किए हैं। अतिक्रमणकारियों की बेदखली के लिए इस मामले को जिला प्राधिकारियों के साथ भी उठाया गया है।

[अनुवाद]

केरल के अपतटीय क्षेत्र में खोज

4353. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के अपतटीय क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक खोज कार्य शुरू किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) भारत सरकार ने अब तक हुई नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के छः दौरों के अधीन केरल-कोंकण बेसिन के अपतटीय क्षेत्रों में विभिन्न अन्वेषण तथा उत्पादन कंपनियों को 17 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए हैं।

आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा 2डी भूकंपीय का लगभग 1,14,207 लाइन किलो मीटर (एलकेएम) तथा 3डी भूकंपीय आंकड़े का 5,702 वर्ग किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है तथा 11 निक्षेपें (गहरे समुद्र में 4) का वेधन कर लिया गया है।

(ख) अन्वेषण कार्यकलाप पहले से ही आरंभ किये जा चुके हैं। एनईएलपी के अधीन प्रदान किए गए 17 अन्वेषण ब्लाकों में 2डी का 33395 एलकेएम, 3डी का 9201 वर्ग किलोमीटर तथा 3 अन्वेषी कूपों में अब तक वेधन कर लिया गया है।

प्रमुख बल्क दवाइयों का उत्पादन

4354. श्री नरहरि महतो: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार देश में उत्पादित लगभग 300 महत्वपूर्ण प्रमुख बल्क दवाइयों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) चयनित क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्यों द्वारा कौन-कौन से विभिन्न राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए; और

(ग) दीर्घावधि में इसका उत्पादन, गुणवत्ता तथा लागत प्रतिस्पर्द्धा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) देश के संगठित क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र दोनों में औषधियों और संबंधित मदों का विनिर्माण करने वाली बड़ी संख्या में इकाइयां परिचालन कर रही हैं। औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियमों के उपबंधों के अंतर्गत औषधियों के विनिर्माण और बिक्री का विनियमन मुख्यत: राज्य सरकारों में सन्निहित है।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारें, चुनिंदा क्षेत्रों/अंचलों के विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में नई इकाइयों या व्यापक विस्तार करने वाली इकाइयों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट है जबकि पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर की इकाइयां सरकार क्षरा निर्दिष्ट दर पर मालों के विनिर्माण में किए गए मूल्य वर्द्धन पर देय शुल्क की वापसी की पात्र हैं। गुजरात के कच्छ जिले में 31.07.2001 या उसके बाद तथा 31.12.2005 के पहले स्थापित इकाइयों को भी इस प्रकार की छूट उपलब्ध है।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाए गए विभिन्न राजकोषीय और गैर-राजकोषीय उपायों/प्रोत्साहनों के कारण उत्पादन, गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता के अनुरूप फार्मा क्षेत्र पर भारी प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के विनिर्माण हेतु नए निवेश हुए है, अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु सुविधाएं स्थापित हुई हैं, वैश्विक विनियमों के अनुरूप गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और इससे भी बढ़कर, लागत प्रभावी तरीके से घरेलू उत्पादन और विश्व के कई देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है।

दवाओं की उपलब्धता

4355. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य पर कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या भेषज के कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रुग्ण घोषित किए गए हैं तथा बंद कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित दवाइयां अब विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात की जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में दवाइयों की उपलब्धता के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) गत तीन वर्षों के दौरान फार्मा सीपीएसयूज ने अनुसंधान एवं विकास कार्य पर निम्नानुसार खर्च किए गए हैं:-

क्र.सं.	सीपीएसयू का नाम	खर्च (लाख रुपये में)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	12.16	12.59*	15.18*
2.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	110.46	112.24	123.46*
3.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	17.90	31.87	34.00*

*अनन्तिम

निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर किए गए खर्च के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत में औषध सेक्टर या विगत वर्षों में काफी विकास हुआ है और अधिकांश नैदानिक श्रेणियों के लिए निजी क्षेत्र द्वारा दवाओं का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। इसमें अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रीय फार्मा उपक्रमों द्वारा उत्पादित दवाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

हजीरा से मराठवाड़ा तक पाइपलाइन

4356. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मराठवाड़ा विकास निगम ने हजीरा से मराठवाड़ा तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) मैसर्स मराठवाड़ा विकास कार्पोरेशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल यात्रियों हेतु सुविधाएं

4357. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 से 2007-08 के बीच पश्चिम रेलवे में रतलाम-भोपाल तथा रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंडों तथा पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा-नागला रेल खंडों में शुरू की गई रेल यात्रियों हेतु सुविधाओं तथा सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2008-09 के लिए राज्यवार प्रस्तावित रेल यात्रियों हेतु सुविधाओं तथा सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान पश्चिम रेलवे के रतलाम-भोपाल, रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंडों और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा-नागदा खंड पर शुरू की गई रेल यात्री सुविधाओं और सेवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 2008-09 के दौरान प्रस्तावित रेल यात्री सुविधाओं और सेवाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान पश्चिम रेलवे के रतलाम-भोपाल, रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंडों और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा-नागदा खंड पर शुरू की गई रेल यात्री सुविधाओं और सेवाओं का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

क्र.सं.	पूरे हो चुके कार्य का ब्यौरा
1	2
	रतलाम-भोपाल खंड
1.	रतलाम-प्लेटफार्म नंबर 4 पर ट्रायंगुलेटिड क्षेत्र में सुधार
2.	रतलाम-परिचलन क्षेत्र, साइकिल/स्कूटर स्टैंड पर सायबान का विस्तार
3.	रतलाम-परिचलन क्षेत्र में सुधार और साइकिल स्टैंड का स्थानांतरण
4.	रतलाम-स्टेशन के अलग प्रवेश का निर्माण
5.	रतलाम-यात्री सुविधाओं की व्यवस्था
6.	रतलाम-प्लेटफार्म नं. 1, 2 एवं 3 पर स्टील बेंचों का निर्माण और प्लेटफार्म नं. 5 और 6 पर लोहे की ग्रिल का निर्माण
7.	नागदा-मौजूदा जीर्ण-शीर्ण पुल के स्थान पर प्लेटफार्म नं. 3/4 से 5 के लिए पैदल ऊपरी पुल का निर्माण
8.	उज्जैन-देवास गेट दिशा की ओर छोला इंजन के प्रदर्शन हेतु बागीचे में सुधार
9.	उज्जैन-फ्रीगंज की दिशा में साइकिल स्टैंड में सुधार
10.	उज्जैन-पार्सल कार्यालय नजदीक भुगतान एवं उपयोग शौचालय, प्लेटफार्म नं. 2 पर 4 मूत्रालय और प्लेटफार्म नं. 4 एवं 5 पर 50 बेंचों का निर्माण
11.	उज्जैन-पार्सल कार्यालय का प्रतीक्षालय में परिवर्तन
12.	उज्जैन-पार्सल कार्यालय और मार्ग का निर्माण

1	2
13.	उज्जैन-भोपाल छोर पर कोटा पत्थर का फर्श
14.	मकसी-24 सवारीडिब्बों को संभालने के लिए प्लेटफार्म नं. 1, 2 एवं 3 का विस्तार
15.	बेड़छा-24 सवारीडिब्बों को संभालने के लिए प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 का विस्तार
16.	शुजालपुर-प्लेटफार्म की ऊंचाई पटरी से उच्च स्तर तक बढ़ाना
17.	शुजालपुर-24 सवारीडिब्बों को संभालने के लिए प्लेटफार्म नं. 1, 2 एवं 3 का विस्तार
18.	शुजालपुर-परिचलन क्षेत्र में सुधार
19.	शुजालपुर-जन आरक्षण प्रणाली के लिए स्टेशन इमारत में परिवर्तन एवं परिवर्धन
20.	सेहौर-सार्वजनिक आरक्षण प्रणाली कार्यालय का निर्माण
21.	बैरागढ़-24 सवारीडिब्बों को संभालने के लिए प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 का विस्तार
22.	बैरागढ़-प्रतीक्षालय, बुकिंग खिड़की, जीआई पाइप लाइन, जल फुव्वारे और प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 की सीटों और परिचलन क्षेत्र की मरम्मत
	रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड
1.	नीमच-परिचलन क्षेत्र में सुधार
2.	नीमच-एल्युमिनियम चादर और मीला प्लेटफार्म का वैली-गटर उपलब्ध कराकर एसी चादर के सायबान और वैली-गटर का बदलाव (1643 वर्ग मीटर)
3.	निम्बाहेड़ा-बला/मीला प्लेटफार्म पर सायबान का विस्तार, पैदल ऊपरी पुल का विस्तार और परिचलन क्षेत्र का विकास
4.	चित्तौड़गढ़-पाइप लाइन और बिजली पम्प सहित 200 मिमी व्यास के नलकूप का निर्माण
5.	चित्तौड़गढ़-साइकिल स्टैंड और कार पार्किंग का निर्माण
6.	चित्तौड़गढ़-प्लेटफार्म नं. 5 एवं 6 पर बला प्लेटफार्म सतह में सुधार और परिचलन क्षेत्र में सुधार

1	2
	कोटा-नागदा खंड
1.	दाकनिया तालव: प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 पर प्लेटफार्म फर्श की मरम्मत
2.	कुरलासी, पछ पहाड़, धुआखेड़ी, केवलपुरा, अलनिया में पटरी स्तरीय प्लेटफार्म की मरम्मत
3.	झालावाड़-पैदल ऊपरी पुल की मरम्मत
4.	झालावाड़-प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था
5.	राजगंजमंडी, मोरक, दाकनिया, तालव-प्लेटफार्म पर चेकर्ड टाइलों की व्यवस्था
6.	शामगढ़-प्लेटफार्म सतह नं. 2 एवं 3 में सुधार
7.	गरौथ-रोहलखुर्द: गरौथ, विक्रमगढ़ अलोट और माहिदपुर स्टेशनों पर चेकर्ड टाइलों की व्यवस्था
8.	गरौथ-रोहलखुर्द: स्टेशन प्लेटफार्म की टुटी हुई मुंडेर और सतह की मरम्मत
9.	दाकनिया तालव, सुवसारा, मोरक, विक्रमगढ़ अलोट, गरौथ और माहिदपुर रेलवे स्टेशनों पर 24/26 सवारीडिब्बों की गाड़ियों को संभालने के लिए प्लेटफार्मों का विस्तार।
10.	भवानीमंडी-(1) बुकिंग कार्यालय में सुधार, (2) प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 का फर्श बदलना और चेकर्ड टाइलों एवं कोटा पत्थरों की व्यवस्था।
11.	दाकनिया तालव: प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 पर सायबान का कार्य।
12.	दाकनिया तालव: पीआरएस/यूटीएव, जल बूथों, भुगतान एवं उपयोग शौचालय की व्यवस्था।
13.	राजगंजमंडी: प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 पर सायबान, भुगतान एवं उपयोग शौचालय, बुकिंग कार्यालय एवं परिचलन क्षेत्र आदि में सुधार।
14.	शामगढ़: प्लेटफार्म नं. 2 एवं 3 में सुधार, प्लेटफार्म साबयान की व्यवस्था, भुगतान एवं उपयोग शौचालय, जल बूथ

1	2
15.	विक्रमगढ़ अलोट-जल फुव्वारे, भुगतान एवं उपयोग शौचालय की व्यवस्था और परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफार्म सायबान कार्य और प्लेटफार्म नं. 2 का फर्श बदलना

वर्ष 2004-05 से 2007-08 पश्चिम रेलवे के रतलाम-भोपाल, रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा-नागदा खंड पर शुरू की गई गाड़ी सेवाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण II

2008-09 के दौरान पश्चिम रेलवे के रतलाम-भोपाल, रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंडों और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा-नागदा खंड पर प्रस्तावित रेल यात्री सुविधाओं और सेवाओं का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	2
	रतलाम-भोपाल खंड
1.	रतलाम-प्लेटफार्म नं. 7 एवं 5/6 के बीच एक नए पैदल ऊपरीपुल का निर्माण
2.	रतलाम-द्वितीय प्रवेश छोर पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था (प्रतीक्षालय, भुगतान एवं उपयोग शौचालय और प्रवेश सड़क)
3.	खाछरोड-परिचलन क्षेत्र में सुधार और सायबान का निर्माण
4.	नागदा-प्लेटफार्म नं. 1 पर सायबान का निर्माण
5.	नागदा-उज्जैन खंड: पिपलोडा बागला और उन्हेंल स्टेशनों पर प्लेटफार्म सतह और मुंडरे की ऊंचाई पटरी स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ाना
6.	रतलाम मंडल-उज्जैन, रतलाम और नागदा स्टेशनों पर विश्राम गृह में सुधार
7.	मकसी-भोपाल खंड: मकसी, बेड़छा, कालीसिंध और कालापीपल स्टेशनों पर परिचलन क्षेत्र में सुधार
8.	उज्जैन-भोपाल खंड: मकसी और शुजालपुर स्टेशनों पर 150000 लीटर क्षमता वाले आरसीसी सिरोपरि टंकी का निर्माण
9.	उज्जैन-भोपाल खंड-कालीसिंध स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल का निर्माण (उच्च स्तरीय प्लेटफार्म) और प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 पर प्लेटफार्म सायबान
10.	शुजालपुर-परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय और अन्य यात्री सुविधाओं में सुधार
11.	शुजालपुर-पैदल ऊपरी पुल का विस्तार, भुगतान एवं उपयोग शौचालय का निर्माण और प्लेटफार्म सतह में सुधार
12.	सिहौर-सम्मिलन क्षेत्र एवं प्रतीक्षालय, सायबान का निर्माण और अन्य यात्री सुविधाओं में सुधार
13.	सिहौर-परिचलन क्षेत्र, प्लेटफार्म सतह और नालियों में सुधार
14.	बैरागढ़: प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 के विस्तारित पटरी स्तरीय प्लेटफार्म की ऊंचाई उच्च स्तर तक बढ़ाना।
	रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड
1.	रतलाम-नीमच खंड-नामली, बरयाला, बओरा, मुंडालरम, दोधार, दलौडा, मंडसौर, पिपलिया, सिंधपान, मल्हारगढ़, हरकियाखाल और जमुनियाकलां स्टेशनों पर यात्री प्लेटफार्मों पर बेंचों पर सायबान का निर्माण
2.	जरौरा-प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 पर पैदल ऊपरी पुल का निर्माण
3.	नीमच, मंदसौर एवं जरौरा स्टेशन—स्टेशन इमारत कुर्सी स्तर को ऊंचाई बढ़ाना
	मेघनगर-रतलाम और रतलाम-खंडवा और इंदौर-उज्जैन-देवास खंड
1.	बामनियाल-प्रतीक्षालय उपलब्ध कराकर, प्रतीक्षालय, बेंचों, बुकिंग खिड़की और परिचलन क्षेत्र में सुधार पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन
2.	रऔती-पैदल ऊपरी पुल का निर्माण
3.	रतलाम मंडल-ओम्कारेश्वर और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार
4.	देवास-स्टेशन इमारत के अग्रभाग में सुधार
5.	मौह- स्टेशन क्षेत्र के लिए अलग जल आपूर्ति व्यवस्थाओं का निर्माण

1	2
6.	इंदौर-सवारीडिब्बों में जल भराई के लिए पम्प सहित 2.25 लाख लीटर क्षमता वाली सिरोपरि टंकी का निर्माण
7.	सुवासरा-प्लेटफार्म सायबान

राजस्थान

रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड और कोटा-नागदा खंड

1. चित्तौड़गढ़-प्लेटफार्म नं. 2 एवं 3 पर प्लेटफार्म सायबान का निर्माण
2. भवानीमंडी-प्लेटफार्म नं. 2 एवं 3 की ऊंचाई मध्यम स्तर तक बढ़ाना
3. चौमहाला-प्लेटफार्म सायबान

गुजरात राज्य

गोधरा-दाहोद खंड

1. दाहोद-प्लेटफार्म नं. 2 एवं 3 पर सायबान हिस्से को ऊंचा बढ़ाना
2. उसरा-अप प्लेटफार्म का निर्माण
3. 2008-09 के लिए प्रस्तावित गाड़ियों की राज्यवार स्थिति नीचे लिखे अनुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	शुरूआत	चालन क्षेत्र में विस्तार	फेरों में बढ़ोत्तरी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	4	0
2.	असम	4	0	0
3.	बिहार	25	4	8
4.	छत्तीसगढ़	2	1	1
5.	दिल्ली	13	2	8
6.	गोवा	3	0	2
7.	गुजरात	8	2	4
8.	हरियाणा	7	0	3
9.	जम्मू-कश्मीर	2	0	2
10.	झारखण्ड	8	1	3
11.	कर्नाटक	10	6	2
12.	केरल	4	1	1
13.	महाराष्ट्र	17	5	4
14.	मध्य प्रदेश	13	2	2
15.	नागालैण्ड	2	0	0
16.	उड़ीसा	7	2	3
17.	पाण्डिचेरी	1	0	0
18.	पंजाब	6	0	3
19.	राजस्थान	7	0	3
20.	तमिलनाडु	12	6	0
21.	उत्तर प्रदेश	24	5	8
22.	उत्तराखंड	5	0	0
23.	पश्चिम बंगाल	11	0	2

रेलवे में अतिरिक्त मालढुलाई

4358. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अतिरिक्त मालढुलाई के कारण मालडिब्बे तथा रेल की पटरियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारकों के चलते पटरियों के बीच अंतर बढ़ रहा है तथा पटरी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेल्लारी हवाई अड्डा

4359. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक में बेल्लारी हवाई अड्डे पर अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय सारिणी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) बेल्लारी का मौजूदा अप्रचालनिक हवाईअड्डा कर्नाटक सरकार का है। इसके रनवे 12/30 का माप 3400 फुट × 60 फुट है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक टीम ने एटीआर तथा इससे ऊंची श्रेणी वाले विमानों के प्रचालन के लिए इस रनवे के स्तरोन्नयन/विस्तार के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया कि पश्चिमी दिशा में तुंगभद्रा नामक उच्च जलस्तर वाली नहर और पूर्वी दिशा में रनवे 30 के पहुंच मार्ग में आने वाली एक पहाड़ी की वजह से रनवे का विस्तार किया जाना संभव नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने राज्य सरकार के सुझाए अनुसार एक नये रनवे 15/33 के निर्माण की संभावना की भी जांच की। टीम ने यह पाया कि यह रनवे वायु विश्लेषण द्वारा यथास्थापित रनवे व्यवस्था के लिए 95 प्रतिशत उपयोगिता कारक संबंधी इकाइयों की विशिष्टता को पूरा नहीं करेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनशताब्दी एक्सप्रेस

4360. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नांगल डैम तथा नई दिल्ली के बीच एक नई जनशताब्दी रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों एवं संसाधनों की तंगी के कारण।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

4361. श्री महावीर भगोरा: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप्स एण्ड मैनेजमेंट द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के कितने जिलों का इस उद्देश्य के लिए चयन किया गया;

(ग) क्या इन जिलों के चुनाव हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना एक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में, कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा में की जा रही है ताकि विभिन्न पणधारियों जैसे उद्यमियों, उद्योग, निर्यातकों, नीति निर्माताओं, सरकारी और वर्तमान संस्थानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस संस्थान का अधिदेश खाद्य उद्योग प्रबंधन से संबंधित विशेषीकृत उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की पेशकश करके तथा व्यवसाय इंक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारत के खाद्य विज्ञान तथा खाद्य उद्योग उद्यमों हेतु विश्वस्तरीय अग्रणी तैयार करना है। यह वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए केंद्र बिंदू के रूप में कार्य करेगा।

(ख) से (ङ) हालांकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्यवार और जिलावार विकास के लिए कार्ययोजना के विषय में अधिदेश सीधे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान से संबंध नहीं रखता, पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बुनियादी सुविधा विकास संबंधी स्कीम में किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक मांग आधारित एप्रोच है ताकि खाद्य प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी सुविधा के विकास हेतु निवेश को प्रेरित किया जा सके।

[हिन्दी]

विशाखापत्तनम विमानपत्तन

4362. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम विमानपत्तन पर नाइट लैंडिंग प्रणाली शुरू हो गयी है;

(ख) क्या निकट भविष्य में विशाखापत्तनम एक औद्योगिक केन्द्र बनने जा रहा है;

(ग) क्या कई विमान कंपनियां इस विमानपत्तन से विभिन्न गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानों का संचालन करने की इच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विमानपत्तन से उड़ान संचालन के वर्तमान घंटे मात्र 0800 बजे से 1700 बजे तक है; और

(च) यदि हां, तो इस विमानपत्तन से चौबीस घंटे उड़ान के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत अभी तक विशाखापत्तनम में दो औद्योगिक पार्कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये हैं-मैसर्स विजाग आई टी पार्क लिमिटेड तथा मैसर्स रैम्के इंडस्ट्रीयल सिटी (इंडिया) लिमिटेड।

(ग) और (घ) इस समय एयर इंडिया, एलायंस एयर, जेट लाईट, स्पाइस जेट, एयर डक्कन, पैरामाउंट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस विशाखापत्तनम हवाईअड्डे पर प्रचालन कर रही हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

(ङ) प्रचालनों का वर्तमान समय 08.00 से 14.00 बजे तथा 17.00 से 20.00 बजे तक है।

(च) विशाखापत्तनम हवाईअड्डा भारतीय नौ सेना का है। एएआई अनुसूचित उड़ानों के लिए एक सिविल एंक्लेव का रखरखाव कर रहा है। 24 घंटे प्रचालनों के लिए नौसेना मुख्यालय से निगरानी समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

दवा विपणन प्रणाली का विकास

4363. श्री कैलाश मेघवाल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अच्छी गुणवत्ता वाली तथा जीवनरक्षक दवाओं की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा विपणन प्रणाली के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली को किस प्रकार तथा कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप में सरकार द्वारा औषधों की बल्क खरीद को सुचारू बनाने, गरीबों (बीपीएल परिवारों) तक पहुंच बनाने की योजनाएं, औषध संवितरण (रिटेलिंग) इत्यादि जैसे प्रस्ताव किए गए हैं। इस नीति को अनुमोदन हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि मामले पर पहले एक मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। अब श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में जीओएम का गठन किया जा चुका है। अब तक जीओएम की तीन बैठकें 10.4.2007, 12.9.2007 और 30.1.2008 को हुई हैं। जीओएम द्वारा अभी मंत्रिमंडल को अपनी सिफारिशें की जानी हैं।

[अनुवाद]

तिरूपति तीर्थ यात्रा

4364. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने तिरूमला तिरूपति तीर्थ यात्रा के लिए पैकेज टूर शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे टूर का विस्तार अन्य गंतव्यों विशेषत: देश के दक्षिणी भागों के लिए भी करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने पहले ही सिकंदराबाद, चेन्नै एवं मुंबई से तिरूपति/तिरूमाला तक पैकेज यात्रा परिचालित की हुई है। पैकेज की अवधि यात्रा की अवधि व श्रेणी के आधार पर 800 रु. से 5499 रु. प्रति व्यक्ति की दर से एक दिन से 2 रातों/3 दिनों तक अलग-अलग पैकेजों की अवधि है। इन पैकेजों में रेल यात्रा, सड़क यातायात, दो व्यक्तियों के रहने का आवास, तिरूमाला के दर्शन, भोजन आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) विभिन्न गंतव्यों के परिचालन के अंतर्गत पहले ही 80 यात्रा पैकेज हैं जिनमें देश के दक्षिणी भाग में एलेप्पी, कुमारकोम, एर्णाकुलम, मुनार, रामेश्वरम, मैसूर, कूर्ग, मूकामबिका, धरमशाला, कोयम्बतूर, ऊटी, मदुरै, कोडईकनाल, वेलांकन्नी, पोल्लाची, वेलपारी, कोवलम, थेक्काडी और शिरडी आदि शामिल है। इसके अलावा, नये पैकेजों की तैयारी और परिचालन एक चालू प्रक्रिया है और अतिरिक्त नियमित रूप से बनाये जा रहे हैं।

मालगाड़ी

4365. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्ष-वार मालगाड़ियों के संबंध में रेलवे की आय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह बढ़ोत्तरी प्रत्येक मालगाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाने के कारण हुई है; और

(ग) प्रत्येक मालगाड़ी में औसतन कितने डिब्बे बढ़ाए गए हैं तथा इसका रेल पटरियों, ईंजन इत्यादि के उपयोग तथा रख-रखाव पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान भारतीय रेल पर मालभाड़ा आय की वृद्धि निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	वृद्धि
2004-05	3160.43
2005-06	5508.57
2006-07	5429.53

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु होटल

4366. श्री रशीद मसूद: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए नोएडा में कितने होटल बनाए जाने का प्रस्ताव है तथा इस उद्देश्य के लिए कितने भूखण्ड आबंटित किए गए हैं;

(ख) होटलों के लिए आज की तारीख तक भूखण्डों का आबंटन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) होटलों के लिए भूखण्ड कब तक आबंटित किए जाएंगे; और

(घ) राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने भूखण्डों पर होटल निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने 12 व्यावसायिक होटल भूखण्डों की पहचान की है, जिन्हें नीलामी हेतु रखा गया है। इसके लिए 25.3.2008 से 24.4.2008 तक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। पहले नीलाम किए गए चौदह होटल भूखंड मुकद्दमें के अधीन हैं। भूखंडों के आबंटन के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

[अनुवाद]

ए.ए.आई. के अधिकृत अस्पताल/नर्सिंग होम

4367. श्री रमेश दूबे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा अपने कर्मचारियों के इलाज हेतु मान्यताप्राप्त अस्पतालों और नर्सिंग होम का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन प्रत्येक निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को ए.ए.आई. द्वारा कुल कितना भुगतान किया गया है;

(ग) क्या ये निजी अस्पताल और नर्सिंग होम ए.ए.आई. के कर्मचारियों के इलाज के मामले में बेईमानी में लिप्त हैं तथा अधिकांश बार उनके डिस्चार्ज पेपरों पर डिस्चार्ज के समय का उल्लेख नहीं होता; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों और नर्सिंग होम का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के उपचार के लिए प्राधिकरण के पैनल में 789 अस्पताल/नर्सिंग होम शामिल किए गए हैं। इन अस्पतालों/नर्सिंग होमो पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान किया गया कुल भुगतान क्रमशः 1291.13 लाख रुपए, 946.31 लाख रुपए तथा 1190.83 लाख रुपए है।

(ग) पैनल में लिए गए अस्पतालों/नर्सिंग होम द्वारा की गई इन-डोर चिकित्सा से संबंधित प्रभारों के भुगतान के दावों की जांच की जाती है। यदि जांच के दौरान कोई अनियमितता पायी जाती है तो संबंधित अस्पतालों से आवश्यक औचित्य/स्पष्टीकरण मांगा जाता है। जांच तथा स्पष्टीकरण के आधार पर जहां कहीं आवश्यक हो कटौतियां की जाती हैं। यदि किसी मामले में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पायी जाती है तो संबंधित अस्पतालों/नर्सिंग होम के विरुद्ध पैनल से बाहर किए जाने समेत कार्रवाई की जाती है।

(घ) पैनल से बाहर किए गए अस्पतालों/नर्सिंग होम इस प्रकार है:

दिल्ली में गीतांजली अस्पताल, आर्थोनोवा अस्पताल, मानव मेडिकल केयर, ल्यूडिक (दीक्षित) अस्पताल, महर्षि दयानन्द चैरिटेबल क्लिनिक, रौशनलाल बजाज अस्पताल, सुमित क्लिनिक तथा साऊथ प्वाइंट और लखनऊ में अवध अस्पताल, राजचन्द्र अस्पताल, सेठ एल.एम. अस्पताल तथा सिटी अस्पताल एवं अभिघात केंद्र।

आई.ए./ए.आई. को हुआ घाटा

4368. श्री नन्द कुमार साय: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2007 से फरवरी 2008 के बीच इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू यात्रियों की संख्या घटी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया (आई.ए./ए.आई.) को भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोनों विमान कंपनियों के विलय से यह कितनी लाभकारी कंपनी बन सकेगी;

(च) क्या विलय के पश्चात् न्यू नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड की संचालन लागत बढ़ेगी;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। फरवरी, 2007 के दौरान 70.6 प्रतिशत यात्री लोड फेक्टर (सीट फेक्टर) की तुलना में फरवरी 2008 के दौरान यात्री लोड फेक्टर (सीट फेक्टर) 58.5 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) 2007-08 के लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) से (ज) परामर्शदाताओं के आकलन के अनुसार, विलय के चरणों के क्रियान्वयन से, साहचर्य से होने वाले लाभ संयुक्त राजस्व का लगभग 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत होंगे और इसके परिणामस्वरूप लागत में 3-4 प्रतिशत तक की बचत होगी। दूसरे शब्दों में साहचर्य की प्रक्रिया की वजह से तीन वर्ष की अवधि में 800 करोड़ रुपये से 1200 करोड़ रुपये का लाभ होने की संभावना है।

भारतीय संग्रहालय

4369. श्रीमती मेनका गांधी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जीर्णोद्धार के नाम पर पश्चिम बंगाल में भारतीय संग्रहालय से धनराशि का गबन किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें लिप्त अधिकारियों को दण्डित करने तथा गायब कलाकृतियों का सत्यापन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारतीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा के कार्यालय (केंद्रीय) कोलकाता ने मई-जून, 2007 के दौरान भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के लेन-देन की लेखा परीक्षा की तथा कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया। भारतीय संग्रहालय ने इस मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है।

(ग) भारतीय संग्रहालय के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वस्तुओं को सत्यापित करने के लिए भारतीय संग्रहालय द्वारा एक वास्तविक सत्यापन समिति का गठन किया गया है।

यक्षगान नृत्य को बढ़ावा

4370. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक के तेन्कु, बडगु और बाडा लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय 'यक्ष गान' एक नृत्य व सांस्कृतिक नाटक धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अद्‌भुत नृत्य एवं नाटक विधा को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संगीत नाटक अकादमी, जो संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, दिल्ली और देश के अन्य भागों में आयोजित किए गए अकादमी उत्सवों/कार्यक्रमों में यक्षगान प्रस्तुत करता रहा है। संगीत नाटक अकादमी, देश के अन्य संगठनों के उत्सवों में भी यक्षगान प्रायोजित करता रहा है। यक्षगान नाटकों को तैयार करने हेतु अकादमी द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। निष्पादन संबंधी मदद और वित्तीय सहायता के अलावा, अकादमी यक्षगान की विधा के कलाकारों को सम्मानित भी करता रहा है।

संस्कृति मंत्रालय के एक अन्य स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने यक्षगान को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। विद्यार्थियों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रिपोर्टरी कंपनी द्वारा नाटकों के पाठ के आधार पर यक्षगान के घटकों का उपयोग निर्माणों में भी किया जाता है।

कलारूप के इस पारंपरिक रूप को आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र भी बढ़ावा देते रहे हैं।

[हिन्दी]

हाजियों के लिए व्यवस्था

4371. श्री इलियास आज़मी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष एयर इंडिया ने हजारों हाजियों को वापस लौटते समय जेद्दा विमानपत्तन पर एक सप्ताह तक फंसा छोड़ दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या हाजियों का सामान उनके पास देर से पहुंचा और अधिकांश हाजियों का जमजम अब भी प्रतीक्षित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार हाजियों की यात्रा व्यवस्था के लिए कंपनी का चयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) हज 2007 की वापसी फेज के दौरान कुछ उड़ानों में विलम्ब के कारण थे हज टर्मिनल पर रिमोट चेक-इन एरिया को ध्वस्त करना; 16 की जगह केवल 4 चेक-इन काउंटरों की उपलब्धता; आप्रवासन/सुरक्षा/आपात आधार पर यात्रियों की बोर्डिंग के लिए एयरक्राफ्ट बे की अनुपलब्धता; दिनांक 25.12.2007 को प्रथम लखनऊ उड़ान पर 4 हाजियों द्वारा (जो 100 कि.ग्रा. से अधिक एक्सेस बैगेज का वहन कर रहे थे) उत्पन्न की गई बाधा जिससे उड़ान में 10 घंटे विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप तत्पश्चात् अनुसूची में विलम्ब हुआ इत्यादि।

(ग) और (घ) एयर इंडिया अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 20 से 30 कि.ग्रा. तक निःशुल्क बैगेज की अनुमति देता है। तथापि, हाजियों को 45 कि.ग्रा. निःशुल्क बैगेज तथा 10 कि.ग्रा. जमजम पानी ले जाने की अनुमति है, परन्तु बहुत सारे हाजी अतिरिक्त भुगतान के आधार पर निःशुल्क बैगेज से अधिक बैगेज का वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त, तीर्थयात्रियों द्वारा वहन किए जा रहे हैंड बैगेज, अनुमत्य 10 कि.ग्रा. से अधिक होते हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है तथा अधिक हैंड बैगेज को कम किया गया तथा इसे बैगेज होल्ड में स्थानांतरित किया गया। चूंकि 767 तथा 737 विमान के पेलोड इतनी अधिक मात्रा में बैगेज वहन करने की अनुमति नहीं देते, एयर इंडिया के पास ठहरे हुए यात्रियों को समायोजित करने हेतु बैगेज छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। छोड़े हुए बैगेजों का बाद में विशेष फ्रेटर उड़ानों द्वारा परिवहन किया गया। जहां तक जमजम पानी का संबंध है, इस वर्ष सऊदी एयरलाइंस के सप्लायरों ने न केवल सप्लाई

करने से मना किया बल्कि एयर इंडिया के सप्लायरों के लिए समस्याएं भी उत्पन्न की। तथापि, सीजीआई तथा जेद्दा में भारतीय मिशन के हस्तक्षेप से मामले को सुलझा लिया गया। कुछ गुम हुए बैगेजों को छोड़कर, पीछे छोड़े गए सभी बैगेज तथा जमजम पानी संबंधित राज्य हज समितियों को सौंप दिए गए हैं।

(ङ) और (च) हज तीर्थयात्रियों के वहन के लिए अतिरिक्त क्षमता लीजिंग हेतु एयर इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई है।

[अनुवाद]

तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व

4372. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या आबादी के अन्य वर्गों की तुलना में काफी कम है; और

(ख) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) सच्चर समिति के अनुसार, अल्पसंख्यकों में स्नातक उपाधि प्राप्त करने की दर आबादी में उनकी कुल भागीदारी (की दर) से कम है।

(ख) उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना।

कर्मचारियों की भविष्य निधि

4373. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एन.ए.ए.) कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि घोटाला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.ए.ए. कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश शेयर बाजार में किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(छ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के कुछ लेनदेनों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।

राज्य विद्युत बोर्ड से रेलवे द्वारा वसूली जाने वाली बकाया राशि

4374. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड से रेलवे द्वारा वसूली जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) से बकायों की वसूली करने के लिए उठाए गए कदम/प्रस्तावित कदम निम्नानुसार हैं:-

* कोयले की ढुलाई करने के लिए माल यातायात का अग्रिम भुगतान करके योजना का अनुसरण करने के लिए बिजली घरों को उत्साहित किया जा रहा है।

* राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करके बकाया राशियों की वसूली करने हेतु गहन निगरानी रखी जाती है।
* संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों के साथ भी समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
* कुछ राज्य विद्युत बोर्डों से संबंधित कर्षण बिलों के बकायों का समायोजन किया गया है।
* लेखा और वाणिज्यिक अधिकारियों का एक दल तैयार करके बकाया राशियों की वसूली करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।
* राज्य विद्युत बोर्डों सहित सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों के लिए इलैक्ट्रानिक भुगतान गेटवे की सुविधा की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है जिससे बढ़ते हुए मामलों पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड/बिजली घर का नाम	मार्च, 2007	फरवरी, 2008
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	0.02	2.28
2.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	0.78	0.33
3.	दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड	177.10	179.73
4.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	0.42	1.78
5.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	14.31	8.53
6.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	0.03	0.01
7.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	0.09	0.52
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	0.45	46.79
9.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	0.11	0.14
10.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	443.09	444.73
11.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	49.50	52.82
12.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	0.60	0.71
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	34.17	5.24
14.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	3.16	27.86
15.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	252.10	87.98
16.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम	5.00	20.89
17.	दामोदर वैली निगम	0.80	2.33
18.	निजी बिजली घर-साबरमती	0.00	0.17
	कुल	981.73	882.84

पर्यटन केंद्रों पर विशेष रेल सुविधाएं

4375. श्री के. विरुपाक्षप्पा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का मैसूर, हम्पी, गोवा और बीजापुर पर्यटन केंद्र के लिए विशेष रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलवे ने कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर एक लग्जरी पर्यटक गाड़ी चलाई है जो मैसूर, हम्पी और गोवा से होकर गुजरती है।

[हिन्दी]

महिला उत्पीड़न

4376. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 2008 के दैनिक जागरण में "टूर से लौट रही डी यू की छात्राओं से छेड़खानी, बोगी में आग लगायी" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 10.3.2008 को लगभग 8 बजकर 45 मिनट पर जिस समय गाड़ी संख्या 2155 डाउन (हबीबगंज-निजामुद्दीन एक्सप्रेस) मथुरा-निजामुद्दीन खंड पर शोलका और रूंधी स्टेशनों के बीच गुजर रही थी उस समय इस गाड़ी के कोच संख्या एस-9 में दैनिक यात्रियों और पैसेंजरों के बीच झगड़ा हुआ। पैसेंजरों द्वारा अलार्म चैन को खींचकर गाड़ी को रोका गया। दैनिक यात्रियों ने कोच सं. एस-9 पर पथराव किया और इस डिब्बे को आग लगाने की भी कोशिश की। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल की मार्गरक्षण पार्टी ने हवा में गोलियां चलाकर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था।

(ग) रेल अधिनियम, 141, 152 और भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 426 के अंतर्गत अपराध सं. 26/08 के तहत एक मामला राजकीय रेल पुलिस स्टेशन, पलवल में दर्ज किया गया। फिलहाल अभी तक राजकीय रेल पुलिस, पलवल द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

[अनुवाद]

12 सवारी डिब्बों वाली लोकल ट्रेन

4377. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पूर्व रेलवे के सियालदह और हावड़ा मंडल में 12 सवारी डिब्बों वाली लोकल ट्रेने चलाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवसंरचना संबंधी सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं ताकि 12 सवारी डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों को सुगमतापूर्वक चलाया जा सके;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रेल सेवाओं के यात्रियों को कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) इस समय पूर्व रेलवे के सियालदह और हावड़ा मंडलों में 12 डिब्बों वाले रेकों के सात रेक चल रहे हैं। इसके अलावा, पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदाह मंडल में 12 डिब्बों वाली लोकल ई एम यू गाड़ियां चलाने की योजना है जिसके लिए सवारी डिब्बा कारखाना/अन्य निर्माण एजेंसियों के माध्यम से नये ईएमयू रेक अधिग्रहीत किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) हावड़ा मंडल में सियालदह-राणाघाट, सियालदाह-कृष्णानगर (मुख्य लाइन के रास्ते) और कृष्णानगर-सियालदाह मंडल और हावड़ा बंडेल एवं शेवड़ाफुली-तारकेश्वर खंड में 12 डिब्बों वाली लोकल गाड़ी चलाने हेतु प्लेटफार्म और सिगनल कार्यों के विस्तार के लिए निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सियालदाह और हावड़ा खंड में शेष खंडों में 12 डिब्बों वाली गाड़ियां चलाने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है और इसके 31.12.2009 तक पूरा होने की योजना है। सियालदाह और हावड़ा मंडलों में अतिरिक्त 12 कोच वाली ई एम यू सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी बशर्ते कि नये रेक उपलब्ध हों और निर्माण कार्य समाप्त हो जाए।

रैगर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा

4378. श्री परसुराम माझी:
श्री लालमणि प्रसाद:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली में रैगर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में रैगर जाति को उक्त दर्जा नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) "रैगर" जाति को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में "रैगर" जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) भारत के संविधान में अनुच्छेद 341(1) के अनुसरण में, जाति का अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्देशन क्षेत्र विशेष के संबंध में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार से "रैगर" जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रसोई गैस का उत्पादन

4379. श्री एस. अजय कुमार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसोई गैस के अपर्याप्त उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पर्याप्त सिलिंडर भराई अवसंरचना की कमी ऐसे अपर्याप्त उत्पादन के कारणों में से एक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) रिफाइनरियों एवं प्रभाजकों से उपलब्ध उत्पादन देश में एलपीजी की वर्तमान मांग से कम है।

(ख) एलपीजी का उत्पादन एलपीजी भराई अवसंरचना पर निर्भर नहीं करता है।

(ग) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र लाइसेंस मुक्त होने से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कंपनियों ने देश में एलपीजी समेत पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बढ़ती मांग की पूर्ति करने हेतु क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई है।

जी.आर.पी. हेतु आरक्षण काउंटर

4380. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 2008 के "नवभारत टाइम्स" (दिल्ली संस्करण) में "रिजर्वेशन का जी.आर.पी. काउंटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट की जांच के दौरान किसी भी राजकीय रेलवे पुलिस/रेल सुरक्षा बल कर्मी को सीटें घेरने का दोषी नहीं पाया गया। बहरहाल, गाड़ियों को तालाबंद अवस्था में लाने और प्लेटफार्मों पर, जहां सवारी डिब्बों में प्रवेश के लिए यात्री कतार में खड़े होते हैं, राजकीय रेलवे पुलिस/रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मियों के पर्यवेक्षण में खोलने जैसे आवश्यक पूर्वोपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, अचानक जांच की जाती है और सदाशायी यात्रियों को बिक्री के लिए सीटें घेरने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

सिन्धु घाटी सभ्यता

4381. डा. टोकचोम मैन्या: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिन्धु घाटी सभ्यता से संबंधित लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी (सभ्यता) लिपियों को पढ़ने में संबंधित कोई परियोजना चल रही है अथवा कोई वित्तपोषण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हड़प्पा/सिन्धु घाटी की लिपि के कूटानुवाद हेतु न तो कोई परियोजना शुरू की है और न ही कोई वित्तपोषण किया है।

विमान यात्रियों की दैनंदिन समस्याएं

4382. डा. के. धनराजु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाउन्ज में प्रतीक्षारत विमान यात्रियों को सुरक्षित पेयजल सुविधा सहित विमान यात्रियों की दैनंदिन समस्याओं का पता लगाने एवं उन पर विचार करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) हालांकि इस संबंध में कोई पृथक अध्ययन नहीं कराया गया है किन्तु पेय जल के संबंध में प्रश्न यथा पहुंच, शीतलन तथा पानी के गिलासों की उपलब्धता के संबंध में हवाई अड्डों पर आयोजित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों में पूछा जाता है। अगस्त-सितम्बर, 2007 के सर्वेक्षणों के परिणाम दर्शाते हैं कि उपर्युक्त संदर्भ में ग्राहक संतोष सूचकांक अच्छा रहा।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले उन हवाई अड्डों, जहां ग्राहक संतोष सूचकांक कम है वहां इस सूचकांक में वृद्धि करने के लिए हवाई अड्डा निदेशकों तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों को इस संबंध में कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक पहल/कदम उठाने को कहा है। जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सीधा नियंत्रण नहीं है वहां उन्हें विनियामकों/एजेंसियों के साथ निम्न ग्राहक संतोष सूचकांक मदों पर समन्वय करने को कहा है। हवाई अड्डा सुविधा समिति बैठक जैसे मंचों पर भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

जल में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग

4383. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जल में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा औसत किसानों को ऐसे उर्वरकों के प्रयोग से लाभ पहुंचाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) वर्तमान में उर्वरक विभाग सिर्फ डाई-अमोनियम फास्फेट, म्यूरिएट आफ पोटाश, एनपीके मिश्रणों, मोनो-अमोनियम फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट पर रियायत योजना चलाता है। जल घुलनशील उर्वरक नियंत्रणमुक्त पी एंड के उर्वरकों की रियायत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अतिरिक्त डिब्बे और विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां

4384. श्री संजय धोत्रे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विशेषकर आगामी ग्रीष्म-काल में विभिन्न रेलमार्गों पर यात्रियों की संख्या में होने वाली वृद्धि का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार यात्रियों की बढ़ती संख्या से प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने हेतु ऐसे सभी रेलमार्गों पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां मुहैया करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार ऐसे रेलमार्गों विशेषकर महाराष्ट्र आने वाली सभी रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) जी हां। ग्रीष्मकाल, 2008 के लिए 67 मार्गों पर 3616 ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों को चलाने तथा महाराष्ट्र को सेवित करने वाली गाड़ियों के साथ-साथ मौजूदा गाड़ियों में 243 अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने की योजना बनाई गई है। ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों की समय-सारणी भी जनता के लिए उपलब्ध है।

[अनुवाद]

मिश्र धातु इस्पात संयंत्र हेतु पर्याप्त निधियां

4385. श्री सुनील खां: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मिश्र धातु इस्पात की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को कच्चे माल की खरीद करने तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां मुहैया नहीं करायी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में मिश्र इस्पात की मांग में बढ़ोतरी का रूख रहा है।

(ख) घरेलू प्रत्यक्ष खपत को मांग के अनुरूप माना जा रहा है। वर्ष 2002-03 से मिश्र इस्पात की बिक्री के लिये उत्पादन, निर्यात, आयात और खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(हजार टन)

वर्ष	बिक्री के लिये उत्पादन	निर्यात	आयात	प्रत्यक्ष खपत	प्रत्यक्ष खपत में प्रतिशत बढ़ोत्तरी
2002-03	1756	11	153	1780	
2003-04	2125	372	213	1950	9.55
2004-05	2195	324	184	1988	1.95
2005-06	2176	323	455	2248	13.08
2006-07	2333	349	491	2455	9.21
2007-08 (अनंतिम)	2510	450	480	2500	1.83

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. के मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के पास कच्चा माल प्राप्त करने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु नौकरियां

4386. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों हेतु काफी संख्या में नौकरियां सृजित करने हेतु हाल ही में नई योजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत कितने नि:शक्त व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) नई योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार एक योजना को संस्वीकृति दी गई, जिसमें नि:शक्तजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में कर्मचारी के अंशदान का भुगतान पहले तीन वर्षों के लिए सरकार द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। यह योजना 25,000 रुपए प्रतिमाह का मासिक मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों के लाभार्थ है। यह योजना नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता व बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत परिभाषित नि:शक्तताओं वाले सभी व्यक्तियों को कवर करती है। यह योजना दिनांक 01.04.2008 से लागू है।

निजी क्षेत्र द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश

4387. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र ने देश के पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2007 तक सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) निजी क्षेत्र द्वारा किए गए कुल निवेश में देशी और विदेशी पूंजी का हिस्सा कितना-कितना है; और

(घ) भारतीय संसाधनों से कितनी विदेशी पूंजी अर्जित की गयी और पेट्रोलियम क्षेत्र में कितना निवेश किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी हां। निजी क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, अन्वेषण, परिशोधन आदि जैसे पेट्रोलियम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता से कार्यरत है। यहां विदेशी कंपनियों द्वारा भी इतना ही निवेश हो रहा है। तथापि, पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की सही मात्रा से संबंधित जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

जहां तक पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संबंध है, उनके द्वारा किया गया निवेश नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

तेल कंपनियों के नाम	मार्च, 2007 तक सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश की गई कुल मात्रा
ओएनजीसी	115461.14
आईओसीएल	50213.11
ओआईएल	9835.79
बीपीसीएल	22011.18
एचपीसीएल	16750.23
गेल	16870.00

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिकीकृत प्रौद्योगिकी

4388. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) को सहारा देने हेतु कदम उठाने तथा किसानों को आधुनिकीकृत प्रौद्योगिकी मुहैया कराने का है जिससे आर्थिक विकास में गति आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वतंत्र संचालन की पूरी छूट प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी नियंत्रण से उनको मुक्त करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन कदमों को उठाने के बाद इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) सरकार ने उर्वरकों का उत्पाद करने वाले नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) तथा राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है। बीजों का उत्पादन करने वाले स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एसएफसीएल) तथा उर्वरकों का उत्पादन करने वाले फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि. (फैक्ट) का 1016 करोड़ रुपए की कुल लागत (नकद और गैर-नकद) पर पुनरुद्धार अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज निगम लि., जो कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का एक लाभ अर्जित करने वाला उद्यम है, अच्छी किस्म के बीजों, रोपण सामग्री तथा जैव-उर्वरकों के उत्पादन व विपणन में लगा हुआ है।

(ग) और (घ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न व मिनी रत्न उद्यमों को पूंजी व्यय करने, प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यम स्थापित करने व रणनीतिक गठबंधन करने, वित्तीय संयुक्त उद्यम व पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां स्थापित करने, विलय व अधिग्रहण तथा कार्यकारी निदेशकों के विदेशी दौरे अनुमोदित करने जैसी प्रशासनिक शक्तियां तथा मानव संसाधन प्रबंध इत्यादि के क्षेत्र में अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले अन्य उद्यमों को भी पूंजी व्यय इत्यादि के लिए अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन का विकास

4389. श्री ए. साई प्रताप:
श्री एम. अंजन कुमार यादव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश स्थित पर्यटन स्थलों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से किन पर्यटन स्थलों को विकसित और किनका सौन्दर्यीकरण किया गया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन, मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, निम्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान हेतु पर्यटन मंत्रालय प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर धनराशि प्रदान करता है:

(1) पर्यटकों गंतव्यों/परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास

(2) वृहत राजस्व सृजक परियोजनाएं

(3) सूचना प्रौद्योगिकी

(4) मेले/उत्सव/कार्यक्रम

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त परियोजनाओं, जिनका गत तीन वर्षों के दौरान पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया गया और स्वीकृति प्रदान की गई, की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त 15 परियोजना प्रस्तावों में से, वर्ष 2007-08 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्न को स्वीकृवि प्रदान की गई, जो कि दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण थे।

(लाख रुपयों में)

1.	पश्चिमी गोदावरी जिले में कोलेरू झील का विकास	447.61
2.	चित्तूर जिले में होर्सली हिल्स का विकास	253.91
3.	वारंगल जिला, महबूबाबाद मंडल अनंथाराम ग्राम का गंतव्य विकास	64.53
4.	कृष्णा और गोदावरी नदियों पर परिपथ का विकास	425.95
5.	नेलौर जिले के बी.वी. पालेम में पुलीकट झील पर ईको पर्यटन केंद्र का विकास	167.37
6.	हैदराबाद के चारमीनार क्षेत्र का विकास	994.75
7.	चितूर जिले में पुलीगंडी का साहसिक और गंतव्य पर्यटन के रूप में विकास	216.68
8.	वारांगल जिला, हनुमानकोंडा, पद्माक्षी मंदिर में पर्यटन विकास	43.68
9.	कडापा जिले में कडापोस्तावालू (सांस्कृतिक उत्सव) मनाना	15.00
	कुल	2629.48

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
	2005-06	
1.	आंध्र प्रदेश के सिंगूर डैम का गंतव्य विकास	433.96
2.	रात्रिबाजार, शिल्पारामम, हैदराबाद का गंतव्य विकास	500.00
3.	लोवर कृष्णा वैली बौद्ध परिपथ का एकीकृत विकास	789.97
4.	अराकू-विजाग पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	771.86
5.	आईटी योजना के लिए इको-कामर्स पोर्टल का विकास	75.00
6.	हैदराबाद कार्निवल तथा कलिंग उत्सव मनाना	20.00
7.	पूर्वी गोदावरी में कोन्नासीमा उत्सव मनाना	15.00
	2006-07	
1.	वारंगल जिले में लकनावर्म झील का इको पर्यटन गंतव्य के रूप में विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	468.63

1	2	3
2.	भावीकोंडा-तोतलाकोंडा-पुरूवालाकोंडा-अप्पीकोंडा वाले समुद्र तट परिपथ का एकीकृत विकास	571.93
3.	गोलकुण्डा-कुतुबशाही मकबरा-हाकिमपेट-साइकपेट सराय-के.बी संग्रहालय-प्रेमावथी मस्जिद का विकास	500.00
	2007-08	
1.	पश्चिमी गोदावरी जिले में कोलेरू झील का विकास	447.61
2.	चितूर जिले में होर्सली हिल्स का विकास	253.91
3.	वारंगल जिला, महबूबाबाद मंडल, अनंथाराम ग्राम का गंतव्य विकास	64.53
4.	गोदावरी और कृष्णा नदी पर परिपथ का विकास	425.95
5.	नेलौर जिले के बी.वी. पालेम में पुलीकट झील पर ईको पर्यटन केन्द्र का विकास	167.37
6.	हैदराबाद के चारमीनार क्षेत्र का विकास	994.75
7.	चितूर जिले में पुलीगुंडी का साहसिक और गंतव्य पर्यटन के रूप में विकास	216.68
8.	वारांगल जिला, हनुमाकोंडा, पद्माक्षी मंदिर में पर्यटन विकास	43.68
9.	कडापा जिले में कडापोस्तावालू (सांस्कृतिक उत्सव) मनाना	15.00
	कुल	6775.83

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण

4390. श्री अजीत जोगी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण करते समय अनुमानित गैस भंडार को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रशासनिक मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) गैस का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। एनईएलपी-पूर्व संविदाओं के अंतर्गत उत्पादित गैस का मूल्य, सरकार और संयुक्त उद्यम संघ के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के उपबंधों के अनुसार तय किया जाता है। जहां तक एनईएलपी क्षेत्रों से उत्पादित गैस का संबंध है, सूत्र या आधार जिन पर मूल्य तय किए जाते हैं, के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है। मियादी संविदाओं के अंतर्गत आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का मूल्य, एलएनजी विक्रेता और क्रेता के बीच बिक्री खरीद करार द्वारा शासित होता है। तत्स्थान पोतभार परस्पर रूप से सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर खरीदे जाते हैं।

[अनुवाद]

असामाजिक गतिविधियां

4391. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर रेलवे विशेषकर दिल्ली-मथुरा-दिल्ली सेक्शन में लोकल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में हमले और अन्य असामाजिक गतिविधियों के बढ़ते मामले के बारे में उत्तर रेलवे के यात्रियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों ने चलती रेलगाड़ियों में हेल्पलाइन सेवाएं शुरू करने के कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे इन सुझावों पर क्या कार्रवाई करने जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 10.3.2008 को लगभग 8 बजकर 45 मिनट पर जिस समय गाड़ी संख्या 2155 डाउन (हबीबगंज-निजामुद्दीन एक्सप्रेस) मथुरा-निजामुद्दीन खंड पर शोलका और रुंधी स्टेशनों के बीच गुजर रही थी उस समय इस गाड़ी के कोच संख्या एस-9 में दैनिक यात्रियों और पैसेंजरों के बीच झगड़ा हुआ। पैसेंजरों द्वारा अलार्म चैन को खींचकर गाड़ी को रोका गया। दैनिक

यात्रियों ने कोच सं. एस-9 पर पथराव किया और इस डिब्बे को आग लगाने की भी कोशिश की। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल की मार्गरक्षण पार्टी ने हवा में गोलियां चलाकर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था।

रेल अधिनियम, 141, 152 और भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 426 के अंतर्गत अपराध सं. 26/08 के तहत एक मामला राजकीय रेल पुलिस स्टेशन, पलवल में दर्ज किया गया। फिलहाल अभी तक राजकीय रेल पुलिस, पलवल द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बजट होटल

4392. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर 'बजट होटल' बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) होटलों का निर्माण मुख्यतया एक निजी सेक्टर की गतिविधि है। पर्यटन मंत्रालय, होटलों हेतु भूमि बैंकों के सृजन, संयुक्त उद्यम/राजस्व सहभागिता के आधार पर भूमि के आबंटन, सिंगल विंडो क्लियरेंस को अपनाने, एफएआर/एफएसआई में बढ़ोत्तरी हेतु, राज्य सरकारों और रेलवे, नागर विमानन मंत्रालय, डीडीए इत्यादि जैसी विभिन्न भू-स्वामित्व एजेंसियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। पर्यटन मंत्रालय देश में एक, दो और तीन सितारा श्रेणी के बजट होटलों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बे

4393. श्री के.एस. राव:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेल/एक्सप्रेस तथा सवारी गाड़ियों में अलग-अलग कितने सवारी डिब्बों की आवश्यकता होती है तथा अगले पांच वर्षों में कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान है;

(ख) कार्बन इस्पात से बने डिब्बों की खामियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके रख-रखाव एवं प्रचालन लागत के कारण प्रतिवर्ष कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्बन इस्पात डिब्बों का विनिर्माण बंद कर कम रख-रखाव, उच्च वहन क्षमता तथा प्रचालन लागत में कमी का लाभ लेने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर उनकी जगह चरणबद्ध तरीके से स्टेनलैस स्टील से बने डिब्बों का उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को चोट लगने से बचाने के लिए एक नए विशेष प्रकार के डिब्बे की डिजाइन की है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे डिब्बे कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पांच वर्षों के लिए सवारी डिब्बों की आवश्यकता की योजना पंचवर्षीय योजना के अनुसार बनाई जाती है और यह मेल/एक्सप्रेस तथा पैसेंजर गाड़ियों के लिए संयुक्त रूप से बनाई जाती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) हेतु 22500 नए सवारी डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) यात्री डिब्बों का मौजूदा डिजाइन कोर्टन स्टील का बना है जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक भारी है और ढांचागत शक्ति में की मजबूत नहीं है। इस डिजाइन के सवारी डिब्बों में जंग लगने की अधिक संभावना रहती है और बड़ी मरम्मतों के दौरान इन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन डिब्बों की वहन क्षमता भी सीमित है। इन डिब्बों का सेवाकाल 25 वर्ष निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से उपार्जित एल एच बी के स्टेनलैस स्टील के सवारी डिब्बों को निर्धारित राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में लगा दिया गया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में अन्य मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों में चरणबद्ध तरीके से बेहतर डिजाइन के स्टेनलैस स्टील के लिए भी सवारी डिब्बों के विनिर्माण को आरंभ करने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया है। इन डिब्बों में उच्च वहन क्षमता, 35 वर्ष का अधिक लंबा सेवाकाल और जंग रोधक विशेषताएं, ओवरहालिंग के बीच लंबा अंतराल और सौन्दर्यपरक आकर्षक अंदरूनी भाग और अपग्रेडिड यात्री सुविधाएं आदि होंगी। 2008-09 के दौरान ऐसे लगभग 100 डिब्बों के विनिर्माण की योजना है।

(ङ) और (च) सवारी डिब्बों में संरक्षा को बढ़ावा देने के मद्देनजर रेलवे ने सेंट्रल बफर कप्लर की व्यवस्था वाले ''क्रैशवर्दी'' डिब्बों के डिजाइन को प्रस्तुत किया है। ऐसे डिब्बे ''एंटी क्लाइंबिंग'' विशेषताएं मुहैया कराएंगे और दुर्घटना के मामले में यात्रियों की

बेहतर संरक्षा सुनिश्चित करेंगें। इस प्रकार के डिजाइन के डिब्बों का उत्पादन 2007-08 में उत्पादन इकाइयों में पहले ही शुरू किया जा चुका है और 135 क्रैशवर्दी डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है।

[हिन्दी]

राजस्थान में कच्चे तेल के भंडारों से उत्पादन

4394. **श्री सूरज सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के कच्चे तेल के भंडारों से वर्ष 2008 के मध्य तक कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है जैसा कि पूर्व में कल्पना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इन भंडारों से कितना उत्पादन होगा;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं के कारण उत्पादन की उक्त समय-सीमा आगे बढ़ जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) प्रचालक के अनुसार ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 से वाणिज्यिक कच्चे तेल का उत्पादन 2009 की दूसरी तिमाही तक आरंभ होने का अनुमान है।

(ख) अनुमोदित विकास योजना के अनुसार आरजे-ओएन-90/1 से उच्चतम तेल उत्पादन दर 1,08,000 बैरल उत्पादन प्रतिदिन (बीओपीडी) होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काजूगिरी का प्रसंस्करण

4395. **श्री प्रशांत प्रधान:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काजूगिरी का प्रसंस्करण करने वाले कारखानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में काजूगिरी का प्रसंस्करण करने वाले नए कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में काजूगिरी का प्रसंस्करण करने वाले 1800 कारखाने हैं। इनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना नहीं करता है। तथापि गिरी प्रसंस्करण यूनिटों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए यह मंत्रालय नई यूनिटों की स्थापना अथवा वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इस स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता का तीव्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2007 से संवितरण प्रक्रिया का विकेंद्रीयकरण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के जरिए किया है।

विवरण

देश में काजूगिरी का प्रसंस्करण करने वाले कारखानों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	काजूगिरी का प्रसंस्करण करने वाले कारखानों की संख्या
1	2	3
1.	केरल	432
2.	कर्नाटक	266
3.	गोवा	45
4.	महाराष्ट्र	350

1	2	3
5.	तमिलनाडु	417
6	आंध्र प्रदेश	175
7.	उड़ीसा	60
8.	पश्चिम बंगाल	30
9.	छत्तीसगढ़	3
10.	पूर्वोत्तर राज्य	22
	कुल	1800

[हिन्दी]

शिरडी में विमानपत्तन का निर्माण

4396. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के शिरडी में एक नए विमानपत्तन का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजनार्थ प्राथमिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सभी औपचारिकताएं शीघ्रता से पूरी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) उक्त स्थान पर निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास शिरडी में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास निगम (एमएडीसी) के माध्यम से अहमदनगर जिले में कोपरगांव की ओर शिरडी के निकट क्षेत्र का सर्वे करवाया है तथा 450 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है। एमएडीसी ने प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैसर्स एल. एण्ड टी. रामबोल को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है।

(ङ) और (च) संघ सरकार द्वारा अभी तक महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस स्तर पर किसी भी निश्चित समय-सीमा का संकेत देना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों तथा बैंकाक के लिए एआई एक्सप्रेस

4397. श्री एल. राजगोपाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हैदराबाद से बैंकाक, रियाद तथा कुवैत के लिए कम लागत की एयर इंडिया एक्सप्रेस सेवा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। हैदराबाद से खाड़ी देशों तथा बैंकाक को एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें प्रचालित करने के लिए अक्टूबर, 2006 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अप्रैल, 2008 के अन्त में हैदराबाद से आबुधाबी को सप्ताह में तीन उड़ानें प्रचालित करने की योजना है। इस समय, हैदराबाद से बैंकाक, रियाद तथा कुवैत को प्रचालित करने की एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, एयर इंडिया हैदराबाद से बैंकाक तथा कुवैत के लिए और मुम्बई से होते हुए रियाद के लिए उड़ानें प्रचालित कर रही है।

[हिन्दी]

राजकोट विमानपत्तन से विमान सेवाएं

4398. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली-राजकोट-दिल्ली विमान सेवाएं शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा उक्त कार्रवाई के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या किसी निजी विमान कंपनी ने उक्त मार्ग पर अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यात्रियों को विमान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराए। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संवितरण दिशानिर्देश के अनुपालन के मद्देनजर देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए मुक्त हैं।

[अनुवाद]

गेल तथा रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के बीच समझौता

4399. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल इंडिया लिमिटेड ने गैस के पारेषण के लिए रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते की निबन्धन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजीटीआईएल) के साथ आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से गुजरात में भरूच तक फैली आरजीटीआईएल की पूर्व पश्चिम पाइपलाइन (ईडब्ल्यूपीएल) से परिवहन सेवाएं लेने के लिए 7.12.2007 को गैस परिवहन करार (जीटीए) पर हस्ताक्षर किए। ईडब्ल्यूपीएल को गुजरात में अंकोट में गेल की हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचबीजे) पाइपलाइन/दाहेन-विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) नेटवर्क, महाराष्ट्र में मशकल में दाहेज-उरान पाइपलाइन (डीयूपीएल)/दाभोल-पणवेल पाइपलाइन (डीपीपीएल) नेटवर्क और आंध्र प्रदेश में ओडुरू में के.जी. बेसिन पाइपलाइन नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा।

(ग) शर्तों और निबंधनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- गैस परिवहन के विशिष्ट अधिकार और दायित्व पक्षकारों के बीच क्षमता ट्रांश करार पर हस्ताक्षर होने पर उत्पन्न होंगे।
- क्षमता बुकिंग फर्म अथवा फाल बैक हो सकती है।
- संविदावधि बारह वर्ष होगी।
- परिवहन प्रभार पोत पर संदेय अथवा फर्म क्षमता बुकिंग के मामले में अदायगी प्रावधान हो सकते हैं।
- समाप्ति भुगतान फर्म कैपेसिटी बुकिंग के मामले में ही होगा।

ब्रह्मपुत्र नदी में हाइड्रोकार्बन भंडार की खोज

4400. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी ~~के~~ तटों में हाइड्रोकार्बन की खोज करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नदी में हाइड्रोकार्बन की संभावनाओं के अध्ययन के विरोध के कोई पर्यावरणीय कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) भारत सरकार ने अब तक आयोजित एनईएलपी (नई अन्वेषण लाइसेंस नीति) से पहले के और एनईएलपी के दौरों में ब्रह्मपुत्र के किनारे के पास असम राज्य में 16 अन्वेषण ब्लाक अवार्ड किए हैं। ये ब्लाक अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। तीन ब्लाकों नामतः एए-ओएनजे/2 और एए-ओएनएन-2004/3,

एए-ओएनएन-2004/5 के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) अभी राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना है।

आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की अपने हाईड्रोकार्बन अन्वेषण क्रियाकलापों के भाग के रूप में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के भागों में 1700 ग्राउंड लाइन किलोमीटर 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण करने की योजना है।

ओआईएल को असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रस्तावित भूकंपीय सर्वेक्षण प्रचालन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है। कुछ गैर-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक संगठनों ने ब्रह्मपुत्र नदी में पारिस्थितिकीय असन्तुलन, विशेष कर नदी में मौजूद नदी डालफिनों को खतरे की आशंका प्रकट करते हुए चिन्ता व्यक्त की थी। ओआईएल पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजना अध्ययन आयोजित कर रही है।

[हिन्दी]

भारत दर्शन रेलगाड़ियां

4401. श्री सुभाष महरिया:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत दर्शन रेलगाड़ियों के लिए निर्धारित मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर उक्त रेलगाड़ियों में आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या ऐसी रेलगाड़ियों के लिए यह आरक्षण सुविधा राजस्थान के जयपुर में उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन रेलगाड़ियों में राज्य-वार कितने यात्रियों ने यात्रा की है;

(च) क्या ऐसी रेलगाड़ियां अन्य स्थानों से भी चलाए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारत दर्शन गाड़ियां, भारतीय रेलों के परामर्श से, नोडल एजेंसी भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा समय-समय पर नियत किए गए विभिन्न मार्गों पर परिचालित की जाती हैं।

(ख) भारत दर्शन गाड़ी की बुकिंग भारतीय रेल एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, वेबसाइट www.railtourismindia.com और आईआरसीटीसी एजेंटों के द्वारा की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मार्च, 2008 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 25,607 है। बहरहाल, राज्य-वार यात्रा करने वालों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) और (छ) जी हां, भारत दर्शन गाड़ियों का यात्राक्रम समय-समय पर नियत किया जाता है और चलता रहता है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप बंद किया जाना

4402. श्री निखिल कुमार:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों तथा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की कीमतों के बराबर मूल्य पर ईंधन बेचे जाने की अक्षमता के मद्देनजर निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंप बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने सूचित किया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा बिक्री केंद्रों के बीच बिक्री मूल्य अंतर होने के कारण उनके खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) की बिक्रियां नगण्य है, जिसके कारण उन्हें अपने खुदरा बिक्री केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। एस्सार आयल लिमिटेड (ईओएल) तथा शेल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएमपीएल) ने अभी अपने खुदरा बिक्री केंद्रों को बंद करने के बारे में निर्णय नहीं लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा सरकार के परामर्श से संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। निजी तेल कंपनियों पर सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण का प्रतिबंध नहीं होता है और वे वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार अपने मूल्य निर्धारण पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतें

4403. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतों की तुलना में घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतें अभी भी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतों की तुलना में घरेलू बाजार में इस्पात की औसत कीमतें कितनी हैं; और

(ग) जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतें बढ़ रही हैं तो भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा अन्य कंपनियों को इस्पात की कीमतें कम करने के लिए दबाव डाले जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) और (ख) मुम्बई खुदरा बाजार में इस्पात मदों की खुदरा कीमत आयात के प्रमुख मदों की उतराई तक की लागत सहित नीचे तालिका में दी गई है। तुलना करने पर पता चलता है कि 15 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार इन मदों की खुदरा कीमतें उतराई तक की लागत की तुलना में कम थीं।

विवरण	बार	एचआर क्वायलें	सीआर क्वायलें
सीआईएस-एफओबी कीमत $/टन	930	1000	1100
मुम्बई में उतराई तक की लागत रुपए/टन	49,606	53,029	57921
मुम्बई में खुदरा कीमत रुपए/टन	47,700	48,450	52,000
अंतर रुपए/टन	1,906	4,579	5,921

खुदरा कीमतों में कर, शुल्क और भाड़ा शामिल हैं।
स्रोत: मैटल बुलेटिन और जेपीसी

(ग) देश में स्टील क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है और इसलिए बाजार शक्तियों द्वारा कीमतें निर्धारित होती हैं। तथापि देश में बढ़ती मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2008 के पहले सप्ताह के दौरान बड़े स्टील उत्पादकों और गौण स्टील उत्पादकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादकों ने देश में बढ़ रही मुद्रा स्फीति के संबंध में सरकार की चिंता को शेयर करते हुए आम आदमी द्वारा अपने आवास निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न लम्बे उत्पादों, जिसमें बार, रॉड व स्ट्रक्चरल शामिल हैं, की कीमतों में स्वेच्छा से 4000 रुपए से 5000 रुपए प्रति टन की कमी कर दी है।

[हिन्दी]

मुंबई रिफाइनरी का विस्तार तथा उत्पादन

4404. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में मुंबई रिफाइनरी तथा असम में नुमालीगढ़, नूनमाटी एवं बोंगाईगांव रिफाइनरी के विस्तार तथा उन्नयन के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) इंडियन आयल लिमिटेड (आईओसीएल), नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने क्रमशः अपनी गुवाहाटी (नूनमाटी), नुमालीगढ़, बोंगाईगांव तथा मुंबई रिफाइनरियों में ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजनाओं की शुरुआत की है।

ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के भाग के रूप में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की मुंबई रिफाइनरी की मौजूदा शोधन क्षमता को 5.5 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 7.9 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) की जाएगी।

(ख) उन्नयन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

कंपनी	परियोजनाएं	अनुमानित व्यय	प्रोदभूत व्यय (31.3.08 तक)
बीआरपीएल	डीजल हाइड्रोट्रीटमेंट (डीएचडीटी)	1431.91	348.67
बीपीसीएल, मुंबई	हरित ईंधन व उत्सर्जन नियंत्रण	1850.00	1337.10
बीपीसीए, मुंबई	डीजल/नाफ्था हाइड्रोडीसल्फराइजेशन इकाईयों का नवीकरण तथा नई एफसीसी गैसोलीन स्पलीटर की स्थापना	390.00	5.35
एनआरएल	डीजल गुणवत्ता उन्नयन	434.94	13.87
आईओसीएल, गुवाहाटी (नूनमाटी)	मोटर स्प्रिट गुणवत्ता (एमएसक्यू) उन्नयन	372.00	3.48

इस्पात का उत्पादन

4405. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस्पात के उपभोग के अनुपात में इसका उत्पादन निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सरकार इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन-फील्ड और ब्राउन फील्ड क्षमता विस्तार दोनों के माध्यम से इस्पात के उत्पादन को सुगम बनाने के लिए कदम उठा रही है। विद्यमान नीतिगत व्यवस्था के तहत देश में प्रत्याशित मांग के अनुरूप इस्पात का उत्पादन करने समेत इस्पात उद्योग का समग्र विकास करने के लिए सरकार की भूमिका सुविधाप्रदानकर्ता के रूप कार्य करना और उपयुक्त नीति तैयार करना है। विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादों के संबंध में उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण प्रत्येक उत्पादनकर्ता द्वारा अपनी-अपनी क्षमताओं और बाजार मांग के आधार पर किया जाता है। तथापि, इस लक्ष्य पर विचार करते हुए कि देश की इस्पात मांग इन वर्षों में 12-13 प्रतिशत की रेंज में बढ़ रही है। सरकार ने देश में अधिक इस्पात उत्पादन को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ पहलें निम्नवत हैं:-

(1) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अपनी अपरिष्कृत इस्पात क्षमता को वर्ष 2011-12 तक बढ़ा कर 24.84 मिलियन टन कर रही है जबकि इसकी वर्तमान क्षमता 12.84 मिलियन टन है।

(2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) भी अपनी उत्पादन क्षमता को वर्ष 2011-12 तक बढ़ाकर 6.8 मिलयिन टन कर रही है जबकि इसकी वर्तमान क्षमता 2.91 मिलियन टन है।

(3) देश में बड़े इस्पात निवेशों से संबंधित मामलों को मानीटर और समन्वित करने के लिए सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आईएमजी) का गठन किया है जिसमें इस्पात, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, पर्यावरण तथा वन एवं खान आदि मंत्रालय/विभागों के सचिव तथा संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव शामिल हैं।

(ग) और (घ) खपत के अनुरूप उत्पादन निर्धारित किए जाने के संबंध में सरकार को कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस्पात मंत्रालय देश में इस्पात क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों तथा यथा उत्पादन, मांग, वितरण, निवेश इत्यादि पर

विचार-विमर्श करने के लिए इस्पात उत्पादकों और उपभोक्ताओं के साथ नियमित बातचीत करता रहता है। शेयरहोल्डरों के साथ की गई बातचीत मंत्रालय में नीतिगत निर्देशों को तैयार करने में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और फीडबैक सामग्री के रूप में कार्य करती है।

अधिक वजन वाली एयर होस्टेस

4406. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों की अधिक वजन वाली एयर होस्टेसों से एयर होस्टेस की ड्यूटी नहीं करायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उन्हें एयर होस्टेस ड्यूटी से हटाये जाने से पूर्व ऐसी एयर होस्टेसों को कोई नोटिस दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी एयर होस्टेसों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें एयर होस्टेस ड्यूटी से हटा लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने उनके भावी कैरियर की संभावनाओं पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस की 22, पूर्ववर्ती एयर इंडिया की 16 तथा एलायंस एयर की 5 एयर होस्टेस हैं जिन्हें अधिक वजन होने की वजह से उन्हें ग्राउंड पर कार्य दिया जाता है। ऐसे केबिन कर्मीदल को आवधिक रूप से भार परीक्षण में पुन: उपस्थित होने को कहा जाता है और एक बार जब वे निर्धारित भार सीमा के अनुरूप पाई जाती है तो उन्हें उड़ान की ड्यूटी सौंप दी जाती है। जो केबिन कर्मी अतिभार बनाए रखती हैं उनका मूल्यांकन विधिवत रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसके आकलन व अनुशंसाओं के आधार पर, रोजगार की शर्तों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

स्मारकों के संरक्षण पर व्यय

4407. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार, विशेषकर तमिलनाडु में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए खर्च की जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में अन्य स्मारकों के संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए निधियों का वितरण राज्य-वार नहीं किया जाता है। इन्हें वार्षिक रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 24 मंडलों तथा दो शाखाओं (विज्ञान तथा उद्यान) को आबंटित किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान निधियों का आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मंडलों तथा शाखाओं द्वारा प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण, उद्यान कार्यों तथा दैनंदिन के रखरखाव के लिए वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए संरक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 के लिए स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए मण्डलों/शाखाओं (राज्य-वार) को आबंटित निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	मण्डल का नाम	राज्य का नाम	2008-09 के लिए निधियों का आवंटन
1	2	3	4
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	600.00

1	2	3	4
2.	गुवाहाटी	असम (उत्तर पूर्वी राज्य)	330.00
	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	
	गुवाहाटी	मणिपुर	
	गुवाहाटी	मेघालय	
	गुवाहाटी	नागालैण्ड	
	गुवाहाटी	त्रिपुरा	
	कोलकाता	सिक्किम	
3.	पटना	बिहार	435.00
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	280.00
5.	गोवा	गोवा	100.00
6.	वड़ोदरा	गुजरात	450.00
	वड़ोदरा	दमन और दीव	
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	435.00
	चंडीगढ़	हरियाणा	
	चंडीगढ़	पंजाब	
8.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	135.00
9.	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	350.00
10.	रांची	झारखण्ड	100.00
11.	बंगलौर	कर्नाटक	1400.00
12.	धारवाड़	कर्नाटक	
13.	त्रिशूर	केरल	270.00
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश	710.00
15.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र (अजन्ता और एलोरा की जेबीआईसी	1500.00
16.	मुम्बई	परियोजना) सहित (800.00 लाख रुपए)	
17.	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	700.00
18.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	325.00
19.	जयपुर	राजस्थान	335.00

1	2	3	4
20.	चेन्नई	तमिलनाडु	525.00
	चेन्नई	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	
21.	आगरा	उत्तर प्रदेश	1400.00
22.	लखनऊ		
23.	देहरादून	उत्तरांचल	180.00
24.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	310.00
25.	मुख्य उद्यानविद्, आगरा	अखिल भारतीय	1300.00
26.	निदेशक (विज्ञान) देहरादून	अखिल भारतीय	550.00
	महानिदेशक का कार्यालय	(आरक्षित)	225.00
		कुल	12945.00

मानवरहित रेल समपारों की संख्या

4408. श्री जोरा सिंह मान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब राज्य में मंडलवार कुल कितने रेलवे समपार मानवरहित हैं;

(ख) क्या रेलवे इन मानवरहित रेल समपारों पर दरवाजे लगा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर फिरोजपुर क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 1.4.2008 तक, बिना चौकीदार वाले निम्नानुसार 858 समपार हैं:-

1.	दिल्ली मंडल	-	37
2.	अंबाला मंडल	-	160
3.-	फिरोजपुर मंडल	-	632
4.	बीकानेर मंडल	-	29

(ख) चौकीदार तैनात करने और गेट की व्यवस्था करने के लिए ये समपार उपयुक्त हैं।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान फिरोजपुर मंडल में 31 समपारों पर गेटों के साथ-साथ चौकीदार तैनात किए गए हैं और 16 समपारों पर चौकीदार तैनात करने का प्रस्ताव है।

पर्यटक चार्टर्ड उड़ानों का परिचालन

4409. श्री अबु अयीश मंडल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इनक्लूसिव टूर पैकेज (आईपीआर) के अंतर्गत पर्यटक चार्टर्ड उड़ानों को परिचालन के लिए निबंधनों को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हाल ही में शामिल टूर पैकेज के अंतर्गत पर्यटक चार्टर्ड उड़ानों के प्रचालन के लिए पर्यटन चार्टर दिशानिर्देशों को उदारीकृत किया है जो निम्नानुसार हैं:-

(1) पर्यटकों के रहने की अधिकतम एवं न्यूनतम अवधि के संबंध में प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

(2) आउटबाउंड चार्टरों के प्रचालन के लिए इनबाउंड तथा आउटबाउंड पर्यटकों के बीच 2:1 के अनुपात की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

सियालदाह एक्सप्रेस

4410. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को 2313 अप और 2314 डाउन सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेनों को कोडरमा स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने के लिए लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की गई परंतु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक विकास

4411. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की दिल्ली, पटना और अन्य स्थानो पर वाणिज्यिक विकास के लिए 300 हेक्टेयर भूमि को अनलाक (नियंत्रण मुक्त) करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विकास निजी सरकारी भागीदारी से किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इसमें निवेश की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ चयनित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने राजस्व सृजन के लिए खाली रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए रेल अधिनियम, 1989 (2005 की संशोधन संख्या 47) में संशोधन द्वारा रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना की है अभी तक विभिन्न स्थानों पर 115 स्थानों जिसमें 1139 हेक्टेयर (लगभग) भूमि शामिल है, के वाणिज्यिक विकास के लिए प्राधिकरण को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, महानगरों और महत्वपूर्ण केन्द्रों में 26 स्टेशनों को उपर्युक्त स्टेशनों के चारों और भूमि और एयर स्पेस की रियल एस्टेट संभावना पर जोर देकर सार्वजनिक निजी साझेदारी के द्वारा विश्व श्रेणी स्टेशन के पुन: विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

(ग) वर्तमान सोच के अनुसार रेल भूमि को बिना बजटीय समर्थन के विकास कार्यों के लिए दीर्घावधि लीज आधार पर पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा वाणिज्यिक विकास के लिए डेवलपरों को सौंपा जाना है। चिन्हित 26 स्टेशनों को विश्व श्रेणी स्टेशनों में पुन: विकास के कार्य को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किए जाने की योजना है।

(घ) विश्व श्रेणी स्टेशनों के रूप में स्टेशनों के विकास के आपवादिक मामलों में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने को छोड़कर, रेलवे बजट से किसी निवेश पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) पीपीपी के द्वारा विश्व श्रेणी स्टेशनों के रूप में पुन: विकास के लिए चिन्हित 26 स्टेशन निम्नानुसार है:

नागपुर, पुणे, कर्नाटक बुंदेर (मुंबई), हावड़ा, लखनऊ, आनन्द विहार (दिल्ली), बिजवासन (दिल्ली), अमृतसर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, वाराणसी, चेन्नै, तिरूवनंतपुरम, सिकंदराबाद, तिरूपति, अहमदाबाद, पटना, भुवनेश्वर, मथुरा, बेंगलूरू, गया, जयपुर, आगरा, भोपाल (हबीबगंज), कनापुर, गुवाहाटी।

उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति हेतु दुकानों/गोदामों की स्थापना

4412. श्री एम. अप्पादुरई: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों को उर्वरकों की समुचित और पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए देश में विभिन्न राज्यों के सभी तालुकाओं में दुकानों/गोदामों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यूरिया एक मात्र ऐसा उर्वरक है जो केन्द्र सरकार के आंशिक संचलन वितरण नियंत्रण में है, जिसकी उपलब्धता राज्यों

की आकलित आवश्यकता के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है। राज्य के भीतर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के परामर्श से जिला-वार आवश्यकता/आपूर्ति योजना तैयार की जाती है। वर्तमान में उर्वरक विभाग द्वारा जिला स्तर तक उर्वरक की उपलब्धता की निगरानी उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के माध्यम से की जाती है। इसे ब्लाक/तालुका स्तर तक करने का प्रस्ताव है। तथापि उर्वरकों की बिक्री के लिए डीलरों की नियुक्ति संबंधित उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाती है न कि केन्द्र सरकार द्वारा।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां खोलना

4413. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) सरकार द्वारा रसोई गैस एजेंसियों को आबंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों/जिलों के लोगों की सुविधा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां पर रसोई गैस एजेंसियां नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों के मद्देनजर इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसी कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) दिनांक 1.4.2008 को, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश में 9365 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही थीं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) से (च) सरकार ने ओएमसीजी को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वे अपने वाणिज्यिक आकलन के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करें और स्थानों का निर्धारण उनके द्वारा स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप कायम रखने के लिए उपलब्ध रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। तथापि, सरकार ने ओएमसीज से कहा है कि वे अर्ध शहरी तथा ग्रामीण इलाकों को शामिल करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करें। ओएमसीज ने देश में नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थानों में 1340 स्थानों को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उचित स्थान का पता लगाना, गोदाम की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करना तथा सांविधिक स्वीकृतियां आदि शामिल होती हैं।

विवरण

दिनांक 1.4.2008 को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की राज्यवार संख्या

(आंकड़े संख्या में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	2
आंध्र प्रदेश	877
अंडमान और निकोबार	4
अरुणाचल प्रदेश	30
असम	251
बिहार	309
चंडीगढ़	28
छत्तीसगढ़	153
दादरा और नगर हवेली	1
दमन और दीव	2
दिल्ली	316
गोवा	53
गुजरात	542
हरियाणा	277
हिमाचल प्रदेश	119
जम्मू-कश्मीर	152
झारखण्ड	142
कर्नाटक	488

1	2
केरल	374
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	568
महाराष्ट्र	996
मणिपुर	31
मेघालय	32
मिजोरम	25
नागालैण्ड	27
उड़ीसा	185
पुडुचेरी	18
पंजाब	420
राजस्थान	429
सिक्किम	8
तमिलनाडु	660
त्रिपुरा	29
उत्तर प्रदेश	1177
उत्तराखंड	168
पश्चिम बंगाल	473
अखिल भारतीय	9365

फेरीवालों को लाइसेंस देना

4414. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल अधिनियम, 1889 की धारा 144 अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत रेल यात्री बोगियों में और प्लेटफार्मों पर फेरीवालों को लाइसेंस जारी करने का कोई उपबंध है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न रेलवे जोनों में अभी तक फेरीवालों को कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

द्वारका (गुजरात) से एक्सप्रेस ट्रेन

4415. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार द्वारका (गुजरात) से अमृतसर, द्वारका से आगरा और द्वारका से अजमेर से एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। द्वारका से अमृतसर/आगरा/अजमेर तक गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

नए रेल टर्मिनल

4416. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास प्रत्येक राज्य में नए रेल टर्मिनलों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे टर्मिनलों की संख्या कितनी है और उनके क्या नाम हैं जिनका निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है; और

(घ) शेष टर्मिनलों के निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) नए कोचिंग और माल यातायात टर्मिनलों से संबंधित राज्य-वार सूचना निम्नानुसार है:-

महाराष्ट्र	पनवेल में एक नया कोचिंग कम्पलेक्स तैयार करने की योजना है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

रामतेकदी, तलोजा, जेजुरी और दौंड में नए माल यातायात टर्मिनलों की मंजूरी दे दी गई है। ये कार्य अभी प्रगति पर हैं।

बिहार — बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में एक नए कोचिंग टर्मिनल स्थापित करने की स्वीकृति रेलवे बजट 2008-09 में दे दी गई है।

मध्य प्रदेश — रीवा में एक नया गुड्स शेड की मंजूरी दे दी गई है और निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

नई दिल्ली — आनंद विहार चरण-II, बिजवासन, शकूरबस्ती और होलाम्बी कलां में नए कोचिंग टर्मिनलों के विकास करने की मंजूरी रेलवे बजट 2008-09 में मिल चुकी है।

कर्नाटक — बंगलौर के बैयाप्पनाहली में एक विश्व स्तरीय यात्री टर्मिनल के विकास करने की योजना है।

आसान लक्ष्य के रूप में ट्रेन

4417. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उग्रवादियों, नक्सलवादियों और अन्य विघटनकारी ताकतों के लिए रेलवे एक आसान लक्ष्य बन गया है जिससे जानमाल की क्षति होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में बम विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई हैं और इनमें कितने लोग मारे गए हैं;

(ग) रेलवे द्वारा सुरक्षा इंतजामों को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रेलवे सुरक्षा विशेष बल/रेलवे सुरक्षा बल में विभिन्न रैंकों में कितने पद रिक्त हैं और इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 2005, 2006 और 2007 के दौरान गाड़ियों में हुए बम विस्फोटों की घटनाओं की संख्या और इन विस्फोटों में मारे गए लोगों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रतिवेदित बम विस्फोटों की संख्या	मारे गए लोगों की संख्या
2005	01	09
2006	04	195
2007	08	73

(ग) सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) 96 स्टेशनों और 96 गाड़ियों की आदर्श स्टेशनों/गाड़ियों के रूप में पहचान की गई है और इन गाड़ियों तथा स्टेशनों पर अपराध की स्थिति पर बोर्ड स्तर पर सुरक्षा निदेशालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(2) उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों की अध्यक्षता वाले चार उड़न दस्ते बनाए गए हैं जो विभिन्न गाड़ियों/स्टेशनों की औचक जांच करते हैं और रिपोर्ट को सीधे महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल को देते हैं।

(3) अपराधियों विशेषकर नशीले पदार्थ देने वालों (जहर खुरानी) और आतंकवादियों की कार्य-प्रणाली के बारे में यात्रियों को सुग्राही (जागरूक) बनाने के लिए पंपलेटों, स्किटों और जन-उद्घोषणाओं के माध्यम से सघन अभियान चलाए गए हैं।

(4) महत्वपूर्ण प्रारंभिक स्टेशनों पर सामान्य डिब्बों में बैठे हुए यात्रियों की रेल सुरक्षा बल द्वारा विडियोग्राफी की जा रही है।

(5) सुरक्षा बल कर्मियों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे क्लोज सर्किट टेलीविजन एवं कैमरे, बम खोजी/डिस्पोजल उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, वाकी-टाकी, हाथ में पकड़ने वाले मैटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर इत्यादि मुहैया कराए जा रहे हैं।

(6) श्वान दस्ते को सुदृढ़ बनाया गया है। रेल सुरक्षा बल के पास 182 स्नीफर और 54 ट्रेकर कुत्ते हैं।

(7) 1450 महत्वपूर्ण गाड़ियों का रेल सुरक्षा बल द्वारा मार्ग रक्षण किया जा रहा है।

(8) 'रेल सुरक्षा बल मित्र योजना', एक सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था को आरंभ किया गया है जिसका मकसद रेल सुरक्षा बल और यात्रियों के बीच संपर्क और सूचना नेटवर्क को मजबूत बनाना है।

(9) केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों के साथ निकट संपर्क पर अधिक बल देकर आसूचना नेटवर्क का विस्तार किया गया है।

(10) भारतीय रेल के 100 स्टेशनों पर 'एकीकृत सुरक्षा प्रणाली' का विकास करने के लिए पूर्णतया खरीद आधार पर अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बूट (बनाओ, अपनाओ, चलाओ और सौंपो) के आधार पर 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की गई है।

(घ) उत्तर रेलवे को छोड़कर सभी रेलों पर रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल की 5937 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल में उप निरीक्षकों की 993 रिक्तियों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया समाप्ति के अंतिम चरण में है। रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के आनुषंगिक संवर्ग में 599 रिक्तियों को भरने के संबंध में अधिसूचना मार्च, 2008 में जारी कर दी गई है।

घरेलू उड़ानों में मदिरा की बिक्री और खपत

4418. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घरेलू उड़ानों में मदिरा की बिक्री तथा खपत निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों/इंडियन एयरलाइंस फेडरेशन से घरेलू विमान सेवाओं में मदिरा और बीयर परोसने के लिए घरेलू विमान कंपनियों को अनुमति देने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय एयरलाइन फेडरेशन (एफआईए) तथा अन्य संगठनों द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि, सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

ऊर्जा सुरक्षा

4419. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल और गैस प्राप्त करने हेतु ओपेक देशों से ध्यान हटाकर अफ्रीकी राष्ट्रों पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ कोई बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) देश अपने कच्चे तेल मांग का एक बड़ा भाग ओपेक देशों से आयात करता है। हालांकि, सरकार कच्चे तेल आयातों के अपने स्रोतों को विविधीकृत करने का प्रयास कर रही है और इस संबंध में कच्चे तेल आयातों के स्रोतों के रूप में अफ्रीकी देशों पर भी नजर रखी जा रही है। इस संदर्भ में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक 6-7 नवंबर, 2007 को प्रथम भारतीय-अफ्रीकी हाइड्रोकार्बन सम्मेलन व प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। दो दिवसीय सम्मेलन में कुल 26 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया तथा हाइड्रोकार्बनों के क्षेत्र में भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच अधिक सहयोग की परिकल्पना हेतु एक रूपरेखा तैयार की गई थी। सहयोग के लिए रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें निम्नलिखित परिकल्पना शामिल है:-

(1) बृहत स्तर पर हाइड्रोकार्बन सहयोग करार ताकि अन्वेषण, उत्पादन और परिशोधन क्षेत्र में सहयोग के बड़े क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

(2) भारत द्वारा पेट्रो-उत्पादों के निर्यातों तथा कच्चा तेल आयातों के लिये कदम उठाना।

(3) आर एंड डी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण तथा सहयोग।

(4) अफ्रीका में भारतीय कंपनियों द्वारा ईंधनों तथा स्नेहकों का खुदरा विपणन, तथा

(5) हाइड्रोकार्बन उद्योग प्रबंधन में अफ्रीकी राष्ट्रों के तकनीकी और प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(ङ) सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत विभिन्न दौरों के अंतर्गत प्रस्ताव हेतु अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों का निर्धारण करना।

(2) उत्पादन की शुरूआत कर सकने के लिए खोजे गए भंडारों का तीव्रतर विकास करना।

(3) वर्तमान क्षेत्रों से उत्पादन की वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का उपयोग करना।

(4) वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति घटक में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग करना।

(5) पुराने क्षेत्रों से ह्रास को नियंत्रित करना।

(6) इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और तेल उत्पादक संपत्तियों का अर्जन।

(7) बायो डीजल, एथेनोल, मिश्रित पेट्रोल आदि जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल के जरिए, परिवहन क्षेत्र में तेल को प्रतिस्थापित करना।

(8) कच्चे तेल के प्रापण के लिए स्रोतों का विविधीकरण/ तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अब या तो मियादी संविदा या वायदा खरीदा द्वारा लगभग 25 देशों से कच्चे तेल का आयात कर रही हैं।

(9) तीन स्थलों अर्थात् विशाखापट्टनम, बंगलौर और पाडूर में 5 एमएमटी क्षमता वाले कच्चे तेल के कार्यनीतिक भंडारों का निर्माण करना, ताकि अल्पावधि व्यवधानों आदि से पैदा होने वाली अप्रत्याशित से निपटा जा सके।

रसायन उर्वरकों की कमी

4420. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आगामी खरीफ मौसम के दौरान कर्नाटक और केरल रसायन उर्वरकों की भारी कमी की ओर बढ़ रहे हैं जबकि केन्द्र सरकार को अभी उर्वरक मूल्यों को अन्तिम रूप देना है तथा इसके परिणामस्वरूप कारखानों में कम उत्पादन हो रहा है जैसा कि दिनांक 25 फरवरी, 2008 के ''दि हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उर्वरकों और इनके मूल्यों संबंधी राजसहायता निर्धारित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार का विचार दक्षिणी राज्यों में उर्वरकों की कमी से बचने के लिए क्या कदम उठाने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) जी नहीं। राजसहायता/रियायत योजना के अंतर्गत सभी उर्वरकों का मूल्य 2002 से अपरिवर्तित रहा है। वर्तमान में उर्वरकों के मूल्य को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजसहायता की मात्रा की गणना उर्वरकों के सुपुर्दगी मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच के अंतर और बेची गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर की जाती है।

यूरिया एक मात्र ऐसा उर्वरक है जो सरकार के आंशिक संचलन और वितरण नियंत्रण के अंतर्गत है। अन्य सभी उर्वरक अर्थात् डीएपी, एमओपी, एसएसपी और एनपीके आदि 1992 से नियंत्रणमुक्त/अ-सरणीबद्ध हैं। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। संघ सरकार राज्य स्तर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। राज्य सरकारें राज्य के भीतर इसके वितरण के लिए जिम्मेवार है।

ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

4421. श्री विजय कृष्णः क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना का स्थान-वार ब्यौरा दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स पैनासिया द्वारा ओसिमिक्स के संमिश्रण में परिवर्तन

4422. चौ. मुनव्वर हसन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स पैनासिया ने मूल्य नियंत्रण से बचने के लिए अपने उत्पाद ओसिमिक्स के संमिश्रण में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो पुराने तथा नए दोनों प्रकार के ओसिमिक्स के संमिश्रण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जांच के लिए यह मामला सी.बी.आई. को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) मैसर्स पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड को ओसिमिक्स टैबलेट्स की बिक्री में अधिक मूल्य वसूलने के संबंध में 4.2.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रत्येक फिल्म कोटेड टैबलेट्स में सिप्रोफ्लोक्साक्सिन, 500 एमजी, ओमिडाजोल 500 एमजी बैच नम्बर-2974014 होता है। कंपनी ने अतिप्रभारित राशि ब्याज सहित जमा कर दी। तदुपरांत, कंपनी ने ब्रांड नाम को बनाए रखा है और दवा की संरचना को बदल दिया है। यह प्रतीत होता है कि इस फार्मूलेशन की संरचना को बदलकर कंपनी ने औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 17 का उल्लंघन किया है। चूंकि औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 17 का उल्लंघन किया है। चूंकि औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम राज्य औषध नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र में आता है, अत: कंपनी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए हिमाचल प्रदेश औषध नियंत्रक को 8.8.2007 को एक पत्र जारी किया था।

जी.आर.पी. और आर.पी.एफ. द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रोकने के उद्देश्य से स्टिंग आपरेशन

4423. श्री नवीन जिन्दल:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) तथा रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रोकने के उद्देश्य से स्टिंग आपरेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, जैसा कि 18 फरवरी, 2008 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। रेल सुरक्षा बल द्वारा अवैध वसूली रोकने के लिए कोई स्टिंग आपरेशन चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब कभी इस प्रकार की किसी घटना की सूचना मिलती है, दोषी रेल सुरक्षा बल कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र

4424. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान भारत सरकार को नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के 25 प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दो नए केंद्रों की स्वीकृति सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर, क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्यों वाली जांच समिति ने विचार किया। समिति ने मध्य प्रदेश के लिए 2005-06 के दो प्रस्तावों को अनुमोदित किया और तदनुसार अनुदान निर्गत किए गए।

(ग) और (घ) सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

[अनुवाद]

दवाओं पर प्रभारित कर

4425. श्री रनेन बर्मन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दवाओं पर 60 प्रतिशत तक कर प्रभार लगाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान देश में इन पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन से कर प्रभावित किये जा रहे हैं तथा उनका दर प्रतिशत कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) 29 फरवरी, 2008 तक औषधों और दवाओं पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता था तथा मूल शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर वसूला जाता था।

वर्तमान में औषधों और दवाओं समेत सभी औषधियों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है। मूल शुल्क के 3 प्रतिशत के बराबर की राशि शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा संबंधी उपकर भी वसूला जाता है। तथापि, कैंसर-रोधी और एड्स-रोधी तथा उनके विनिर्माण के लिए बल्क औषधों सहित विनिर्दिष्ट जीवनरक्षक दवाओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। लगभग सभी राज्यों द्वारा 4 प्रतिशत वैट वसूला जाता है जबकि असम और मेघालय में दवाओं पर 6 प्रतिशत वैट वसूला जाता है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कुछ जीवनरक्षक औषधों पर वैट से छूट है।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में टीवी लगाया जाना

4426. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में टीवी लगाने का रेलवे का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या टीवी कार्यक्रम में रेलगाड़ियों की चालन स्थिति का भी प्रसारण किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रेलगाड़ियों में कब तक टीवी लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सप्ताह में एक बार, दो बार तथा तीन बार चलने वाली रेलगाड़ियों में रसोई-यान

4427. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सप्ताह में एक बार, दो बार तथा तीन बार चलने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में रसोई-यान की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उन यात्री रेलगाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त सुविधा उपलब्ध है तथा जिनमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) कोटा जंक्शन से गुजरने वाली सप्ताह में एक बार, दो बार तथा तीन बार चलने वाली लंबी दूरी की उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें रसोई-यान सुविधा उपलब्ध है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय रेल में रसोई-यानों के बिना लगभग 539 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं। प्रतिदिन, सप्ताह में दो दिन और सप्ताह में तीन दिन चलने वाली गाड़ियों (जोड़ी में) की संख्या, जिनमें पैंट्री कार की सुविधा उपलब्ध हैं, निम्नानुसार है:-

रेलवे	प्रतिदिन	सप्ताह में दो दिन	सप्ताह में तीन दिन
1	2	3	4
मध्य	11	2	4
पूर्व	5	1	3

1	2	3	4
उत्तर	8	7	–
पूर्वोत्तर	1	–	1
पूर्वोत्तर सीमा	1	2	1
दक्षिण	12	7	–
दक्षिण पूर्व	7	1	2
दक्षिण मध्य	4	1	2
पश्चिम	8	2	2
पूर्व मध्य	7	–	–
उत्तर पश्चिम	1	2	1
दक्षिण पूर्व मध्य	1	1	–
पूर्व तट	5	3	5
उत्तर मध्य	–	–	–
दक्षिण पश्चिम	2	3	–
पश्चिम मध्य	–	–	1

(ग) कोटा मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों की सूची, जिनमें पैंट्री कार की सुविधा है, निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम	स्टेशन जोड़ी	फेरे
1.	2451/2452	राजधानी एक्सप्रेस	हजरत निजामुद्दीन-तिरूवनंतपुरम	सप्ताह में दो दिन
2.	2471/2472	स्वराज एक्सप्रेस	जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस	सप्ताह में 4 दिन
3.	2473/2474	सर्वोदय एक्सप्रेस	जम्मूतवी-अहमदाबाद	साप्ताहिक
4.	2475/2476	एक्सप्रेस	जम्मूतवी-हापा	साप्ताहिक
5.	2477/2478	एक्सप्रेस	जम्मूतवी-जामनगर	साप्ताहिक
6.*	2059-2060	जन शताब्दी	हजरत निजामुद्दीन-कोटा	सप्ताह में छह दिन
7.	2907/2908	महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस	बांद्रा टर्मिनस-निजामुद्दीन	सप्ताह में दो दिन
8.	2917/2918	गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस	अहमदाबाद-हजरत निजामुद्दीन	सप्ताह में तीन दिन
9.	9037/9038	अवध एक्सप्रेस	बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर	सप्ताह में चार दिन
10.	9039/9040	अवध एक्सप्रेस	बांद्रा टर्मिनस-मुजफ्फरपुर	सप्ताह में तीन दिन
11.	2903/2904	गोल्डन टैम्पल मेल	मुंबई सेंट्रल-अमृतसर	प्रतिदिन
12.	2925/2926	पश्चिम एक्सप्रेस	बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर	प्रतिदिन
13.	2951/2952	राजधानी एक्सप्रेस	मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली	प्रतिदिन
14.	2953/2954	ए.के. राजधानी	मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन	प्रतिदिन
15.	2955/2956	एक्सप्रेस	जयपुर-मुंबई सेंट्रल	प्रतिदिन

*जनशताब्दी में पैंट्री कार नहीं होती इसमें ग्रू मिनि-पैंट्री उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाटों पर रेल सेवा

4428. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पश्चिमी घाटों से जुड़ी रेल सेवा फिर आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे अगले तीन वर्षों तक कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेल सेवा को कब से पुन: आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। पश्चिम घाटों में स्थित पुनालुर और कोल्लम के बीच गाड़ी मीटर लाइन सेवाएं आमान परिवर्तन के लिए बंद कर दी गई हैं। पुनालुर और सेनगोटै के बीच मीटर लाइन उपलब्ध है और 4 जोड़ी मीटरलाइन सेवाएं चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सोनगोटै-कोल्लम से बड़ी लाइन के परिवर्तन और आरंभ होने के बाद गाड़ी सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।

गुजरात में एल.पी.जी. एजेंसियों की स्थापना

4429. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के बनासकांठा तथा पाटन जिलों के वे स्थान कौन-कौन से हैं, जहां तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एजेंसियों की स्थापना की गई है तथा इनकी स्थापना कब की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन एजेंसियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के कितने अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों में कितने लोगों ने नए कनेक्शनों हेतु पंजीकरण कराया; और

(घ) इन जिलों में जारी किए गए अतिरिक्त कनेक्शनों तथा प्रतीक्षा-सूची में लोगों की संख्या का एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा तथा पाटन जिलों में एलपीजी आवश्यकता की पूर्ति 12 एवं 8 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा की जा रही है। स्थानों के नाम एवं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना की तारीख संबंधित ओएमसीज के निदेशकों (विपणन) के पास उपलब्ध है।

(ख) से (घ) नए एलपीजी उपभोक्ताओं का नामांकन एवं नए एलपीजी कनैक्शन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नए एलपीजी कनैक्शन तुरन्त मांग पर उपलब्ध है। ओएमसीज ने आगे सूचित किया है कि उन्होंने क्रमश: वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान गुजरात के बनासकांठा जिले में 8041, 7035 और 9369 नए एलपीजी कनैक्शन और पाटन जिले में 3239, 3180 और 4713 नए एलपीजी कनैक्शन जारी किए हैं।

वर्तमान में, गुजरात में बनासकांठा एवं पाटन जिलों में प्रचालित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा नया एलपीजी कनैक्शन जारी करने के लिए ओएमसीज के पास कोई प्रतीक्षा सूची लंबित नहीं है।

सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन

4430. श्री नरहरि महतो: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) विनिर्माण इकाइयां हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में एस.एस.पी. के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान एस.एस.पी. का उत्पादन करने वाली उर्वरक इकाइयों को सरकार द्वारा की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) रियायत योजना के अंतर्गत उर्वरक विभाग में पंजीकृत एसएसपी उत्पादन इकाइयां और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में हुए उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उर्वरक विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान एसएसपी का उत्पादन करने वाली उर्वरक इकाइयों को वर्ष-वार दी गई राजसहायता इस प्रकार थी:-

वर्ष	राजसहायता की कुल राशि (करोड़ रुपए में)
2005-06	189.78
2006-07	259.09
2007-08	259.46

विवरण

2005-06 से 2007-08 के दौरान सिंगल सुपरफास्फेट (एसएसपी) का राज्यवार/इकाईवार उत्पादन

('000' मी. टन)

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान/जिला	राज्य	संस्थापित क्षमता*	उत्पादन 2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5	6	7	8
	निजी क्षेत्र						
	पूर्वी क्षेत्र						
1.	श्री कृष्णा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मुजफ्फरपुर	बिहार	33.000	0.000	0.000	0.000
	कुल (बिहार)			33.000	0.000	0.000	0.000
2.	दी जय श्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (इकाई-1)	खारदा, 24 परगनास (एन)	पश्चिम बंगाल	93.721	29.679	37.395	23.003
3.	दी जय श्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (इकाई-2)	खारदा, 24 परगनास (एन)	पश्चिम बंगाल	66.000	52.078	47.759	32.389
4.	दी फास्फेट कंपनी लिमिटेड	हुगली	पश्चिम बंगाल	120.000	107.702	94.334	57.655
5.	टाटा केमिकल्स लि. (हिन्द लिवर केमिकल्स लि.)	हल्दिया, मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	160.000	140.200	159.690	90.645
6.	साई फर्टिलाइजर्स	मिदनापुर पश्चिम	पश्चिम बंगाल	132.000	0.000	0.000	0.000
7.	टिस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	165.000	89.690	86.691	89.370
	कुल (पश्चिम बंगाल)			736.721	419.349	425.869	293.062
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)			769.721	419.349	425.869	293.062
	उत्तरी क्षेत्र						
8.	एशियन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	66.00	57.933	36.687	24.354
9.	खेतान केमि. एण्ड फर्ट. (पूर्व में महादेव फर्ट. लि.)	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	115.00	0.000	36.103	4.630
10.	नटराज आर्गेनिक्स लिमिटेड	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	60.000	0.000	0.000	0.000
11.	वी.के. फास्फेट लि.	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	60.000	10.178	8.422	10.079
12.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (पूर्व में श्रीनिवास)	झांसी	उत्तर प्रदेश	132.000	57.639	60.638	27.65
13.	जुबिलिएंट आरगेनोसिस लि. (पूर्व में वैम आरगेनिक)	गजरौला	उत्तर प्रदेश	132.000	129.291	134.451	109.328
14.	काशी उर्वरक लिमिटेड	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	33.000	0.000	0.000	0.000
	कुल (उत्तर प्रदेश)			598.000	255.041	276.301	176.041
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)			598.000	255.041	276.301	176.041

1	2	3	4	5	6	7	8
		दक्षिणी क्षेत्र					
15.	दि. आन्ध्र शुगर्स लिमिटेड	तनुकू	आंध्र प्रदेश	66.000	44.436	44.498	26.615
16.	कैमटैक फर्टिलाइजर्स लि.	मेढक	आंध्र प्रदेश	90.000	19.499	20.562	12.267
17.	कृष्णा इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	निदादवोले	आंध्र प्रदेश	66.000	38.802	38.697	23.255
18.	सुभोदय केमिकल्स लिमिटेड	गौरीपत्तनम	आंध्र प्रदेश	50.000	25.112	22.416	13.518
19.	प्रगति फर्टिलाइजर लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	36.000	12.020	10.278	0.940
20.	एग्री ग्रीन फर्ट. एण्ड केमिकल्स	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	60.000	-	20.906	8.408
21.	प्रियंका फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	36.000	8.190	1.410	0.000
22.	प्रत्युश फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	100.000	0.000	11.119	3.981
	कुल (आंध्र प्रदेश)			504.000	148.059	169.886	88.984
23.	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	कोप्पल	कर्नाटक	60.000	41.334	33.279	12.964
	कुल (कर्नाटक)			60.000	41.334	33.279	12.964
24.	कोयम्बतूर पायोनियर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	48.000	52.398	42.635	37.57
25.	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि. [ईआईडी पैरी (आई) लिमिटेड]	चेन्नई	तमिलनाडु	132.000	110.363	115.606	67.43
	कुल (तमिलनाडु)			180.000	162.761	158.241	105.000
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)			744.000	352.154	361.406	206.948
		पश्चिमी क्षेत्र					
26.	लिबर्टी फास्फेट लिमिटेड (पूर्व में : हिन्दू रसायन)	नंदेसरी, वडोदरा	गुजरात	100.500	69.825	61.739	32.419
27.	निरमा लिमिटेड (पूर्व में किसन इण्डस्ट्रीज लि.)	अहमदाबाद	गुजरात	100.000	78.150	64.640	59.561
28.	सोना फास्फेट लिमिटेड	सारीगम, वलसाद	गुजरात	15.000	1.096	2.263	0.000
29.	आरती फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	वलसद	गुजरात	132.000	63.600	53.266	58.134
30.	टी.जे. एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	नवसारी	गुजरात	22.000	24.077	22.201	18.66
31.	नर्मदा एग्रो केमिकल्स प्रा.लि.	मनागरोल, जूनागढ़	गुजरात	33.000	3.579	3.002	1.614
	कुल (गुजरात)			402.500	240.327	207.111	170.388
32.	लिबर्टी उर्वरक लि.	निर्मानी	मध्य प्रदेश	100.000	62.833	74.496	51.992
33.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	निमरानी, खरगांव	मध्य प्रदेश	400.000	165.314	147.658	80.201
34.	रामा फास्फेट्स लिमिटेड	इंदौर	मध्य प्रदेश	165.000	100.211	106.521	35.692
35.	स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इंदौर	मध्य प्रदेश	66.000	18.467	29.61	27.311

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	एग्रो फॉस (इंडिया) लि.	देवास	मध्य प्रदेश	45.000	0.000	0.000	10.255
37.	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड	नयागांव	मध्य प्रदेश	45.000	34.332	32.476	27.137
38.	मध्य प्रदेश आरगोकैम लिमिटेड	नयागांव, निम्मच	मध्य प्रदेश	75.000	0.000	0.000	0.000
39.	मध्य भारत फास्फेट्स लि.	दीवानगंज, रायसेन	मध्य प्रदेश	45.000	14.183	24.102	19.964
40.	मैक्सिकन एग्रो केम. लि. (आशा फॉस. (इंडिया) लि.	जग्गाखेड़ी	मध्य प्रदेश	60.000	11.766	10.684	0
41.	मुक्तेश्वर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	उज्जैन	मध्य प्रदेश	45.000	0.000	2.213	0.000
42.	रेवती मिनरल्स एण्ड केमि. लि.	हीरापुर, सागर	मध्य प्रदेश	14.000	-	-	-
43.	अरिहन्त फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड	कनावती, निम्मच	मध्य प्रदेश	66.000	-	6.020	4.344
	कुल (मध्य प्रदेश)			1126.000	407.106	433.780	256.896
44.	जयराम फास्फेट लिमिटेड	फरहाद, राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	66.00	27.107	19.600	16.049
45.	बोईसी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	135.00	70.406	88.622	46.804
	कुल (छत्तीसगढ़)			201.000	97.513	108.222	62.853
46.	बोईसी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	फुलगांव	महाराष्ट्र	66.000	66.515	45.317	32.550
47.	भारत फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	थाने	महाराष्ट्र	132.000	3.137	3.069	1.612
48.	दि धर्मसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी	अम्बरनाथ, थाने	महाराष्ट्र	300.000	107.188	97.222	26.491
49.	राजलक्ष्मी एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड	जल्ना	महाराष्ट्र	60.000	0.000	0.000	0.000
50.	रामा कृषि रसायन	लोनी कलभोर	महाराष्ट्र	132.000	75.562	105.650	72.649
51.	शिवा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नानदेड	महाराष्ट्र	90.000	52.812	52.42	36.296
52.	बसंत एग्रो टैक (इंडिया) लिमिटेड	अकोला	महाराष्ट्र	120.000	77.322	72.836	54.961
53.	श्री भवानी मिश्रा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नानदेड	महाराष्ट्र	30.000	0.000	9.414	0.000
54.	बालाजी फर्टिलाइजर्स प्रा.लि.	नानदेड	महाराष्ट्र	60.000	11.056	11.899	8.271
55.	लिबर्टी फास्फेट लिमिटेड	पाली, रायगढ़	महाराष्ट्र	66.000	12.976	41.584	19.117
56.	जयराम फास्फेट लि.	नागपुर	महाराष्ट्र	66.000	32.046	15.3	0.000
57.	आर.सी. फर्टिलाइजर्स	लखमपुर	महाराष्ट्र	132.000	0.000	0.000	42.701
58.	श्री दत्ता फर्ट. एण्ड कैम.	अमरावती	महाराष्ट्र	60.000	-	-	0.000
59.	श्री गजराज फर्टिलाइजर्स प्रा.लि.	नानदेड	महाराष्ट्र	72.000	-	10.519	1.847
	कुल (महाराष्ट्र)			1386.000	435.614	465.230	296.495
60.	मंगलम फास्फेट लि.	हमीरगढ़	राजस्थान	66.000	12.736	6.135	8.278

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	लिबर्टी फास्फेट एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	उदयपुर	राजस्थान	165.000	127.894	132.548	90.558
62.	रामा फास्फेट लिमिटेड	उदयपुर	राजस्थान	181.000	68.893	82.44	83.747
63.	सुरवी कलर कैमिकल्स लिमिटेड	उदयपुर	राजस्थान	18.000	0.000	1.318	0.000
64.	श्री गणपति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	198.000	0.000	27.544	3.495
65.	टेडको ग्रेनाइट लिमिटेड	भीलवाड़ा	राजस्थान	132.000	42.957	46.461	45.677
66.	अरावली फास्फेट लिमिटेड	उदयपुर	राजस्थान	66.000	36.816	33.673	21.543
67.	अरिहन्त फास्फेट एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	66.000	0.000	38.016	18.881
68.	बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उदयपुर	राजस्थान	200.000	0.000	60.524	49.884
69.	गायत्री स्पिनर्स लिमिटेड	भीलवाड़ा	राजस्थान	33.000	11.265	14.495	7.567
70.	दि धर्मसी मोरारजी केमिकल्स कं. लि.	खेमली, उदयपुर	राजस्थान	66.000	38.300	21.389	20.500
71.	साधना फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	उदयपुर	राजस्थान	132.000	53.800	45.331	44.860
72.	लिबर्टी फास्फेट लिमिटेड	जगपुरा, कोटा	राजस्थान	132.000	23.560	44.416	42.099
73.	खेतान कैम. एण्ड फर्टिलाइजर्स	नीमखेड़ा	राजस्थान	200.000	73.051	82.743	69.898
74.	इंडियन फास्फेट लिमिटेड	उदयपुर	राजस्थान	66.000	0.000	36.731	26.513
	कुल (राजस्थान)			1721.000	489.272	673.764	533.900
	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)			4836.500	1669.832	1888.107	1320.532
	कुल (निजी क्षेत्र)			6948.221	2696.376	2951.683	1996.583
	सकल योग (अखिल भारत)			6948.221	2696.376	2951.683	1996.583

*2007-08 के लिए दिए गए आंकड़े एफएआई द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है।

आयातित उर्वरकों का परिवहन

4431. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल कितने मूल्य के तथा कितने टन उर्वरकों का आयात किया गया;

(ख) क्या उक्त उर्वरक पत्तनों पर पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आयातित उर्वरकों के समय पर परिवहन हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य और आंशिक संचलन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यूरिया का आयात प्रतिबंधित है और इसे राज्य व्यापार उद्यमों अर्थात् एमएमटीसी, एसटीसी और इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से करने की अनुमति है। उर्वरक के रूप में सीधे अनुप्रयोग हेतु यूरिया का आयात सरकार द्वारा किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष (1.4.08 से 20.4.08 तक) के दौरान भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर सरकार द्वारा आयातित यूरिया की 1.95 लाख मी. टन मात्रा पहुंची। पहुंची हुई इस मात्रा में से 0.78 लाख मी. टन को जहाजों से उतार लिया गया था और 0.14 लाख मी. टन मात्रा को बंदरगाहों से विभिन्न राज्यों में भेज दिया गया था।

(घ) वर्तमान में आयातित उर्वरकों के परिवहन हेतु पर्याप्त रेल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है। उर्वरक विभाग रेलवे के सहयोग से सभी प्रमुख बंदरगाहों से भेजे जा रहे उर्वरकों की लगातार निगरानी करता है ताकि उर्वरकों को समय पर भेजना सुनिश्चित हो सके।

कंपनियों के साथ किये गए समझौते

4432. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्कृति कोष के अंतर्गत स्मारकों के रख-रखाव तथा जीर्णोद्धार हेतु कंपनियों के साथ कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) इन कंपनियों से अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्र की जा चुकी है;

(ग) क्या एकत्र की गई धनराशि स्मारकों के संतोषपूर्ण रख-रखाव के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का धनराशि की अपर्याप्तता को किस प्रकार दूर करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) अब तक विभिन्न निगमित निकायों के साथ ग्यारह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विभिन्न निगमित निकायों द्वारा 31.47 करोड़ रुपए देने का वचन दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सरकारी निधियों से स्मारकों का रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत निगम के अंशदान सरकारी वित्तपोषण के पूरक हैं।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिरक्षा में स्मारक संबंधी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-राष्ट्रीय संस्कृति निधि परियोजनाएं

क्र.सं.	स्मारक का नाम	प्रायोजक कंपनी का नाम	एजेंसी द्वारा प्रतिबद्ध निधियां (रुपए)
1.	लोधी गार्डन स्थित स्मारक	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	1.00 करोड़
2.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली	आगा खां ट्रस्ट फार कल्चर तथा ओबराय ग्रुप आफ होटल्स	2.25 करोड़
3.	जन्तर-मन्तर	एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स लिमिटेड	10 लाख
4.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	इंडियन आयल फाउंडेशन	25 करोड़
5.	कन्हेरी गुफाएं, मुंबई		
6.	मंदिर समूह, खजुराहो		
7.	वारंगल किला, वारंगल		
8.	ताजमहल, आगरा	इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटा ग्रुप)	1.87 करोड़
9.	लौरिया नन्दनगढ़ तथा चांकीगढ़ और रामपुरवा	बोकारो स्टील प्लांट (सेल)	50 लाख
10.	गोल गुम्बज	राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	50 लाख
11.	वजीरपुर का गुम्बद	पी ई सी लिमिटेड	25 लाख

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4433. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। उपर्युक्त स्कीम के तहत यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

गत तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान और आज की तारीख तक आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अनुदान हेतु 97 आवेदनों को 2453.44 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

बंगलौर-मारीशस के बीच विमान सेवा

4434. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर मारीशस ने सप्ताह में एक बार बंगलौर से मारीशस के बीच सीधी उड़ान चलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत और मारीशस के बीच पर्यटन को सुधारने में कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) बंगलौर तथा मारीशस विमानपत्तनों पर कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(घ) क्या सीधी उड़ान के फेरों को बढ़ाने की मांग की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। पर्यटन को सुगम बनाने के लिए, तथापि एयर मारीशस ने, बंगलौर और चेन्नई के बीच यातायात अधिकारों का उपयोग किये बिना मारीशस-बंगलौर-चेन्नई-मारीशस मार्ग पर अपनी साप्ताहिक सेवा पर को-टर्मिनल सेवाएं प्रचालित करके बंगलौर के लिए प्रचालन आरम्भ किये हैं।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए अपेक्षित सभी अवसंरचना सुविधाएं बंगलौर से/को प्रचालित एयर मारीशस सहित वाहकों के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) भारत तथा मारीशस के बीच हुए मौजूदा द्विपक्षीय वायु सेवा करार के अनुसार, प्रत्येक तरफ की नामित एयरलाइनें प्रति सप्ताह 14 सेवाएं प्रचालित करने की हकदार है। इस समय, एयर मारीशस भारत से/को प्रति सप्ताह 6 सेवाएं प्रचालित कर रही है। इसलिए, प्रत्येक तरफ की नामित एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार हकदारी क्षमता का संतुलित उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ताज महल के प्रवेश शुल्क में कटौती

4435. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में म्यांमार तथा थाइलैंड जैसे सार्क देशों के पर्यटकों हेतु रु. 750 का प्रवेश शुल्क घटाकर रु. 20 करने की अधिसूचना जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पहले प्रवेश शुल्क क्रमशः 50 रु. तथा 700 रु. के अनुपात से बांटा जाता था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आगरा विकास प्राधिकरण ने सार्क नागरिकों हेतु प्रवेश शुल्क में कटौती का विरोध किया है तथा वह अपना पहले वाला हिस्सा चाहता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि हां, तो क्या अधिसूचना में संशोधन कर दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिनांक 5 मार्च, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से सार्क और बिम्सटेक देशों के नागरिकों के संदर्भ में प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के अनुसार रखा है।

(ग) और (घ) ताजमहल पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय नागरिकों तथा सार्क और बिम्सटेक देशों के नागरिकों से 10 रुपए की दर से प्रवेश शुल्क लेता है। अन्य विदेशी नागरिकों से 250 रुपए की दर से प्रवेश शुल्क लिया जाता है। आगरा विकास प्राधिकरण सार्क और बिम्सटेक देशों के नागरिकों सहित प्रत्येक विदेशी नागरिक से 500 रुपए तथा भारतीय पर्यटकों से 10 रुपए पथ कर के रूप में प्रभार लेता है।

(ङ) और (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी की गई अधिसूचना केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रवेश शुल्क पर लागू होती है न कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले कर पर।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

दो विमानों के बीच क्षैतिज दूरी

4436. श्री रमेश दूबे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लगातार बढ़ते विमान यातायात के कारण दिल्ली और मुंबई के विमानपत्तनों का दबाव दूर करने के लिए दो विमानों के बीच की क्षैतिज दूरी को दूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान विमानपत्तन बढ़ते यातायात को संभालने में सक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमानों की आकाश में टक्कर से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) विमानों की संकुलता तथा विलम्ब को कम करने के लिए न्यूनीकृत क्षैतिज पृथक्करण लागू किया जाना आवश्यक है। तथापि, बढ़े हुए यातायात के कुशल संचालन के लिए उपलब्ध अवसंरचना, संचार, दिक्चालन, निगरानी सुविधाओं, मेनपावर तथा नियंत्रकों के साफ्टवेयर उपकरणों का मूल्यांकन आवश्यक है। न्यूनीकृत क्षैतिज पृथक्करण लागू किए जाने से पहले इन सुविधाओं का आवश्यक संवर्धन होना जरूरी है ताकि भूमि तथा हवा में विमानन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन शर्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के मानकों के अनुसार वर्तमान क्षैतिज पृथक्करण 05 नाटीकल मीटर से कम करने 03 नाटीकल मीटर किया जा सकता है।

(ग) और (घ) बढ़े हुए यातायात के संचालन के लिए हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित विकास कार्य किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

1. दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर नए हाईस्पीड निकास टैक्सीवे बनाए गए हैं तथा कुछ और बनाए जाने की योजना है।
2. अन्य बातों के साथ भू-अवसंरचना के और अधिक विकास के लिए मुंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डों को संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के सुपुर्द किया गया है।
3. व्यस्ततम घड़ियों में दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर दोनों रनवे का समकालिक रूप से प्रयोग।
4. दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर व्यस्ततम घड़ियों में सामान्य विमानन विमान पर पाबंदी लगाई गई है।
5. दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर उन्नयन के लिए एटीसी आटोमेशन प्रणाली लगाए जाने की योजना है।
6. दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर उपलब्ध रनवे/टर्मिनल भवन क्षमता के साथ कई घंटा दर घंटा उड़ानों को समकालिक रूप से रोका जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर निकासी सुपुर्दगी अवस्थिति स्थापित की गई है।
7. दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर तीसरे रनवे का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। इसके प्रयोग से

हवाई अड्डे की एयरक्राफ्ट हैंडलिंग क्षमता अत्यधिक संवर्धित हो जाएगी। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समानान्तर टैक्सी ट्रैक भी निर्मित किया गया है जिससे रनवे पर ठहराव समय काफी कम हो गया है।

8. मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे 32 तथा 27 का आरंभ एक नए टैक्सी ट्रैक के निर्माण के द्वारा जोड़ दिया गया है तथा रनवे 27 को, रनवे का ठहराव समय कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एप्रन से जोड़ा जा रहा है।

9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा 35 गैर मैट्रो हवाई अड्डों पर बढ़े हुए हवाई यातायात को नियंत्रित करने हेतु उनके उन्नयन की परियोजना आरंभ की गई है।

10. एएआई चेन्नई तथा कोलकाता हवाई अड्डों पर बढ़ते हुए यातायात को नियंत्रित करने हेतु उनका भी विस्तार तथा आधुनिकीकरण कर रही है।

(ङ) हवा के बीच आपदा/दुर्घटना रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:-

1. सभी विमान जो हवाई अड्डे पर लैंडिंग के लिए प्रतीक्षारत हैं, निर्धारित सुरक्षित ऊंचाई बनाए रखने के लिए लगातार रडार पर मानीटर किए जाते हैं।

2. रडार प्रणाली विमान की ऊंचाई प्रदर्शित करने के लिए सक्षम होती है अत: विभिन्न विमानों द्वारा बनाए रखी जाने वाली ऊंचाई नियंत्रकों द्वारा निकट निगरानी में रखी जाती है।

3. दो व्यस्ततम हवाई अड्डों दिल्ली तथा मुंबई में आटोमेशन प्रणाली में प्रतिकूल सतर्कता उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो विमान की ऊंचाई में किसी भी प्रकार विचलन की स्थिति में नियंत्रक का ध्यान आकर्षित करती है।

4. सभी विमानों में एयरबोर्न कालीशन एवाइडेन्स प्रणाली लगी होती है जो पायलट की स्थितिजन्य सतर्कता को बढ़ाती है तथा किसी भी विषम स्थिति में सजगता उत्पन्न करती है।

विमानों के क्षतिग्रस्त इंजिन कवर

4437. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का इंजिन कवर निकल गया और रनवे पर गिर गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। मैसर्स नैशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल-आई) के ए-321 विमान वीटी-पीपीडी द्वारा 24.02.2008 को दिल्ली से श्रीनगर के लिए चार्टर उड़ान प्रचालित करते समय विमान के टेक आफ के दौरान हुई एक घटना में इंजन के केवल दायीं ओर के नोज काउल का बाटम लैच ही खुला। विमान वापिस हो गया और दिल्ली में सुरक्षित लैंड कर गया।

(ग) से (ङ) इस संबंध में जांच आयोजित की गई तथा प्रथम दृश्या साक्ष्यों के आधार पर प्रस्थान इंजीनियर तथा साप्ताहिक निरीक्षण करने वाले इंजीनियर दोनों के लाइसेंसों के विशेषाधिकारों को निलंबित कर दिया गया।

औषधियों की कमी

4438. श्री रामदास आठवले: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक अधिनियम को कड़े रूप से लागू किए जाने के कारण गंभीर दर्द और मानसिक बीमारी पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली औषधियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों की ऐसी कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) जब भी किसी दवा की कमी की सूचना प्राप्त होती है, तब

संबंधित दवा कंपनियों से प्रभावित क्षेत्रों में दवा की आपूर्ति करने का अनुरोध करके उपचारी कार्रवाई की जाती है। तेज दर्द और मानसिक बीमारी का इलाज करने वाली दवाओं की कोई विशिष्ट कमी अब तक राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के ध्यान में नहीं लायी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

4439. श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास शिकायतें सुनने और दण्ड देने की शक्ति है जैसा-कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मामले में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर न्यायिक शक्तियां सौंपने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां बढ़ाने का मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

यात्रियों का बाहर फेंका जाना

4440. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि चलती रेलगाड़ियों से रेलवे स्टाफ और यात्रियों को बाहर फेंके जाने के मामलों में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। किंतु रेल कर्मचारी और यात्रियों को धक्का देकर बाहर निकालने के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005, 2006 और 2007 के दौरान सूचित रेल कर्मचारियों सहित यात्रियों को बाहर निकालने के मामले निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	सूचित किए मामलों की संख्या
2005	11
2006	9
2007	9

(ग) यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं:-

1. भेद्य खंडों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए दैनिक आधार पर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा लगभग 2200 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों तथा आरपीएफ द्वारा लगभग 1250 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. गाड़ी मार्गरक्षी दलों को गाड़ियों में विशेष रूप से अपराध वाले/भेद्य खंडों में अतिरिक्त सतर्कता रखने के लिए कहा जा रहा है।

3. अपराधी प्रवृत्तियों पर चर्चा करने और इस प्रकार के अपराधों वाली प्रभावी नीतियां तैयार करने के लिए राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

4. उपनगरीय गाड़ियों के महिला कंपार्टमेंट का आमतौर पर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रक्षण किया जाता है। भेद्य उपनगरीय खंडों विशेष रूप से नानपीक समय के दौरान जब इस प्रकार के अपराध में महिलाओं की सुरक्षा को अधिक खतरा होता है, महिला टीटीई वाले विशेष दस्तों और महिला रेल सुरक्षा बलकर्मियों को तैनात किया जाता है।

5. रेल सुरक्षा बल द्वारा महिला कंपार्टमेंट में पुरुष यात्रियों के और रेल परिसरों तथा गाड़ियों आदि में शरारतें करने वाले गैर-सामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े गए अपराधियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए धनराशि

4441. श्री महावीर भगोरा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के विकलांगों के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि का किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्र में विकलांगों के लिए एक लाख नए रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ङ) वर्ष 2007-08 के वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार एक योजना को संस्वीकृति दी गई, जिसमें निःशक्तजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में कर्मचारी के अंशदान का भुगतान पहले तीन वर्षों के लिए सरकार द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। यह योजना 25,000 रुपए प्रतिमाह का मासिक मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों के लाभार्थ है। यह योजना निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता व बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत परिभाषित निःशक्तताओं वाले सभी व्यक्तियों को कवर करती है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र

4442. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षण-सह-उत्पाद विकास केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन द्वीपसमूहों के जनजातीय लोगों के लिए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम के एक संघटक यानि खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र के तहत सरकार देश के विभिन्न राज्यों में दक्षता के उन्नयन और अदक्ष तथा बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना में राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों एवं सहकारिताओं आदि को सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें स्वयं के खाद्य प्रशिक्षण यूनिट की स्थापना कर सकने या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार प्राप्त कर सकने के योग्य बनाया जा सके। सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना नहीं करती है। उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर ने वर्ष 1998-99 में इस मंत्रालय की 6.90 लाख रुपये की सहायता से एक बहु-उत्पाद श्रृंखला संबंधी खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है।

(ख) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन के लिए मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता का तीव्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत संवितरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण बैंकों के जरिए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-4 के तहत बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बढ़ी हुई दरों पर यानी 50 प्रतिशत की दर पर सहायता की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा नई यूनिटों के संवर्धन के मामले में 4.00 करोड़ रुपये है और इसके उन्नयन/आधुनिकीकरण के मामले में 1.00 करोड़ रुपये है।

मानव संसाधन विकास के तहत मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए बुनियादी

सुविधाओं के सृजन हेतु 75.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देता है तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु 2 लाख रुपये तक की सहायता भी उपलब्ध कराता है।

मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के लिए मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला/मूल्यवर्धन और परिरक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना द्वारा क्षमता निर्माण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के द्वारा रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए प्रणोद क्षेत्रों की पहचान की है, जिनसे जल्दी खराब होने वाली उपज सहित खाद्य उत्पादों के मूल्यवर्धन तथा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा मिल सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का बजटीय आबंटन जो 10वीं योजना के दौरान 650 करोड़ रुपये था, 11वीं योजना हेतु बढ़ाकर 4031 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

यह मंत्रालय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट, आईएसओ-9000, अच्छी स्वच्छकर प्रणालियों और अच्छी निर्माण प्रणालियों जैसे गुणवत्ता प्रणाली के कार्यान्वयन, अनुसंधान और विकास के संवर्धन, मानव संसाधन विकास के लिए क्षमता निर्माण हेतु भी वित्तीय सहायता देता है।

ग्यारहवीं योजना में, मंत्रालय का प्रस्ताव बुनियादी ढांचा विकास संबंधी पुनः तैयार की गई स्कीम कार्यान्वित करने का है, जिसके अंतर्गत मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये तक, शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धित केंद्रों, पैकेजिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये तक और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए 15.00 करोड़ रुपये तक की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख है। यह स्कीम बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ-साथ विश्वसनीय और सतत आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन के लिए इस मंत्रालय की सभी योजना स्कीमें भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। यद्यपि जनजातीय/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिला उद्यमियों को विशेष तरजीह दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे भारत में 84 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों को 221.11 लाख रुपये की सहायता दी गई।

[हिन्दी]

रतलाम-अकोला के बीच आमान परिवर्तन

4443. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रतलाम-अकोला छोटी लाइन खंड पर आमान परिवर्तन करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के लिए रेलवे द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या आमान परिवर्तन के दौरान उक्त खंड का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, हां। रतलाम-मऊ-खंडवा-अकोला (472.64 कि.मी.) लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को 1421.25 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर 2008-09 के रेल बजट में शामिल किया गया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 32.95 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। संसद में रेल बजट पारित होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) से (च) रेलपथ के विद्युतीकरण के संबंध में मुख्यतः यातायात की मात्रा, आर्थिक लाभप्रदता और परिचालनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। इस समय, रतलाम-अकोला रेल लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

घटिया खाद्य पदार्थ

4444. डा. के. धनराजू:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि अधिक कीमत लिए जाने के बावजूद ट्रेनों में और स्टेशनों पर भी घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) स्टेशनों व गाड़ियों में यात्रियों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्यप्रद खाना मुहैया कराना रेलों का प्रयास रहता है। बहरहाल, गुणवत्ता, कम मात्रा, अधिक मूल्य लेने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रमाणित शिकायतों के प्राप्त होने पर चेतावनी, जुर्माना, संविदा की समाप्ति, परामर्श आदि जैसी समुचित कार्रवाई की जाती है।

एक चालू प्रक्रिया के रूप में खानपान सेवाओं में सुधार के लिए रेलों और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) निरंतर सावधानी बरतता है। भारतीय रेलों की खानपान एवं आतिथ्य-सत्कार सेवाओं को अपग्रेड करने व व्यवसायिक बनाने के लिए भारतीय रेलों की पूर्णतः स्वामित्वप्राप्त कंपनी भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की स्थापना की गई है। आईआरसीटीसी ने मल्टी कजिन स्टेट-आफ-द-आर्ट फूड प्लाजा स्थापित किए हैं, गर्म और ठंडे पेय मुहैया कराने हेतु आटोमेटिक वेंडिंग मशीनें लगाई हैं तथा वर्तमान बेस किचन को बदलकर आधुनिक बना रहे हैं। रेलवे एवं आईआरसीटीसी अधिकारियों द्वारा खानपान सेवाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। आईआरसीटीसी ने भारतीय रेलों के यात्रियों को सप्लाई किए जा रहे खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र खाद्य लेखा परीक्षा एजेंसियों की नियुक्ति की है। सभी अच्छी प्रक्रियाएं जैसे प्रगतिशील आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन) और एचएसीसीपी (खतरा विश्लेषण एवं गंभीर नियंत्रण बिंदु) खानपान यूनिटों का वर्गीकरण, का अनुपालन किया जा रहा है। शिकायतों की प्राप्ति एवं निवारण के लिए आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, चेन्नई और सिकंदराबाद में नियंत्रण कार्यालय स्थापित किए हैं। प्रत्येक नियंत्रण कक्ष के पास ब्राडबैंड संपर्क वाले पर्सनल कंप्यूटर और डेडीकेटिड टेलीफोन लाइनें हैं। कोई भी यात्री किसी नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन काल कर सकता है और इन शिकायतों/सुझावों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्त उपायों के अलावा मैसर्स आईएसआरवी इंटरनेशनल के माध्यम से संचालित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 112 यूनिटों पर मैसर्स टीयूवी सुड साउथ एशिया द्वारा की गई खाद्य लेखा-परीक्षा जिसमें गाड़ियां, बेस किचनें और फूड प्लाजा शामिल हैं, चल तथा स्थायी यूनिटों के आईएसओ 22000:2005 प्रमाणन के लिए मैसर्स राइट्स की नियुक्ति, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवसायों (क्यूसीपी) के द्वारा राजधानी, शताब्दी और अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों सहित प्रीमियम गाड़ियों पर विशेष अभियान संचालित कर रही है जिससे कि खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। मूल्यों के साथ ए-ला-कार्टे मदें दिखाने वाले रंगीन मेनू कार्डों को खानपान सेवाओं में सुधार लाने के लिए शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

ए.ए.आई. कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4445. श्री अधीर चौधरीः
श्री किन्जरपु येरननायडुः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने हाल में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी उड़ानें प्रभावित हुई;

(ग) क्या उक्त हड़ताल के कारण यात्रियों को भी असुविधा उठानी पड़ी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में विमानपत्तनों के कर्मचारियों द्वारा ऐसी हड़तालों को टालने के लिए क्या निवारणात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एयरपोर्ट्स अथारिटी एम्प्लाइज यूनियन (एएईयू) ने दिनांक 11.03.2008 (अर्धरात्रि) से 12.03.2008 तक असहयोग आंदोलन किया था। तथापि, इस अवधि के दौरान उड़ानों के प्रचालन प्रमुखतः अप्रभावित रहे।

(ग) और (घ) एएईयू के असहयोग आंदोलन की वजह से कुछ हवाई अड्डों पर यात्रियों को हवाईअड्डों के रखरखाव, एयरोब्रिज पर सेवाओं, कन्वेयर बैल्ट के प्रचालनों आदि में कमी की वजह से थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा था।

(ङ) सरकार का सदैव वार्तालाप के जरिए मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास रहा है। इस संबंध में सरकार ने अपने, एएआई के प्रबंधन तथा एएईयू के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है, जिसकी बैठक आवधिक रूप से हो रही है।

रेलवे की स्वामित्व वाली अचल संपत्तियां

4446. श्री चन्द्रभान सिंहः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल लाइनों के इर्द-गिर्द रेलवे की अचल संपत्तियों के सुरक्षित रख-रखाव के लिए आवश्यक व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। खंड अभियंताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में समय-समय पर इस प्रकार की अचल परिसंपत्तियों पर आवश्यक जांच की जा रही है। सिविल पुलिस तथा राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से इस प्रकार की परिसंपत्तियों से अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इंजीनियरी शाखा को आवश्यक सहयोग मुहैया कराया जाता है।

(ख) अचल संपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) इंजीनियरी विभाग के रेलपथकर्मियों द्वारा रेलपथ की दैनिक गश्त के दौरान लगातार निगरानी रख जा रही है।

(2) रेल सुरक्षा बल द्वारा कुछ सुभेद्य खंडों पर भी गश्त लगाई जाती है जो रेल लाइनों के बगल में पड़ी अचल संपत्तियों पर भी निगरानी रखते हैं।

(3) जब कभी आवश्यकता होती है रेल सुरक्षा बल कब्जा हटाने में भी इंजीनियरी विभाग की सहायता करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

4447. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को संवैधानिक दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) जी हां, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान का (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक लोक सभा में दिसम्बर, 2004 में पेश किया गया था। इस विधेयक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय से सम्बद्ध स्थायी समिति को जांच के लिए भेज दिया गया था। विधेयक से संबंधित स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर विचार कर लिया गया है किन्तु अन्य सम्बद्ध मुद्दे अभी जांचाधीन हैं।

ऊषा मेहरा आयोग

4448. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों का उप-समूहों में वर्गीकरण करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राष्ट्रीय आयोग ने आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों के उप-समूहों में वर्गीकरण करने के मुद्दे की जांच के मुद्दे के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयोग का कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 21.5.2007 से लेकर एक वर्ष तक है।

[हिन्दी]

दिल्ली-मुरादाबाद रेल लाइन

4449. श्री संतोष गंगवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-मुरादाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्य को पूर्ण किए जाने में विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) दिल्ली-मुरादाबाद रेल लाइन पर दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर और अमरोहा से मुरादाबाद तक दोहरीकृत लाइन पहले से ही बिछी हुई है। शेष भाग के दोहरीकरण कार्य को 30.06.2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस शेष खंड को पहले 2007-08 तक पूरा करने का

लक्ष्य रखा गया था परंतु गंगा नदी पर पुल बनाने की धीमी प्रगति और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सिगनल केबलों की आपूर्ति में विलंब के कारण इस खंड के दोहरीकरण में विलंब हुआ है।

रेल बजट में घोषित नई रेलगाड़ियां

4450. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के रेल बजट में घोषित नई यात्री रेलगाड़ियों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या रेलवे को तीर्थ स्थलों और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्री रेलगाड़ियों का ठहराव देने की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या रेलवे का विचार नई दिल्ली-आजमगढ़ के बीच नई रेलगाड़ियों (गरीब रथ) शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल बजट (2008-09) के रेल बजट सहित) में उद्घोषित गाड़ियां आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान, चल स्टाक की उपलब्धता और अवसंरचनात्मक कार्यों के पूरा होने पर चलाई जाती हैं।

(ख) और (ग) यात्री गाड़ियों को तीर्थ स्थलों/महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव देने के संबंध में विभिन्न प्रदेशों से मांगें प्राप्त होती हैं। इनकी जांच की जाती है, व्यवहारिक और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इन पर कार्यवाही की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी

4451. श्री सुनील खां: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी (एनपीपीसी) को पुनरुद्धार पैकेज देने के लिए कार्यवाही पूंजी उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस फैक्ट्री द्वारा अपना प्रचालन कब तक शुरू करने की संभावना है;

(ग) क्या एनपीपीसी के कर्मचारियों के लिए वर्ष 1997 के वेतनमान स्वीकृत कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी (एनपीपीसी) के पुनरुद्धार पैकेज में 552.44 करोड़ रुपए के नकद निवेश के साथ कार्यशील पूंजी के लिए 15.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुनरुद्धार योजना में 27.06.2007 की प्रारंभिक तिथि से 27 माह से तक योजना पूरा करने की परिकल्पना की गई है, जो कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा पुनरुद्धार योजना अनुमोदित किए जाने की तिथि है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एनपीपीसी काफी दिनों से हानि उठा रही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के संदर्भाधीन कंपनी है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार, एनपीपीसी वर्ष 1997 की वेतन संरचना के लिए पात्र नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्यों के विमानपत्तनों पर पूर्ण सुरक्षा

4452. श्री उदय सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आतंकवादी संगठन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों से नागरिक विमान का अपहरण करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) धमकी की संभावनाओं को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के विमानपत्तनों पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) आतंकवादी संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नागरिक विमान अपहरण की योजना के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) को विभिन्न खुफिया जानकारी प्राप्त हुई हैं।

(ग) खुफिया एजेंसियों से किसी प्रकार की धमकी संदेश की सूचना प्राप्त होने पर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा एक सतर्क संदेश जारी किया जाता है तथा उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा उपायुक्त (नागर विमानन) को हवाईअड्डों पर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की मोनिटरिंग के लिए विशिष्ट अनुदेशों सहित भेजी जाती है।

[हिन्दी]

आवश्यक दवाओं के मूल्य

4453. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद शुल्क में कमी के बाद भी मार्च में आवश्यक दवाओं के मूल्य दुगुने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्य करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2008-सीई दिनांक 1 मार्च, 2008 के द्वारा उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने तथा अधिसूचना सं. 14/2008-सीई (एनटी) दिनांक 1 मार्च, 2008 के जरिए उपशमन की कटौती को 42.5 प्रतिशत से घटाकर 35.5 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप एनपीपीए ने सां.आ.सं. 418(अ) दिनांक 3 मार्च, 2008 के द्वारा सभी अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के समतुल्य अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) में 4.58 प्रतिशत की कटौती की है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामले में एनपीपीए ने दिशा निर्देश सं. 2/2008 दिनांक 10 मार्च, 2008 के द्वारा सभी विनिर्माताओं और विपणन कंपनियों को उत्पाद शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप एमआरपी (सभी करों सहित) में 4.58 प्रतिशत कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

नया एमआरपी उन सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा जहां सरकार को उत्पाद शुल्क वास्तव में चुकाया गया है।

सां.आ. सं. 418(अ), दिनांक 3 मार्च, 2008 और दिशानिर्देश सं. 2/2008 दिनांक 10 मार्च, 2008 एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

उत्पाद शुल्क में कटौती के पश्चात् मार्च, 2008 में औषध मूल्यों के दौगुने हो जाने संबंधी कोई विशिष्ट सूचना एनपीपीए की जानकारी में नहीं लाई गई है।

[अनुवाद]

टक्कर-रोधी उपकरण

4454. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सभी रेलवे जोनों पर टक्कर-रोधी उपकरण लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के सभी रेलवे खंडों में टक्कर-रोधी उपकरण कब तक लगा दिए जायेंगे; और

(ङ) इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) टक्कररोधी उपकरण को भारतीय रेल के संपूर्ण बड़ी लाइन नेटवर्क पर धीरे-धीरे संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। पायलट परियोजना के तौर पर टक्कररोधी उपकरण को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार-न्यूजलपाईगुड़ी-गुवाहाटी-तिनसुकिया-डिब्रुगढ़-लीडो खंड पर संस्थापित किया गया है और परिचालन में है। प्रणाली में खामियों को कोंकण रेल निगम लिमिटेड द्वारा देखा जा रहा है।

(ग) परियोजना पर अभी तक 92.22 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

(घ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे परियोजना की सफलता के पश्चात् टक्कररोधी प्रणाली को तीन रेलों अर्थात् दक्षिण, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पश्चिम रेलवे पर अगले दो वर्षों में मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

(ङ) भारतीय रेल के संपूर्ण ब.ला. नेटवर्क पर टक्कररोधी प्रणाली की व्यवस्था की कुल लागत पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर परियोजना के निष्पादन फीडबैक को शामिल करते हुए टक्कररोधी

प्रणाली डिजाइन को अंतिम रूप देने और विद्युतीकृत उपनगरीय खंड में टक्कररोधी प्रणाली के कंपोजिट फील्ड परीक्षणों के आधार पर आकलित की जाएगी।

विमान में हल्के नशीले पेय पदार्थों का परोसा जाना

4455. श्रीमती जयाप्रदाः
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचाः
श्री पी. मोहनः
श्री निखिल कुमारः
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादवः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू एयरलाइनों के विमानों में हल्के नशीले पेय पदार्थों के परोसे जाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या महिला संगठनों ने सरकार के इस कदम का जोर-शोर से विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में महिला संगठनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेष रूप से शराब में धुत यात्रियों द्वारा दुर्व्यवहार के बारे में विगत में दर्ज मामलों की संख्या को देखते हुए महिलाओं तथा सह-यात्रियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय एयरलाइन संघ (एफआईए) तथा अन्य संगठनों द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बहरहाल, सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में किसी महिला संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग हेतु

4456. श्री चेंगरा सुरेन्द्रनः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने आटोमोबाइल में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करने वाली प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), हाइड्रोजन उत्पादन इसके भंडारण और आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग और ईंधन सैलों सहित हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन सैल प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक आधार अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम लागू करता रहा है।

(1) यह कार्यक्रम, आईआईटीज, विश्वविद्यालयों, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं आदि और उद्योग जैसे शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

(2) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ईंधन के रूप में हाइड्रोजन से चलाने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी द्वारा पेट्रोल चालित साइकलों और तिपहियों में फेर-बदल किया गया है। 15 ऐसी हाइड्रोजन ईंधन युक्त मोटर साइकलें विकसित की गई हैं और बीएचयू कैम्पस में सीमित आधार पर उनका प्रदर्शन किया जा रहा है।

(3) आईआईटी दिल्ली और जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा प्रयोगशाला स्तर आदि प्ररूपों में आंतरिक दहन इंजन में हाइड्रोजन और डीजल के मिश्रण के इस्तेमाल पर परीक्षण किए गए हैं। तथापि, जो आटोमोबाइल, हाइड्रोजन-डीजल मिश्रण पर चल सकते हैं, देश में अभी उनको विकसित किया जाना है।

(4) एसपीआईसी साइंस फाउंडेशन, तूतीकोरिन द्वारा ईंधन सैल-बैटरी मिश्र वाहन विकसित करके प्रदर्शित किया गया था।

(5) इन वाहनों के निष्पादन और उत्सर्जन का मूल्यांकन करने के लिए, चुनिंदा वाहनों में हाइड्रोजन और सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस के मिश्रण को आरंभ करने के लिए, मंत्रालय द्वारा विकास एवं प्रदर्शन परियोजना का समर्थन किया गया है। दि सोसायटी आफ इंडिया आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्रस (एसआईएएम), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और पांच आटोमोबाइल निर्माता इस परियोजना में भाग ले रहे हैं। इस परियोजना के सितंबर, 2009 तक पूरी होने की संभावना है।

(6) तथापि, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन से चलाने के लिए देश में आटोमोबाइल्स के आदिप्ररूपों को वाणिज्यिकृत करने से पहले, उनका अतिरिक्त विकास करने की आवश्यकता होगी।

बीपीसीएल आटोमोबाइल्स में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है जो निम्नानुसार है।

(क) हाइड्रोजन उत्पादन-बीपीसीएल ने नए ढंग से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए अनुसंधान कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे से बातचीत शुरू कर दी है।

(ख) हाइड्रोजन भंडार-बीपीसीएल, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर और सीएसएमसीआरआई, भावनगर के सहयोग से हाइड्रोजन के आन बोर्ड भंडारण के लिए नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित भंडारण सामग्रियों के विकास पर कार्य कर रही है।

(ग) तिपहिया आटो रिक्शा के साथ परीक्षण (1) हाइड्रोजन भंडारण और पुनःईंधन भरण आन बोर्ड कनस्तर प्रणाली और (2) वाहनों के निष्पादन में अनुभव प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए एक सीएनजी तिपहिए का संशोधन किया गया है।

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाइड्रोजन संग्रह निधि तैयार की गई है जिसमें ओएमसीज, ओआईडीबी के साथ भागीदार हैं।

आईओसी, आर एंड डी केंद्र भी तीन और चार पहिया वाहनों में सीएनजी के साथ संयोजन से हाइड्रोजन इस्तेमाल करने के लिए परीक्षण और विकासात्मक अध्ययन कर रहा है।

मुंबई मंडल में रेलवे के टी-स्टाल

4457. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने रेलवे के टी-स्टालों में एक निर्धारित अवधि में ऊपर से लेकर नीचे तक अनुमोदित आकार में एकरूपता बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) स्टेशन प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ को कम करने के प्रयोजन से पुराने खानपान स्टालों के स्थान पर काम्पैक्ट मोड्यूलर स्टाल्स की व्यवस्था करने के लिए मार्च, 1999 में क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए थे। क्षेत्रीय रेलों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के उपरांत मोड्यूलर स्टाल के आकार के संबंध में संशोधित अनुदेश फरवरी, 2000 में जारी किए गए थे और क्षेत्रीय रेलों को इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया था।

ग्लोबल कार्गो फर्म

4458. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल कार्गो फर्मों को देश में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टेट कैरियरों के हिस्से पर ग्लोबल कार्गो फर्मों का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) ग्लोबल कार्गो को देश से किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) हाल ही में सरकार ने कार्गो एयरलाइनों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए मानकों में ढील दी है और उसे 74 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। गैर-निवासी भारतीयों के लिए यह सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी है।

(ग) और (घ) एयर कार्गो उद्योग के बढ़ने की आशा है तथा इस सेक्टर में विभिन्न प्रचालकों के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न होगी।

पेट्रोल पंपों पर सजावट के लिए व्यय

4459. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रों की सजावट पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं;

(ख) पेट्रोल पंपों पर इतना भारी व्यय किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने ऐसे व्यय के माध्यम से सरकार को लाभांश देने से बचने के लिए ऐसे निर्णय जानबूझ कर लिए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) वर्तमान नियंत्रणमुक्त बाजार में अपनी स्थिति को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए और पेट्रोलियम खुदरा विपणन में निजी कंपनियों के प्रवेश करने के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए, अपने पेट्रोल पंपों पर चरणबद्ध ढंग से आधारभूत सुविधाएं और मूल्य वर्धित सेवाएं मुहैया करा कर अपनी खुदरा दृश्य पहचान (आरवीआई) उभारने पर संसाधन खर्च रही हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्द्धी बाजार में अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने और ब्राण्ड छवि बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ओएमसीज द्वारा आरवीआई पर किया गया खर्च, पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और वितरण पर लगाई गई लागत की तुलना में बहुत थोड़ा है और इसका ओएमसीज के समग्र शुद्ध लाभों पर या तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है या बहुत कम प्रभाव पड़ा है। सभी ओएमसीज, दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार को नियमित रूप से लाभांश दे रही हैं।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कारपोरेशन के अंतर्गत तेल शोधनशालाओं द्वारा अर्जित लाभ

4460. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन के अंतर्गत तेल शोधनशालाओं द्वारा प्रति बैरल कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या कार्यकरण में सुधार तथा कुशलता से इस लाभ में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मार्च, 2008 के दौरान अर्जित लाभ को देखते हुए वर्ष 2008-09 में कुल लाभ का अनुमान कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के तहत तेल रिफाइनरियों का वर्ष 2007-08 के दौरान प्रति बैरल अनंतिम सकल रिफाइनरी मार्जिन (जीआरएम) तथा शुद्ध रिफाइनरी मार्जिन (एनआरएम) निम्नवत् है:-

2007-08	डालर/प्रति बैरल (अनंतिम)
जीआरएम	8.54
एनआरएम	5.64

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2007-08 में जीआरएम 8.54 डालर प्रति बैरल (अनंतिम) है जबकि वर्ष 2006-07 में यह 4.19 डालर प्रति बैरल था। 4.35 डालर प्रति बैरल की कुल वृद्धि में से 0.83 डालर प्रति बैरल की वृद्धि रिफाइनरियों की कार्यप्रणाली में सुधार और कार्य कुशलता का परिणाम है।

(घ) मार्च, 2008 के लिए आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरियों के लिए कर पूर्व लाभ 1208.16 करोड़ रुपए (अनंतिम) है। एक माह के लाभ को दीर्घावधि लाभ अनुमान के लिए नहीं गिना जाता। वर्ष 2008-09 के लिए आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरियों के लिए अनुमानित लाभ बजट अनुमानों के अनुसार 5078.18 करोड़ रुपए है।

छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4461. श्री अजीत जोगी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चल रही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन इकाइयों में कुल कितना निवेश किया गया तथा इसका उत्पादन कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान नए खाद्य उद्योगों तथा शीतागारों की स्थापना हेतु प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या, इन यूनिटों में किए गए कुल निवेश और उत्पादन जैसे ब्यौरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए मंत्रालय में अब तक 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों यानि, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के संबंध में 13 मामलों के लिए 442.82 लाख रुपये की धनराशि सहायता-अनुदान के रूप में अनुमोदित की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ये यूनिटें छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों जैसे कि रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, धमतरी और राजनंदगांव में चल रही हैं। इस अवधि के दौरान राज्य हेतु शीतागार स्थापित करने के लिए कोई सहायता अनुमोदित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

'बीच' पर्यटन

4462. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में 'बीच' पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधियों की उपलब्धता की शर्त पर पर्यटन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन के विकास और संवर्धनसहित बीच पर्यटन हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 64513.23 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई:

क्र.सं.	परियोजना	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
1.	चेन्नई में मरीना बीच का विकास	492.76
2.	पुडुचेरी में बीच प्रोमेनाडे का सौन्दर्यीकरण	500.00
3.	चांदीपुर-आन-सी पर गोल्डन बीच उत्सव मनाना	3.00

[हिन्दी]

कच्चे माल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी

4463. श्री सूरज सिंह:
श्री पी.एस. गढ़वी:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 के दौरान देश में इस्पात के उत्पादन में उपयोग में लाये जाने वाले लगभग सभी सामान के मूल्य बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस्पात के उत्पादन में प्रयोग होने वाले प्रत्येक घटक के मूल्यों में अलग-अलग कितने प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई;

(ग) किस-किस सामान की आपूर्ति देश में सरकारी क्षेत्र द्वारा की जा रही है; और

(घ) कच्चे माल के मूल्यों में बढ़ोतरी का उपभोक्ताओं के विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 2007 से दिसंबर, 2007 तक प्रमुख इस्पात उत्पादन कच्ची सामग्रियों के कच्ची सामग्री तात्कालिक कीमतों (एफओबी) में हुई वृद्धि उक्त अवधि के दौरान हुई प्रतिशतता वृद्धि सहित नीचे तालिका में दी गई है:-

कच्चे माल की तात्कालिक कीमतें (एफओबी)

अवधि	एनएमडीसी (एलटीए) कीमत* (रुपए/टन)	इंडिया स्पाट (निर्यात) लौह अयस्क 63.5% लोहांश ($/टन)	आस्ट्रेलियन स्पाट हार्ड कोकिंग कोल ($/टन)	चाइना मैट कोक 12.5% राखांश ($/टन)	श्रेडेड स्क्रैप ($/टन)
जनवरी, 2007	1114	60.0	98.0	180.0	280
फरवरी, 2007		59.5	100.0	180.0	290
मार्च, 2007		62.5	103.0	185.0	340
अप्रैल, 2007	1209	70.0	107.0	195.0	307
मई, 2007		75.0	109.0	212.0	313
जून, 2007		74.5	120.0	252.0	300
जुलाई, 2007		78.0	129.0	256.0	295
अगस्त, 2007		88.0	140.0	256.0	302
सितंबर, 2007		114.0	150.0	275.0	302
अक्तूबर, 2007	1783	130.0	165.0	340.0	302
नवंबर, 2007		155.0	172.5	400.0	302
दिसंबर, 2007		140.0	180.0	390.0	317
प्रतिशत वृद्धि	60%	133.3	83.7	116.7	13.2

*बैलाडिला फाइंस (10 एमएम से कम 64.5/64% लोहांश)
भाड़ा और करों को शामिल करते हुए पिटहैड कीमत

(ग) ऐसी कोई इस्पात उत्पादन कच्ची सामग्री नहीं है जो केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा सप्लाई की जाती है। तथापि, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) घरेलू इस्पात उद्योग को लौह अयस्क की सप्लाई करने वाला प्रमुख सप्लायर है इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र का उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों के जरिए कोयले की सप्लाई करता है। घरेलू इस्पात उद्योग कोककर कोयले की अपनी मांग का अधिकांश हिस्सा आयात से पूरा करता है।

(घ) कच्ची सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कच्ची सामग्री के निजी स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एक उत्पादक से दूसरे उत्पादक के लिये भिन्न-भिन्न है। कुछ प्रमुख इस्पात की कच्ची सामग्री की लागत नीचे दी गई है:

प्रति टन अपरिष्कृत इस्पात की कच्ची सामग्री की लागत

(रुपये/टन)

	जनवरी-मार्च 2007	अप्रैल-जून 2007	जुलाई-सितम्बर 2007	अक्टूबर-दिसम्बर 2007
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	9131	8822	8902	8886
टाटा स्टील लि.	7635	7796	6977	8340
जेएसडब्ल्यू लि.	14750	15274	15383	16530

[अनुवाद]

कोलकाता मेट्रो रेल

4464. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कोलकाता मेट्रो रेल का विस्तार करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सिस्टम पर चल रही कई रेलगाड़ियों की दशा ऐसी हो गई है कि इन्हें तत्काल बदलने/नई रेलगाड़ियों की खरीद करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इसके लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) रेलवे द्वारा दम-दम-टालीगंज परियोजना को वस्तुपरक आशोधन के रूप में टालीगंज से गरिया तक (8.5 किमी) के विस्तार कार्य को शुरू कर दिया गया है और अक्टूबर, 2007 में 1032 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित राशि की मंजूरी दे दी गई थी। परियोजना की लागत का एक तिहाई हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान इस विस्तारित खण्ड पर सीमित सेवाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) कोलकाता मैट्रो प्रत्येक गाड़ी में 8 सवारी डिब्बों में रेकों सहित सेवाएं प्रदान कर रही है। गाड़ी रेकों का संतोषजनक ढंग से रखा जा रहा है और ये रेक सुरक्षित और आरामदायक सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपयुक्त हैं। इस समय, 18 रैक हैं जिनमें से 14 अदद को व्यस्त घंटों के दौरान उपयोग में लाया जाता है और बाकी रेकों को स्टैंडबाई/अनुरक्षण के लिए रखा जाता है।

बहरहाल, नए रेकों के प्रापण के लिए आयु व हालत के आधार पर विभिन रेकों के बदलाव करने की पहल शुरू कर दी गई है। विस्तारित खण्ड तथा संवर्धित सेवाएं मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त रेकों की खरीद की जा रही है। इस प्रस्तावित प्रापण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) खण्ड की विस्तारित लम्बाई को सेवित करने के लिए टालीगंज-गरिया विस्तार के भाग के रूप में 7 अतिरिक्त रेकों की खरीद की जा रही है।

(2) रेल मंत्रालय के माध्यम से चल स्टाक कार्यक्रम की मद सं. 484 के तहत 6 अदद अतिरिक्त रेकों की खरीद की जा रही है जिनमें से 4 अदद प्रत्याशित संवर्धित फेरों के लिए और 2 अदद सामान्य आयु व हालत के आधार पर बदलाव करने के लिए हैं।

(3) इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय के माध्यम से चल स्टाक कार्यक्रम की मद सं. 885 के तहत 8 अदद रैकों की खरीद की जा रही है जिनमें से 6 अंदद प्रस्तावित संवर्धित फेरों के लिए और 2 अदद बदलाव के लिए हैं।

उपर्युक्त रेकों की खरीद सवारी डिब्बा कारखाना के माध्यम से की जा रही है।

लक्ष्य पूरा किया जाना

4465. श्री एल. राजगोपाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अगले आठ वर्षों में 10 बिलियन यात्रियों के परिवहन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी कार्य-योजना की परिकल्पना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) आगामी आठ वर्षों के लिए 10 बिलियन यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 11वीं योजना (2011-12) के अंत तक प्रारंभिक यात्रियों हेतु 8.4 बिलियन यात्रियों का लक्ष्य है। रेल नेटवर्क और टर्मिनल दोनों पर यात्री यातायात सहित अधिक यातायात की संभलाई करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन 11वीं योजना के दौरान प्रमुख प्राथमिकता है। अधिक यात्री यातायात को ले जाने की योजना में विश्व स्तरीय यात्री टर्मिनलों/स्टेशनों के निर्माण के अलावा उच्च क्षमता वाले चल स्टाक, अधिक लंबी गाड़ियां, उपनगरीय सेवाओं का संवर्धन, कम दूरी की सेवाएं में वृद्धि, मुख्य लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों (मेमू)/डीजल-बिजली मल्टीपल यूनिटों (डेमू) गाड़ियों का इस्तेमाल आदि शामिल है।

तेल की खोज करने के लिए गेल और आयल इंडिया लि. के बीच समझौता

4466. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल और आयल इंडिया लिमिटेड ने तेल की खोज करने, इसके उत्पादन, वितरण, कोल बेड मिथेन आदि के लिए किसी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे सहयोग समझौते से दोनों कंपनियों को कितना लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। गेल इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने 27 दिसम्बर, 2007 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों के लिए सहयोग वाले क्षेत्रों में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) दौरों में संयुक्त भागीदारी तथा विदेश में अन्वेषण ब्लाकों के लिए संयुक्त बोली देना ताकि गेल के विद्यमान और योजित पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से नई खोजों से गैस के ओ आई एल के हिस्से के परिवहन तथा विपणन में सहयोग का पता लगाना शामिल है। गेल तथा ओ आई एल भारत तथा विदेशों में कोल बेड मीथेन (सी बी एम) अवसरों में सहयोग की समीक्षा करने पर भी सहमत हुए हैं ताकि पेट्रोरसायन क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की समीक्षा की जा सके और कहीं भी व्यवहार्य प्रौद्योगिकी एवं जानकारी बांटने में सहयोग किया जा सके।

(ग) गेल तथा ओआईएल ने अपनी समान सूचक कुशलताओं तथा समान व्यवसाय हितों के आधार पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपने व्यवसाय के मूल्यवर्धन की संभाव्यताओं को स्वीकार किया है। दोनों पक्षों ने इस इच्छा से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि सहयोग के अवसरों का पता लगाए जाए ताकि पारस्परिकता तथा प्रदान के आधार पर संबंधित संसाधनों का संग्रह किया जा सके।

अभिजीत सेन समिति का गठन

4467. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों पर नई निवेश नीति बनाने के लिए अभिजीत सेन समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति द्वारा किस प्रकार के मामलों पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 12 फरवरी, 2008 को आयोजित बैठक में उर्वरक क्षेत्र में नई निवेश नीति, जो संतुलित उर्वरण को प्रेरित करेगी, के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने हेतु प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की मंजूरी दे दी। सचिव (उर्वरक), सचिव (व्यय) और सचिव (कृषि और सहकारिता) इस समिति के सदस्य हैं। इस संबंध में समिति द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों पर विचार किया जाना है और दो महीने में सरकार को सिफारिशें दी जानी है।

[हिन्दी]

आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकटों की बिक्री

4468. श्री हेमलाल मुर्मु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा इंटरनेट के माध्यम से एक ही दिन में एक लाख से भी ज्यादा टिकट बेचने का रिकार्ड बनाया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम तथा रेलवे द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में कितने यात्रियों को आरक्षित रेल टिकटें मुहैया करवाई गयीं;

(ग) क्या देश के कई राज्यों में बुकिंग क्लर्कों और आरक्षण क्लर्कों की कमी के कारण कई यात्रियों को बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकटों के साथ यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) बुक किए गए यात्रियों के राज्यवार आंकड़ें नहीं रखे जाते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के लिए नई रेलगाड़ियां

4469. डा. बाबू राव मिडियम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दैनिक यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुरनूल, नालगौंडा, निजामाबाद और काजीपेट जैसे राज्य राजधानी के निकट के शहरों से आने-जाने के लिए नई रेलगाड़ियां प्रारंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से प्रारंभ की जाने वाली रेलगाड़ियों के नाम और इन्हें कब से शुरू किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर नेविगेशनल प्रणाली की स्थापना

4470. श्री निखिल कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भीड़भाड़युक्त वायु यातायात को सुकर बनाने और विमान दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए देश के प्रमुख विमानपत्तनों पर परफोरमेंस बेस्ड नेविगेशनल सिस्टम (पीबीएनएस) स्थापित किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रणाली की प्रारंभिक जांच की है और यह प्रणाली कितनी संतोषजनक पाई गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के सभी विमानपत्तनों पर इस प्रकार की प्रणाली स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। निष्पादन आधारित दिक्चालन (पीबीएन) प्रणालियों का कार्यान्वयन, ग्राउण्ड आधारित दिक्चालन सहायता लिये बिना हवाई अड्डों पर बेहतर पहुंच उपलब्ध करवायेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्लेषण बताता है कि पीबीएन प्रणाली व्यवस्थित यातायात प्रवाह उपलब्ध करवायेगी जिससे प्रचालन क्षमता बढ़ेगी और जिससे विमानों की भीड़भाड़ कम होगी और विमान सुरक्षा बढ़ेगी। पीबीएन प्रणालियां शुरू में दिल्ली, मुंबई तथा हैदराबाद हवाई अड्डों पर कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित हैं।

(ङ) पीबीएन प्रणालियां चरणबद्ध तरीके से अन्य हवाई अड्डों के लिए भी विकसित की जाएंगी।

गुजरात में ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन

4471. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उत्खनन कार्य किए गए हैं;

(ख) क्या इन स्थलों का संरक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई योजना बनाई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कोई उत्खनन नहीं किया है। तथापि, अन्य एजेंसियों जैसेकि गुजरात सरकार, राजस्थान अध्ययन संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर और एम.एस. विश्वविद्यालय वड़ोदरा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में उत्खनन किए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्थलों को संरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में किए गए उत्खनन का ब्यौरा

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	स्थल
	2005-06	
1.	पुरातत्व विभाग, गुजरात सरकार तथा राजस्थान अध्ययन संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	कानमेर, जिला कच्छ
2.	एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा	जैदक नो टिम्बो, जिला मेहसाना
	2006-07	
1.	पुरातत्व विभाग, गुजरात सरकार तथा राजस्थान अध्ययन संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	कानमेर, जिला कच्छ
2.	पुरातत्व विभाग, गुजरात सरकार	वादनगर, जिला मेहसाना
3.	एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा	जैदक नो टिम्बो, जिला मेहसाना
	2007-08	
1.	पुरातत्व विभाग, गुजरात सरकार तथा राजस्थान अध्ययन संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	कानमेर, जिला कच्छ
2.	पुरातत्व विभाग, गुजरात सरकार	वादनगर, जिला मेहसाना
3.	एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा	बालामिया टिम्बो, शिकारपुर, जिला कच्छ

[हिन्दी]

वृद्धाश्रम के लिए निधियां

4472. श्री राकेश सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वृद्धाश्रमों को चलाने के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक वृद्धाश्रम के 25 वृद्धों के लिए दी जाने वाली सहायता बहुत ही कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस राशि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) "वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम योजना" के अंतर्गत, स्वयंसेवी संगठनों को 2,76,412 रुपए की राशि वृद्धाश्रमों का संचालन करने के लिए 90% आवर्ती सहायता अनुदान के रूप में दी गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी कर

4473. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, गैस और मिट्टी के तेल के बिक्री मूल्य में उत्पाद शुल्क, राजस्व लेवी, बिक्री कर, विशेष लागत डीलरों का कमीशन और लाभ शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के बिक्री मूल्य में इन घटकों के प्रत्येक घटक का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या बिक्री मूल्य के निर्धारण में विशेष रियायतों, कंपनी की सुविधाओं, उत्पाद शुल्कों में रियायत, जन सुविधाओं की

लागत, विवाद में अंतर्ग्रस्त धनराशियों, पूंजी लाभ, सरकारी घोटालों इत्यादि के द्वारा भी इन पेट्रोलियम उत्पादों का बिक्री मूल्य प्रभावित होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का विचार बढ़ते हुए मूल्यों से उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान करने के लिए आपसी सहमति से संबंधित करों में कटौती करने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसा कब तक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, एल पी जी (घरेलू) तथा पी डी एस मिट्टी तेल के मुख्य घटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पेट्रोल, डीजल, एलपीजी (घरेलू) तथा पीडीएस मिट्टी तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों की गणना निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रख कर की जाती है:-

(1) मूल भंडार स्थल पर मूल्य।

(2) रिफाइनरी से डिपो तथा डिपो से बाजार तक भाड़ा।

(3) लागू दरों पर उत्पाद शुल्क।

(4) बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय उद्ग्रहण।

(5) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का कमीशन आदि।

मूल्य भंडार स्थल पर बिक्री मूल्य पूरे देश के सभी रिफाइनरी स्थलों पर एक समान हैं।

इस समय सरकार चार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों का इस प्रकार निर्धारण कर रही है कि बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का भार उपभोक्ताओं पर न पड़े और अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के स्फीतिजन्य प्रभाव से अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू एल पी जी तथा पी डी एस मिट्टी तेल के मूल्य में क्रमशः नवम्बर, 2004 तथा मार्च, 2002 से नहीं बढ़ाये गये हैं। सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में 15.2.2008 से क्रमशः 2 रुपए/लीटर तथा 1 रुपए/लीटर की मामूली वृद्धि की है।

(ङ) और (च) संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि उनके खुदरा बिक्री मूल्यों में ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का प्रभाव कम किया जा सके। पेट्रोल तथा डीजल पर सीमा शुल्क 14.6.2006 से 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है बिना ब्रांड वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के यथा मूल्य को 1.3.2008 से समाप्त कर दिया गया है। घरेलू एलपीजी तथा पीडीएस मिट्टी तेल पर सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क 1.3.2005 से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2006 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप, घरेलू एलपीजी, सीएसटी अधिनियम के अधीन ''घोषित माल'' बन गई है और उस पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 19.4.06 से अधिकतम बिक्री कर/वैट दर 4% है।

केंद्र सरकार इस मामले को बिक्री कर/वैट की दरों में कमी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार उठाती रही है।

विवरण

दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी (घरेलू) तथा पीडीएस मिट्टी तेल के मूल्य घटक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

दिल्ली में पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य में डीलर कमीशन, शुल्कों तथा करों का भाग

क्र.सं.	विवरण	रुपए/लीटर
1	2	3
1.	डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर घटकों के बिना मूल मूल्य	20.16 (45%)
2.	डीलर कमीशन	1.02 (2%)
3.	सीमा शुल्क (अप्रैल, 2008 के प्रथम पखवाड़े पर आधारित)	1.97 (4%)

1	2	3
4.	उत्पाद शुल्क (14.35 रुपए/लीटर जमा 3% शिक्षा उपकर की दर से उद्ग्रहीत)	14.78 (32%)
5.	बिक्री कर	7.59 (17%)
6.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+2+3+4+5)	45.52#

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्रमांक 6 के प्रतिशत के रूप में डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के घटक दर्शाते हैं।
#सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 9 रुपए प्रति लीटर से अधिक की न्यून-वसूली की सूचना दी है।

दिल्ली में डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में डीलर कमीशन, करों तथा शुल्कों का भाग

क्र.सं.	विवरण	रुपए/लीटर
1.	डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर घटकों के बिना मूल मूल्य	20.28 (64%)
2.	डीलर कमीशन	0.60 (2%)
3.	सीमा शुल्क (अप्रैल, 2008 के प्रथम पखवाड़े पर आधारित)	2.36 (7%)
4.	उत्पाद शुल्क (4.60 रुपए/लीटर जमा 3% शिक्षा उपकर की दर से उद्ग्रहीत)	4.74 (15%)
5.	बिक्री कर (इसमें 0.25 रुपये प्रति लीटर प्रदूषण उपकर शामिल है)	3.78 (12%)
6.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+2+3+4+5)	31.76#

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्रमांक 6 के प्रतिशत के रूप में डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के घटक दर्शाते हैं।
#सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 15 रुपए प्रति लीटर से अधिक की न्यून-वसूली की सूचना दी है।

दिल्ली में एलपीजी (पैक किया हुआ घरेलू) के खुदरा बिक्री मूल्य में डीलर कमीशन, शुल्क तथा करों का भाग

क्र.सं.	विवरण	रुपए/सिलेंडर
1	2	3
1.	डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर घटकों के बिना मूल मूल्य	264.36 (90%)
2.	डीलर कमीशन	19.05 (6%)
3.	सीमा शुल्क-शून्य	0.00 (0%)

1	2	3
4.	उत्पाद शुल्क-शून्य	0.00 (0%)
5.	बिक्री कर	11.34 (4%)
6.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+2+3+4+5)	294.75#

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्रमांक 6 के प्रतिशत के रूप में डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के घटक दर्शाते हैं।
#सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 303 रुपए प्रति सिलेंडर से अधिक की न्यून-वसूली की सूचना दी है।

दिल्ली में पी.डी.एस. मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य में डीलर कमीशन, शुल्क तथा करों का भाग

क्र.सं.	विवरण	रुपए/लीटर
1.	डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर घटकों के बिना मूल मूल्य	8.01 (88%)
2.	थोक डीलर कमीशन तथा खुदरा कमीशन	0.73 (8%)
3.	सीमा शुल्क-शून्य	0.00 (0%)
4.	उत्पाद शुल्क-शून्य	0.00 (0%)
5.	बिक्री कर	0.35 (4%)
6.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+2+3+4+5)	9.09#

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्रमांक 6 के प्रतिशत के रूप में डीलर कमीशन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के घटक दर्शाते हैं।
#सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 24 रुपए प्रति लीटर से अधिक की न्यून-वसूली की सूचना दी है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इस्पात

4474. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात को आवश्यकता वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) से (ग) फरवरी, 2007 में इस्पात को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया था। अधिनियम के तहत इस्पात को पुनः वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हो रहे हैं तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना

4475. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सी.एन.जी., पी.एन.जी., एल.पी.जी., पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए "ट्राई" जैसा विनियामक प्राधिकरण बनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस, जिसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन शामिल नहीं है, के परिशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन तथा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना की है ताकि उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट कार्यकलापों में लगे अस्तित्वों के हितों की रक्षा की जा सके और देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस की बाधारहित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा प्रतियोगी बाजारों का प्रोन्नयन किया जा सके और इन विषयों से संबंधित तथा उनके प्रासंगिक विषयों पर कार्रवाई की जा सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अधीन 1.10.2007 से की गई है।

सिविल एयरलाइनों में भारतीय वायु सेना के विमान चालक

4476. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरलाइनों को प्रशिक्षित विमानचालकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु सेना से अपने विमानचालक एयरलाइनों में भेजने को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों और निबंधनों के अंतर्गत भारतीय वायु सेना के विमानचालकों को सिविल एयरलाइनों में उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय वायु सेना के विमानचालकों को भी निजी एयरलाइनों की सेवा में जाने की अनुमति मिल गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। देश में नागर विमानन उद्योग टाईप रेटिड पायलटों की कमी का सामना कर रहा है।

(ख) जी, हां। अभी तक एयर इंडिया में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के 12 पायलटों को शामिल किया गया है।

(ग) भारतीय वायु सेना ने दिनांक 5.4.2007 को एयर इंडिया के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ पायलट, जिन्होंने अपनी सेवा की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया है तथा निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, को एअर इंडिया/एयर इंडिया एक्सप्रेस में स्थायी सम्मेलन के लिए प्रवर्तित किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना

4477. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल); राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि. (एनएमडीसी) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) का विचार देश में एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित क्षमता क्या होगी; और

(ग) यह संयंत्र कब तक स्थापित होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) सेल, एन एम डी सी तथा आर आई एन एल की साम्या भागीदारी सहित एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 17.8.2007 को एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि अब एन एम डी सी परियोजना प्रबंधन और निर्माण से संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्रों में आर आई एन एल के सहयोग से स्वयं ही परियोजना शुरू की योजना बना रही है। इस संयंत्र को छत्तीसगढ़ सरकार से भूमि की उपलब्धता की शर्त पर और साथ ही कच्चा माल, जल और विद्युत जैसी अन्य सभी सुविधाओं को उपलब्धता की शर्त पर डिलमिल्ली ग्राम (बस्तर जिला, छत्तीसगढ़) के समीप एक उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए मै. मेकान, प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टी ई एफ आर) तैयार कर रहा है।

(ख) इस्पात संयंत्र की क्षमता 3.0 मिलियन टन वार्षिक (एमटीपीए) से 4.0 एमटीपीए हो सकती है और टीईएफआर के निष्कर्ष के अनुसार इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) भूमि के अधिग्रहण तथा अन्य सांविधिक मंजूरियां प्रदान किये जाने के बाद संयंत्र को चालू करने में लगभग 36 माह का समय लगेगा।

[हिन्दी]

यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

4478. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उर्वरक उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति सहित यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने वाली किन-किन अड़चनों की पहचान की गयी है; और

(ग) भविष्य में आत्मनिर्भरता के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) देश में चालू यूरिया इकाइयों की कुल संस्थापित क्षमता की वर्तमान स्थिति, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनका उत्पादन और बिक्री इस प्रकार है:-

(लाख मी. टन)

वर्ष	संस्थापित क्षमता	उत्पादन	बिक्री
2002-03	197.00	187.26	186.4
2003-04	197.00	192.03	195.8
2004-05	197.00	202.63	205.47
2005-06	197.00	200.98	221.91
2006-07	197.00	203.08	244.85

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि देश में यूरिया का उत्पादन वर्ष 2004-05 के बाद से संस्थापित क्षमता के 100 से अधिक रहा है। देश वर्ष 2002-03 से यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि पिछले दस वर्षों से इस क्षेत्र में कोई नया निवेश नहीं हुआ है। उत्पादन क्षमता स्थिर रही है जबकि पिछले कुछ वर्षों से यूरिया की खपत तेजी से बढ़ी है। देश में बढ़ती हुई मांग और स्थिर उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीति को अंतिम रूप दे रही है। इसके अलावा देश में यूरिया की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार एफसीआईएल और एचएफसीएल की बन्द पड़ी हुई इकाइयों के पुनरुद्धार की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन

4479. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नई बीजी लाइनों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, निगमित निकायों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त नई बीजी लाइनों को बिछाने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर होने वाले परिवहन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) नई बड़े आमान वाली लाइनों के निर्माण के लिए निम्नलिखित के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:-

(1) झारखंड राज्य सरकार से देवघर-दुमका, गिरिडीह-कोडरमा, कोडरमा-रांची, कोडरमा-तिलैया और दुमका-रामपुरहाट के लिए।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय खनन विकास निगम के साथ दल्लीराजहरा-जगदलपुर के निर्माण के लिए।

इसके अतिरिक्त, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं में लागत में भागीदारी के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों की भागीदारी से काफी संख्या में परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) के अंत तक भारतीय रेल नेटवर्क पर नई लाइनों सहित माल यातायात 1100 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है।

शिशुओं और बच्चों के लिए विमान किराए संबंधी नीति

4480. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया तथा अन्य एयरलाइनें एक दिन के शिशु के लिए भी विमान किराया वसूल करती हैं;

(ख) यदि हां, तो शिशुओं के लिए विमान किराया वसूल किए जाने का औचित्य क्या है;

(ग) बच्चों के लिए विमान किराए संरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) एयरलाइनों को रेलवे द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों और 11 वर्ष तक के बच्चों की दी जा रही रियायत की तरह रियायत देने में क्या समस्याएं आ रही हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार शिशुओं और बच्चों के लिए विमान किराए संबंधी नीति की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी हां। नेशनल एविएशन कम्पनी आफ इंडिया लि. (नैसिल) को आयटा का एक सदस्य है, शिशुओं के किराए के संबंध में आईएटीए की सिफारिशों का अनुसरण (विश्वभर में सदस्य एयरलाइनों द्वारा अनुसरण) करती है।

(ग) नैसिल में बच्चों के लिए विमान किराया ढांचा इस प्रकार है:-

(1) शिशु (2 वर्ष से कम आयु) - लागू किराए का 10 प्रतिशत तथा (2) बच्चे (2 वर्ष की आयु या उससे अधिक किन्तु 12 वर्ष से कम) - अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर लागू किराए का 75 प्रतिशत तथा घरेलू मार्गों पर लागू किरायों का 50 प्रतिशत।

(घ) आईएटीए का सक्रिय सदस्य होने के कारण नैसिल के लिए इसके निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर अपने किराए-ढांचे को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा नीतिगत विषय होने के कारण इसमें हस्तक्षेप नहीं करती।

विज्ञापनों पर खर्च

4481. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी द्वारा मुद्रित और दृश्य संचार मीडिया के लिए पृथक आंकड़े देते हुए समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, टी वी चैनलों तथा अन्य संचार माध्यमों में कुल कितने विज्ञापन दिए गए;

(ख) क्या ओएनजीसी की योजना आगामी वर्षों में अपने विज्ञापन बढ़ाने की है; और

(ग) यदि हां, तो ओएनजीसी द्वारा इस प्रकार का खर्च करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा विगत 3 वर्षों के लिए दिए गए कुल विज्ञापनों के प्रिंट मीडिया व दृश्य मीडिया के अलग-अलग आंकड़े निम्नवत् हैं-

वर्ष	(व्यय करोड़ रुपए में)	
	प्रिन्ट मीडिया	दृश्य मीडिया
2005-06	36.33	शून्य
2006-07	41.66	5.69
2007-08	13.34	1.24

(ख) विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय कारोबारी क्रियाकलापों तथा सांविधिक मांगों पर आधारित होता है, जो वर्ष-दर-वर्ष भिन्न होता है।

(ग) ओ.एन.जी.सी. एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसका एक व्यापक व विविधीकृत अंशधारक आधार है। यह देश की "प्रमुख ऊर्जा फ्लैगशिप" है। यह अनिवार्य है कि नवरत्न ओ.एन.जी.सी. का नैगम कार्यनिष्पादन व उपलब्धियों की जानकारी कुल मिलाकर देश के लोगों और कारोबार में लगे सभी अंशधारकों, पणधारकों को दी जाए। सभी पणधारकों में नैगम कार्यनिष्पादन तथा नैगम तत्परता को मजबूत आधार देने हेतु विज्ञापन स्वीकृत विलेख हैं। ओ.एन.जी.सी. सार्वजनिक हित में भी विज्ञापन देता है।

अशक्त यात्रियों द्वारा इंडेम्निटी बांड

4482. श्री नवीन जिन्दल:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्यरत कुछ एअरलाइनें चलने फिरने में अशक्त यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले इंडैम्निटी बांड पर हस्ताक्षर करने पर जोर देती है और उन्हें एंजल चेअर्स उपलब्ध नहीं करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एअरलाइनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या ऐसी एअरलाइनों में कार्यरत वाणिज्यिक कर्मचारियों को ऐसे यात्रियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो क्या यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं की कमी की जानकारी देते हुए शिकायतें भेजी हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी एअरलाइनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(च) क्या डीजीसीए एअरलाइनों को देश में प्रचालन के लिए लाइसेंस देने से पूर्व सीएआर के तहत बनाए गए कतिपय विशिष्ट उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है; और

(छ) यदि हां, तो एअरलाइनों द्वारा इन उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इन नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने से किस प्रकार रोका जाता है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मैसर्स जेट एयरवेज, मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस, मैसर्स स्पाइसजेट, मैसर्स पैरामाउण्ट तथा मैसर्स इंडिगो अपनी उड़ानों द्वारा यात्रा करने वाले चलने फिरने में अशक्त यात्रियों/विकलांगों से क्षतिपूर्ति बंधपत्र लेने पर जोर नहीं देती। मैसर्स जेटलाइन विकलांगों अथवा उन व्यक्तियों, जो उनकी उड़ानों से यात्रा करते समय चिकित्सकीय उपचाराधीन होते हैं, से क्षतिपूर्ति लेने पर जोर देती है। एयर डक्कन ने सूचित किया है कि वे बीमार यात्रियों से क्षतिपूर्ति बंधपत्र लेते हैं। गो एयर ने सूचित किया है उनकी उड़ानों से यात्रा करने वाले उन यात्रियों, जो हाल ही में चिकित्सकीय उपचार से गुजरे हों, को चिकित्सक द्वारा अपेक्षित एमईडीए प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। सभी निजी अनुसूचित एयरलाइनों ने सूचित किया है कि वे शारीरिक रूप से विकलांग/अक्षम/चलने फिरने में अशक्त यात्रियों को आइल सीटें प्रदान करते हैं जिससे ऐसे यात्रियों को विमान में सवार होने व उतरने में सुविधा हो और केबिन कर्मीदल उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकें।

(ग) से (ङ) अनुसूचित एयरलाइनों का हवाई अड्डे पर नियुक्त वाणिज्यिक स्टाफ विभिन्न पक्षों यथा चैक-इन, ग्राउण्ड हैण्डलिंग, ग्राहक सेवा के मुद्दों आदि में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होता है। शारीरिक रूप से विकलांग/वृद्ध यात्रियों को व्हील चेयर जैसी सुविधाएं देने से इनकार करने के संबंध में यात्रियों की ओर से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निवारण हेतु इन शिकायतों को एयरलाइनों के साथ उठाया गया है। सभी एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि उन्हें यात्रियों को पेश की जाने वाली, निःशुल्क तथा सशुल्क दोनों प्रकार की, विभिन्न सुविधाओं को अपनी-अपनी वेबसाइट पर सुस्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए ताकि यात्री हवाई टिकटें बुक कराने से पहले इनसे अवगत रहें।

(च) और (छ) सभी एयरलाइनों को परमिट प्रदान किए जाने से पहले सीएआर के विभिन्न प्रावधानों तथा उड़नयोग्यता, प्रचालनिक तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होता है। नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरलाइनें नियमों और विनियमों का पालन कर रही हैं, निगरानी जांच, संरक्षा जांच, निरीक्षण आदि करते हैं।

सुलभ शौचालयों से संबद्ध गैर-सरकारी संगठन

4483. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सुलभ शौचालय चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस योजना के अंतर्गत ऐसी सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने से पूर्व कतिपय स्कीमों में उक्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बरती गई अनियमितताओं पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किस नियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी हां।

(ख) सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को "सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना" और अनुसूचित जाति विकास (अनुसंधान और विकास) के लिए अखिल भारतीय अथवा अंतर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को समर्पण देने की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय को उपर्युक्त निधियों के उपयोग में गैर-सरकारी संगठन द्वारा बरती गई अनियमितता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अतिरिक्त लौह अयस्क ब्लाकों का आबंटन

4484. श्री रनेन बर्मन: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम ने अपनी विस्तार संबंधी आवश्यकता के दृष्टिकोण से अतिरिक्त लौह अयस्क ब्लाकों के आबंटन की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की विकास योजना में 2010-11 तक लगभग 26 मिलियन टन तथा 2019-20 तक लगभग 50 मिलियन टन तप्त धातु उत्पादन की परिकल्पना की गई है। इसके फलस्वरूप आगामी 50 वर्षों के लिए 5700 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। तथापि, चिरिया और रावघाट सहित सेल के पास लौह अयस्क के उपलब्ध स्रोत 3400 मिलियन टन है। इस प्रकार सेल को अतिरिक्त लौह अयस्क की आवश्यकता होगी और इसने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आवेदन किए हैं:-

क्र.सं.	टाइप (पीएल/एमएल)	पट्टा/पीएल का नाम तथा राज्य का नाम	दिनांक	क्षेत्र
1.	पीएल*	रावघाट क, ख, ग, घ, ङ ब्लाक, छत्तीसगढ़	3.7.07	1529 हैक्टेयर
2.	पीएल	करमपाड़ा, झारखण्ड	20.8.07	5330 हैक्टेयर
3.	पीएल	अंकुआ, झारखण्ड	20.8.07	3160 हैक्टेयर
4.	एमएल**	एनईबी, कर्नाटक	25.1.07	140 हैक्टेयर
5.	एमएल	कंजामलाई, तमिलनाडु	27.5.07	1106 हैक्टेयर
6.	एमएल	घाटकुरी, झारखण्ड	29.5.07	2580 हैक्टेयर
7.	एमएल	मेघाहाताबुरू, झारखण्ड	29.5.07	500 एकड़

*पीएल : प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस

**एमएल : माइनिंग लीज

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

अपने विस्तार तथा अपनी विद्यमान क्षमताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आरआईएनएल ने लौह अयस्क ब्लाकों के लिए आवेदन किया। आवेदनों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टे शीघ्र आबंटित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

15.04.2008 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लि./विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों के संबंध में लौह अयस्क के खनन पट्टों की स्थिति

क्र.सं.	पट्टे का नाम	अयस्क की किस्म	क्षेत्र (हैक्ट.)	खनन पट्टे में अयस्क के भंडार (मिलियन टन)	पृष्ठभूमि/खनन पट्टे का इतिहास
1	2	3	4	5	6
I.	**उड़ीसा**				
1.	सुंदरगढ़ जिले में मनकारनाचा व बाडामगढ़ पहार	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	939.1427	71.00	आवेदन पत्र सं. 1387 के अनुसार 19.11.2003 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।

1	2	3	4	5	6
2.	सुंदरगढ़ जिले में खजूरडीह आरएफ, कोयडा ब्लाक	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	569.5600	150.00	आवेदन पत्र सं. 1386 के अनुसार 19.11.2003 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
3.	खजूरडीह आरएफ, जलडीह व तान्तीग्राम	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	1246.0940	120.00	आवेदन पत्र सं. 1419 के अनुसार 13.01.2004 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
4.	काड़ाकाला, मरसीन, टिरिबा व रकम	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	1300.9300	120.00	आवेदन पत्र सं. 1025 के अनुसार 16.01.2004 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
5.	खजूरडीह आरएफ, केनसारा व बाटागांव	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	360.1540	50.00	आवेदन पत्र सं. 1555 के अनुसार 06.08.2004 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
II.	छत्तीसगढ़				
6.	रावघाट, नारायणपुर डिवीजन, बस्तर	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	3975.00	255.00	आवेदन पत्र सं. 8 के अनुसार 09.12.2003 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
7.	बैलाडिला, दंतेवाड़ा जिला	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	631.34	327.24	आवेदन पत्र सं. 21 के अनुसार 23.09.2005 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
III.	आंध्र प्रदेश				
8.	परकासम जिले (आंध्र प्रदेश) के टांगुटूरू व ओन्गोल मेंडल में मारलापाडु, सरकारेड्डी पालेम व ईराबेरला गांव	लौह अयस्क (मैग्नेटाईट)	1307.27	52.00	आवेदन पत्र सं. 1416 के अनुसार 23.05.2004 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
9.	वेमवारला गांव, अदानकी मंडल, परकासम जिला (आंध्र प्रदेश)	लौह अयस्क (मैग्नेटाईट)	77.00	5.00	आवेदन पत्र सं. 1733 के अनुसार 20.06.2005 को खनन पट्टे हेतु आवेदन कर दिया।
10.	ओबुलापुरम गांव (आंध्र प्रदेश) का रायदुर्ग सैक्शन	लौह अयस्क (हेमेटाईट)	304.19	अनुमान लगाया जाना	दिनांक 30 अक्तूबर, 2006 के पीएल आवेदन संख्या 4844/पीएल/06 के तहत पूर्वेक्षण लाईसेंस दिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रह रहे अल्पसंख्यकों का कल्याण

4485. श्री मनोरंजन भक्त: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाइयों के कल्याणार्थ कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाइयों की जनगणना के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) सरकार देश में अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम में ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने से संबंधित विशेष कार्यक्रम शामिल है, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम है। निकोबार सहित अभिनिर्धारित 90 पिछड़े जिलों में 'धीमी विकास' की समस्या के समाधान के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मक्सी-गोधना के बीच नई रेल लाइन

4486. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मक्सी-गोधना नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे की कितनी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं का कितना कार्य पूरा हो गया है;

(घ) क्या रेलवे ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) गोधरा-इंदौर और देवास-मक्सी खंड का कार्य वर्ष 1989-90 के रेल बजट में एक ही परियोजना के रूप में शामिल किया गया था। देवास-मक्सी खंड पर ही कार्य शुरू किया गया था और इसे पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। दाहोद-इंदौर खंड के लिए फरवरी, 2007 में सरकार से स्वीकृति ली गई थी। चूंकि यातायात के स्वरूप में बदलाव और समर्पित माल यातायात गलियारे के निर्माण के कारण गोधरा-दाहोद तीसरी लाइन अपेक्षित नहीं थी। इसलिए 2007-08 के रेल बजट में इस कार्य की परिधि में आशोधन करके इसे 734.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सरदारपुर, धार के रास्ते दाहोद-इंदौर और देवास-मक्सी के रूप में शामिल किया गया। चूंकि देवास-मक्सी लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है, इसलिए इस कार्य का नाम पुनः आशोधित करके वर्ष 2008-09 के रेल बजट में 678.56 करोड़ रु. की लागत पर सरदारपुर के रास्ते दाहोद-इंदौर, झबुआ, धार (200.97 कि.मी.) कर दिया गया है। इस कार्य को आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

रेल दुर्घटना पीड़ितों के रिश्तेदार को रोजगार

4487. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं के मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को वर्ष 2007-08 में रोजगार दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समूह-'ग' के रिक्त पद

4488. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में काफी बड़ी संख्या में समूह 'ग' के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलों में 29.02.2008 तक ग्रुप "ग" में लगभग 127745 पद रिक्त पड़े हैं। रेलवे जैसे वृहद संगठन में किसी भी समय रिक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। सामान्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण रिक्तियों का उत्पन्न होना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) रिक्तियों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कोटा की रिक्तियों को सामान्यत: रेलवे भर्ती बोर्डों के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा भी अनुकंपा के आधार पर, सांस्कृतिक, खेल-कूद, स्काउट कोटा आदि के माध्यम से नए उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। जहां तक पदोन्नति कोटा संबंधी रिक्तियों को भरने का संबंध है, रेलें चयनों, उपयुक्तता परीक्षणों आदि के माध्यम से उच्च ग्रेड के पदों को भरने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान

4489. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के उद्देश्य और कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह संस्थान कब तक स्थापित किया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना एक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में, कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा में की जा रही है ताकि विभिन्न पणधारियों जैसे उद्यमियों, उद्योग, निर्यातकों, नीति निर्माताओं, सरकारी और वर्तमान संस्थानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उक्त संस्थान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

(1) पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अध्यापन के तरीकों तथा शिक्षण सामग्रियों के विकास, डिजाइन, उन्नयन तथा मानकीकरण के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में एक शीर्ष अकादमिक संस्थान बनाना।

(2) उत्पाद, प्रौद्योगिकियों, प्रबंधन पद्धतियों, खाद्य मानकों, बाजार आदि पर जानकारी सहित खाद्य प्रसंस्करण के पहलुओं पर एक शीर्ष सूचना संसाधन केंद्र बनना।

(3) खाद्य एवं पेय पदार्थ के क्षेत्र में भारत में शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान बनना तथा देश में इस क्षेत्र में सभी अनुसंधान और विकास प्रयासों का समन्वय करना। यह अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करेगा, विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकियां। विकसित करेगा और अनुसंधान एवं विकास पर नीति तैयार करने में सरकार की सहायता करेगा।

(4) खाद्य मानकों, गुणवत्ता, प्रत्यायन और प्रमाणन का विकास करने; अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों का संग्रह रखने और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने हेतु भी केंद्रीय भूमिका अदा करना।

(5) उद्यमियों को धारणीय व्यवसाय विकसित करने में समर्थ बनाने के लिए इंक्यूबेटर सेवाएं प्रदान करना जो आगे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रगति को उत्प्रेरित कर सकती हैं।

संस्थान को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन "लाभ के लिए नहीं" कम्पनी के रूप में शामिल किया गया है और यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होगा। संस्थान की संरचना कार्यात्मक संगठन वाली होगी, जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनुसंधान और प्रशिक्षण में विश्वस्तरीय बैंचमार्क स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों तथा संकाय को सशक्त और प्रेरित कर सके। आशा है कि संस्थान जुलाई 2009 से अपने अकादमिक कार्यकलाप प्रारंभ कर देगा।

डीजल और स्नेहकों की भेजी गई खेप और उसकी प्राप्ति में विसंगतियां

4490. श्री संतोष गंगवार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. के न्हावा आपूर्ति स्थल से भेजी गई डीजल और स्नेहक तेल की खेप तथा अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित इसके विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्राप्त खेप के बीच किसी विसंगति का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्हावा से विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिमाह भेजी गई खेप की मात्रा कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान अपतटीय क्षेत्रों में अवस्थित प्रत्येक प्रतिष्ठान में खेप की कितनी मात्रा प्राप्त हुई;

(ङ) भेजी गई एवं वास्तविक रूप से प्राप्त खेप के बीच अंतर के कारणों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी किसी विसंगति की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) कोई बेमेल होने का पता नहीं चला है। तथापि, सभी आपूर्ति पोतों पर फ्लो मीटर लगाए गए हैं जो सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी द्वारा विधिवत् प्रमाणित/उनकी वैधताओं के अनुसार अंशांकित हैं।

(च) ऊपर (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

विगत 3 वर्षों में अपतट संस्थापनाओं की सुपुर्दगी के लिए न्हावा से ओ.एन.जी.सी. को ईंधन तेल लदान के ब्यौरे

(मात्रा किलो लीटर में)

मास	2005-06	2006-07	2007-08
अप्रैल	12438	13142	11622
मई	12226	13551	12875
जून	13995	12830	9877
जुलाई	12771	12818	8160
अगस्त	14677	14164	11443
सितम्बर	12164	12324	9306
अक्तूबर	11679	13427	10405
नवम्बर	12700	14320	10624
दिसम्बर	13834	10521	12650
जनवरी	18276	11467	12963
फरवरी	12540	10417	11862
मार्च	14363	11406	12236
योग	161663	150387	134023

विवरण II

हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल (एचएफएचएसडी) की वर्षवार प्राप्ति

(मात्रा किलो लीटर में)

वर्ष	न्हावा से जारी	प्रयोक्ता										
		मुंबई हाई परिसंपत्ति	नीलम हीरा परिसंपत्ति	बेसिन और स्टैलाइट परिसंपत्ति	वेधन सेवाएं	कूप सेवाएं	इंजीनियरी सेवाएं	भूभौतिकीय सेवाएं	निरीक्षण अनुरक्षण और मरम्मत	समुद्री संभारतंत्र	योग	अग्रेनीत शेष
2005-06	161663	2718	1922	1226	62310	5106	1091	3335	13513	64442	155663	6000
2006-07	150387	4467	586	1704	53812	5647	1687	4619	12708	66833	152063	4324
2007-08	134023	3830	382	1263	39944	7272	2041	4584	22695	53744	135755	2592

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल/मिट्टी के तेल/रसोई गैस के बिक्री केंद्र खोलना

4491. चौ. मुनव्वर हसन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के दौरान विभिन्न कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और गाजीपुर के किन-किन स्थानों पर पेट्रोल/डीजल/मिट्टी का तेल/रसोई गैस के बिक्री केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) आवेदन आमंत्रित करने और डीलरों के चयन की प्रक्रिया कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) नामत: इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) चयन किए गए स्थानों की संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्र (आर ओ) डीलरशिप, एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिप स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन ओ एम सीज द्वारा इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा निर्धारित वस्तुपूरक और पारदर्शी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। स्थल-वार ब्यौरा संबंधित ओ एम सीज के निदेशकों (विपणन) के पास उपलब्ध है।

ओ एम सीज ने सूचित किया है कि ऐसी कोई निश्चित समय सीमा, बताना कठिन है कि कब तक स्थलों को विज्ञापित किया जाएगा और डीलरों का चयन हो जाएगा क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए नए विज्ञापन व्यवहार्यता अध्ययनों, पहचान किए गए स्थानों का रोस्टर बनाने/श्रेणीकरण आदि प्रक्रिया पूरी होने पर ही दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थानों के लिए जहां संग्रह निधि सुविधा लागू हो, भूमि प्राप्त करनी होती है और केवल तब ही विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

आई.जी.आई. विमानपत्तन में परिवर्तन

4492. श्री उदय सिंह:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (प्राइवेट) लि. से यात्रियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण टर्मिनल में कतिपय परिवर्तन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लि. दोनों से यात्रियों की समस्या से निपटने के लिए मिलकर कार्य करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) आईजीआई हवाईअड्डा दिल्ली पर चल रहे पुनर्सज्जा और आधुनिकीकरण के कार्यों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन के लिए पुन: अनुसूचित किया गया है ताकि यात्रियों की असुविधाओं को कम किया जा सके।

(ग) और (घ) यातायात समस्या को हल करने तथा सुचारू यातायात प्रवाह उपलब्ध कराने के लिए सीआईएसएफ तथा डायल, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है।

रेलगाड़ियों में प्राथमिक उपचार

4493. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चलती रेल गाड़ियों में प्राथमिक उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए पेटेंट कानूनों के कारण औषधियों के मूल्य में वृद्धि

4494. श्री रामदास आठवले: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए पेटेंट कानूनों से औषधियों के मूल्यों में कई गुना वृद्धि होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार औषधियों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कौन-से कदम उठा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) उत्पाद पेटेंट तंत्र लागू करने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम में दिनांक 1.1.2005 से संशोधन किया गया है। उत्पाद पेटेंट वाली दवाओं के मूल्यों पर उत्पाद पेटेंट तंत्र का कुछ प्रभाव हो सकता है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षोपाय किए हैं कि भारत में उन दवाओं का विनिर्माण जारी रहेगा जिनका विनिर्माण इस कानून के लागू होने की तारीख को किया जा रहा है। इसलिए ऐसे मामलों में पर्याप्त बाजार प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप इन पेटेंटशुदा दवाओं के मूल्य नियंत्रण में रहने की आशा है।

यह अनुमान है कि भारत में उत्पादित हो रही 95 प्रतिशत से अधिक औषधियां पेटेंट से बाहर हैं और उत्पाद पेटेंट के लागू किए जाने से प्रभावित नहीं होंगी। इसी प्रकार, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003 में शामिल दवाएं भी पेटेंट से बाहर हैं और उत्पाद पेटेंट तंत्र से प्रभावित नहीं होंगी। बहुत कम संख्या में औषधियां (5 प्रतिशत से भी कम) जिनके उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है और नए पेटेंट तंत्र के लागू होने की तारीख को जिनका भारत में उत्पादन हो रहा था, का बिना किसी बाधा के देश में उत्पादन जारी रहेगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में अद्यतन संशोधन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है। ऐसी औषधियों के उत्पादन पर पेटेंटधारक कंपनी को उचित रायल्टी देय होगी।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य-उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। हाल ही में, सरकार ने एक वर्ष में औषधि की मूल्य वृद्धि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

[अनुवाद]

छोटी दाल मिलें

4495. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में छोटी दाल मिलों की स्थापना के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) देश में विभिन्न मिलों को वर्ष 2007-08 के दौरान उपलब्ध कराई गई सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त सब्सिडी योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में अब तक स्थापित की गई मिलों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना स्कीमों के अनुसार लघु दाल प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने की इच्छुक कार्यान्वयन एजेंसियां उपकरणों (लघु दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने हेतु) के कुल लागत के 50 प्रतिशत तक की सहायता पाने के लिए पात्र हैं जिसकी अधिकतम सीमा 35,000/- प्रति यूनिट है। यह सहायता केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर के माध्यम से दी जाएगी, जो पात्र लाभभोगियों की पहचान करने में मदद करेगा।

(ग) उपयुक्त प्रस्तावों के अभाव में वर्ष 2007-08 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

(घ) वर्ष 1992 से 2002 के दौरान उपर्युक्त स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में 100 लघु दाल मिलों की स्थापना की गई:

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापित दाल मिलों की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	4
2.	पंजाब	1
3.	मध्य प्रदेश	3
4.	महाराष्ट्र	10

1	2	3
5.	राजस्थान	5
6.	उत्तर प्रदेश	59
7.	उड़ीसा	6
8.	आंध्र प्रदेश	5
9.	कर्नाटक	2
10.	तमिलनाडु	2
11.	पश्चिम बंगाल	1
12.	मणिपुर	2
	कुल	100

वैसे 11वीं योजना में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दाल प्रसंस्करण यूनिटों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों के संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता का तीव्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत संवितरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण बैंकों के जरिए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश को बढ़ी हुई दरों पर यानी 50 प्रतिशत की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा नई यूनिटों के संवर्धन के मामले में 4.00 करोड़ रुपये है और इसके उन्नयन/आधुनिकीकरण के मामले में 1.00 करोड़ रुपये है।

दिल्ली विमानपत्तन के पर्यवेक्षण में शिथिलता

4496. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन से पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भीड़भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली विमानपत्तन पर और अधिक संख्या में काउंटर और प्रवेश द्वार खोले जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो विमानपत्तन पर सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली हवाईअड्डे पर यात्रियों की सुविधा तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) एयरलाइनों के कार्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के बाहर पुनर्स्थापित करके यात्रियों के आवागमन तथा सुचारू प्रचालन के लिए स्थान बढ़ाया गया है,

(2) आधुनिकीकरण गतिविधियों की समय सारणी को दोबारा निर्धारित किया गया है और यात्रियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम करने के लिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है,

(3) यात्रियों की सुविधा के लिए नए उड़ान सूचना प्रदर्शन बोर्ड लगाए गए हैं,

(4) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्रियों का संबंधित चैक-इन काउन्टरों तक मार्गदर्शन करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त की गई है,

(5) सुरक्षा जांचों द्वारा की संख्या 8 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है। प्रस्थान की दिशा में आप्रवास काउंटरों की संख्या 28 से बढ़ाकर 44 और आगे 52 तक की जा रही है। आगमन पक्ष की ओर आप्रवास काउंटरों को 28 से बढ़ाकर 48 किया जा रहा है,

(6) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर हैंड बैगेज एक्सरे मशीनों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 12 किया गया है जिनकी संख्या जून 2008 तक और बढ़कर 16 हो जाएगी। जून 2008 तक चैक-इन काउंटरों को 78 से बढ़ाकर 100 कर दिया जाएगा।

समय पाबंदी समन्वय प्रकोष्ठ का कार्यकरण

4497. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री पंकज चौधरी:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य के स्वामित्व वाले कैरियरों की समय पाबंदी को मानिटर करने के लिए समय पाबंदी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी कैरियरों की तुलना में गत दो वर्षों में इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा निजी कैरियरों की तुलना में राज्य कैरियरों की समय पाबंदी में सुधार करने के लिए गत तीन माह में कोई नवीकृत प्रयास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। दो समयपालन समन्वय प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं अर्थात् (1) एनएसीआईएल (आई) प्रचालनों की मानिटरिंग करने वाला समन्वय प्रकोष्ठ, तथा (2) एनएसीआईएल (ए) के प्रचालनों की मानिटरिंग करने वाला नियंत्रण कक्ष-मुंबई। तत्कालीन एयर इंडिया के संपूर्ण नेटवर्क में पिछले दो वर्षों के दौरान (2006-07 तथा 2007-08) समय पर निष्पादन (ओटीपी) 39 प्रतिशत से 65 प्रतिशत रहा जबकि तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस में यह क्रमशः 58.98 प्रतिशत तथा 59.27 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) समय पर निष्पादन में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं (1) अविच्छिन्न तथा समय पर प्रचालनों को बनाए रखने के दृष्टिकोण से समेकित उड़ानें; (2) विमान मार्गों, विलम्बों, क्रू तैनाती आदि की अधिकतम उपयोगिता उपलब्ध करने तथा तात्विक किफायत के दृष्टिकोण से एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा नियमित समीक्षा; (3) त्रिवेन्द्रम में एक नए बेस को क्रू के लिए खोला गया था; (4) विमान अनुरक्षण आरक्षित निधि में वृद्धि (5) दिल्ली में एक कार्यपालक निदेशक के अधीन एक निगमित स्तर का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो अन्ततः मुंबई में हब नियंत्रण सेटअप के साथ जोड़ा जाएगा। दिल्ली के नियंत्रण कक्ष, हब नियंत्रण मुंबई में तथा क्षेत्रीय समन्वय प्रकोष्ठ में प्रत्येक शिफ्ट में एक समर्पित अधिकारी काल सेंटर के साथ हाट लाइन के माध्यम से निरंतर संपर्क बनाए रखेगा, जो उड़ान स्तर से उन्हें बराबर अवगत कराए (6) त्रिवेन्द्रम में उड़ान प्रचालनों को मानीटर करने के लिए एक छोटा नियंत्रण प्रकोष्ठ बानाया जा रहा है (7) मुम्बई में विभिन्न उड़ान हैंडलिंग विभागों के साथ समन्वय बनाए रखने तथा उड़ानों के समयपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक पाबंदी समन्वय प्रकोष्ठ 24 घंटे कार्य कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी विमानपत्तन पर विमान दुर्घटना को टाला जाना

4498. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गुवाहाटी विमानपत्तन पर एक बड़ी विमान दुर्घटना को टाला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या आपातकालीन व्यवस्था है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विमानपत्तनों पर ऐसी बड़ी दुर्घटना को टाले जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस की कोलकाता गुवाहाटी उड़ान संख्या आईसी-229 में दिनांक 07.02.2008 को पक्षी के टकराने तथा टायर फटने की दुर्घटना घटी थी।

(ग) प्रत्येक हवाई अड्डे पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए दस्तावेजी कार्यप्रणाली है। गुवाहाटी हवाईअड्डे पर विमानों तथा इनके अधिभोक्ताओं से संबंधित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक हवाई अड्डा आपात योजना (एईपी) है। इस एईपी को सर्वाधिक रूप से अपडेट किया जाता है तथा योजना के प्रभाव तथा तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए कवायद की जाती है।

(घ) उन हवाईअड्डों पर जहां शेड्यूल उड़ानें प्रचालित की जाती हैं, पक्षियों के आकर्षण के कारणों को पहचानने के लिए तथा ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उपचारात्मक कदम उठाने हेतु एक हवाई क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन कमेटी गठित की गई है। पक्षी टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए कूड़ाकरकट के व्यवस्थित निपटान, पानी की लोजिंग की रोकथाम, कचरापेटियों को ढकने, आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना तथा पक्षियों को डराने आदि विभिन्न कदम भी उठाए गए हैं।

निजी क्षेत्र द्वारा कच्चे तेल भंडारों की स्थापना

4499. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री सूरज सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए कच्चे तेल भंडार की स्थापना आवश्यक है, जो कि अभी तक सरकारी संगठनों तक सीमित थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एक पूंजी गहन तथा ज्ञान आधारित उद्योग है। देश में अन्वेषण को गति प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 1997 में नई अन्वेषण और लाइसेंस नीति (एनईएलपी) अनुमोदित की है और फरवरी, 1999 से यह प्रभावी है। तब से अन्वेषण के लिए प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस केवल एक प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रणाली द्वारा दिए जाते हैं और राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) से यह उपेक्षा की जाती है कि पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों (पीईएलज) को प्राप्त करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ एक समान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करे। एन ईएलपी के तहत अब तक बोली के छः दौर हुए हैं, जिनमें 162 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, एनईएलपी से पूर्व 28 अन्वेषण ब्लाकों पर हस्ताक्षर किए गए थे। एनईएलपी के तहत, खम्बात जमीनी, उत्तरी पूर्व तट कावेरी और कृष्णा गोदावरी उथले जल क्षेत्रों में पहले ही 58 तेल और गैस खोजें की गई हैं, जिसके लिए, प्रचालकों अर्थात् कैरन, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) तथा नीको द्वारा विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। एनईएलपी के क्रियान्वयन के बाद, नामांकन आधार पर किसी कंपनी को कोई अन्वेषण ब्लाक प्रदान नहीं किया गया था। एनईएलपी के सातवें दौर के तहत, जो 13 दिसम्बर, 2007 को शुरू किया गया था, सरकार ने 16 मई, 2008 को बोली बंद होने की तारीख तक 57 अन्वेषण को प्रस्तुत किया है।

देवनहल्ली विमानपत्तन का उद्घाटन

4500. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवनहल्ली स्थित बेंगलुरू अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विमानों के उड़ान भरने के लिए तैयार है और अब से दो माह के भीतर शुरू होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(घ) क्या 30 मार्च, 2008 को व्यावसायिक उड़ानों के प्रारंभ होने के पश्चात पहले दो महीनों के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क को आधा कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह यात्रियों के लिए कि सीमा तक लाभदायक होगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। हवाईअड्डा प्रचालन आरंभ करने के लिए लगभग तैयार है।

(घ) और (ङ) मैसर्स बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड को प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर 1070 रुपये की दर से (सभी टैक्सों के अतिरिक्त) यूजर डेवलपमेंट फीस (यूडीएफ) लगाने का परमिट दिया गया है। प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्रियों पर यूडीएफ चार्ज लगाने का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

स्टेनलेस स्टील का उत्पादन

4501. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने वाले इस्पात संयंत्रों का उत्पादन की मात्रा सहित संयंत्रवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादन की संयंत्रवार कुल कितनी मात्रा निर्यात की जा रही है;

(ग) घरेलू बाजार में स्टेनलैस स्टील की कुल कितनी मांग है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) इस समय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) बेदाग इस्पात का उत्पादन करने वाला एक मात्र संयंत्र है। वर्ष 2007-08 के दौरान एएसपी ने 21,800 टन बेदाग इस्पात स्लैबों का उत्पादन किया है।

बेदाग इस्पात के चपटे उत्पाद का उत्पादन करने तथा बेदाग इस्पात स्लैबों की रोलिंग हेतु सेल के सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सेलम (तमिलनाडु) की एक रोलिंग मिल है। इस समय इसकी अपनी बेदाग इस्पात उत्पादन सुविधा नहीं है। वर्ष 2007-08 के दौरान इसने 58788 टन बेदाग इस्पात उत्पादों को रोल किया।

(ख) इस समय एएसपी से बेदाग इस्पात का कोई निर्यात नहीं किया जाता है। एसएसपी ने वर्ष 2007-08 के दौरान 6153 टन बेदाग इस्पात उत्पादों का निर्यात किया।

(ग) सरकार मिश्र इस्पात, जिसमें बेदाग इस्पात शामिल है का डाटा बेस रख रही है। बेदाग इस्पात के लिए कोई अलग से डाटा बेस नहीं है। पिछले 5 वर्षों के दौरान मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात सहित) की घरेलू प्रत्यक्ष खपत निम्नानुसार है:-

मिश्र इस्पात की प्रत्यक्ष खपत

(हजार टन)

वर्ष	प्रत्यक्ष खपत
2002-03	1780
2003-04	1950
2004-05	1988
2005-06	2248
2006-07	2455
2007-08 (अनंतिम)	2500

स्रोत: जेपीसी

इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष खपत को मांग के अनुरूप माना जा सकता है।

(घ) और (ङ) सेलम इस्पात संयंत्र की मौजूदा विस्तार योजना में 180,000 टन वार्षिक बेदाग इस्पात स्लैबों को उत्पादन करने के लिए इस्पात गलनशाला के जरिए बेदाग इस्पात उत्पादन की परिकल्पना की गई है। विस्तार के बाद संयंत्र की विक्रेय इस्पात क्षमता 0.18 मिलियन टन वार्षिक (एमटीपीए) से बढ़कर 0.34 एमटीपीए हो जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जतायी गयी आपत्ति

4502. श्री महावीर भगोरा: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के संबंध में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास आयोग द्वारा जतायी गई आपत्ति के संबंध में सूचना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ङ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को इस आशय का पत्र लिखा था कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यक सब-प्लान शुरू करने की सलाह योजना आयोग को दी जाए। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यक सब-प्लान का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

कुल्टी स्टील और आईआईएससीओ का पुनरुद्धार

4503. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल्टी स्टील का पुनरुद्धार कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनरुद्धार परियोजना में कितना व्यय हुआ है;

(ग) पुनरुद्धार योजना के पूरे होने के पश्चात् कुल्टी स्टील की क्षमता किस सीमा तक बढ़ी है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (आईआईएससीओ) के पुनरुद्धार की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2010 तक उक्त योजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) से (ग) कुल्टी वर्क्स को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) से पृथक कर दिया गया है और "सेल ग्रोथ वर्क्स", कुल्टी नाम दिया गया है तथा अब यह स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक पृथक इकाई के रूप में काम कर रही है। संबद्ध सुविधाओं सहित नान फैरस फाउंड्री शुरू करने सहित इसने अप्रैल, 2008 में प्रचालन शुरू कर दिया है। विद्यमान उपस्करों मशीनरी आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए 8.7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चूंकि नान फैरस फाउंड्री, स्टील फाउंड्री तथा बैलेंसिंग सुविधाओं में सुविधाएं आंशिक रूप से पुनः शुरू की जा रही हैं इसलिए सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(घ) और (ङ) सेल बोर्ड द्वारा इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) की विस्तार योजना मंजूर कर दी गई है। इंजीनियरी कार्य चल रहा है तथा ठेकेदार द्वारा स्थल पर संसाधन जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है। आईएसपी की विस्तार योजना को समय पर पूरा करने के लिए इस्पात मंत्रालय तथा सेल इन विस्तार योजना के विभिन्न पैकेजों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की नियमित रूप से मानीटरिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त संयंत्र स्तरीय स्थाई समिति जो प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करती है द्वारा मासिक आधार पर परियोजना की मानीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

तेल अन्वेषण के लिए भूमि का आबंटन

4504. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल के अन्वेषण में लगी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने हाल ही में सरकार से तेल के अन्वेषण के लिए 3 से 5 कि.मी. क्षेत्र में कुओं की खुदाई हेतु विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में भूमि का आबंटन करने का अनुरोध किया है और उक्त परियोजना हेतु विस्तृत प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) भारत सरकार ने बिहार राज्य में एक अन्वेषणात्मक ब्लाक नामतः जीवी-ओएनएन-2002/1 मैसर्स कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि. को प्रदान किया है। अभी तक, प्रचालक ने 37,746 लाइन कि.मी. (एलकेएम) का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण और 500 एलकेएम द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किया है और उसका एक अन्वेषणात्मक कूप के वेधन का प्रस्ताव है, जिसके लिए प्रचालक ने बिहार राज्य के दरभंगा जिले में भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला प्राधिकरण से संपर्क किया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तन पर फंसे एयर इंडिया के यात्री

4505. श्री निखिल कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एयर इंडिया ने राजसांसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर लगभग 100 यात्रियों को फंसे छोड़ दिया जैसाकि 31 मार्च, 2008 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। प्रश्न में पूछे गए उड़ान संख्या एआई-187 जो दिनांक 30 मार्च, 2008 को अमृतसर से टोरन्टो की उड़ान पर था जिसमें इकानोमी क्लास ओवरबुक होने के कारण 58 यात्रियों को आफलोड किया गया था। उतारे गए यात्रियों को बर्मिंघम/टोरन्टो जाने वाली पहली उपलब्ध उड़ान के लिए उनकी बुकिंग की गई और यातायात प्रभारों के पुनर्भुगतान के साथ घर भेजा गया।

(ग) और (घ) औद्योगिक पद्धति के अनुसार एयरलाइनें अपनी क्षमताओं के इष्टतम उपयोग के लिए अपनी उड़ानों को ओवरबुक करते हैं क्योंकि उड़ान में बुकिंग कराने वाले सभी यात्री हवाईअड्डे पर नहीं पहुंचते हैं। बहरहाल कई बार अनुमान से अधिक यात्री पहुंच जाते हैं तथा एयरलाइन को कुछ यात्रियों को आफलोड करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता। बहरहाल यूएसए, यूके तथा यूरोप के गंतव्यों के लिए भारतीय रुपये का भुगतान करके टिकट धारी यात्रियों को विविध प्रभार आदेश (एमसीओ) के रूप में क्षतिपूर्ति की जाती है जिसका प्रयोग भावी पारवहन के लिए किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा दिया गया लाभांश

4506. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ तेल कंपनियों द्वारा दिया जा रहा लाभांश वर्ष प्रति वर्ष घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल कंपनियां प्रशासनिक खर्चों पर भारी राशि व्यय कर रही है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को कम लाभांश दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तेल कंपनियों के अपने प्रशासनिक खर्चों को सीमित करने या घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) तेल कंपनियों द्वारा 2005-06 से आगे सरकार को भुगतान किए गए लाभांश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लाभांश के भुगतान में दर वर्ष कोई कटौती नहीं हुई है। कुछ तेल कंपनियों ने कतिपय वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल मूल्यों में उछाल के कारण अल्प वसूलियों के बोझ के कारण अपेक्षाकृत कम लाभांश का भुगतान किया है।

(ग) तेल कंपनियों के प्रशासनिक व्यय उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं और उनके कारण सरकार को कम लाभांश नहीं दिया गया है।

(घ) सरकार ने समय-समय पर तेल कंपनियों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे अपने प्रशासनिक व्ययों में यथासंभव किफायत बरतें।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

तेल पीएसयू का नाम	सरकार को निम्नलिखित वर्षों के लिए भुगतान किए गए लाभांश की धनराशि		
	2005-06	2006-07	2007-08
ओएनजीसी	4757.22	4968.65	4915.79
आईओसी	958.08	1772.45	1245.50
बीपीसीएल	148.95	168.81	198.59
गेल	484.94	484.93	290.95
एचपीसीएल	173.09	155.77	207.71
ओआईएल	598.50	556.50	425.01
ईआईएल	53.31	43.14	50.77

तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता

4507. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारत सरकार और तुर्कमेनिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान में तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में तुर्कमेनिस्तान के साथ करार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) 5 अप्रैल, 2008 को उपराष्ट्रपतिजी

की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के दौरान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तुर्कमेनिस्तान के तेल/गैस उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ओएमयू का उद्देश्य, तेल और गैस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए सहकारी संस्थागत संबंध स्थापित करना है।

(ग) से (ङ) भारत, तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना के जरिए तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस के आयात की कोशिश कर रहा है। भागीदार देशों के तकनीकी कार्य-दल और संचालन समिति की बैठकें 21 से 24 अप्रैल, 2008 तक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में की जा रही है?

एल.पी.जी. के नए कनैक्शन

4508. श्री विजय कृष्ण: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश में एलपीजी के कुछ डीलर गैस के नए कनैक्शन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) नए एलपीजी ग्राहकों का नामांकन व नए एल.पी.जी. कनेक्शनों को जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि वर्तमान में, वास्तविक घरेलू ग्राहकों के लिए नए एल.पी.जी. कनेक्शन मांग पर तत्काल उपलब्ध हैं।

आई.ओ.सी. ने दिल्ली में अप्रैल, 2007 माह में एक मामले का पता लगाया है जहां एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप द्वारा नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई।

[हिन्दी]

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा लाभ/हानि

4509. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में किए गए व्यवसाय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संस्थान द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान किए गए लाभ/हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त संस्थान के कर्मचारियों के देय और भुगतान किए गए वेतन का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में किए गए व्यवसाय और उठाई गई निवल हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कारोबार	निवल हानि
2005-06	219.98	(-) 24.50
2006-07	228.34	(-) 27.80
2007-08 (अनंतिम)	250.00	(-) 24.05

चूंकि चालू वर्ष अभी-अभी आरंभ हुआ है इसलिए इस वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार और लाभ/हानि के ब्यौरे का इस स्तर पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ग) देय वेतन/मजदूरी और अन्य सांविधिक देयराशि का वर्षवार ब्यौरा तथा वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान दी गई राशि निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कारोबार	निवल हानि
2005-06	37.41	34.41
2006-07	38.92	38.92
2007-08 (अनंतिम)	38.50	30.61

[अनुवाद]

नई रेल लाइन और 'बीच एक्सप्रेस' को शुरू किया जाना

4510. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार एक नई रेल लाइन बिछाने और ईस्ट कोस्ट पर अर्थात् चेन्नै-महाबलीपुरम-पुदुच्चेरी-कन्याकुमार-तुतीकोरिन में 'बीच एक्सप्रेस' शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस मुद्दे पर कोई संभाव्यता अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) सुझाए गए संरेखण पर, सर्वेक्षण करने के बाद चेन्नै-महाबलीपुरम-पुडुचेरी-कुड्डालोर के लिए नई लाइन के कार्य को 2008-09 के रेल बजट में शामिल कर लिया गया है। 179.28 किमी लम्बी इस नई लाइन की लागत 523.52 करोड़ रुपये आंकी गई है।

कारैकुडी-रामनाथपुरम-तुतिकोरिन और रामेश्वरम (रामानाथपुरम)-तुतिकोरिन-कन्याकुमारी के लिए नई लाइन हेतु हिस्से पर सर्वेक्षणों को 2008-09 के रेल बजट में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कुड्डालोर से करैकुडी-मनामदुरै तक मीटर आमान लाइन पहले से ही मौजूद है और विभिन्न परियोजनाओं के तहत इनका आमान परिवर्तन करने की मंजूरी पहले ही दे दी गई है और कार्य विभिन्न चरणों में हैं।

चूंकि सुझाई गई नई लाइन को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए बीच एक्सप्रेस को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जटरोफा का व्यावसायिक पौधरोपण

4511. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की जटरोफा के व्यावसायिक पौधरोपण के संबंध में वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जटरोफा के व्यावसायिक पौधरोपण के लिए निजी कंपनियां के साथ संयुक्त उद्यम करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) संयुक्त उद्यम में जटरोफा के पौधरोपण हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) इस नीति से रेलवे द्वारा वार्षिक रूप से कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) रतनजोत के व्यवसायिक वृक्षारोपण करने के संबंध में रेलवे में कोई विनिर्दिष्ट नीति नहीं है। बहरहाल, ऐसी रिक्त भूमि, जिसकी रेलवे को तत्काल परिचालनिक इस्तेमाल हेतु निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, पर रतनजोत सहित व्यवसायिक वृक्षारोपण के संबंध में रेलवे की एक सामान्य नीति है। रेलवे ने भारतीय तेल निगम (सरकारी कंपनी) के साथ मिलकर 1 रु. प्रति हेक्टेयर की नाममात्र की लाइसेंस फीस और परस्पर सहमत होने वाली रियायती दरों पर बायो डीजल की पुनर्खरीद के लिए रिक्त भूमि के 500 हेक्टेयर पर रतनजोत के पौधे लगाने के लिए एक संयुक्त उपक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, रतनजोत हेतु वाणिज्यिक वृक्षारोपण को 43 स्थलों (पूर्वोत्तर रेलवे पर 25 और दक्षिण मध्य रेलवे पर 18 स्थल) पर आरंभ किया गया है। स्थल पर रतनजोत के पौधों के परिपक्व होने पर वास्तविक पैदावार के पश्चात् ही राजस्व आय का आकलन किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

इंदौर विमानपत्तन के विकास हेतु भूमि की उपलब्धता

4512. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देवी अहिल्या विमानपत्तन, इंदौर के विस्तार हेतु उपलब्ध और अपेक्षित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त भूमि प्रदान करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) वर्तमान में उपलब्ध 770.60 एकड़ भूमि के अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से इंदौर हवाईअड्डे के दो चरणों में विभिन्न हवाईअड्डा विकास संबंधी कार्यों द्वारा विकास/विस्तार हेतु 2345.2 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

4513. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 2008 से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को 25 लाख छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के कार्यान्वयन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए कक्षा-वार कितनी राशि प्रदान की जाएगी; और

(घ) मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति की राशि कितनी है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि योजना को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करें तथा पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित करें।

(ग) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना में छठीं से दसवीं कक्षा तक के दिवा-छात्रों और हास्टलवासी छात्रों दोनों के लिए 350 रु. (वास्तविक) प्रति माह की दर से शिक्षण शुल्क और 500 रु. प्रतिवर्ष की दर से प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि छठीं से दसवीं कक्षा तक के हास्टलवासी छात्रों को प्रति माह 600 रु. की दर से और पहली से दसवीं कक्षा तक के दिवा-छात्रों को प्रतिमाह 100 रु. की दर से प्रतिवर्ष केवल दस माह के लिए अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया जाए।

(घ) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

जिला निःशक्तता पुनर्वास केंद्र

4514. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कार्यरत जिला निःशक्ता पुनर्वास केंद्रों (डी डी आर सी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में 2008-09 के दौरान और डीडीआरसी स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, देश में 160 जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) अब तक कार्यक्रम के अंतर्गत 9.84 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत/व्यय की जा चुकी है।

नामांकन आधार पर टेंडर देना

4515. श्री संतोष गंगवार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओएनजीसी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान नामांकन आधार पर दिए गए 50 लाख से अधिक लागत के टेंडरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नामांकन आधार पर टेंडर देने की अनुमति दी जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा ओएनजीसी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऐसे टेंडर देने की प्रणाली की निगरानी के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद्

4516. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद् का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक हुई बैठकों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त बैठकों में किन विषयों पर विचार किया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) का पुनर्गठन, मार्च 2008 में, माननीया पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में और पर्यटन क्षेत्र में वैयक्तिक विशेषज्ञों, उद्योगों संघों के प्रतिनिधियों, और सदस्यों के रूप में सरकार के संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया गया। पुनर्गठित एनटीएसी की पहली बैठक 12 मार्च, 2008 को आयोजित की गई। बैठक में चर्चा किये गये मुख्य मुद्दे, पारिस्थितिक और ग्रामीण पर्यटन का संवर्धन, होटलों हेतु कर लाभ एवं अवसंरचना सुविधाएं, आगमन-पर-वीजा प्रदान करना, पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा, देश में महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों के लिए संपर्क में सुधार आदि थे।

तेल कंपनियों द्वारा देयों का भुगतान न किया जाना

4517. चौ. मुनव्वर हसन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार परिवहन शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को देयों का भुगतान न किए जाने का क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार/कंपनियों द्वारा प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को देयों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) ने 4 तेल-उत्पाद परिवहनकर्त्ताओं के संबंध में कुल 6,21,755 रुपए की राशि रोकी हुई है, क्योंकि ये परिवहनकर्त्ता संदिग्ध कदाचारों में कथित रूप से शामिल पाए गए हैं।

एचपीसीएल के मामले में 65 परिवहनकर्त्ताओं के मामले में 69,83,575.18 रुपए का भुगतान, कई ब्यौरों, जैसे बैंक खाता संख्या तथा पैन कार्ड संख्या की मांग के कारण लंबित है। इन ब्यौरों की प्राप्ति पर इन परिवहनकर्त्ताओं को उनके बैंक खातों में सीधे इलैक्ट्रानिक भुगतानों के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस में अतिरिक्त पायलटों/सह-पायलटों की अधिकता

4518. श्री उदय सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को गत कई वर्षों से भारी वित्तीय घाटा ही रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस दिल्ली से प्रतिदिन 55 उड़ान संचालित करता है जबकि 300 पायलट/सह-पायलट यहां तैनात हैं;

(घ) यदि हां, तो तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पायलटों/सह-पायलटों की अधिकता भी इंडियन एयरलाइंस के घाटे का कारण है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 2003-04 के दौरान 65.61 करोड़ रुपए तथा 2005-06 के दौरान 49.50 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। तथापि वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस को हुई कुल हानि 240.29 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) दिल्ली से अधिकतम 59 उड़ानें (आई सी कोड के तहत) प्रचालित करती है और इसके पास उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली में 266 पायलट/सह-पायलट उपलब्ध हैं। दिल्ली से बाहर के लिए प्रचालित होने वाली उड़ानों की संख्या मौसम दर मौसम तथा समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। चूंकि अनेक गैर-अनुसूचित उड़ानें जैसे वीआईपी/वीवीआईपी चार्टर, एक्स्ट्रा सेक्शन उड़ानें, सेना की चार्टर उड़ानें आदि भी दिल्ली से बाहर के लिए प्रचालित होती हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। पायलटों/सह-पायलटों तथा पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइन्स के घाटों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। तथापि, पायलटों की तैनाती अतिरिक्त/एक्स्ट्रा सेक्शन फ्लाइट्स आदि

प्रचालित करने के लिए समय-समय पर डीजीसीए द्वारा यथा निर्धारित उड़ान व ड्यूटी समय सीमाओं पायलट एसोसिएशनों के साथ किए गए करार, विनिर्दिष्ट एयरफील्ड के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रखकर की जाती है।

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर अचानक गहरा कोहरा

4519. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेमौसम और असामयिक कोहरे ने हाल ही में दिल्ली विमानपत्तन पर संकट पैदा कर दिया था जिससे 60 से अधिक उड़ानों में विलम्ब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) आईजीआई हवाईअड्डा दिल्ली पर दिनांक 9.3.2008 को 0612 से 1030 बजे के बीच गैर-मौसमी तथा अप्रत्याशित धुंध का अनुभव किया गया जिसके परिणामस्वरूप 2 उड़ानें रद्दे हुईं तथा 14 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन करना पड़ा।

(ग) और (घ) धुंध एक प्राकृतिक घटना है जो सामान्यतया शीत काल में दिसम्बर से फरवरी में होती है। बहरहाल धुंध का आना पर्यावरण पर निर्भर करता है और इस प्रकार इसे नियंत्रित करना/रोकने का कोई माध्यम नहीं है।

(ङ) इकाओ के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आईजीआई हवाईअड्डे, दिल्ली पर कैट-III बी आईएलएस संस्थापित कर दिया है, जो 50 मीटर की रनवे दृश्यता रेंज (आरवीआर) तक विमान प्रचालन की अनुमति देता है जिसे प्रमाणीकृत पायलटों वाली एयरलाइनों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सभी एयरलाइनों को ऐसी निम्न दृश्यता परिस्थितियों के अंतर्गत प्रचालन के लिए सक्षम विमानों तथा पायलटों से अपने प्रचालन की योजना बनाने के लिए निदेशित/प्रोत्साहित किया गया है।

सिंगल विंडो फ्लाइट इंक्वायरी सिस्टम

4520. डा. के. धनराजु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों को किसी भी गंतव्य स्थान के लिए अगली तात्कालिक उड़ान के बारे में पूछताछ के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाना पड़ता है, चूंकि सभी विमान कंपनियां केवल अपनी स्वयं की उड़ान सारणी के ब्यौरे उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तनों पर सभी उड़ानों के प्रस्थान समय का पता लगाने के लिए एक सिंगल विंडो फ्लाइट इंक्वायरी सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) चूंकि एअरलाइन प्रचालकों के पास उनकी अपनी एअरलाइन की उड़ानों का ही ब्यौरा होता है, उड़ान सूचना डिस्प्ले बोर्ड प्रत्येक बड़े हवाई अड्डे पर लगाए गए हैं। इन डिस्प्ले बोर्डों पर, जो कि हवाई अड्डों पर सुविधापूर्ण स्थलों पर लगाए गए हैं, अगले एक घंटे के भीतर प्रस्थान करने वाली उड़ानों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

ग्रामीण पर्यटन हेतु वित्तीय सहायता

4521. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण स्थलों में अवसंरचना विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन परियोजना (यूनाइटेट नेशन्स डेवलपमेंट प्रयोग एन्डोजेनस टूरिज्म प्रोजेक्ट) तथा मंत्रालय के सेवा प्रदाता हेतु क्षमता निर्माण स्कीम के जरिए सहायता-प्राप्त ग्रामीण स्थलों में गतिविधियां क्या हैं; और

(घ) उसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय, गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत पर्यटन की संभावना वाले ग्रामीण स्थलों में अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/

संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। ऐसे ग्रामीण स्थलों में कौशल उन्नयन सहित सामुदायिक भागीदारी एवं क्षमता निर्माण को भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडोजिनस पर्यटन परियोजनाओं और मंत्रालय की सेवा प्रदाता योजना के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थलों एवं गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति तथा विरासत को प्रदर्शित करना है। विभिन्न ग्रामीण पर्यटन स्थलों से कलाकारों ने दिल्ली हाट में दीपावली दीप उत्सव, प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भुवनेश्वर में तोशाली मेगा क्राफ्ट मेला एवं शापिंग फेस्टीवल आदि जैसे मेलों और उत्सवों में भागीदारी के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों ने पहले ही ग्रामीण पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी शुरू कर दी है।

रेलवे द्वारा 'स्वच्छता वर्ष 2007'

4522. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल द्वारा स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाए गए वर्ष 2007 में सफाई संबंधी शिकायतों में गई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के पास जोन-वार उपलब्ध आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि 2007 में डिब्बों में सफाई की शिकायतें पूर्वोत्तर जोन में 400 प्रतिशत तक बढ़ गई; स्टेशनों पर सफाई उत्तर में 350 प्रतिशत बढ़ गई; स्टेशनों पर सफाई दक्षिण में 200 प्रतिशत बढ़ गई; डिब्बों में सफाई मध्य जोन में 136 प्रतिशत बढ़ गई;

(ग) यदि हां, तो क्या सफाई की शिकायतों के अलावा खराब बेड रोल, घूसखोरी और भ्रष्टाचार, सीटों में आवंटन, चोरी, आरक्षण संबंधी मुद्दों और खान-पान तथा वेंडिंग सेवाओं के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इन शिकायतों पर रेलवे ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बिस्तरों से संबंधित सेवाओं में कमी के संबंध में कुछ शिकायतें जैसे-घटिया धुलाई, उपयोग किए गए/फटी चादरों की सप्लाई करना, सीटें आबंटित करने में घूसखोरी और भ्रष्टाचार, चोरी, कुछ अवांछित तत्वों के कारण आरक्षण मामले तथा भोजन की निम्न गुणवत्ता तथा मात्रा के संबंध में खान-पान एवं बिक्री की असंतोषजनक सेवाएं देखने में आई हैं।

(ङ) इस प्रकार की सेवाओं की निगरानी के लिए तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेल अधिकारियों द्वारा बार-बार निरीक्षण किए जाते हैं। दोषी लाइसेंसधारियों तथा किसी कमी के लिए उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि

4523. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन": क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य की बिक्री की गई;

(ख) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) द्वारा की गई बिक्री का मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए)
2004-05	31805
2005-06	32280
2006-07	39189
2007-08 (9 माह)	30026

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान सेल द्वारा अधिप्राप्त किए गए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की कीमतों में 53 प्रतिशत से 349.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुख्य कारण मांग और आपूर्ति में अंतर, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का रुख और परिवहन लागत में बढ़ोतरी आदि हैं। सेल द्वारा

अधिप्राप्त किए गए कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन हेतु कच्चे माल की कीमतों को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) पिछले वर्षों में इस्पात उत्पादन आदानों पर आयात शुल्क भी कम कर दिया गया है और कोकर कोयले के मामले में शुल्क माफ कर दिया गया है। लौह अयस्क के मामले में यह घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) 2008-09 के केंद्रीय बजट में मैल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) घरेलू इस्पात उत्पादों के लौह अयस्क की सुगम सप्लाई करने के लिए सरकार ने सभी किस्म के लौह अयस्क डलों के निर्यात पर 300 रुपए प्रति टन की दर से आयात शुल्क लगाया है। 62 प्रतिशत से अधिक लोहांश वाले लौह अयस्क चूरे के निर्यात पर 300 रुपए प्रति टन और 62 प्रतिशत से कम लोहांश वाले लौह अयस्क चूरे के निर्यात पर 50 प्रतिशत टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है।

विवरण

वे कीमतें जिन पर सेल ने कच्ची सामग्री प्राप्त की

कच्ची सामग्री	2004-05 की तुलना में 2008-09 में *+/-	2008-09 वर्तमान दर (रु./टी)	2004-05 दर (रु./टी)
कोयला : आयातित	202.3%	14982	4956
, स्वदेशी	56.8%	5457	3480
लौह अयस्क	77.3%	894	504
लाईम स्टोन	54.4%	1861	1198
डोलोमाईट	69.8%	892	525
निकिल	102.6%	1280000	631922
लौहांश मैंगनीज	349.5%	177725	39542
लौहांश सिलिका	197.0%	113926	38361
सिलिको मैंगनीज	331.5%	154940	35907
जिंक	112.5%	135300	63673
टिन	100.7%	953453	475000
एल्यूमीनियम	53.6%	140910	91710

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

4524. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने भारत में पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है;.

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय यू.एन.डी.पी. की सहायता से चल रही पर्यटन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कितनी निधियां खर्च की गई हैं और इन परियोजनाओं हेतु यू.एन.डी.पी. को कितनी निधियां आवंटित करनी हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, वर्ष 2007-08 में उत्तराखण्ड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पर्यटन के एकीकृत और सतत् विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके लिए 6,53,000 यूएस डालर का आवंटन किया गया है। अभी तक दो किश्तों का उपयोग किया जा चुका है, प्रत्येक किश्त कुल आवंटन के 25% के बराबर है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 36 ग्रामीण पर्यटन स्थलों के स्थानीय समुदायों के क्षमता निर्माण हेतु, भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंतर्जात पर्यटन परियोजना के अंतर्गत सहायता भी प्रदान की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

जीओआई-यूएनडीपी के अंतर्जात पर्यटन के अंतर्गत 10वीं योजना के दौरान स्वीकृत राज्यवार परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

राज्य	परियोजना का नाम	जिले का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	1. पोचमपल्ली	नालगोंडा	2004-05	20.00	16.00
	2. श्रीकलाहस्ती	चित्तूर	2004-05	19.80	19.80
2. असम	3. दुर्गापुर	गोलाघाट	2004-05	20.00	20.00
	4. सुअलकुच्वी	कामरूप	2004-05	19.95	19.95
3. बिहार	5. नेपुरा	नालंदा	2004-05	20.00	16.00
4. छत्तीसगढ़	6. चित्रकूट	बस्तर	2004-05	20.00	20.00
	7. नगरनार	बस्तर	2004-05	20.00	20.00
5. गुजरात	8. होडका	कच्छ	2004-05	20.00	20.00
6. हरियाणा	9. ज्योतिसर	कुरूक्षेत्र	2004-05	20.00	20.00
7. हिमाचल प्रदेश	10. नग्गर	कुल्लू	2004-05	20.00	20.00
8. कर्नाटक	11 बनवासी	उत्तर कन्नाडा	2004-05	20.00	20.00
	12. एनेगुंडी	कोप्पल	2005-06	20.00	20.00
9. केरल	13. कुम्बलांगी	एरनाकुलम	2004-05	20.00	20.00
	14. एरनमुला	पथानमथिट्टा	2004-05	20.00	20.00
	15. कालाडी (स्पाइस परिपथ)	एरनाकुलम	2005-06	20.00	16.00
	16. एनाकारा (स्पाइस परिपथ)	ईडुकी	2005-06	20.00	16.00

1		2		3	4	5	6
10.	मध्य प्रदेश	17.	प्रानपुर	अशोक नगर	2004-05	20.00	20.00
		18.	चौगन	मंडला	2004-05	20.00	20.00
11.	महाराष्ट्र	19.	सुलीभंजन-खुलताबाद	औरंगाबाद	2004-05	20.00	20.00
12.	उड़ीसा	20.	रघुराजपुर	पुरी	2004-05	20.00	20.00
		21.	पिपली	पुरी	2004-05	20.00	20.00
13.	पंजाब	22.	राजसांसी	अमृतसर	2004-05	20.00	20.00
14.	राजस्थान	23.	नीमराना	अमृतसर	2004-05	20.00	20.00
		24.	समोड	जयपुर	2004-05	20.00	20.00
		25.	हल्दीघाटी	राजसमंद	2004-05	19.32	15.45
15.	सिक्किम	26.	लाचेन	उत्तरी जिला	2004-05	20.00	20.00
16.	तमिलनाडु	27.	खजुगुमलाई	थूटुकुडी	2004-05	20.00	20.00
		28.	करैकुड्डी	शिवगंगा	2004-05	20.00	20.00
		29.	कोम्बाई (स्पाइस परिपथ)	थेनी	2005-06	20.00	16.00
		30.	थडीयांकुडिसाइ (स्पाइस परिपथ)	डिंडीगुल	2005-06	20.00	16.00
17.	त्रिपुरा	31.	कमलासागर	पश्चिम त्रिपुरा	2004-05	20.00	20.00
18.	उत्तरांचल	32.	जगेश्वर	अलमोड़ा	2005-06	20.00	20.00
		33.	माना	चमोली	2004-05	20.00	20.00
19.	उत्तर प्रदेश	34.	भागुवाला	सहारनपुर	2004-05	19.75	19.75
20.	पश्चिम बंगाल	35.	बल्लभपुर डांगा	बीरभूम	2004-05	20.00	20.00
		36.	मुकुटमोनिपुर	बांकुरा	2004-05	20.00	20.00

कच्चे माल के आयात हेतु संविदाएं

4525. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े इस्पात निर्माता अपनी कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने हेतु पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों के लिए संबंध जोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक किन भारतीय इस्पात निर्माताओं ने कच्चे माल के आयात हेतु विभिन्न देशों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए है; और

(घ) कच्चे माल का ऐसा आयात किस हद तक कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। कंपनियों की कच्चे माल की आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए विदेशों में धातुकर्मीय कोयला तथा थर्मल कोयला परिसंपत्तियां अधिग्रहीत करने के लिए भारत सरकार ने स्टील अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी), तथा नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन करने के लिए मंजूर दे दी है। सदस्य कंपनियों के लिए प्रस्तावित एसपीवी द्वारा कोककर कोयला परिसंपत्तियों को अधिगृहीत किया जाएगा। विभिन्न देशों में उपयुक्त संसाधनों का पता लगाने सहित एसपीवी के प्रारंभिक कारोबार कार्यकलाप शुरू हो गए हैं।

(ग) सेल और आरआईएनएल, विभिन्न देशों से धातुकर्मीय कोककर कोयले तथा न्यून सिलिका चूना पत्थर का आयात करते हैं तथा इन मदों के आयात के लिए इनका अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक करार है।

(घ) इस्पात की उत्पादन लागत में कच्ची सामग्री का पर्याप्त हिस्सा होता है। कच्ची सामग्रियों के संसाधनों के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कच्चे माल के निजी स्रोतों की उपलब्धता पर. निर्भर करते हुए स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एक उत्पादक से दूसरे उत्पादक के लिए भिन्न-भिन्न होगा। कुछ प्रमुख इस्पात उत्पादकों की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रति टन अपरिष्कृत इस्पात के लिए कच्ची सामग्री की लागत नीचे दी गई है:-

प्रति टन अपरिष्कृत इस्पात के लिए कच्ची सामग्री की लागत

(रुपए/टन)

उत्पादक का नाम	जनवरी-मार्च, 2007	अप्रैल-जून, 2007	जुलाई-सितम्बर, 2007	अक्तूबर-दिसंबर, 2007
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	9131	8822	8902	8886
टाटा स्टील लिमिटेड	7635	7796	6977	8340
जेएसडब्ल्यू लिमिटेड	14750	15274	15383	16530

तत्काल प्रणाली

4526. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में तत्काल प्रणाली का आरक्षण कोटा बढ़ा दिया गया है जबकि रेलवे बोर्ड, रेलवे मुख्यालयों और रेल मंडल के अंतर्गत हेडक्वार्टर्स/इमर्जेंसी कोटा के अंतर्गत स्थानों की संख्या घटा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्काल योजना के अंतर्गत आरक्षण कोटा में बढ़ोतरी और प्रत्येक रेलगाड़ी में हेडक्वार्टर कोटा के अंतर्गत कमी का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस व्यवस्था से रेलवे को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन के साथ समझौता

4527. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और भारत दोनों देशों की एयरलाइनों को निर्धारित स्थानों से आगे जाने की अनुमति देने संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अन्य देशों के साथ भी ऐसा समझौता किया है परंतु अन्य एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के न होने के कारण अन्य देशों को अधिकांश लाभ होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या एयरलाइनें न होने के कारण चीन के साथ समझौते का भी यही हश्र होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते का लाभ उठाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां। हाल ही में 19-20 मार्च, 2008 को भारत तथा चीन के बीच विमान सेवाओं पर आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह स्वीकृत किया गया था कि भारतीय विनिर्दिष्ट वाहक यूएसए में सेन फ्रांसिसको के लिए चीन से आगे प्रचालित कर सकते हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालनों के लिए यातायात अधिकार, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, अन्तःस्थ तथा बाह्य स्थानों का उल्लेख करते हुए विदेशी राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करार के संलग्न रूट शेड्यूल में विनिर्दिष्ट है। एअर वाहनें संबंधित रूट शेड्यूल तथा अपनी कमर्शियल निर्णयों के अनुसार सेवाएं बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) सरकार ने चीनी पक्ष के साथ हुए करार में सेन फ्रांसिसको को भारतीय वाहकों के लिए बाह्य स्थान के रूप में लेने के बाद जेट एअरवेज को मुंबई-शंघाई-सेन फ्रांसिसको मार्ग पर प्रतिदिन प्रचालन की अनुमति प्रदान की है।

अंडमान और निकोबार में नई रेल लाइन

4528. श्री मनोरंजन भक्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार में नई रेल लाइन का निर्माण शुरू करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रेल लाइन के निर्माण के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण वर्ष 2002-03 के दौरान किया गया था। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक 250 कि.मी. लंबी बड़ी लाइन की निर्माण लागत 867.45 करोड़ रु. और प्रतिफल की दर ऋणात्मक आंकी गई थी। इस लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित नई लाइन का कार्य शुरू नहीं किया गया था।

प्रतिस्पर्धी तेलशोधक स्थल के रूप में भारत

4529. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारत को प्रतिस्पर्धी तेलशोधक स्थल के रूप में बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से आय अर्जित करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने के परिणामतः निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा, प्रवर्तकों की अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन पर निर्भर करते हुए, भारत में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातक के रूप में भारत की उभरती हुई स्थिति और ग्यारहवीं योजना के अंत में 240 एमएमटीपीए की परिकल्पित शोधन क्षमता और अत्यधिक बढ़ रही घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धी परिष्करण गंतव्य के रूप में उभरने हेतु, भारतीय रिफाइनरियों के पास संभावनाएं हैं।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के कारण हुई आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (एमएमटी)	आय (करोड़ रुपये)
2004-05	18.2	29928
2005-06	23.5	49974
2006-07	33.6	81094
2007-08 (अनन्तिम)	39.33	106999

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या

4530. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का राज्यवार प्रतिशत कितना है; और

(ग) इन व्यक्तियों को अन्य समुदाय के व्यक्तियों के बराबर लाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति के प्रतिशतता दर्शाने वाला राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15.4	39.9
2.	असम	27.7	8.6
3.	बिहार	64.0	67.2
4.	छत्तीसगढ़	32.7	52.0
5.	दिल्ली	0.0	35.8
6.	गुजरात	21.8	16.0
7.	हरियाणा	26.8	33.4
8.	हिमाचल प्रदेश	19.6	5.6
9.	जम्मू-कश्मीर	5.2	13.7
10.	झारखण्ड	57.9	47.2
11.	कर्नाटक	31.8	50.6
12.	केरल	21.6	32.5
13.	मध्य प्रदेश	42.8	67.3
14.	महाराष्ट्र	44.8	43.2
15.	उड़ीसा	50.2	72.6
16.	पंजाब	14.6	16.1
17.	राजस्थान	28.7	52.1
18.	तमिलनाडु	31.2	40.2
19.	उत्तर प्रदेश	44.8	44.9
20.	उत्तराखंड	54.2	65.7
21.	पश्चिम बंगाल	29.5	28.5
	सम्पूर्ण भारत	36.8	39.9

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:

* अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति उप योजना को योगज के रूप में 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

* राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम सर्जक योजनाओं के लिए गरीबी रेखा दोगुने से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को रियायती ब्याज दरों पर क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है।

* राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आय सर्जक कार्यकलापों के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण सुविधा प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को 49.51 के अनुपात में इक्विटी शेयर सहायता भी प्रदान करती है। राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम सब्सिडी और मार्जिन मनी के माध्यम से लक्षित समूह को ऋण और अप्राप्त इनपुट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकार की इन योजनाओं के तहत वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या		राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	
		2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	165950	75879	45059	4590	11645	2825
2.	असम	9922	6906	200	145	0	0
3.	बिहार	सूचित नहीं	सूचित नहीं	680	310	0	1566
4.	छत्तीसगढ़	सूचित नहीं	सूचित नहीं	54	444	1085	12
5.	गुजरात	6834	सूचित नहीं	2701	4603	3029	5345
6.	गोवा	सूचित नहीं	सूचित नहीं	7	1	-	-
7.	हरियाणा	16032	922	210	146	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	62818	सूचित नहीं	1218	1039	1446	11
9.	जम्मू-कश्मीर	सूचित नहीं	सूचित नहीं	215	125	0	17
10.	झारखण्ड	सूचित नहीं	सूचित नहीं	740	1010	500	0
11.	कर्नाटक	सूचित नहीं	सूचित नहीं	4780	4997	2332	0
12.	केरल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	1239	1004	0	0
13.	मध्य प्रदेश	10286	सूचित नहीं	2059	4120	1012	3069
14.	महाराष्ट्र	17753	3606	2079	8218	123	1201
15.	मणिपुर	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0	0	0	0
16.	उड़ीसा	14115	सूचित नहीं	225	290	690	0
17.	पंजाब	3116	8079	616	838	62	52
18.	राजस्थान	49447	22532	934	656	419	572
19.	सिक्किम	121	सूचित नहीं	168	72	-	-
20.	तमिलनाडु	141388	17077	2198	5173	0	0
21.	त्रिपुरा	1066	सूचित नहीं	156	255	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	82040	67704	9092	50	1268	0
23.	उत्तरांचल	3563	173	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	पश्चिम बंगाल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	7487	7383	82	0
25.	चंडीगढ़	सूचित नहीं	सूचित नहीं	82	54	15	0
26.	दिल्ली	52	सूचित नहीं	200	333	0	0
27.	पाण्डिचेरी	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0	534	13	115
	कुल	584503	202878	82400	46390	23721	14785

[हिन्दी]

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा का पुनरुद्धार

4531. श्री रघुवीर सिंह कौशलः क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा की रुग्णता का एक कारण बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निवारक उपाय किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंपनी का पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा की रुग्णता का एक कारण घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों दोनों से प्रतिस्पर्द्धा का होना है।

(ख) और (ग) सरकार की नीति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से भी प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) कंपनी के समग्र पुनरुद्धार के लिए पैकेज देने से संबंधित मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

[अनुवाद]

वैट हालिडे पैकेज

4532. श्री एस.के. खारवेनथनः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का देश में भारतीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वैट हालिडे पैकेज शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन पर्यटक स्थलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस पैकेज का देश के सभी भागों में विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सुविधा का कितने पर्यटकों द्वारा लाभ उठाए जाने की संभावना है और रेलवे द्वारा इससे कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए 80 पैकेज टूअर आयोजित कर रहा है। नए पैकेज/गंतव्यों का विकास एवं कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है और नियमित रूप से नए स्थल जोड़े जाते हैं।

(घ) गत वर्ष 7050 व्यक्तियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है और रेलवे को 74,13,862 रु. का राजस्व प्राप्त हुआ।

कोंकण रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान

4533. श्री चंद्रकांत खैरेः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान ने रेल दुर्घटनाओं को टालने हेतु कोई नई तकनीक बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधानोपरांत परीक्षण द्वारा इसकी उपयोगिता सिद्ध की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे द्वारा देश में इसके पूर्व उपयोग हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(च) इस नई तकनीक को उपयोग करने हेतु रेलवे द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

जबलपुर विमानपत्तन

4534. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर विमानपत्तन के विकास हेतु नि:शुल्क भूमि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि प्राप्त करने के बाद टर्मिनल भवन, रात में उतरने की सुविधा आदि जैसे विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जबलपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) से (ङ) टर्मिनल भवन पहले ही तैयार किया जा चुका है तथा प्रयोग में है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रनवे एज लाइटों, एप्रन तथा टैक्सीवे एज के प्रावधान की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त एप्रोच लाइटिंग सिस्टम तथा रनवे के और अधिक विस्तार के प्रावधान के लिए भी योजना बनाई गई है, जिसके लिए राज्य सरकार से बिना ऋणभार के नि:शुल्क अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

बल्क औषध मूल्यों का सर्वेक्षण

4535. चौ. मुनव्वर हसन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने बाजार में बल्क औषधि मूल्यों का हाल ही में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बल्क औषधियों को उन मूल्यों पर बेचा जाता है जो अधिसूचित मूल्यों से 20 से 75 प्रतिशत कम है;

(ग) यदि हां, तो दवाइयों के नाम, अधिसूचित मूल्यों और बाजार मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बल्क औषधियों के मूल्यों को घटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ताकि एन.पी.पी.ए. द्वारा संपाकों के मूल्यों को भी घटाया जा सके;

(ङ) क्या एन.पी.पी.ए. को संपाक विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यों के बीजक देखने को मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (च) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने बाजार में बल्क औषध मूल्यों का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, एनपीपीए "केमिकल वीकली" (एक साप्ताहिक पत्रिका) के आधार पर बल्क औषध मूल्यों के रूझान की निगरानी करती है।

उन मामलों में जहां विनिर्माता मूल्य के निर्धारण/संशोधन के लिए अपेक्षित आंकड़े नहीं देते हैं और किसी बल्क औषध का मूल्य "केमिकल वीकली" के अनुसार अधिसूचित मूल्य की तुलना में कम पाया जाता है, वहां एनपीपीए मूल्यों को कम करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा-11 को आरोपित कर देता है।

एनपीपीए को ऐसे दो दृष्टांतों का पता चला है, जहां एनॅल्जीन और क्लोरोक्वीन फास्फेट के फार्मूलेटरों ने अपने फार्म-III आवेदनों में अधिसूचित मूल्य की अपेक्षा कम मूल्यों का दावा किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में गैस एजेंसियों का आबंटन

4536. श्री रामदास आठवले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू/गैस की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु घरेलू गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु मौजूदा नियमों में परिवर्तन करने वाली योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को स्वतंत्रता दे रखी है कि वे अपने वाणिज्यिक आकलन के अनुसार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करें और स्थलों की पहचान स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप कायम रखने के लिए उनके द्वारा उपलब्ध रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर की जाती है। तथापि, ओएमसीज को सलाह दी है कि वे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विपणन योजना तैयार करें। ओएमसीज ने मुख्यतया ग्रामीण और शहरी-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थलों में नये एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करने के लिए देश में 1340 स्थलों को अंतिम रूप दिया है। इनके लिए इस बीच विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं।

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थलों का पता लगाना, गोदामों की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करना, सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

होटल के कमरे

4537. श्री बालासोवरी बल्लभनेनी:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कुल कितने पर्यटकों के आने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने खेलों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटल के कमरों की आवश्यकता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने होटल के कमरों की मांग को पूरा करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य योजना को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आने वाले अपेक्षित पर्यटकों की संख्या का अनुमान नहीं किया गया है। तथापि, मेलबोर्न खेलों के दौरान, 90,000 पर्यटकों ने मेलबोर्न का दौरा किया।

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने यह मूल्यांकन किया है कि वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लगभग 40,000 होटल कमरों की आवश्यकता होगी।

(घ) से (ङ) अतिरिक्त होटल स्थलों की पहचान करने और होटलों के निर्माण को मानीटर करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, डीडीए, शहरी विकास मंत्रालय, रेलवे, नागर विमानन मंत्रालय इत्यादि विभिन्न भू-स्वामित्व वाली एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। इन एजेंसियों और उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की राज्य सरकारों को, होटल परियोजनाओं के संवर्धन हेतु, निवेशक अनुकूल भू-नीतियों एवं सिंगल विन्डो एप्रोच का अनुसरण करने और होटलों हेतु अतिरिक्त एफएसआई/एफएआर प्रदान करने हेतु राजस्व शेयरिंग आधार पर स्थलों के आवंटन की भी सलाह दी गई है।

कलाकारों हेतु पेंशन

4538. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कला क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और ऐसी पेंशन प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान वर्तमान में मैन आफ आर्ट्स हेतु केंद्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(घ) देश के जनजातीय समुदायों के और व्यक्तियों को पेंशन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) ''साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम'' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत पात्र होने के लिए, व्यक्तियों की आयु 58 वर्ष की होनी चाहिए तथा आवेदक की व्यक्तिगत आय (पति/पत्नी की आय सहित) 2000/- रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। कला और साहित्य के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। सरकार ने स्कीम को दो भागों में विभक्त किया है नामत: (1) केंद्रीय कोटा, और (2) केंद्र-राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र कोटा। केंद्रीय कोटे के अंतर्गत लाभार्थी को केंद्र सरकार द्वारा 2000/- रु. प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है तथा केंद्र-राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा 3:1 के अनुपात में वहन किया जाता है अर्थात् केंद्र 1500/- रु. प्रति माह का भुगतान करता है और शेष 500/- रु. प्रति माह का वहन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) जीवन तथा आय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर, वर्ष 2007-08 के दौरान 1091 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता जारी की गई, जिसकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आवेदन प्राप्त होने तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार किए जाने पर वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान लाभार्थियों को जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

कर्नाटक	147
आंध्र प्रदेश	125
उड़ीसा	155
पश्चिम बंगाल	45
उत्तर प्रदेश	158
उत्तराखंड	7
बिहार	28
झारखण्ड	8
असम	25
मेघालय	2
त्रिपुरा	1
तमिलनाडु	27
गोवा	11
मणिपुर	62
पांडिचेरी	9
हरियाणा	19
मध्य प्रदेश	27
गुजरात	5
राजस्थान	3
पंजाब	3
दिल्ली	27
हिमाचल प्रदेश	1
केरल	115
महाराष्ट्र	81
कुल	1091

कर्नाटक

1. बसवे गोड़ा
2. बी.एस. रामचर
3. चन्ना बसैया गुब्बी
4. डी.आर. राजगोपाला
5. एच. महबूब अली
6. के.बी. शिवराजा
7. कोमलम्मा कोट्टुर
8. के. वीरैया स्वामी
9. एल.एम. हलैया
10. एम. शनमुखैया स्वामी
11. एम.बी. गंगम्मा
12. एन. नरहरी
13. एन. सत्यवथी

14. पंडित मणिकारो रायचुकर
15. आर. जावरा सेट्टी
16. सोमशेखरा गोडा कुन्नतगी
17. सुशीलम्मा
18. सेशनारायना
19. एस. वसंथ कृष्ण
20. वी.अ्र. वृशभेन्द्र
21. ए. सर्वोथामा शेट
22. ए. एम. हलैया
23. अरेट मंजुनाथ
24. अब्दुलासाब एम. अन्नीगेरे
25. बसम्मा
26. भारथी
27. बेलागल्लु वीराना
28. बी.एम. सुन्दर राव
29. बी.आर. निर्मला
30. सी. केम्पाना
31. सी.बी. पाटिल
32. सी.बी. चन्द्रशेखर
33. डी. गजानन भंडारी
34. डी. डोड्डेसिद्धैया
35. जी.एम. भास्कराचार्य
36. गणपती सुबराय हेगड़े
37. जी.एम. रामचन्द्र
38. जी.एम. बसवराजाशुष्टी
39. गोपाल जी. कोटिया
40. जी.आर. मंजुला
41. एच. वेंकटरमन गनिगा
42. एच.एन. हूगर
43. एच.एन. मड्डैया
44. एच.बी. सरोजामा
45. एच. मरियाना
46. हरदी महाबाला गनिगा
47. हक्कनंदी कोट्रेशप्पा
48. इब्राहिम
49. इस्माइल सुल्तान गड्डेकर
50. ज्योतिबा भीमप्पा पवार
51. जयलक्ष्मी एम. इनामदार
52. के. गुंडा जोइस
53. के. सुशीला
54. कशीबाई भूतप्पागोल
55. के.एन. बसवराज
56. कालश्री एन.बी. बुडेन साब
57. कनी थिप्पैया
58. कलप्पा इरप्पा श्रीगुप्पी
59. के. रंगास्वामी
60. के.एम. स्थांकर
61. के.आर. महानिंगप्पा
62. कलप्पा चनप्पा पत्तनशेट्टी
63. लीलावथी
64. लक्ष्मण टी. अगसर
65. लक्ष्मण बसप्पा घोटे
66. मालप्पा बसप्पा गंज
67. एम. नागेन्द्र
68. मुनिवेरप्पा
69. एम.टी. वेंकटेश मूर्थि
70. महालिंगम
71. महालिंग्या मलाया गनचारी

72. एम.एस. रामामूर्ति
73. बहाबलेश्वर शेट
74. एन.एस. मूर्थि
75. एन. वसंथ कुमार
76. नारायण प्रेम्मय्या हस्यागर
77. एन. चिक्काविंकटप्पा
78. निंगप्पा मूर्ति हुगर
79. नंदा कलकत्ता
80. प्रेमा बसवराज पाटिल
81. पकेरप्पा
82. पी.आर. श्रीनिवास मूर्थि
83. प्रागी दुरुगम्मा
84. रामचन्द्र सुबराया हेगड़े
85. रामकृष्णा नायक
86. आर. महादेवप्पा
87. रत्नम्मा
88. एस. नंजुनदैया
89. सोशेखरैया एस. हीरेमठ
90. शरीफा बी.
91. श्रीशैल चनप्पा पत्तनशेट्टी
92. श्रीमंत मालप्पा कंबुर
93. श्रीदेहर जी. हेगड़े
94. एस.ए. यशवंत भट्ट
95. शांतारामभाठ श्रीपाद सुंथांकर
96. श्रीदेवी विघ्नेश्वर जोशी
97. सुबहद्रम्मा मंसूर
98. स्यादसब के कोल्हापुर
99. शिवगोंडा गुरूगोंडा
100. एस.सी. कृष्णा मूर्थि
101. एस.के. मित्राविंदा
102. शिवैया चन्द्रैया
103. शंथम्मा
104. सुमित्रा शिवन्ना
105. सोमंथास येल्लुसा
106. शराना
107. सक्कुत्तु
108. श्रीनिवास अचार
109. सदाशिव रूद्र
110. एस. राजु
111. सुशीला
112. शिवलिंगप्पा
113. टी. सुनंदाराज
114. टी.वी. राजु
115. टी.एम. रेवंसीदैया
116. टी.एम. हेमलता
117. विद्वान सुब्रमन्या जोयस
118. वेंकटरमन उराला
119. वाणी सरस्वती नायडू
120. वेंकटेश तुलाजाराम
121. विशकांत मूर्ति
122. वी. रामामूर्ति
123. वेक्यप्पा अंबाजी
124. वसंत शिवराव
125. यंदाकुर्ती कामेश्वरी
126. ए.एन. चन्नाबासाविया
127. बी. बलराज मास्टर
128. बसवराज बी. मगनूर
129. चितरंजन के. चटर्जी

130. डी. कनकदुर्ग
131. हसनसब एम. नदफ
132. जयवंत
133. जे.वी. इंदुमती
134. जे. सिताराम सेट्टी
135. के.एम. रमन
136. कल्याण राव
137. के.आर. कृष्णास्वामी
138. बी.एन. लक्ष्मी एन. मूर्ति
139. महादेवी बी. चिलमगेरी
140. माल्या स्वामी अत्रे
141. एन. नरहरि चतुरालय
142. शिवंगोडा एम. कोटी
143. रेणुका डी. हरिजन
144. शहीदा बानो
145. टी. दिदैया
146. विष्णु प्रास्पा कंचगर
147. बसया एम. मातापती

आंध्र प्रदेश

1. दामोदर रेड्डी
2. श्यामला देवी
3. अब्बुरी वेंकटा स्वामी
4. सुमती
5. बोडेपल्ली अप्पाराव
6. बुसुरापल्ली आदिसेशैया
7. बीयारा गोपी नायडु
8. बुर्रा सुब्रामण्य शास्त्री
9. बिनाला आचार्य
10. अर्कतला बुनगाना
11. बी. बीचन्ना गौड
12. भास्करूनी रामा राव
13. बंदरू कोटैया
14. भगवतुला नारायण सर्मा
15. बी. हिमावाती
16. भास्कारला राजेश्वरी
17. चिंता रामामूर्ति
18. चिंता सीता रमनजनेयुलु
19. चिंता वेंकटेशवलु
20. च. श्यामला देवी
21. चिल्काकुमारी वेंकटाचार्युलु
22. दलीपार्थी दखिना मूर्ति
23. दसर्धी लक्ष्मी नारायण
24. एगा श्रीहरि
25. गोपाननबोयना वेंकटेशवर्लू
26. जी. केसवरामु
27. गोपु प्रताप रेड्डी
28. जी.एस.आर.के. शास्त्री
29. गरीमेल्ला विस्वनंधम
30. गजेली श्रीरामुलु
31. एच. सुगुना बाई
32. गुंटि सुर्यनारायण
33. इला वेंकटाराव
34. जोसायुला कृष्ण मूर्ति
35. जंगम वेंकटेशवालू
36. जे. शारदा देवी
37. के. चक्रधर
38. के. सुशीलाम्मा
39. कंचरेला वासवाकनिया

40. नडुकुडी गंगाराजु
41. कदाकांची पाय्या
42. कलिम सिद्धिकी
43. कासनीचन्ना नारायण चारी
44. कोटो सुब्बारेड्डी
45. करा याकुब रेड्डी
46. कारी मोटयाला राव
47. क्रोवेडी नागुल मीरा साहेब
48. कोरूपोजू नरसैया
49. लंका सी लक्ष्मी नरसिहम्मा
50. एम.पी. राजू
51. मुन्नाम नागेश्वर ए. रेड्डी
52. महामकाली श्रीमन नारायण
53. मट्टापल्ली नरसिंघा राव
54. एम. दत्तात्रेय शर्मा
55. एम. वेंकटाराजु
56. मचारला लक्ष्मीयां
57. एम. सीतारामुलु
58. मेदीसेट्टी सत्यवती
59. मिदीसा नामेतला पितचैया
60. मुतयाला सारंगपानी
61. मुहम्मद सुलेमान अली
62. मल्लाडी सूर्य नारायण
63. माझी विजयांबा
64. मंगम आनंदराव
65. एन. राजा जयलक्ष्मी
66. नरसे भद्रचलम
67. निताला लक्ष्मण राव
68. निदामुरी लक्ष्मी नारायण
69. नरगांशी विश्वनाथन
70. नुटाक्की सुब्बाराव
71. पुरुधवी शिव बाब्धा राव
72. पुसरू रामामूर्ति
73. पन्याम वेंकट रामा शर्मा
74. पिट्टु वेंकटेश्वर रेड्डी
75. पेड्डोजु चिंदबरम
76. पी. कामेश्वरी
77. पंडिताराधुला सत्यनारायण
78. पेलुरी दास
79. पोल्ला डिब्बम्मा
80. पल्लापोटु आर. कृष्ण
81. पी. उदय भास्कर
82. पामुलापती सी.आर. राव
83. पृथवी वी. राव
84. पिचकुआ के.एस. राव
85. पश्या जी रेड्डी
86. पगदाम आर. रेड्डी
87. पेराम वी. रेड्डी
88. राव बी. देवी
89. पुलेला कोंडा
90. राकनडार एन. राव
91. आर.पी. जेम्मीबोगु
92. स्रैम कृष्णमूर्ति
93. शैक नाशर साहिन
94. श्री पीरापु पी. राव
95. शिवांगी चाइन बी. राजु
96. सतली सम्मैया
97. साराबु वी. रत्नम

98. श्री रामुनी वेंकटाचारी
99. सपराम कृष्ण मूर्ति
100. टी.एल. कांता राव
101. टी.टी. सीता
102. तुलापती बाबजी
103. तुरूमल शेट्टी पनाई
104. थोडेंगी राजैया
105. थोगटी कृष्ण मूर्ति
106. उपुटोरी सुबैया
107. बेलिडे एच. शास्त्री
108. बेंगाला राम रामाराव
109. वी. कोटेश्वरी देवी
110. याना मांडला जय लक्ष्मी
111. येलेबारापु नागेश्वर
112. वी. सांबा शिवा राव
113. बी. नागराज यादव
114. जी.वी. रामाराजु
115. एम. सुबना बाइ
116. जिलाकारा राममणि
117. कतुपति रामाडाउ
118. कमला नायडु
119. मेरुआ चेनचैया
120. पेडापुडी रंगम्मा
121. सुंदरपल्ली वी. राव
122. श्रीनिवासुलु पी. देवी
123. ताडीगडपा सुब्बाराव
124. येलामा कांति रामचन्द्रन
125. पी. रमनैया

उड़ीसा

1. अमन चरण सेठी
2. आलेखा साहू
3. बिष्णू मोहन नाय
4. बिश्वनाथ मोहा राणा
5. वसंत शामल
6. बासुदेव साहू
7. बलांकेश्वर रथ
8. बंसीधर महापात्र
9. भागीरथी राउत
10. विजय केतन मंगराज
11. भानुमति देवी
12. चित्ररेखा होता
13. दुखी रानी महापात्रा
14. द्वारका नाथ दा
15. गोलक चंद्र मोहंती
16. घनश्याम त्रिपाठी
17. गोपाल घोष
18. गोगुल नंद स्वैन
19. गणेश रथ
20. गोपी नाथ बेहरा
21. घनश्याम कार
22. हरमनी पाधी
23. हादी बंधु मोहंती
24. खेत्र मोहा राणा
25. खालीद रहीम
26. कुलमणि महाराणा
27. कमला देवी
28. कुमार कबि अराखिता प्रधान

29. कानू चरण स्वैन
30. कुंज बिहारी दास
31. कंचन त्रिपाठी
32. खेतु महापात्र
33. एल. अप्पा राव पट्टा पोले
34. मिनाती बिश्वाल
35. मदन मोहन मोहापात्रा
36. नीरा मोहंती
37. मधा बंदाकात
38. मुकुंदा महाराणा
39. मंजुश्री पटनायक
40. मगुनी दास
41. निरंजन साहू
42. नित्या नंदा दास
43. प्रोदी मेनी पटनायक
44. प्रशुराम प्रधान
45. पद्मावती पानिग्रही
46. पतिका मंगई शावर
47. रंजीत सिंह
48. रामचंद्र पतिहारी
49. राज कुमार कुंभार
50. रघुनाथ दत्ता
51. रमेश चन्द्र दास
52. रवि सिंह
53. सनत भुयन
54. सरोजनी पटनायक
55. सरस्वती देवी
56. सुरेखा देवी
57. शिव नारायण त्रिपाठी
58. सत्यभामा माझी
59. सचिक बारिक
60. शशी लता साहू
61. सत्यानंद राय नायक
62. सुशीला मोहंती
63. त्रीनाद पाधी
64. उदय भानु महापात्र
65. बानमबार परीदा
66. वसंत मंजरी दास
67. गजेन्द्र नायक
68. गुमानी नायक
69. जगन्नाथ बेहेरा
70. कैलाश चंद पति
71. केदार नाथ पात्रा
72. मुक्ति कांता चौधरी
73. मायावती कार
74. पूर्ण चंद्र दास
75. पारस मणी देवदासी
76. रतनमंजरी सत्पती
77. राम नारायण बाबू
78. शकुंतला दास
79. सुंदर मणी देवी
80. शांति लता महापात्र
81. सत्याभामा सतपती
82. दुखांसना बेहेरा
83. एस.के. घारियाबुला
84. मदन मोहन शुक्ला
85. निशामणी दास
86. नगेन्द्रनाथ राय
87. आलहादनी कार

88. बाबा जायी चरण मोहंती
89. ब्रज मोहन दास
90. बैशर सावर
91. दुर्भा चरण पात्र
92. गणनाथ साह
93. जयकृशन पांडा
94. जयबंधु साहू
95. जितेन्द्र पात्र
96. करूनकर पुहन
97. कैलाश चन्द्र स्वैन
98. खंडुड़ी चरण बेहेरा
99. खंडा नायक
100. कुंज बिहारी मेहर
101. लक्ष्मी एन. प्रसाद आर. तेलेनगशी
102. मणिमाला देवी
103. मदन मोहन लेंका
104. महेन्द्र प्रसाद जेना
105. मुरलीधर मोहपात्रा
106. नटवर पांडा
107. प्रबिना मोहंती
108. पदमाला समल
109. पूर्णचन्द्र जेना
110. रामेश्चन्द्रा प्रधान
111. रघुनाथ स्वैन
112. सरत चन्द्र बिस्वाल
113. सुरेन्द्रनाथ मुडुली
114. सीमांचल पात्रो
115. सुस्तीधर दास
116. यरूण साहु
117. बृदाबन दास अधिकारी
118. बिम्बधर बेहेरा
119. चम्पा मनी मोहपात्रा
120. दीपक नारायण सिंघदेव
121. धीरेन्द्रनाथ पटनायक
122. दुर्गाचरण साहू
123. दुर्लभ चन्द्र सिंह
124. द्वारकानाथ नायक
125. दुर्गा रानी भाज
126. दुशासन स्वेन
127. फकीर गिरि
128. घनश्याम स्वेन
129. गोपाबंधु नाथ
130. गंधर्व चरण कुंट्टु
131. जीतारानी दास
132. *कैलाश बिहारी दास
133. कैलाश चंद्र मोहंती
134. नीलमणि दास
135. प्रफुल्ल दास
136. पद्मानवा बेहेरा
137. रमेश चंद्रा
138. श्यामामणि देव
139. शरत चंद्र मोहंती
140. श्याम सुंदर बेहेरा
141. अनंत प्रसाद लाल
142. बृंदावन पाटरो
143. गजेंद्र नाथ त्रिपाठी
144. जीतेंद्र जीत
145. कृष्ण चंद्र महापात्र

146. पद्मानवा सामल
147. प्रेमानंद मिश्रा
148. सुधाकर नायक
149. त्रिनाथ चरण साहू
150. गबावती पांज
151. गोलेखा बिहारी जेना
152. हेमलता नंदा
153. जायकृष्ण बरिक
154. मंदारधर प्रधान
155. प्रशांत रथ

पश्चिम बंगाल

1. बेला मुखर्जी
2. बकुल चक्रबोरती
3. द्वारिकानाथ मोहंती
4. मुन्नी बेगम
5. अशोक कुमार चटर्जी
6. अभय चरण दास
7. अशोक कुमार दास
8. अजोय नाग
9. भगवान नायक वर्मा
10. भास्कर भांजदार
11. भागीरथी मिश्रा
12. बैद्यनाथ हालदार
13. बाबाटोश सतपती
14. दिलिप मौलिक
15. देव कुमार गोशाल
16. झुटिका राय
17. मघनाद मंडल
18. मो. इलियास
19. नेमई दास
20. परेश भट्टाचार्य
21. परेश चक्रवर्ती
22. रामेश्वर पानिग्रही
23. रवीन्द्र नाथ घोष
24. स्वर्णबाला कुमार
25. सुरेन्द्र नाथ सरकार
26. सुनील कुमार भट्टाचार्य
27. सरबानी मंडल
28. समर दे
29. तात्ती मिश्रा
30. उमा शंकर दास
31. द्वारकानाथ मोहंती
32. असीम बर्धन
33. बादलचन्द्र दास
34. बलराम हजरा
35. इवा सिंह
36. कृष्ण पौल
37. कामिनी कुमार राय
38. निमाई भट्टाचर्जी
39. प्रफुल कुमार राय
40. परेश चन्द्र दास
41. रवीन्द्र नाथ दत्ता
42. सोवा रानी घोष
43. असिस्तरू मुखर्जी
44. पुतुल चक्रवर्ती
45. मंगला कांत राय

उत्तर प्रदेश

1. अल हुसैन वेधारक

2. अमर नाथ श्रीवास्तव
3. अनिल खन्ना
4. अफजल हुसैन खां
5. अंबिका प्रसाद शुक्ल
6. अकील अहमद खां
7. अमना बानो
8. अखतरी बेगम
9. बहार हुसैन
10. बाबू लाल शुक्ला
11. बाबू लाल बाजपेई
12. भैरब दत्त जोशी
13. बादल
14. बी.आर. प्रजापति
15. छैल बिहारी बाजपेई
16. दीवाली राम
17. दूध नाथ शर्मा
18. देव कुमार जैन
19. धनंजय अवस्थी
20. दीवानचंद राही
21. फकरूल्लाह हाशमी
22. धनश्याम रंजन
23. गजरात सिंह
24. गुलाब बाई
25. गुरुप्रसाद रस्तोगी
26. होशियार सिंह शामबार
27. झंडी (शांति)
28. कमला देवी
29. कैलाश बिहारी
30. कालकू
31. कृष्णा सारस्वत
32. कृष्णा देवी
33. किरण देवी
34. लाइका बेगम
35. लक्ष्मण सिंह
36. लवकुश दीक्षित
37. लाल सिंह
38. लक्ष्मी देवी
39. मकसूद अली
40. मानिक चंद्र
41. मोहम्मद हमीद
42. मुनीजा बेगल
43. मोहम्मद सामी मुने
44. मारकंडेय
45. नारिस हुसैन खां
46. नासिर अहमद
47. नारायण त्रिपाठी सुमन
48. नाभी अंसारी
49. प्रभावती सिंह
50. प्रीतम सिंह
51. प्रदुम्न पांडेय
52. प्रताप नारायण
53. राम भोली
54. रामरूप स्वर्णकार
55. राम किशोर
56. रज्जाब
57. रश्मि भूषण 'जुनू'
58. राधे श्याम
59. राज कुमारी

60. राधा कृष्ण भारद्वाज
61. राम चंदर
62. राम कैलाश यादव
63. शिव राज सिंह
64. शिवनाथ सिंह
65. शिव प्रसाद शुक्ला
66. सुरेश चंद्र महतार
67. शाइदा
68. शिवमूर्ति सिंह वाट्स
69. श्रवण कुमार शर्माजी
70. श्याम सुंदर लाल 'श्यामजी'
71. थान सिंह
72. तारा बाई
73. विश्वेश्वर दयाल अग्रवाल
74. गायत्री देवी
75. लक्ष्मी देवी
76. ओमरकार नाथ उपाध्याय
77. अब्दुल जब्बार हाशमी
78. अमना बीबी खां
79. बचन सिंह
80. बालकिशन यादव
81. चंद्रशेखर मिश्रा
82. फीरोजा बानो
83. हरि श्याम श्रीवास्तव गुरुकुल
84. ईश्वरी लाल
85. कृष्ण कुमारी
86. मास्टर वजीर
87. मानकेशर
88. मुन्नी बाई
89. परमानंद
90. प्रेम अनुरागी
91. राम खिलावन मिश्रा
92. राम आसरे विश्वकर्मा
93. राम नारायण वाजपेई
94. राम नारायण
95. सत्यनारायण
96. श्रीपाल प्रजाती
97. शेख मुंशी
98. जमुई खां
99. झंडी
100. कालकू
101. मेधा
102. माम्मू खां
103. नाथू मास्टर
104. शैदा
105. सरोज लता
106. सूर्य प्रसाद द्विवेदी
107. जगन्नाथ डुबू
108. कुंती देवी
109. वीरेश्वर प्रसाद
110. विष्णु देवी
111. उर्मिला सक्सेना
112. राम शरण
113. मालती कौसर
114. अब्दुल रशीद खां
115. अभय राम शर्मा
116. भूरेलाल कुशवाला
117. छेदी लाल वर्मा

118. चंदा देवी भारती

119. फरीद खां

120. झब्बू मस्तान

121. जहीर खां

122. जनार्दन दास

123. जय कुमारी (आर्य)

124. जुगल किशोर शर्मा

125. मकसूद अली

126. मुन्नी देवी

127. शिवलाल

128. राम नारायण गुप्ता

129. शिव काली

130. शरीफ अहमद

131. शांति राम

132. अल्लो अंसारी

133. भरे खां

134. बिंदा प्रसाद निगम

135. भूदेव शर्मा

136. चुन्नी लाल

137. फुरकान अहमद खां

138. श्रीमती गौहर

139. हुकुम चंद

140. हरचरण

141. हीरामणि

142. कमलेश गांधी

143. लक्ष्मी देवी

144. मोहम्मद आईजेम

145. मोहम्मद अमीन

146. नाथू बारी

147. नाथू राम

148. नूर मोहम्मद

149. ओम प्रकाश विकल

150. पाजन सिंह

151. राजेन्द्र कुमारी जैन

152. राधा रानी

153. राम खिलावन

154. रजिया बेगम

155. राजेश्वरी देवी

156. राम श्री बरेया

157. रामदास

158. रामजानाम

उत्तराखंड

1. अंबिका देवी
2. राम लाल
3. नंदी देवी बिस्ट
4. भोला दत्त तिवारी
5. मोहन राम
6. रामशरण पेनुली
7. रामचन्द्र भट्ट

बिहार

1. अशोक कुमार राय
2. भरत प्रसाद सिंह
3. चन्द्रावती देवी
4. दौड अख्तर
5. देवजन देवी
6. गोविंद राम शर्मा
7. गणेश मंडल
8. जय प्रकाश सिंह

9. कांता साह
10. कोपिया देवी
11. कृत्यानंदा राय
12. लक्ष्मी देवी
13. मधुबाला देवी
14. नंद लाल शर्मा
15. नित्यानंद मंडल
16. राणा सदानंद सिंह
17. राम सागर सिंह
18. सुशील कुमार राय
19. श्री लाल राय
20. सरला रानी
21. उर्मिला
22. यशोदा देवी
23. जर्नादन प्रसाद सिंह
24. अनीता देवी
25. ध्रुवनाथ सिंह
26. राजेन्द्र प्रसाद मंडल
27. रोबिन साव पुष्प
28. अन्नापूर्णा देवी

झारखंड

1. वसंत कुमार बारिक
2. जय नारायण समल
3. केदारनाथ साहू
4. मकरधवाज दरोगाह
5. मोहन राम
6. राजेन्द्र प्रसाद मंडल
7. विश्वनाथ साहू
8. जानकी देवी

असम

1. अक्षय तलुकदर
2. आजाद तैमस लस्कर
3. भारती देवी
4. चारू ककुटी
5. डा. अखिल चक्रवर्ती
6. जोगेन सारमा
7. लंकेश्वरी देवी
8. महानंदा दास बयान
9. पुना राम राजमेधी
10. रवीन्द्र नाथ भट्टाचार्य
11. रूद्र चौधरी
12. श्री तरिनी राजवंशी
13. अदय रंजन बर्थाकुर
14. रवीन्द्र चन्द्र बोरा
15. अमुल्या चंद्रा शर्मा
16. बापरम बोरा
17. भक्ति मधद चट्टोपाध्याय
18. हरि बोरा बोरबयान
19. कलम ग्यान
20. एल. चोंगतो
21. नानी बारूआ
22. स्वप्न पर्येग
23. दीपंकर भट्टाचर्जी
24. धनेश्वर नाथ
25. सोनस्वर अटोई

मेघालय

1. एच. केरोस वाहलंग
2. सुनीला जी. मोमिन

त्रिपुरा

1. भानु चक्रवर्ती

तमिलनाडु

1. ए. रूकमिनी
2. अंडी
3. अरूमुगस्वामी
4. ए. कुमाराप्पन
5. ए.एच. सीथाराम भगवाथर
6. ए. रंगास्वामी
7. डी. सुब्रमण्यम
8. ई. मेरी इमैनुयल
9. जी.पी. कमला
10. के.आर. सुब्रमण्यम
11. समालम रामामूर्ति
12. कलाइममानी कनांदी दामोदरन
13. के.के. समीनाथन
14. एम. रामासुब्रमण्य शर्मा
15. एम. बादजप्पन
16. एन. सुब्रमण्य थम्बिरन
17. एन.एस. रंगाजामानुजम
18. पी.आर. थीलागम
19. पीचान
20. आर. लक्ष्मण
21. आर. ललिता
22. एस.पी. खदेर
23. एस. लक्ष्मी एन.
24. शरदा नागप्पन
25. एस. सादरा
26. टी.एम. श्रीधर
27. टी.एन. सोमासुंदरम

गोवा

1. अलका मगेश वेलिंगकर
2. कृष्णा मशेल्कर
3. किशारी एस. हल्दांकर
4. लीला डी. हल्दांकर
5. शिवा पांडुरंग नायक
6. यशवंत सूर्या शेट्टी
7. प्रसाद सावकज
8. राधाबाई वाई. कामत
9. सोमनाथ दामोदर (जेड ओ) चारी
10. सुब्बालक्ष्मी आर. मंडेरकर
11. सुरेश (चन्द्र)

मणिपुर

1. अरामबाम जुगेशवोर सिंह
2. थंगजम गुलामचाओ सिंह
3. लाइफराकपन कुलाचंद्रा सिंह
4. नमोइजम नोडिया सिंह
5. फुक्रमबम गंधा सिंह
6. आर.टी. नग्मवार अनल
7. सर्वागबम अमुजो सिंह
8. समोम बादम सिंह
9. थेय्यम बिरा सिंह
10. थोकचोम रामानी देवी
11. युरेमबोम मंगी सिंह
12. बी. गुरुमयूम ओ. सुत्जमुखी देवी
13. कमेई गेरेकपेई
14. खैदेम बिहारी सिंह
15. कांगोखाम इबोतोंबी सिंह
16. कोंजम नर्जित सिंह

17. क्षेत्रीयमयुम इबोहल सिंह
18. लाइमयुम निंगोल मेमा देवी
19. लियंथेम चाओबा सिंह
20. लोकतोंगबम बिरचन्द्र सिंह
21. मुतुआ तोंबा
22. नामोजम नोडिया सिंह
23. नगंगोम नगोबी सिंह
24. नोंगथोंबम तोंबा सिंह
25. नोंगमैथेम कुला सिंह
26. ओकराम निंगथेउ सिंह
27. ओनियम इबोबी सिंह
28. पुयम मुकवेज देवी
29. पुथेम थंजाओ सिंह
30. शमुरायलतपम एस. शर्मा
31. सोइबम थोयबा सिंह
32. सोराम निमाई सिंह
33. थ्तखेलामबाम सजोउ सिंह
34. थोंगम गोरो सिंह
35. थनजम नंगसी देवी
36. मंगखेमायुम कोकंगाग सिंह
37. वाहेगबम कोंडुम सिंह
38. यैमा सिंह सलम
39. युमनाम बाबदों सिंह
40. यूमनाम धनंजोय सिंह
41. अचोम मानी सिंह
42. अरामबम हेंरगोउ
43. इलांगबम जोयचंद्र सिंह
44. गुरुमयुम नवीन्द्र शर्मा
45. गुरुमयुम जादु शर्मा
46. हेसनाम अशंगबी देवी
47. कोसनाम धबालु खाबा
48. खवाइराकपम भुबोल सिंह
49. कोंसम रस्मानी सिंह
50. लैशरम धनंजोय सिंह
51. लितंथेम हेरामोट
52. लेबुकतोंगबम श्यामदेव शर्मा
53. मयेंगबम साबित्री देवी
54. नमोइजाम नोबिन सिंह
55. नगंगोम बबतोन सिंह
56. निंगोमबम इरोबोट सिंह
57. फिरेमबम ईबोहल सिंह
58. शदोकपम चाओबा सिंह
59. थेंगबम धनेश्वर सिंह
60. तखेलमबम इबुंगो सिंह
61. वकेंगखेमयुम निलचंद सिंह
62. हुइड्रोम ब्रजचंद मीटी

पांडिचेरी

1. के. राजनारायनन
2. वी. धीनाकरन
3. ब्रेम राजाराम
4. जी. रामचन्द्रन के. गोविंदस्वामी
5. लक्ष्मी
6. लिंगोलन मेनी
7. पी.वी. बालासुब्रमण्यम
8. पी. देवराज आर. कन्नयन
9. अरोलनाथन पुडुवई देसन

हरियाणा

1. धर्मपाल जोगी

2. अमी चंद जोगी
3. लाल सिंह
4. मनफूल सिंह
5. नथी सिंह
6. नंद लाल
7. पुरन सिंह
8. रामकुमार खुंडा
9. राम कंवर गर्ग
10. रघुवीर सिंह
11. श्रीपल सुगम
12. शांति देवी
13. सुरज भान
14. शांति देवी
15. योग चैतन्य
16. पुरन सिंह
17. अर्जुन देवी
18. गिरधारी लाल
19. मुंशी राम

मध्य प्रदेश

1. देवी प्रसाद रायकवर
2. हिफजुल कबिर
3. हर गोविंद विश्वा
4. करीपरम
5. मेहमूद जकी
6. नूर मोहम्मद नैयर दमोही
7. निर्मल नारद
8. नाथु लाल खोब्रागेड
9. पन्नालाल
10. रामलोचन शुक्ला
11. नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी
12. राम सहाय पांडे
13. रामजस चोक्से
14. आनंद कुमार लोहिया
15. बाबूलाल वर्मा
16. बाबू कमरूद्दीन
17. छकई लाल
18. दिनदयाल व्यास
19. होटीलाल जैन हेटी
20. ज्योती स्वरूप
21. कालीदास अगले
22. कैलाश पाठक अनवर
23. महेन्द्र कुमार वर्मा
24. माधव प्रसाद सोनी
25. मिश्रीलाल
26. ओम प्रकाश पुरोहित
27. वसंत निरगुने

गुजरात

1. इंदिराबेन वुनेभाई पंधी
2. मिस्त्री देवयानीबेन अशोक कुमार
3. मनहरलाल गणेशजी उपाध्याय
4. नसीमा एस. खान
5. सरोज सी. राठोड़

राजस्थान

1. श्याम राय भटनागर
2. अर्जन लाल कवि
3. फैयाज हुसैन रागी

पंजाब

1. मंजित इंदर सिंह
2. प्रेम प्रकाश
3. रतन शंकर

दिल्ली

1. अंसारी बेगम
2. अशोक कौशिक
3. ए.आर. राजमणि
4. अमीर चंद
5. अमर सिंह
6. भरपाई
7. छोटे लाल गौर
8. गिरिधारी लाल जुत्थी
9. जगदीश आर्य
10. कृति कुमारी
11. लक्ष्मी चया
12. रामामूर्ति महाजनम
13. नरीन्द्र सिंह लाल
14. ओम कौल
15. पेरी देवी
16. फूलवती
17. रामु
18. राजकुमारी
19. रेबा मुखर्जी
20. शांति देवी
21. श्रवण देवी
22. सालीग्राम गोसैन
23. विरेन्द्र सिंह रथी
24. मजीदा खातून
25. त्रिलोक सिंह लटवाल
26. अनील सेनगुप्ता
27. ज्ञान वती

हिमाचल प्रदेश

1. देबु राम

केरल

1. ए.के. थंकप्पन
2. अम्मानुर परमेश्वर चकयार
3. पंकजम ए.एस.
4. एंडी सी.के.
5. भार्गवी अम्मा बी.
6. चेनथाला थंकाप्पा पानिकर
7. डी. थंकमेनी अम्मा
8. जी. राजेन्द्रन
9. जी. कुजुनी कुरूप
10. के. राजाम्मा
11. कोचम्मु
12. के.वी. रामकृष्णा पानिकेर
13. कुंजु कुंजु पी.के.
14. कल्याणी के. कट्टु अम्मा
15. के.पी. राघवन नायर
16. के. भारती
17. के. मृत्युंजय
18. एल. चेल्लम्मा
19. लक्ष्मी के.
20. एम.सी. नाम्बी नामबूदिरी
21. माम्पत्ता माधवन नामबूदिरी
22. एम. कन्नान
23. एम.ए. सोमनाथन नायर
24. नीलियान वीटिल रमन पानिकर
25. नारायनन एन. कलनीलयम
26. एन. सरोजिनी अम्मा

27. नारायण स्वामी
28. ओ.एस. महिन
29. पी.एस. करूनाकरन
30. पी. वलीया कन्नान पानिकर
31. पदमानाभा पानिकर
32. पी.के. विजयभानु
33. पी. सुभद्रा देवकीरायेरथ
34. पी. वेनुगोपालन
35. करसम्मा एल.
36. सरस्वती अम्मा
37. सरसम्मा चेल्लाप्पान
38. श्रीनिवासन एमबरन
39. एस. गोपालाकृष्णन
40. एस. बालाकृष्णन
41. थिरूवलुम भास्करन नायर
42. वी.पी. उनीपिंडेन
43. वी. हजारा
44. अलीकाल देवकी अम्मा
45. के.पी. सरोजिनी अम्मा
46. के. भास्करन नायर
47. के. कृष्णन
48. एम.टी. गोविंदन पानिकर
49. मौथ्यम जे.के. चक्काला पुथुवल
50. मुलाकदम जवीनद्रन एन.
51. एम. सोमदास
52. जानकी अम्मा
53. एदवलाथ कन्हीकन्ना पोडुवाल
54. के. रवीन्द्र नाथ
55. प्रो. वंदूर मम्मद
56. कव्यूंगल चथुन्नी पानिकर
57. एम.वी. अनंतरामा अय्यर
58. सी.एम. सावित्री
59. के.के.डी. नाम्बयार
60. अनंदावली कंजम्मा
61. चंगनसेरी राजन
62. सी.के. गोपिनाथन
63. सी. दिवागरन
64. सी.एल. जोस
65. चेरक्कल संकारा मरार
66. देवकीम्मा वी.वी.
67. ई.वी. श्रीधर भगवतार
68. जी. वसथीयम्मा
69. जी. रामाचन्द्रन
70. किजाके वीटिल नारायण मारा
71. कुट्टान
72. के. केशवन नाम्बयार
73. के. रमन नायर
74. कोट्टथ कृष्णा नाम्ब्यार
75. के. रमनकुट्टी नायर
76. के.के. लीलाम्मा
77. के.आर. राजाम
78. के. केसवन नायर के. शिवरमन
79. कलनियथाम परमेश्वरन
80. के.वी. इश्वारा वरियार
81. के. लक्ष्मी कुट्टी अम्मा
82. के. पदमनाभा मरार
83. लीला रवीन्द्रन
84. एम.के. आनंद

85. एम. कृष्णन पनिकर
86. मुकोदु बालाकृष्णन
87. मंकु थमपारन
88. माधवन के.
89. एम.के. राजप्पन
90. एम. विश्वनंथन पिलाई
91. एम. सुब्रोमनिओम असरी
92. एन.पी. करूनाकरन नायर
93. नारायणन
94. नारायणन जी. कुंजु पानिकर
95. आयुर कोचु गोविंद पिल्लाई
96. पी.आर. संकारान कुट्टी
97. परोथ करूणा
98. पी. सुदर्शन नायर
99. पर्ववूर रामचन्द्रन गोकुलाथील
100. पी. कुम्हाम्बु
101. पी. शंकुन्नी मरार
102. परिनाद के सुरेन्द्रन
103. आर. वेलयुधान पुलुकर
104. राधामानी अम्मा के.के.
105. एस. अप्पू मरार
106. एस. माधवन यूनिथान
107. सरसम्मा
108. त्रिक्कूर यूनिकृष्णन
109. थंकम वासुदेवन नायर
110. थट्टामाल वासुदेवन पिल्लाई
111. उषा राजन
112. वैद्यनाथन पी.
113. वी.जे. कमलम्मा
114. वी. नारायण पानिकर
115. वी. धीनकरन

महाराष्ट्र

1. अकबर अहमद सिद्दिकी
2. अंकुश आर. गोथंकर
3. अब्बास सुलेमानशा पटेल
4. अरविंद किशनराव कुलकर्णी
5. अब्दुल हुसैन हजरत
6. अतुल्लाह के.आई. बशीर खां
7. भाउ रावजी ठमजी घुले
8. भास्कर केशव सामंत
9. बालकृष्णा भगवान चल्के
10. बाबुराव लक्ष्मण राणे
11. देवेन्द्र शंकर गायेकवाड
12. भीकाजी कमलाकर तांबे
13. चंद्र पाशेट्रीय कुम्भर
14. जाधव दिगम्बर बलीराम
15. दादा घाटोड
16. हरिभाउ दत्ता राम इंगोले
17. गरिबा ठर्कुदजी काले
18. गुलाब युसुफ कलावंत
19. गोविंदराव एन. गधीदंघे
20. ओटारी गजानन कृष्णा
21. जुवेकर श्रीधर शंकर
22. जाधव महादेव विष्णु
23. सावंत जयवंत नारायण
24. जाधव बनारसबाई दिंगाम्बर
25. जाधव काल्लपा शंकर
26. महादेव अटमरम भंगदे

27. महरूद्र जी. धुमल

28. महादेव बंसी दोंगे

29. मारूती तुकाराम शिंदे

30. मनिकराव महरोत्राओ

31. मनिकराव गोविंद दुपारे

32. मोहन जंबजे कलयांकर

33. मणिकराव

34. मुनाफ खां

35. मनोहर धाकु गाओंकर

36. माधव ए.एम. गोपाल पाठक

37. मो. ए.ए. हिंगाथान

38. नामदेव लक्ष्मण कलमेघ

39. निर्मल अश्रुबा उमाजी

40. नागप्पा दत्तात्रेय अदम

41. गीना सुरेश देशपांडे

42. पांडुरंग बालाजी हेदाओ

43. प्रहलाद महादेव खेद

44. राव साहेब इर्बा शिराले

45. पांडुरंग नारायण बागदारा

46. सिताराम गुजिया लोखंडे

47. प्रमिला अनंतराव मोकशी

48. रूकमणि राणे भट्ट

49. शहिर तुकाराम

50. रामचंद्रा एस. पाटिल

51. साउ शांताबाई बी. टल्ले

52. सावंत जयवंत नारायण

53. सोनकांबले वी. विठल

54. सुर्यभान आर. लंजेवार

55. शंकर आर येवाले

56. अचारकर एस. भार्गवरम

57. एच.बी.एच.पी.वी. गर्व

58. जर्नाधनजी के. भोंडे

59. शकरप्पा जी. मितकारी

60. सोमा बाबू पुजारी

61. शंकर पी. सेलोकार

62. डा. सत्यानारायण के.पी. शर्मा

63. शिवदास बी. जंगम

64. उत्तमराव

65. विनायक बाबानराव हुडे

66. विजय विष्णु गोलांकर

67. विश्वनाथ ए. हेदू

68. विकास वडालकर

69. वासुदेव एस.एम. डोडके

70. वामनराव आर. गनर

71. बान्वे विठल नारायण

72. इंदु अनंत राव भोरकर

73. कुंडलीक एस. जगतप

74. प्रयागबाइ आर. पवल

75. यशवंत दन्यानु पवार

76. सत्तार महबूब शेख

77. साहेबराओ लोभाजी पच्पते

78. तिप्पाना सदाशिव मुले

79. विसंत मारूती कंसे

80. मरूतीराव ए. करंदे

81. वामानराव जी. अंगले

डा. वी. कृष्णमूर्ति समिति द्वारा की गई सिफारिशें

4539. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा. वी. कृष्णमूर्ति समिति की सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) समिति की ऐसी मुख्य सिफारिशें क्या हैं जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) वर्ष 2006 के बाद तेल कंपनियों के साथ कितने तेल शोधक कारखानों/कंपनियों का विलय किया गया है; और

(ङ) समिति की सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) डा. वी. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में ऊर्जा में सहक्रिया पर सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के आर एल) एवं आईबीपी कंपनी लिमिटेड का उनकी नियंत्रक कंपनियों क्रमशः भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के साथ विलय कर दिया गया है। बोंगाईगांव रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) का आईओसी के साथ विलय अग्रिम चरण में है।

सरकार ने तीन स्थानों अर्थात् मंगलौर (1.5 एमएमटी) (2) विजाग (1.0 एमएमटी) एवं पाडूर (2.5 एमएमटी) में 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्यनीतिक कच्चे तेल के भण्डार के निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया है। विजाग में निर्माण कार्य शुरू हो गया है जबकि मंगलोर में कार्यनीतिक भण्डार के निर्माण पूर्व क्रियाकलाप अग्रिम चरण में हैं। सिद्धांत रूप में, 15 एमएमटी के कार्यनीतिक भण्डार का निर्माण चरणों में करने के लिए एक निर्णय लिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 दिनांक 3.4.2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत एक कार्यात्मक निकाय है, जो 1.10.2007 से कार्यशील हो गए।

अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपेक्षित स्मारक

4540. श्री मनोरंजन भक्तः क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय महत्व के केंद्र संरक्षित स्मारक उपेक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ स्मारकों पर अतिक्रमण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में ऐसा कोई स्मारक/स्थल नहीं है जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। अतः राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के उपेक्षित पड़े रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर

4541. श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री नन्द कुमार सायः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इटली सरकार ने नई दिल्ली में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सहायता की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त सेंटर में गरीब और दरिद्र रोगियों हेतु निःशुल्क बिस्तरों को प्रायोजित करने हेतु सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ङ) उक्त सेंटर में वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा निःशुल्क बिस्तर प्रायोजित करने से कितने रोगी लाभान्वित हुए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में कुछ और क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2007-08 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ज) उक्त राज्यों में ऐसे केन्द्र कब तक खोले जाएंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। मेरूदंड क्षति के उपचार और चलन संबंधी निशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सहयोग कार्यक्रम के लिए दिनांक 6.1.1991 को भारत सरकार और इटली सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से इटली सरकार ने नई दिल्ली में भारतीय मेरूदंड क्षति केंद्र (आईएसआईसी) स्थापित करने में सहायता की थी। समझौता प्रावधानों के अनुसार यह परियोजना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर पूरा होनी थी।

समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, तत्कालीन कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने भारतीय मेरूदंड क्षति केंद्र और इटली सरकार ने गैर-सरकारी संगठन इटेलियन एसोसिएशन फार सोलिडेरिटी अमंग पीपल (एआईएसपीओ) को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नामित किया था। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईएसआईसी के लिए सभी अस्पताल के उपकरण इटली सरकार द्वारा अपने गैर-सरकारी संगठन (एआईएसपीओ) के माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। निर्धन व दरिद्र मरीजों को भर्ती करने और उपचार करने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान सरकार प्रायोजित नि:शुल्क बिस्तरों से लाभ प्राप्त मरीजों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	मरीजों की संख्या
2006-07	117
2007-08	226

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निशुल्क बिस्तर श्रेणी के अंतर्गत उपचार हेतु प्रोटोकोल

1. सभी मरीज, जिन्हें भर्ती करने की सलाह दी गई, लेकिन वे इसके लिए भुगतान करने में समर्थ नहीं है, को मूल्यांकन हेतु मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेजा जाता है।

2. मेडिकल सामाजिक कार्यकर्त्ता सामाजिक मूल्यांकन करता और मूल्यांकन प्रपत्र भरता है।

3. प्रत्येक मरीज को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि उनके द्वारा दी गई सूचना सही और इस बात से सहमत है कि यदि उसके द्वारा प्रदत्त सूचना गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीजों द्वारा प्रदत्त सूचना सही है, घरों में जाकर यादृच्छिक जांच की जाती है।

5. इसके बाद सामाजिक मूल्यांकन प्रपत्र की जांच की जाती है और इसे प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से आगे भेजा जाता है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत यूरिया उपलब्धता

4542. श्री राकेश सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी.ए.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में यूरिया प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) सरकार का प्रस्ताव आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादकों से नियोजित आपूर्ति और गैर-ईसीए घटक के अंतर्गत वचनबद्ध आपूर्ति और शेष सरकार द्वारा आयातित यूरिया पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश की आकलित जरूरत के अनुसार यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्थलों का विकास

4543. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमृतसर जिले में स्थित बंदाला गांव स्थित अलैक्जेन्डर के अंतिम युद्ध स्थलों में से एक स्थल तथा जनरल शाम सिंह अट्टारीवाला की समाधि को पर्यटन तथा ऐतिहासिक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) बंदाला गांव में उत्खनन तथा अट्टारी स्थित जनरल शाम सिंह अट्टारीवाला की समाधि पर जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में वाणिज्य राज्य मंत्री से संदर्भ के मिलने पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के एक दल द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था। स्थल पर पुरातात्विक संभावना प्रतीत हुई है और सांस्कृतिक क्रमों का पता लगाने के लिए कुछ परीक्षण खाईयों को खोदे जाने की आवश्यकता है। इसे चालू वित्तीय वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है।

पायलटों को प्रमाणपत्र

4544. श्री नवीन जिन्दल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि कुछ पायलटों को मुख्य उड़ान अनुदेशक द्वारा जाली उड़ान प्रमाणपत्र दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मैसर्स कारवर एविएशन अकादमी के मुख्य उड़ान अनुदेशक (सीएफआई) द्वारा की गई अनियमितताओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिनकी विधिवत जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा की गई थी। कैप्टन आशिम टकसाली का सीएफआई का पद वापस ले लिया गया और मैसर्स कारवर एविएशन अकादमी का अनुमोदन निरस्त कर दिया गया। अकादमी ने मामले के सारे तथ्यों सहित सरकार को अभ्यावेदन दिया। सरकार ने अभ्यावेदन पर विचार किया और यह देखते हुए कि चूंकि संस्थान के प्रबंधन ने स्वयं कदाचार का पता लगाया और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट दी साथ ही संस्थान में दाखिल प्रशिक्षुओं की करियर संभावनाओं तथा अकादमी की ओर से एक कठोर निगरानी प्रणाली का आश्वासन दिए जाने के मद्देनजर लाइसेंस की निरस्ति वापस लेने का निर्णय लिया गया। डीजीसीए को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह इन प्रणालियों का होना सुनिश्चित करे।

(ग) सभी उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को प्रतिमाह उनके अपने-अपने विमानों से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित फोटो प्रतियां प्रस्तुत करने को कहा गया है। लाइसेंस जारी करने के लिए इनके छात्रों के आवेदनों को संबंधित उड़ान अभिलेखों/विवरण की सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। नागर विमानन महानिदेशालय को कदाचार रोकने के लिए एक कठोर निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं। डीजीसीए उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने और आगे कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र आडिटर नियुक्त करने की योजना बना रहा है।

महाराष्ट्र में रेल परियोजना

4545. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सरकार से राज्य में नई लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन तथा अन्य विकास कार्यों जैसे रेल ऊपरी पुल/रेल अधोगामी पुल, प्लेटफार्मों और स्टेशनों का नवीकरण आदि हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस बजट में इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सर्वेक्षण की जा रही नई लाइनों तथा मंत्रालय की स्वीकृति हेतु महाराष्ट्र में लंबित लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) नई लाइनों, आमान परिवर्तन और विकासात्मक कार्यों जैसे उपरी/निचली सड़क पुलों, प्लेटफार्मों, स्टेशनों आदि का पुनरुद्धार

करने से संबंधित प्राप्त प्रत्येक और सभी प्रस्तावों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, हाल ही में नई लाइन और आमान परिवर्तन से संबंधित महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त कुछ माँगों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	की गई मांग	स्वीकृति परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान परिव्यय (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	वादसा-गडचिरोली (नई लाइन)		अद्यतन सर्वेक्षण शुरू हो चुका है।
2.	खामगांव-जालना (नई लाइन)		सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। संसाधनों की भारी तंगी और चल रही परियोजनाओं के भारी थ्रोफार्वर्ड होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।
3.	वर्धा-यावतमाल-पुसाड़ नांदेड (नई लाइन)	0.01	2008-09 के बजट में शामिल कर लिया गया है।
4.	मिरज-लातूर (आमान परिवर्तन)	94.80	कुर्डुवाडी-पनढारपुर (52 किमी), लातूर-ओसमानाबाद (113 किमी) और ओसमानाबाद-कुर्डुवाडी (72 किमी) पूरा हो चुका है। मिरज-पनढारपुर (137 किमी) पर भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है। इस खण्ड को वर्ष 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	पूर्णा-अकोला (आमान परिवर्तन)	20.00	पूर्णा-हिंगोली (81.5 किमी) खण्ड पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। हिंगोली-अकोला (128.5 किमी) भी पूरा हो चुका है और 31.5.2008 तक यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है।
6.	मुदखेड़-निजामाबाद-सिकंदराबाद (आमान परिवर्तन)	1.01	पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
7.	रोतेगांव-पुनतांबा (नई लाइन)		सर्वेक्षण को 2008-09 के बजट में शामिल किया गया है।
8.	अहमदनगर-बीड-परली-वैद्यनाथ (नई लाइन)	10.00	अहमदनगर-निरांदोह (15 किमी) पर कार्य शुरू हो चुका है। शेष भाग के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अनुमान मंजूरी के लिए प्रक्रियाधीन है।
9.	मलकापुर-सोलापुर (नई लाइन)		सर्वेक्षण को 2008-09 के बजट में शामिल किया गया है।
10.	कल्यान-मालशेज घाट वरास्ता अहमदनगर (नई लाइन)		अद्यतन सर्वेक्षण शुरू हो चुका है।
11.	यावतमल-मुर्तिजापुर (नई लाइन)		अचलपुर-मुर्तिजापुर-यावतमल, पुलगांव-अरवी के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

1	2	3	4
12.	मनमाड-इंदौर (नई लाइन)		प्रस्ताव को ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजा गया है।
13.	समपार सं. 294 के बदले मानकपुर में उपरी सड़क पुल	00.20	2008-09 के बजट में शामिल किया गया है।
14.	समपार सं. 28 के बदले खाड़ीगांव में उपरी सड़क पुल	लागत 2.5 करोड़ से कम है। परिव्यय रेलवे द्वारा आबंटित किया जाएगा।	2008-09 के बजट में शामिल किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन के लिए चालू/नए सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम	कि.मी.
1.	बल्लारशाह-सूरजगढ़ (इटापल्ली)	130
2.	चिंचवाड-रोहा	95
3.	बडनेरा से वाशिम तक वरास्ता धनज, करांजा और मंगरूलपुर	135
4.	कल्याण-अहमदनगर	240
5.	करद-चिपलून	90
6.	पनढारपुर-लोनाड	145
7.	रोतेगांव-पुंताबा	47
8.	शिरपुर-महोव	185
9.	सोलापुर-जलगांव	450
10.	वीर-हरिहरेश्वर	45
11.	किंवत-महूर	45

पिछले तीन वर्षों में 2 नई लाइन सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए थे और वर्धा-नांदेड नई लाइन को रेलवे बजट, 2008-09 में पहले ही शामिल कर लिया गया है। मनमाड से इंदौर तक नई लाइन के प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन के लिए कार्यवाही की गई।

मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते का विलय

4546. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के उपक्रमों के लिए दूसरे वेतन संशोधन आयोग ने 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय मूल वेतन के साथ करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के विलय का लाभ केवल लाभ कमाने वाले केन्द्र सरकार के उपक्रमों को ही दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य केन्द्र सरकार के उपक्रमों को इससे वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितनी बजटीय सहायता प्रदान की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय वेतन संशोधन समिति ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों को दिनांक 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय प्रदान किया जाए। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि यह विलय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन्हीं उद्यमों के लिए लागू किया जाएगा जिनमें भुगतान करने की क्षमता है तथा जो विलय के कारण वित्तीय देयताओं को अपने संसाधनों में से पूरा कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने यह लाभ वेतनमान की आई डी ए प्रणाली 1997 अपनाने वाले केंद्रीय सरकार क्षेत्र के ऐसे उद्यमों के कर्मचारियों को प्रदान किया है जो घाटा उठाने वाले उद्यम नहीं

हैं तथा जो सरकार की बजटगत सहायता के बिना अपने संसाधनों से उपरोक्त विलय के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की स्थिति में हैं तथा यह लाभ भारतीय खाद्य निगम के आई डी ए प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाएगा।

चौकीदार रहित समपार पर दुर्घटनाएं

4547. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चौकीदार रहित समपारों पर रेलगाड़ी तथा कार के बीच टक्कर की घटनाओं में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख देश के चौकीदार रहित तथा चौकीदार वाले समपारों पर रेलगांड़ियों तथा वाहनों के बीच टक्कर और अन्य दुर्घटनाओं का मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लुधियाना में एक रेलगाड़ी और स्कार्पियों के बीच हुई टक्कर में हाल ही में तीन लोगों की मौत हो गई थी जैसाकि 14. मार्च, 2008 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस दुर्घटना में रेलवे और आम लोगों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीड़ितों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या 2006-07 में 72 थी जो 2007-08 में घटकर 65 हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के लुधियाना-धुरी खंड के लुधियाना-गिल ब्लाक खंड पर दिनांक 13.3.2008 को एक समपार पर मारूति कार के रेल इंजन से टकरा जाने के कारण एक दुर्घटना घटी थी जिसमें कार में सवार तीन लोगों की जानें चली गई। दो सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और तीसरी सवारी की गंभीर चोटों के कारण बाद में मृत्यु हो गई। इसमें रेल परिसंपत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची।

(ङ) उपर्युक्त दुर्घटना कार चालक की लापरवाही के कारण हुई। कार चालक कार को रोकने और यह सुनिश्चित करने कि समपार को केवल तभी पार करना है जब दोनों ओर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपेक्षित है, में असफल रहा है। बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है।

(च) चूंकि बिना चौकीदार वाले समपार पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं फिर भी रेलवे द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनजागरण कार्यक्रम और प्रचार अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं। इसके अलावा, रेलवे अपनी ओर से बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाती है। जिसमें समपारों पर रोड की सतह को बराबर करना, सड़क उपयोगकर्ताओं को सतर्क करने के लिए उपयुक्त सड़क चिह्न, पहुंच मार्गों पर गति अवरोधक/गड़गड़ाहट पट्टियों और जब गाड़ी समपारों पर पहुंच रही हो उस समय चालकों हेतु सीटी बजाने के लिए सीटी बोर्ड आदि शामिल हैं। दोषी सड़क उपयोगकर्ताओं पर काबू पाने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त औचक जांचें की जाती हैं। मौजूदा नीतिनुसार बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए बनाए गए मानदंडों को पूरा करने वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाते हैं।

पर्यटन नीति

4548. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई पर्यटन नीति तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) सरकार की नवीनतम पर्यटन नीति 2002 में, उद्योग संघों, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों एवं अन्य स्टेक होल्डरों के साथ विस्तृत बातचीत के पश्चात् तैयार की गई थी। नीति के मुख्य उद्देश्य, पर्यटन को आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजिन के रूप में स्थापित करना और पर्यावरणीय अनुकूलित ढंग से रोजगार और गरीबी उन्मूलन हेतु, उसके प्रत्यक्ष एवं बहुआयामी प्रभावों का उपयोग करना है।

इस समय, सरकार के पास नई पर्यटन नीति तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे। अब श्री संतोष मोहन देव सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव). अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक)-(2008 का संख्यांक सीए 11)-अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8605/2008]

(2) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक)-(2008 का संख्यांक सीए 9)-सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन-अनुपालन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8606/2008]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8607/2008]

(3) (एक) सेंटर फार कल्चरल रिर्सोसेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार कल्चरल रिर्सोसेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8608/2008]

(4) (एक) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8609/2008]

(6) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8610/2008]

(8) (एक) ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8611/2008]

(10) (एक) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8612/2008]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं-

(1) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8613/2008]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखे पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8614/2008]

अपराह्न $12.00^1/_2$ बजे

(इस समय श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8615/2008]

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंटर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8616/2008]

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): महोदय, मैं श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) नेशनल ट्रस्ट फार द वेल्फेयर आफ पर्सन्स विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिजैबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फार द वेल्फेयर आफ पर्सन्स विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिजैबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8617/2008]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8618/2008]

(2) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8619/2008]

(3) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8620/2008]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8621/2008]

(2) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8622/2008]

(3) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8623/2008]

(4) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8624/2008]

(5) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8625/2008]

(6) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8626/2008]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं, मंत्री के रूप में आपके पहले कार्य निष्पादन के लिए आपको बधाई देता हूं।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8627/2008]

(2) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8628/2008]

(3) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8629/2008]

(4) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8630/2008]

(5) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8631/2008]

(6) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8632/2008]

(7) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8633/2008]

(8) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8634/2008]

(9) मेकान लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समजौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8635/2008]

(10) भार रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8636/2008]

(11) फेरा स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8637/2008]

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) मेकान लिमिटेड, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकान लिमिटेड, रांची के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8638/2008]

(ख) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8639/2008]

(ग) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8640/2008]

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री के रूप में आपके पहले कार्य निष्पादन के लिए आपको भी बधाई देता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 अप्रैल, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 23 अप्रैल, 2008 को यथा पारित जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 को भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, मैं "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन" के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

15वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में महिलाओं की कामकाजी दशाएं, विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2007-2008) का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि, मैंने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी, फिर भी सभा की कार्यवाही में जानबूझकर व्यवधान पैदा की जा रही है। मैं कड़ी आलोचना करते हुए अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय की सूचना दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे उस मामले पर दो-तीन मिनट बोलने का समय दे।

उपाध्यक्ष महोदय: यह उचित समय नहीं हैं। मैं आपको सायं 6 बजे के पश्चात् बोलने का अवसर दूंगा।

अपराह्न 2.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब कार्यसूची की मद सं. 15 को लेगी। आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

(एक) केन्द्रीय पूल से केरल को बिजली का कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): मैं सरकार का ध्यान केन्द्रीय पूल से आवंटित बिजली के कोटे में कमी किए जाने के कारण केरल के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राज्य के लिए निर्धारित कोटे में से, अप्रैल, 2007 से 133 मे.वा. और दिसम्बर, 2007 से लगभग 50 मे.वा. बिजली की कटौती की गई थी। इस बीच, खपत में 150 मे.वा. की वृद्धि हुई है। भीषण गर्मी में मांग में 2,800 मे.वा. तक वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन, केन्द्रीय पूल के कोटे सहित बिजली की उपलब्धता लगभग 2400 मे.वा. होगी, जो कुल आवश्यकता से 400 मे.वा. कम है। इसके परिणामस्वरूप बिजली की अत्यधिक कटौती होगी। विद्युत बोर्ड, विद्युत उत्पादन संयंत्रों से प्रत्यक्ष रूप से 8.75 रु.-9.00 रु. प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में सुधार करने का एकमात्र रास्ता है कि केंद्रीय पूल में से कम किए गए कोटे को बहाल किया जाए।

अत: मैं माननीय मंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि केंद्रीय पुल में से बिजली के कम किए गए कोटे को तत्काल बहाल किया जा सके।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(दो) सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने और विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित सीटों का कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा माननीय सांसदों को केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु दो कूपन प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाते हैं जिनकी सिफारिश पर लोक सभा एवं राज्य सभा के माननीय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में दो बच्चों का प्रवेश करा सकते हैं। परन्तु लोक सभा के जिन माननीय सांसदों के संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, उस क्षेत्र की जनता को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। जिस कारण लोक सभा के ऐसे माननीय सांसदों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो उनके संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की सुविधा नहीं है। दूसरे उन्हें कूपन के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय में बच्चों के प्रवेश की सुविधा से भी वंचित कर दिया गया जो न सिर्फ उन माननीय सांसदों के विशेषाधिकार का हनन है बल्कि उस क्षेत्र की जनता के साथ भी घोर अन्याय है। अत: ऐसे संसदीय क्षेत्रों में माननीय सांसदों की अनुशंसा पर प्राथमिकता के आधार पर नियमों को शिथिल करते हुए अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक जनपद में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाये।

राज्य सभा के सदस्य जिससे चुनकर आते हैं, वह कूपन के द्वारा उस राज्य के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का प्रवेश करा सकते हैं।

अत: सदन के माध्यम से मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन माननीय सांसदों के संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, उन संसदीय क्षेत्रों में माननीय सांसदों की अनुशंसा पर केंद्रीय विद्यालय खोले जायें तथा जब तक केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना नहीं हो पाती तब तक उन सांसदों को कूपन के आधार पर उस राज्य के किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में बच्चों के प्रवेश की अनुमति राज्य सभा सांसदों की तरह वर्तमान सत्र से प्रदान की जाये एवं कूपन की संख्या कम से कम 10 की जाये।

(तीन) चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भरवारी और सिरायु रेलवे स्टेशनों पर चौरी-चौरा एक्सप्रेस, सियालदह-दिल्ली एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चायल, उत्तर प्रदेश में मुख्य मार्ग दिल्ली से हावड़ा होकर गुजरने वाली

जनता और तूफान एक्सप्रेस रद्द किये जाने से मुसाफिरों की दिक्कत बढ़ गई है। जिला इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी व फतेहपुर के कारोबारियों को इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली के सफर के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इलाहाबाद कौशाम्बी के बीच चलने वाली ट्रेनें चौरीचौरा, सियालदह-दिल्ली, श्रीगंगानगर उद्यान आभा (तूफान एक्सप्रेस) जनपद एक्सप्रेस समेत चार ट्रेने 1 दिसम्बर, 2007 से बंद हैं। मौसम की खराबी के कारण बताया जाता है। माह, दो माह बाद ट्रेने दुबारा चला दी जाती हैं। इस बार 4 माह बाद चलाई गई हैं जिस कारण रेल विभाग को प्रतिदिन लाखों रुपये का घाटा होता है। इन ट्रेनों से व्यवसाय नगरी भरवारी, सिरायू स्टेशनों से रोजाना सैंकड़ों व्यापारी दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर आते जाते हैं। जनपद कौशाम्बी के भरवारी, सिरायू स्टेशनों पर इसके अलावा अन्य गाड़ियों का ठहराव होना चाहिये।

(चार) देश में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): डाक्टरों की अनुपलब्धता का सीधा संबंध राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या की तुलना में जनसंख्या की आवश्यकता से है। नेशनल कमीशन आन मेक्रोइकोनामिक्स एंड हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गुजरात जैसे राज्यों में अत्यधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जबकि उड़ीसा और कुछ अन्य राज्यों में ऐसे महाविद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय अत्यधिक फीस लेते हैं, जिसके कारण इन संस्थाओं से उत्तीर्ण डाक्टरों के लिए सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होता। अत: ऐसी संस्थाएं इस समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को पूर्णत: सरकारी क्षेत्र में राज्य और केन्द्र के बीच निधियों के बंटवारे के आधार पर नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए योजना बनानी चाहिए।

चूंकि डाक्टरों की अत्यधिक कमी है, अत: भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अल्पावधि के कतिपय पाठ्यक्रमों को शुरू करना उचित होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा सके। 3000 की जनसंख्या के लिए सहायक पारिचारिका, दाईयों के मानदंड अपेक्षाकृत उच्च है, विशेषकर ऐसे जनजातीय बहुल जिलों के मद्देनजर, जहां स्वास्थ्य उप-केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(पांच) महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट (कोंकण क्षेत्र) में मछुआरों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): मछलियों की संख्या और उनकी गुणवत्ता में कमी के कारण महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के मछुआरों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2006-2007 उनके लिए बहुत मुश्किल रहा।

प्रासंगिक मामले के रूप में यदि हम रत्नागिरि जिले का मामला लें तो वहां 104 गांवों के लिए, जिनमें से 82 समुद्र तट पर स्थित है और 22 अन्तर्देशी आबादी जल के साथ स्थित है, मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है।

मछली पकड़ने के लिए मछुआरे यंत्रचालित नावों का प्रयोग करते हैं और वे लगभग 100 किलोमीटर तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ते हैं।

शायद किसी प्राकृतिक बदलाव के कारण वर्ष 2006-07 के दौरान मछलियों की संख्या में भारी कमी आई है (वर्ष 2005-06 में 1,05,069 एम. टन की तुलना में 69000 एम. टन)। पकड़ी गई मछलियों की गुणवत्ता में भी घाटा हुआ है। इन दो कारकों ने मछुआरों की आय को भी प्रभावित किया है। उन्हें तुरंत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर कोंकण क्षेत्र में इस समस्या ने काफी व्यापक रूप ले लिया है।

इस प्रकार मछुआरों की स्थिति किसानों जैसी हो गई है। अपनी दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने समुद्र में मोर्चे निकालने शुरू कर दिए हैं।

मेरा सभा से यह अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर मछुआरों की समस्याओं के बारे में जानकारी देने के तथ्यों का पता लगाने संबंधी समिति नियुक्त करे। यह समिति एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इस दौरान वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए कि मछुआरों को किसानों के बराबर वित्तीय पैकेज दिया जाए।

(छह) महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-परली रेलवे लाईन का निर्माण समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील (बीड): महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने गत 1.4.2008 को अहमदनगर-बीड-परली

(वैद्यनाथ) नई रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय को सहयोग देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट का आधा खर्च उठाने की मंशा जाहिर की है। सरकार ने 1.4.2008 को ही माननीय रेल मंत्री को पत्र भेजा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की इच्छा स्वीकार करें व अहमदनगर-बीड-परली (वैद्यनाथ) नई रेल लाइन के कार्य को गति देकर अगले बजट में पर्याप्त प्रावधान करें व इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय-सीमा निश्चित करें।

अपराह्न 2.04 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2008-2009

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 16 पर चर्चा करेंगे।

अब सभा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 59 पर चर्चा और मतदान करेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर श्री हरिभाऊ जावले ने एक कटौती प्रस्ताव रखा है। यदि माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव भेजना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर एक पर्ची लिखकर भेज सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों पर 6 बजे चर्चा होगी और यदि समय मिला तो युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। जैसाकि सदस्य जानते ही हैं, गिलोटिन 6 बजे होगा।

निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के प्रस्तुत वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें-बजट (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 14 मार्च, 2008 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	249,62,00,000	68,72,00,000	1248,09,00,000	343,61,00,000

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन के हजारों कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं और उनमें से तीन व्यक्ति आमरण अनशन पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी स्पीच का टाइम आएगा, आप बोल लेना।

श्री मोहन सिंह: महोदय, उन तीनों व्यक्तियों की हालत बहुत खराब है। अगर माननीय मंत्री जी तत्काल हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है। इसलिए इसको सबसे अधिक पब्लिक इंपोर्टेंस का विषय समझकर, इस डिबेट के कंक्लूड होने से पहले माननीय मंत्री जी बातचीत करें, संदेश भेजें। कम से उन तीन कर्मचारियों की जान बचाना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है जो आमरण अनशन पर हैं। मंत्री जी इसमें कुछ पहल करें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह, श्री सुभाष महरिया, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, श्री सत्य नारायण जटिया और श्री अजय चक्रवर्ती ने स्वयं को मोहन सिंह जी की बात के साथ संबद्ध किया है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जिस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हम चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं, देखा जाए, तो बाकी मंत्रालय भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे देश की रक्षा के लिए डिफेंस और गृह मंत्रालय हैं, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह एक ऐसा मंत्रालय है, जो अनेकानेक अंगों से मनुष्य के ऊपर या समाज में प्रभाव डालता है। रेडियो, फिल्म, टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, डांस, कला और संस्कृति न जाने कितनी ऐसे कितने साधन हैं, जो मनुष्य की बुद्धि और मनोरंजन को साधने वाले हैं यह मंत्रालय उसका मूल है। मनुष्य अगर सुव्यवस्थित नहीं रहेगा, समाज अगर ठीक तरीके से सुरक्षित नहीं रहेगा, तो बाकी की चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इसलिए इस दृष्टि से यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस मंत्रालय का जिस तरह से बजट सिस्टम होता जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मंत्रालय की कार्य पद्धति बहुत की ढीली है। कहीं न कहीं मंत्रालय अपनी कार्य पद्धति के प्रति पूरी तरह से नान-सीरियस है। मैं यह केवल आरोप लगाने के लिए ही नहीं कह रही हूं। हमारे सामने इस मंत्रालय को बजट के जो आंकड़े आए है, उससे भी यह पता चलता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह मंत्रालय मांग कुछ करता है और बजट एस्टीमेट कुछ बनता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने 6067.40 करोड़ रुपए मांगे थे, उस समय इनका बजट एस्टीमेट एलोकेशन 4381 करोड़ रुपए हुआ था। उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्टेज पर हम देखें तो वह 3328.70 करोड़ रुपए आता है और वास्तविक खर्च 2808 करोड़ रुपए हुआ, यानि किसी भी प्लान में यह मंत्रालय गम्भीर नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जब हम देखते हैं तो जो बजट एलोकेशन था, उससे दोगुना-चौगुना की मांग की गई है। वास्तविक खर्च में तो छ: गुना डिमांड की गई थी। जब इनकी योजना आयोग से चर्चा हुई, दासमुंशी जी आप मेरी बातों की तरफ ध्यान दें, लगता है कि आप जब संसदीय कार्य मंत्री थी तो हो सकता है कि आपकी गम्भीरता इस मंत्रालय की तरफ न रही हो। आपने इस मंत्रालय के लिए 101 योजनाएं प्रोड्यूस की थीं, उनमें से 43 विदड्रा हो गईं। इसमें कहीं न कहीं जैसे हम मराठी में कहते हैं कि-खिराफत बांटनी है, देना है, इसलिए थोड़ी-थोड़ी स्कीम्स दे दो, लगता है कि इस बारे में गम्भीरता से नहीं सोचा गया कि क्या ये योजनाएं वायबल हैं या नहीं हैं। इसलिए 43 स्कीम्स को ड्राप करना पड़ा है। उन पर जो खर्च हुआ होगा, उसका क्या हुआ, यह मंत्री जी अपने जवाब में बताएं तो उपयुक्त होगा।

मंत्रालय ने 16829 करोड़ प्रपोज किए थे, इन्हें 5529 करोड़ रुपए मिले। मैं यह बात 11वीं पंचवर्षीय योजना की कर रही हूं। मैं इनकी नान-सीरियसनेस के बारे में आंकड़े देकर कहना चाहती हूं। पहले साल मंत्रालय का बजट एस्टीमेट 475 करोड़ रुपए था, रिवाइज्ड एस्टीमेट 400 करोड़ रुपए का बना और एक्चुअल एस्टीमेट 372 करोड़ रुपए का बना। यानी कम से कम होता जा रहा है। इस साल आपको 700 करोड़ रुपया मिला है जिसमें से 99 करोड़ रुपया कामनवैल्थ गेम्स के लिए मिला है। उसके लिए आपने जो प्रपोजल बनाये हैं उन पर अगर मैं बोलने लगूंगी बहुत लम्बी-चौड़ी बात हो जाएगी। इन आंकड़ों से, कहीं-न-कहीं हमारी नान-सीरियसनैस दिखती है। आपके प्रभाग में छोटे-छोटे काम चलते हैं, मैं उनकी बात भी करूंगी, क्योंकि मैं एक मां और दादी-मां भी हूं और मुझे बच्चों से लगाव है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। आपके यहां चिल्ड्रन-फिल्म-सोसाइटी है। इस चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए आपने हैदराबाद में एक बड़ा निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए होंगी। लेकिन नान-सीरियसनैस ऐसी रही कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके लिए 2.71 करोड़ रुपये रखे भी गये और पूरे साल में 41 लाख रुपये खर्च भी हो गये, लेकिन हुआ यह कि एक फरवरी से 15 मार्च के बीच, आखिरी 15 दिनों में रुपये जल्दी में बांटे, क्योंकि उन्हें लगा कि हैदराबाद में तो कुछ बन नहीं सकता, मुम्बई में बनाएं, क्या करें, मुम्बई में जगह नहीं मिल रही, इस तरह की बातें रहीं। लेकिन ये आखिरी 15 दिनों में एक दम से 1 करोड़ 95 लाख रुपये धड़ाधड़ बांट दिये। क्या उससे बनेगा, क्या उसमें आपने क्वालिटी देखी होगी, इस तरह कि नान-सीरियसनैस उसमें आपने दिखाई।

दूसरी बात यह कि फिल्म इंस्टीट्यूट, पूना में, पहले ग्लोबल फिल्म स्कूल बनाने की बात थी, लेकिन पांच साल में कुछ नहीं किया। करीब 2.56 करोड़ रुपये भी रखे गये लेकिन होते-होते ऐसा हुआ कि इसको स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेंडिंग बना देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर आप योजना के लिए सीरियस नहीं हैं तो योजना बनाते क्यों हो? अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं तो योजना बनाते क्यों हो। प्रियरंजन जी आप करते क्या रहे हो, यह मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि आपने इन पांच सालों में, इन सारी बातों की तरफ गंभीरता से देखा ही नहीं है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कोरपोरेशन थोड़ा-बहुत ठीक-ठाक चल रहा है।

जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह मंत्रालय कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन के हर कोण को स्पर्श कर रहा है। जीवन के हर कोण की अगर अलग-अलग बातें ली जाएं तो जो आपको एफएम रेडियो है, जिसमें आप प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर, अलग-

अलग प्रभाग खोल रहे है, इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगी। निजी भागीदारी में आप नये चैनलों की स्थापना कर रहे हैं और आप इनमें रुचि भी ले रहे हैं। पहले रेडियो गांव-गांव तक लोगों के पास पहुंचने का एक प्रभावी माध्यम था और उसमें गाने-बजाने के साथ-साथ हमारी सरकार की उपलब्धियां, सरकार की योजनाओं की चर्चा और लोगों तक सरकार की सूचनाएं अच्छे ढंग से पहुंचे, इसके लिए रेडियो एक अच्छा साधन था। रेडियो सिलोन पर बिनाका गीत माला पापुलर होने लगी तो हमने अपनी तरफ से विविध भारती शुरू करके, इसको इसी तरह से पापुलर रखने के प्रयास भी शुरू किये, जिससे लोगों में इसके प्रति रुचि बनी रहे। छाया-गीत और हवा-महल प्रोग्राम इस पर अच्छे आते थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन इसमें जो आपका एफएम रेडियो है इसकी बात आप देखें तो खबरें चटपटी बनाने के लिए जिस भाषा का उपयोग होता है वह कुछ अखरती है। मैं उसे बंद करने की बात नहीं कह रही हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिए भी कोई न कोई कोड आफ कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसे आकर्षक बनाने के लिए चाहे कैसी भी भाषा का प्रयोग करना पड़े, मैं उदाहरण नहीं चाहती, क्योंकि मैं उसका उदाहरण दे ही नहीं सकती हूं। कुछ ऐसी भाषाएं यूज की जाती हैं, जिन्हें चटपटी कहा जाता है या रेडियो मिर्ची टाइप कहा जाता है। मेरा इतना ही निवेदन है कि आप देश में अलग-अलग चैनल्स की स्थापना कर रहे हैं, इसके लिए भी कोड आफ कंडक्ट हो, इसके लिए हम सोचें। थोड़ा सा कंट्रोल इन चीजों पर होना चाहिए, क्योंकि रेडियो आज भी गांव के दूर-दराज क्षेत्रों में सुना जाता है। मुझे पहले लगता था कि अब टीवी आ गया है, तो रेडियो को कौन सुनेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नही है। आज भी गांवों के दूर दराज क्षेत्रों में रोडियो का उपयोग किया जाता है। इन चैनल्स को भी लोग सुनते हैं। इस कारण इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।

मैं एक दूसरी बात प्रेस के बारे में कहना चाहती हूं। आप इलेक्ट्रोनिक मीडिया मोनिटरिंग सैंटर की भी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी आपने उसके लिए किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। यह बनना भी चाहिए। इलेक्ट्रानिक मीडिया दो प्रकार की है। मैं पत्रकारिता के बारे में कहना चाहती हूं। पत्रकार बंधु मुझसे नाराज भी हो जाएं, पत्रकारिता और प्रिंट मीडिया, इनकी भी अपनी एक भूमिका है। हम इन्हें प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं और यह स्तम्भ के रूप में रहना भी चाहिए। वास्तव में आज दोनों प्रकार के मीडिया में गलत पूंजी यूज की जा रही है। मेरा अपना अनुभव है कि आज कल जमीनों के भाव बहुत बढ़ रहे है, भूमाफिया सक्रिय हैं और फिर उस पैसे को कहां लगाना है, तो अच्छा साधन है कि हम प्रेस में पैसा लगाएं। निकृष्ट पैसा किसी न किसी प्रकार से प्रिंट मीडिया में भी लग रहा है। प्रिंट मीडिया में विदेशियों के प्रवेश की चर्चाएं हो रही हैं। इस बारे में भी गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इन सभी चीजों का मौलिकता से कोई सरोकार नहीं रहेगा। विदेशी पूंजी का भी अगर इसमें प्रवेश हो गया, तो हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा प्रजातंत्र इससे अछूता नहीं रह पाएगा। इस बारे में गहरी सोच की जरूरत है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इलैक्ट्रानिक मीडिया मोनिटरिंग सैंटर तो है, लेकिन लगता है कि न्यूज चैनल्स की तरफ हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इन्हें भी जिम्मेदार बनाना बहुत आवश्यक है। प्रेस काउंसिल है। प्रेस काउंसिल को कैसे ताकतवर बनाएं, उसमें इलैक्ट्रानिक मीडिया भी शामिल है या नहीं है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या उसे शामिल कर सकते हैं? विशेष कर न्यूज चैनल्स के लिए भी क्या कोड आफ कंडेक्ट हो सकता है। यह तरीका बताया जा सकता है कि किस तरीके से हम उन पर निगरानी रख सकते हैं। निगरानी का यह मतलब नहीं है कि उन्हें क्या दिखाना चाहिए या क्या नहीं दिखाना चाहिए, यह तो उन्हें भी समझना चाहिए। आज कल लगता है कि जिस तरीके से न्यूज चैनल्स चलते हैं, उनका न्यूज से कोई मतलब ही नहीं रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज अगर हम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पहले ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता था कि यानी इस देश में बहुत बड़ी घटना हुई है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी घटना हुई है। उसे हम ब्रेकिंग न्यूज कहते थे। आज कल ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि किसी शिक्षिका को पीटा, वह भी झूठे स्टिंग आपरेशन के कारण तथा ऐसे ही दूसरे न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं, उनका उल्लेख करना मैं उचित नहीं मानती। न्यूज चैनल्स में न्यूज से ज्यादा शोज आने लगे हैं। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में जादू टोना, भूत-प्रेत, ग्रहों की परिस्थिति और फलां अंगूठी पहनें, ये सब चलता है। यह सब क्या हो रहा है? क्या इसमें हमारी भूमिका एक प्रेक्षक की रहेगी? हम इतने हैल्पलैस हो गए हैं। कहीं न कहीं इन बातों पर सोचना बहुत आवश्यक है। यूथ एंड स्पोर्ट्स पर हमारे बाकी साथी चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स की दुर्दशा हो रही है। प्लेयर्स को खरीदने के बाद उनके भी फैशन शोज होने लगे हैं और वे रैम्प पर चलते हैं। यह किस तरीके से चल रहा है और क्या हो रहा है? समझ नहीं आता। क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान में खेलने की बजाय फैशन शो करते हैं। खिलाड़ियों को किसी ने खरीद लिया क्या इसलिए वे इन चीजों के लिए मजबूर हो जाएं? न्यूज चैनल्स पर बार-बार वही चीज दिखायी जाती है। किसी का थोड़ा कपड़ा सरक गया, हालांकि समझ नहीं आता कि यह कौन सा फैशन है, कपड़ों के लिए फैशन शो होते हैं लेकिन वे कपड़े पहनते नहीं हैं। समझ नहीं आता कि यह कौन सा फैशन शो है

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]
और इन्हीं के कपड़े कैसे फिसलते हैं। हमारे बच्चे दिन भर वही फिसले कपड़े देखते रहते हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया (सीकर): यह ऐसा कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी बिना अनुमति के बोलेगा उसका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: आप बात को डाइवर्ट न करें। मैं फैशन शो के खिलाफ नहीं हूं। हम भी फैशन करते हैं, हम भी अच्छी दिखने की कोशिश करते हैं, हम यूं ही बड़े नहीं हो गए, हम एबले नहीं रहना चाहते और मैं भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी महिला या पुरुष एबले तरीके से रहे, हम इसे अपने यहां एबले कहते हैं, अच्छा रहना चाहिए और अच्छा दिखना भी चाहिए। अगर वसुन्धरा जी ने अपने यहां के बने कुछ वस्त्र अच्छे तरीके से प्रदर्शित किए तो मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं कि कहते हैं वस्त्रों का फैशन शो लेकिन वस्त्र ही नहीं होते हैं। मैं उस बात पर आब्जैक्ट कर रही हूं। जो भी थोड़ा वस्त्र होता है, वह फिसलता जाता है और फिर भी उसी को बार-बार दिखाया जाता है। क्या हम इतने हैल्पलैस हो गए हैं, हम इस बात को भी थोड़ा सोचें और मैं इसको ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी।

मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगी। आप मानिटरिंग की बात कर रहे हैं। क्या प्राइवेट चैनलों पर कोई मानिटरिंग हो सकती है? जिस प्रकार शो होते हैं, एक रियलिटी शो है, इंडियन आइडल है, इन पर जिस तरीके से कमाई की जा रही है, एसएमएस करो, यानी जो तीन जजेस बुलाए हैं, वे कुछ नहीं हैं और उनके जजमैंट का कोई महत्व नहीं है। एक तरह से यह शोषण हो रहा है। मैंने सुना है कि 13 साल की लड़कियों का मिस इंडिया कन्टैस्ट होगा। यह उम्र बच्चियों के खेलने-कूदने की है। हम उन्हें घर में शिक्षा देते हैं कि कपड़े मत देखो, खेलो, मस्ती करो। हम एक बार बाल इकट्ठे बांध देते हैं और कहते हैं कि जाओ खेलो, आराम करो लेकिन यहां 13-14 साल की लड़कियों के लिए शो आयोजित होते हैं और उनको सुन्दर दिखायी देने के नुस्खे बताए जाते हैं। देश को कहां ले जा रहे है? क्या पूरा सदन इसके लिए हैल्पलैस बना रहेगा, जाने दो, जिस तरह बह रहे हैं, बहने दो। हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए। चैनल्स पर जो सीरियल्स आते हैं, उनकी क्या बात कहूं, आप खुद समझ रहे हैं। इन सब बातों की कहीं न कहीं मानिटरिंग करने की आवश्यकता है। आपके मंत्रालय द्वारा कहीं न कहीं इन सभी बातों पर थोड़ी सोच बनाने की आवश्यकता है, इस दृष्टि से आप क्या करना चाहेंगे? जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप स्कीम्स बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, आपकी मंत्रालय का पैसा खर्च करने में रुचि नहीं है, आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए रुचि नहीं ले रहे हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट को जो दर्जा देना चाहिए, वे नहीं दे रहे हैं जहां से दर्जे वाले कलाकार निकल सकें जैसे पूना का इंस्टीट्यूट इसके लिए फेमस रहा है, लेकिन इसके लिए कोई प्रपोजल कहीं डिमांड्स में दिखा नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। मैं कन्कलूड कर रही हूं, क्योंकि बहुत से सदस्य इस पर बोलेंगे ही और वही बात बार-बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अंत में मैं चार लाइनें कहना चाहती हूं-प्रियरंजन जी आपका महकमा है मनोरंजन, मेरा कहना है कि होना भी चाहिए लेकिन यह होना चाहिए सर्वप्रियरंजन, मैं कहना चाहती हूं यह केवल मनोरंजन नहीं सर्वप्रियरंजन होना चाहिए, चाहे टीवी हो या एफएम हो या अलग चैनल्स हों, ये सभी कर रहे हैं संस्कारों का अवमर्दन और भंजन, प्रियरंजन हो रहा है संस्कारों का भंजन। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमने सुना था कि कुछ दिन पहले आप छोटा सा बिल लाए थे, हमें लगा उसमें कुछ अच्छी बात होगी लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आयु कम करना या बढ़ाना। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं। आप छोटा सा बिल लेकर आए लेकिन किसी की आयु कम या ज्यादा करने से प्रसार भारती या कोई और महकमा सालिड बनेगा, ऐसा नहीं है इसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भंजन हो रहा है इसके लिए क्या करेंगे? इसके साथ मैं कहना चाहती हूं-सख्त कानून और सख्त नियमों का डालो आंख में अंजन, कहने का मतलब है कि कोलकाता में आंख में अंजन डालते हैं, वह डालो। इसे आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूं-ताकि हो जाए अच्छे आचार-विचार और कल्पनाओं का सृजन, अगर वास्तविक रूप से इन्फार्मेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री चाहेगी कि अच्छे आचार-विचारों का सृजन और प्रचार-प्रसार, कल्पनाओं का प्रचार-प्रसार,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

15

अच्छी योजनाओं का चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी का प्रचार-प्रसार, अच्छे कलाकारों के गुणों का प्रोत्साहन देना, इन सब चीजों के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको अपनी आंखें खुली रखकर, अपनी बुद्धि की धार तेज करके सब के सहयोग से इस मिनिस्ट्री को ताकतवर बनाना पड़ेगा। केवल बजट के घटने या बढ़ने से बात नहीं बनेगी, हर चीज बजट से नहीं होती लेकिन बजट घट भी न जाए, जो बजट और स्कीम्स हैं, भले ही चार स्कीम्स हों, वे ठीक तरीके से, मजबूती से लागू हो जाएं, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय: हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी का पांच बजे रिप्लाई हो जाए इसलिए जो माननीय सदस्य रिटन स्पीच सभापटल पर रखना चाहें वे रख सकते हैं। इससे हमारा समय भी बचेगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): माननीय मंत्री को उत्तर देने में और कितना समय लगेगा। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 6 बजे गिलोटिन होगा। क्या उन्हें उत्तर देने में एक और घंटा लगेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में एक घंटा काफी होगा।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, वे अपना उत्तर 5.30 बजे से आरंभ कर सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): मुझे यह नहीं पता कि युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के संबंध में चर्चा होगी या नहीं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: हम सवा पांच बजे का कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वे 45 मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगांव): मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा अनुदान की जो मांगें रखी गई हैं, उनका समर्थन करता हूं। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि अनुदान मांगों का समर्थन व्यक्त करके इन्हें पारित कराने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, बीसवीं शताब्दी में सूचना की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है और अगर देखा जाए तो एक आम आदमी को जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वही उसका संसार होता है और सूचना की शक्ति से एक आम आदमी अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो देश और समाज सूचना शक्ति सम्पन्न होगा और जिस देश में सूचना शक्ति का जितना अधिक प्रसार होगा, हमारे जनसंपर्क और जनसंचार के माध्यम जितने सशक्त होंगे और जितने अधिक आम व्यक्ति तक पहुंच पायेंगे, वह देश उतना ही सुदृढ़ होगा। मेरा यह भी मानना है कि जनसंचार माध्यमों के माध्यम से एक आम आदमी की सजग और सक्रिय सहभागिता बनती है। इसलिए आज जो हमारी श्रेष्ठतम जनशक्ति तैयार होगी, वह जनसंचार माध्यमों की मजबूती के आधार पर होगी। माननीय मंत्री जी और प्रसार भारती के माध्यम से यूपीए की सरकार ने जो नये कार्यक्रम दिये हैं और जिस प्रकार से दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक नया आयाम दिया है, उससे निश्चित रूप से हमारे देश का आम व्यक्ति प्रभावित होता है और हमारे जनसंचार के माध्यम, विशेषकर आकाशवाणी और दूरदर्शन ने बहुत अच्छा कार्य हमारे देश के अंतिम व्यक्ति के लिए किया है। क्योंकि आज व्यावसायिकता की एक अंधी होड़ मची है, जिसमें निजी चैनल, एफ.एम. चैनल आदि व्यावसायिकता के माध्यम से ऐसी चीजें हमारे समाज को परोस रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमें तकलीफ और नुकसान पहुंचाती हैं।

महोदय, यह एक राष्ट्रीय बहस और चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम निजी चैनलों के सामने प्रतिस्पर्धा में कमजोर होते हैं। ये बातें लोक सभा में, समाचार-पत्रों और अन्य माध्यम के द्वारा उठती हैं और यह सुनने में आता है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम कमजोर हैं। जबकि निजी टी.वी. चैनल ज्यादा अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर निजी चैनलों के माध्यम से जो चीजें हमारे समाज को दिखाई जा रही हैं, वे कहीं न कहीं हमारे समाज और राष्ट्र की विरोधी होती हैं और हम सदन के माध्यम से इन बातों पर आपत्ति कर सकते हैं कि हमारे दूरदर्शन की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, इसमें तकनीकी रूप से कहीं न कहीं कमजोरी है। आकाशवाणी पर भी हम आरोप लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज इस देश में संस्कृति का, साहित्य का, जो हमारी अपनी लोक कलाएं हैं, जो हमारी बाल प्रतिभाएं हैं, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, जो हमारी कृषि और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, जो हमारे समाज की छोटी-छोटी बातें हैं, उन सभी चीजों को, हमारे विचारों को, हमारे स्थानीय और रूरल लैवल पर जितने भी विचार होते हैं, जिन्हें संरक्षण देने का काम होता है, जो हमारे छोटे-छोटे कलाकार, लोक कलाकार होते हैं, उन्हें संरक्षण देने का काम केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी ही करता है और कोई निजी चैनल इस बात के लिए सामने नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सारे सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज दूरदर्शन के कार्यक्रमों में जो लोग भाग लेते हैं, जो

[श्री देवव्रत सिंह]

प्रतिभाएं सामने आती हैं, कोई भी निजी चैनल उन समाचारों को उन प्रतिभाओं को कभी सामने नहीं लाता। चूंकि ये बहुत छोटी-छोटी प्रतिभाएं होती हैं। जो हमारे देश की मिट्टी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन्हें ये राष्ट्रीय चैनल और बड़े-बड़े चैनल कभी सामने नहीं लाते, केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी, ग्रामीं में और समाज के बिल्कुल अंतिम छोर पर जाकर इन समस्याओं को सामने लाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस देश में जो जनसंचार क्रांति आई है, उसमें काफी बड़ा कार्य माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। पिछले चार वर्षों में यह निश्चित रूप से अच्छा संकेत है कि इस विशाल राष्ट्र को सेवा प्रदान करने वाला जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है, उसकी सेवा में लगातार विस्तार हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो बजट माननीय मंत्री जी के मंत्रालय को दिया गया है, वह बहुत कम है। आज अगर दूरदर्शन और आकाशवाणी की जो अपनी समस्याएं हैं, वे केवल वित्तीय आधार पर हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार नये चैनल और सेवाओं का जाल बिछाने का काम माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में हुआ है। विगत चार वर्षों में 142 नये हाई लो और वैरी लो ट्रांसमीटर्स स्थापित किये गये, लगभग 160 केबल हैड एंड्स और आठ नये स्टूडियों स्थापित करने का कार्य किया गया है। यदि माननीय मंत्री जी को बजट के माध्यम से और वित्तीय सहायता उपलब्ध होती तो इन सेवाओं का और अधिक विस्तार किया जा सकता था।

महोदय, आज एक नया प्रश्न उठता है कि जो दूरदर्शन के कार्यक्रम होते हैं, उनकी गुणवत्ता और उनके प्रसारण व्यवस्था पर कई बातें सामने आती हैं। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में 17 स्टूडियोज और 30 छोटे स्टूडियोज को डिटीजल करने का प्रयास किया गया है, जिससे उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके कार्यक्रम बनाये जा सकें। निश्चित रूप से हमारे दूरदर्शन के लिए यह बड़ा उत्साहवर्धक है। दूरदर्शन ने जो उर्दू का चैनल चालू किया, जो राज्य सभा का चैनल चालू किया, वह निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी शुरूआत है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और इस शासन को बधाई देना चाहूंगा कि आज भारत विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए खड़ा हुआ है। वैश्वीकरण के इस युग में भारत को लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में जो एक नया चैनल शुरू करने की बात दूरदर्शन ने की है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण होगा, वह निश्चित रूप से बड़ा स्वागत योग्य कदम है।

दूरदर्शन पर जो डाइरेक्ट चैनल हैं, इसकी सबसे अधिक लोगों में मांग रहती है। उसमें जो 30 चैनल्स थे, उनको बढ़ाकर मंत्री जी ने 50 चैनल्स किये हैं, वह एक स्वागत योग्य कदम है। उसके साथ-साथ जो हमारी एफएम के 31 नये ट्रांसमीटर स्थापित किये गये, जो 36 नये आल इंडिया रेडियो के ट्रांसमीटर स्थापित किये गये और जो 17 नये आल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के रिले केन्द्र प्रारम्भ किये गये, वह निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश क्रिकेट के पीछे पागल है। लेकिन अभी हाल में ही बीसीसीआई ने एक निर्णय लिया और देश के आम नागरिकों को एक अच्छी क्रिकेट देखने से वंचित कर दिया। जो प्रसार भारती के अधिकार थे, उनको समाप्त करके निजी चैनल्स को आय के आधार पर लिया गया, उससे कहीं न कहीं तो प्रसार भारती की आय प्रभावित हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को उसमें निर्णय लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि बीसीसीआई पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि जिस भी क्रिकेट मैच में या किसी भी खेल के मैदान में जो मैच होते हैं जिसमें भारत एक राष्ट्रीय टीम के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका प्रसारण देखने का अधिकार हरेक व्यक्ति को है। वह तभी संभव हो पाएगा जब दूरदर्शन के पास उसके अधिकार होंगे। इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि भारत में या देश के बाहर कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय टीम का कोई खेल हो रहा है तो उसको देखने का अधिकार देश की जनता को है और निजी चैनल कभी-कभी इसको बाधित करते हैं। टेलीविजन चैनल यदि बाधित होता है तो इसके पुनर्प्रसारण का अधिकार प्रसार भारती के पास होना चाहिए।

मैं मंत्री जी तथा इस प्रकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि दूरदर्शन और प्रसार भारती के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में चाहे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से हो, जो चौपाल कार्यक्रम होते हैं, उनको और अधिक बढ़ाकर गांवों तक पहुंचाने की जरूरत है। वर्तमान में जो दूरदर्शन केंद्र जो प्राइवेट एजेंसी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्राइवेट संस्थाओं को सामने लाएंगे, वह एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बाद किसानों को इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाए और किसानों तक यह बात पहुंचे कि किस प्रकार की बीमारी लग रही है और किस प्रकार की कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता है और इसके माध्यम से यदि दूरदर्शन अपनी अभिव्यक्ति देगा तो किसानों के लिए आकाशवाणी दूरदर्शन बड़ा सार्थक हो पाएगा क्योंकि आज हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के बाद नयी बीमारियों को नहीं जान पाते। इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से यदि इन सब बीमारियों के बारे में बताया जाएगा तो किसानों को काफी लाभ होगा। यहां पर मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो अद्भुत रेल प्रदर्शनी

प्रारम्भ की गई जिसे कि आजादी एक्सप्रैस का नाम दिया गया और देश की आजादी के जो महत्वपूर्ण क्षण हैं, उनको हम लोगों ने इस रेल के माध्यम से देखा और समझा और पूरे देश ने देखा और उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

महोदय, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वह आज बहुत तकलीफ में है। साल में लगभग 400-500 फिल्में बनती हैं। आप देखें कि उनमें बहुत सारी फिल्में फ्लाप हो जाती हैं, अपनी कास्ट नहीं निकाल पातीं। जो नेशनल फिल्म डैवलपमेंट कारपोरेशन की राशि बढ़ाई गई है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को जो पहली बार बजट में प्रावधान किया गया कि कुछ राशि उसके लिए दी जाएगी ताकि अच्छी फिल्में बन सकें। जो अच्छे फिल्मकार हैं, जो अच्छे निर्देशक हैं, जिन्हें फिल्म बनाने के लिए राशि नहीं मिल पाती, उनके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। उसके लिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारी कला और आर्ट फिल्में हैं, वे बंद हो रही हैं क्योंकि जो कला और फिल्म बनाने वाले निर्देशक हैं, उनको धनराशि नहीं मिल पाती। इसलिए इस धनराशि को बढ़ाने की आवश्यकता है, एक कारपस फंड बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग और जो अच्छे फिल्मकार हैं, वे वहां से पैसा लेकर अच्छी फिल्में बना सकें क्योंकि फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। मंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो विश्व की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें आपने तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे और एनीमेशन और विजुअल इफैक्ट्स पर जो राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। आपके विभाग में जो प्रचार-प्रसार निदेशालय है और भारत निर्माण के जिन कार्यक्रमों की आप प्रदर्शनी लगाते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोक सभा क्षेत्रों में फील्ड पब्लिसिटी विभाग के माध्यम से यह प्रदर्शनी लगायी जानी चाहिए ताकि लोग जान सकें कि भारत निर्माण योजना में केन्द्र सरकार कौन-कौन से कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा।

वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एक बात यह भी आती है कि जो कलाकार मेहनत करके जन संचार माध्यमों से हमें अपनी कला दिखाते हैं, उनकी अपनी समस्याओं को अगर हम हल नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी समस्याओं तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि एक समिति का तत्काल निर्माण किया जाए जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की बातों को सुन-समझ सके, उनकी समस्याओं की देख-रेख कर सके। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर तकनीकी और कलाकार वाले पद रिक्त पड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। उनको मौका मिलना चाहिए, उनको शासकीय नौकरी में लेकर दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी पदों के भरे जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने जो डिजिटल कैमरा के लिए एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी कम की है, उससे निश्चित रूप से प्रसारण व्यवस्था अच्छी हो पाएगी, निजी क्षेत्र में लोग अच्छे कैमरे लाकर अच्छी शूटिंग और टैलीकास्ट कर पाएंगे। श्रेष्ठ उपकरण तथा तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए दूरदर्शन और प्रसार भारती दोनों पर रख-रखाव के लिए बजट की आवश्यकता है। क्योंकि रख-रखाव के अभाव में बहुत सारे उपकरण खराब पड़े हुए हैं।

महोदय, जो हमारे संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, बाल-प्रतिभाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई निजी चैनल्स ने बहुत सारे कार्यक्रम चालू कर रखे हैं। इन निजी चैनल्स के जो कार्यक्रम हैं, इनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वे जिनको बुलाना चाहते हैं, वही लोग कार्यक्रम में आ जाते हैं। इसके लिए कोई मापदंड नहीं हैं। न ही वे कलाकार जो वहां से बनकर निकलते हैं, उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जी. टीवी ने एक कार्यक्रम सा रे गा मा किया था। उसमें मेरे गृह निवास की एक लड़की सुनीता ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। वह जी टीवी के द्वारा अनुबंधित है। अब होता यह है कि जो प्रतिभा उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है, वहां से जीतकर आती है, वह उन सेवाओं के लिए उस चैनल का बंधक हो जाता है। तीन वर्ष के लिए वह विजेता लड़की कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती। वह जितने कार्यक्रम करेगी, उसकी आधी राशि उसको जी चैनल को देनी पड़ती है। मेरा कहना है कि यदि राष्ट्रीय प्रतिभाओं को हम आगे लाना चाहते हैं, वे प्रतिभाएं जब सा रे गा मा या इंडियन आइडल जैसे प्रोग्राम्स में जीतकर चले जाते हैं, तो उनके व्यावसायिक उपयोग के लिए उनको बंधक बनाकर रखा जाता है। यह राष्ट्रीय प्रतिभाओं का एक प्रकार से अपमान है। इस पर रोक लगनी चाहिए। यदि ये निजी टीवी चैनल किसी कलाकार को उठाएंगे, देश के सामने लाएंगे और फिर उसको तीन-चार साल के लिए अपने पास बंधक बनाकर रख लेंगे तो यह सुनिश्चित रूप से अभिव्यक्ति पर भी रोक है और उसकी कला की जो क्षमता है, उस पर भी बड़ा उपबंध है। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो स्थानीय कार्यक्रम हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, सांसदों को पत्र आ जाता है कि हमारे ये-ये कार्यक्रम प्रसारित होंगे, ये कलाकार पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा निवेदन है कि सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ जो अन्य विषय-विशेषज्ञ हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, इनकी एक समिति हर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों में होनी चाहिए जो तय करे कि किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, ताकि उससे गुणवत्ता अच्छी हो सके। जैसे माननीया सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें ऐसे दृश्य दिखाये जाते हैं जो समाज में और बच्चों पर बड़ा गहरा और घटिया प्रभाव छोड़ते हैं। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

[श्री देवव्रत सिंह]

अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बात की भी आवश्यकता है कि जो निजी चैनल हैं और आज टीवी में जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में कहीं न कहीं नकेल डालने की जरूरत है। यदि आप शाम को सात बजे से रात के ग्यारह बजे तक व्यावसायिक चैनल्स में कार्यक्रम देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा बुरा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। विशेषकर जो सास-बहू के सीरियल्स आते हैं, जो सामाजिक सीरियल्स आते हैं, वे कहीं न कहीं गलत प्रभाव डाल रहे हैं। इस पर भी शासन को एक कड़ा नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के चैनल्स को हमारी संस्कृति और हमारे पारिवारिक जीवन के अनुरूप बनाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उनकी इस विषय में बड़ी गहरी पैठ है।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पूरे विषय को सूचना प्रसारण एवं प्रसार भारती के विषय को, संस्कृति और साहित्य के विषय को लगातार आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यह हमारी धरोहर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है और दृढ़ता से माननीय मंत्री जी इसको कर रहे हैं। अंत में मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा।

पानी और तमन्नाओं की एक तासीर होती है आगे बढ़ना। हमको भी आगे बढ़ना है लेकिन यह सोचकर आगे बढ़ना है कि हमारे देश और हमारी संस्कृति एक जगह स्थापित रहे।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका मिला।

मेरे विचार में मंत्रालय विशेषकर सूचना और प्रसारण विभाग का मुख्य उद्देश्य अच्छा माहौल बनाना, मास मीडिया के विकास के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना लोगों को सरकारी नीति और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना लोगों की अधिक भागीदारी के लिए उन्हें शिक्षित और प्रेरित करना, सरकार और प्रेस के बीच निरंतर एक कड़ी के रूप में कार्य करना।

मंत्रालय के 14 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यक्रम इन कार्यकलापों में उसकी सहायता करते हैं। सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन; दि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी; निदेशक, चाइल्ड पब्लिसिटी; निदेशक, एडवटाईसिंग एण्ड विजुवल पब्लिसिटी; और निदेशक, फिल्म फैस्टिवल इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। फिल्म प्रभाग मंत्रालय का एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग है। इसका मुख्य उद्देश्य वृत्तचित्र, एवियेशन फिल्में, कार्टून फिल्में आदि बनाना और उनका वितरण करना है। इसका अर्थ यह है कि जहां तक देश में शिक्षा, सूचना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संबंध है, इस मंत्रालय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा सिनेमा, रेडियो, टीवी चैनल और लघु फिल्में मास मीडिया के प्रभावशाली उपकरण हैं। अत: प्रसार भारती का अत्यंत महत्व है।

प्रसार भारती का गठन दस वर्ष पूर्व हुआ था। तब से अब तक कई परिवर्तन हुए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम वैश्वीकरण, निजीकरण और नई उदार नीति के युग में रहते हैं। इस नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। अत: विशेषकर मास मीडिया में इसके नकारात्मक प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए। अत: विशेषकर निजी आपरेटरों से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रसार भारती अधिनियम में कुछ परिवर्तन अथवा संशोधन किए जाने चाहिए। इस मंत्रालय के संबंध में चर्चा करते समय हमारा विशेषकर संस्था का यह जानने का कर्त्तव्य है कि हमारे कार्य से कितना प्रभाव पड़ा है। हमें यह देखना चाहिए कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या नकारात्मक और क्या हम संसद द्वारा स्वीकृत राशि को उचित ढंग से खर्च करने में सफल हो पाए हैं।

मैं माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन के कथन से पूर्णत: सहमत हूं। वर्ष 2002-03 में स्वीकृत राशि 823 करोड़ रु. थी और व्यय 674 करोड़ रु. हुआ था। वर्ष 2004 में स्वीकृत राशि 841 करोड़ रु. थी और व्यय 495 करोड़ रु. हुआ था। वर्ष 2005 में स्वीकृत राशि 895 करोड़ रु. थी और व्यय केवल 390 करोड़ रु. हुआ था। वर्ष 2005-06 में स्वीकृत राशि 1037 करोड़ रु. थी परन्तु व्यय केवल 807 करोड़ रु. था। वर्ष 2006-07 में स्वीकृत राशि 844 करोड़ रु. थी और व्यय केवल 701 करोड़ रु. था। पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2007 में व्यय केवल 252 करोड़ रु. था जबकि स्वीकृत राशि 390 करोड़ रु. थी। मुझे लगता है कि केवल 390 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में व्यय कम था। वर्ष 2008-09 हेतु, बजट अनुमान 1497.74 करोड़ रुपये था। इस संबंध में हम मंत्रालय से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि प्रसार भारती अथवा मंत्रालय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बुरी तरह असफल क्यों रहे हैं। एक ओर बजट अनुमान अधिक हैं और दूसरी ओर, व्यय काफी कम है। ऐसी स्थिति उस समय है जबकि बड़ी संख्या में परियोजनाएं निधियों की कमी के कारण अधूरी पड़ी हैं। आप कोलकाता स्थित सत्यजीत फिल्म संस्थान अथवा पूना फिल्म संस्थान, पूना को ही देख लीजिए। जब माननीय मंत्री श्री पल्लम राजू सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सभापति थे तो हमें इन संस्थानों का दौरा करने का अवसर मिला था।

जब हमने संस्थान का दौरा किया था तो हमें यह बताया गया था कि उनके पास न तो कोई अध्यापक थे और न ही अवसंरचना

जबकि वहां देश के विभिन्न भागों से अध्ययन के लिए विद्यार्थी विद्यमान थे। स्थिति अभी भी काफी खराब है। यद्यपि विभाग के पास निधियां मौजूद हैं, परंतु वह इन्हें व्यय करने में समर्थ नहीं है। सत्यजीत राय फिल्म संस्थान के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एक टिप्पणी की गई है। इसके अनुसार संस्थान के कार्यकलापों को नुकसान हो रहा था और यह 40 विद्यार्थियों के एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को चलाने तक ही सीमित है। अल्पावधि पाठ्यक्रमों हेतु योजनाओं को कभी लागू नहीं किया जा सकेगा। यहां तक कि मंत्रालय के पास निधियां होने के बावजूद वे इसे लागू करने में असमर्थ हैं। मंत्रालय के संबंध में मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि मंत्रालय को अपनी सहायता के लिए विदेशी विशेषज्ञों को लाना पड़ा था। वहीं निजी व्यक्ति इसे बेहतर ढंग से चला रहे हैं। परन्तु विभाग को सिनेमा चलाने अथवा समाचार कवर करने और ऐसी अन्य बातों के लिए विदेश से सहायता लेनी पड़ती है। कुछ आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि आखिर प्रसार भारती और इस विभाग के संबंध में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए, अन्यथा इस संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। यह अब तक अपना स्वयं का स्थान नहीं निर्मित कर सका है, जैसी कि इससे आशा थी और अभी भी यह वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं है। कर्मचारी अप्रसन्न हैं। स्वायत्तता की वास्तविक भावना का अभाव है। इसके पास कार्यक्रमों की कमी है। इसमें कल्पना की कमी है और कोई गुणवत्ता नहीं है। कुछ मामलों में अभी बोर्ड का पूरी तरह गठन नहीं किया गया है। जब मैं विभाग की इस प्रकार की आलोचना कर रहा हूं, तो मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि आजाद रेल प्रदर्शनी विभाग की सचमुच एक काफी बड़ी उपलब्धि है। यह देश के 70 से अधिक स्टेशनों का दौरा कर चुकी है। क्रांति यात्रा भी काफी अच्छा कार्यक्रम है। सत्याग्रह के 100 वर्षों संबंधी प्रदर्शनी भी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। ये निसंदेह महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। परन्तु मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहूंगा कि प्रसार भारती के संबंध में विशेषकर निजी व्यक्तियों और अन्य सभी से चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई है।

महोदय, प्रसार भारती को अस्तित्व में आए दस वर्ष हो चुके हैं। लगभग 40,000 कर्मचारी अब मंत्रालय में वापस जाना चाहते हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मंत्रालय में स्टाफ की कमी है और लगभग 8,450 पद स्थित हैं। हम मानते हैं कि यह काफी सशक्त प्रसारणकर्ता है, जिसे सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देने और सामाजिक मुद्दों, शैक्षिक मुद्दों और विभिन्न सूचनाप्रद मुद्दों पर बिना किसी पक्षपात के ध्यान केन्द्रित करने का दायित्व सौंपा गया है। परन्तु अनेक पद रिक्त पड़े हैं। कार्यभार में बढ़ोत्तरी हुई है। अब लगभग 30 चैनल, 60 निर्माण सुविधाएं हैं, परन्तु साफ्टवेयर प्रोडक्शन हेतु निधियों में कमी आई है, इन्हें बेहतर प्रसारण तंत्रों के विकास के लिए निधियों की आवश्यकता है। एक ओर वे निधियों की अनुपलब्धता की शिकायत करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे उन निधियों का उपयोग करने से असमर्थ हैं जोकि दैनिक उपयोग हेतु उपलब्ध है।

महोदय, आकाशवाणी के नैमित्तिक स्टाफ और कलाकारों के साथ दूरदर्शन के नैमित्तिक स्टाफ की तुलना में भेदभाव किया जाता है। जब मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सदस्य था, तो मुझे नैमित्तिक आधार पर कार्य करने वाले इन कर्मियों से अनेक शिकायतें प्राप्त होती थीं। ये लोग दिन-रात काम करते हैं परन्तु इन्हें दूरदर्शन के नैमित्तिक स्टाफ के समान दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। मंत्री समूह द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाना था, परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के कुछ मुद्दों को उठाना चाहूंगा। इन दो संगठनों के कर्मचारियों द्वारा अनेक प्रदर्शन किए गए हैं और मंत्रालय और प्रसार भारती ने यह कहते हुए बातचीत का आश्वासन दिया था कि उनके मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा। अभिसरण के पश्चात् केवल अभियांत्रिकी और कार्यक्रम कर्मचारियों को ही बढ़ाए गए वेतनमान प्रदान किए गए थे। इसके साथ ही, प्रशासनिक कर्मचारियों का कार्य भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रशासनिक ढांचे में कार्य कर रहे हैं। परन्तु उन्हें बढ़ाए गए वेतनमान प्रदान नहीं किए जाए। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये सभी समान संस्थान में कार्य कर रहे हैं परन्तु जब वे प्रसार भारती में गए तो उन्हें समान दर्जा प्रदान न करने का क्या औचित्य है। मैं संबंधित मंत्री महोदय से इस बारे में पूछना चाहूंगा और मुझे नहीं मालूम कि क्या वह इससे अवगत हैं अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*। संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार इन दो वर्षों के अंदर ही इस मामले की जांच करेगी और मंत्री समूह भी इसे ध्यान में रखेगा। कार्यसूची में इसका उल्लेख था परन्तु इस पर चर्चा नहीं की गई ...*(व्यवधान)* मैं इसे गंभीरता से लेता हूं क्योंकि 22 अप्रैल से आकाशवाणी के कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर विचार करे क्योंकि वे इस मुद्दे के संबंध में काफी लंबे से मांग कर रहे हैं।

चाहे प्रसार भारती हो या दूरदर्शन हमें इनके संबंध में एक स्वतंत्र कदम उठाना चाहिए क्योंकि सरकार ही उन्हें निधियां प्रदान कर रही हैं और उनके नीति संबंधी मुद्दों पर निर्णय ले रही हैं। यह वास्तव में दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल के लोग यह मान रहे थे कि यह मुद्दा नन्दी ग्राम से जुड़ा हुआ है। हम यह जानते हैं कि नन्दीग्राम के संबंध में कांग्रेस, सीपीआई(एम) अथवा वामपंथी दलों के अलग-अलग मत हैं। लेकिन जहां तक दूरदर्शन अथवा प्रसार भारती का संबंध है इसे लोगों को सौंपना कैसे संभव है? यह सरकार के विरुद्ध है। मैं इसे पश्चिम बंगाल अथवा केन्द्र सरकार या प्रसार भारती का मामला नहीं मानता। परंतु जैसाकि

[श्री पी. करुणाकरन]

माननीय सदस्य ने कहा कि जब हम ऐसे मुद्दे को लेते हैं तो इस संबंध में उन्हें स्वतंत्रता हैं। इसके साथ ही इसका उपयोग भी किया जाना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य अथवा मुद्दा राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रीय स्तर को बनाए रखना होना चाहिए। कुछ मामलों में हम यह कहते हैं कि उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार और स्वतंत्रता है। निसंदेह, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी कम नहीं आंकता। परंतु हम जो अवास्तविक विचार प्रकट करते हैं, गलत सूचना देते हैं, उससे साम्प्रदायिक भावना उभरती है अथवा कभी-कभी दंगे भड़क सकते हैं और अवांछित घटनाएं भी हो सकती हैं। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

सरकार ने इलैक्ट्रानिक निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है। परंतु मुझे नहीं लगता कि यह प्रणाली कार्य कर पाएगी क्योंकि इलैक्ट्रानिक मीडिया, नेशनल मीडिया, राज्य मीडिया और स्थानीय मीडिया तेजी से फैल रहे हैं। और जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है कि इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। फैशन पैक्ड अथवा प्रचार जैसे अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें महिलाओं को अशोभनीय ढंग से दिखाया जाता है। जहां तक प्राइवेट चैनलों का संबंध है उनकी कोई सामाजिक बाध्यता नहीं है। वे केवल लाभ अथवा धन कमाना चाहते हैं। आजकल टेलीविजन में सिरियल के प्रसारण के दौरान हम विज्ञापन देखते हैं। टी.वी. में 50 प्रतिशत समाचार और 50 प्रतिशत विज्ञापन दिखाए जाते हैं। मुझे आशंका है कि कहीं कुछ वर्षों बाद 25 प्रतिशत समाचार और 75 प्रतिशत विज्ञापन न हो पाए। ऐसा विशेषकर निजी चैनलों में होता है। अत:, सरकार को इस संबंध में ठोस कदम उठाने चाहिए। चाहे प्रसार भारती का मामला हो या आल इंडिया रेडियो का इनके प्रतिदिन के लगभग 10 मिलियन होता है। अत: उनका महत्व पूर्णत: स्पष्ट है। मीडिया को नियोजित करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और यही कारण है कि मैंने आरंभ में ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

टेलीविजन के अन्य चैनलों की तुलना में दूरदर्शन अच्छा कार्य कर रहा है। इसलिए हमें प्रसार भारती और दूरदर्शन की प्रशंसा करनी चाहिए इनका संरक्षण करना चाहिए। मैं इनके महत्व का आकलन कम नहीं करता क्योंकि दूरदर्शन और प्रसार भारती महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैंने खामियों का उल्लेख किया है। अब हम लोक सभा चैनल भी देख सकते हैं। वह चैनल अत्यन्त गंभीर मुद्दों के साथ-साथ फिल्में और सीरियल भी प्रसारित करता है। परंतु निजी टेलीविजन चैनलों के संबंध में ऐसा नहीं है।

हमें वैश्वीकरण और उदारीकरण के बारे में सोचना हैं। निसंदेह, सरकार वैश्वीकरण और उदारीकरण का समर्थन करती है। जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है हमें मास मीडिया, अपने जनसंचार माध्यम, अपनी संस्कृति अपनी शिक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की ओर ध्यान देना चाहिए। अत: सरकार का इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

आरंभ में मैंने यह कहा था कि किए गए व्यय और स्वीकृत बजट में भारी अंतर है। आगामी वर्ष के लिए हमने 1,497.74 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। मंत्रालय इसे कैसे खर्च करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई अच्छी योजना बनाई गई है या नहीं।

मैं अनुरोध करूंगा कि इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विचाराधीन अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे अभी माननीय सदस्यों के विचार आए हैं, इसमें कोई असत्य बात नहीं है, लेकिन जहां तक विचार करने की जरूरत है, आज देखा गया है कि लोक सभा में लोक सभा टीवी चैनल की शुरुआत हुई है। मंत्री जी उस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस कमेटी में मैम्बर हूं। उस बैठक में कई बार ऐसी चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी के विचारों और भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि वाकई वे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वह दूरदर्शन हो, कुछ करना चाहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हम लोगों ने उन्हें बहुत नजदीक से देखा है। यह बात सत्य है कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपने ज्यादातर वक्त सदन को चलाने में दिया। हो सकता है कि आपने कुछ वक्त नहीं दिया हो, प्रसार भारती के लिए, लेकिन काफी सुधार किया है। कार्मिक लोक शिकायत और विधि न्याय मंत्रालय में भी हमने प्रसार भारती के विषय में काफी विस्तार से चर्चा की थी और उसमें तमाम सुझाव दिए हैं। आज यदि इस विभाग को सही मायने में देखा जाए, तो यह विभाग समाज की संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। यदि उस रूप में देखें तो तमाम बातें यहां चर्चा में आई हैं, जैसे बच्चों के बारे में कहा गया, चाहे दूरदर्शन के कार्यक्रम हों, आकाशवाणी के कार्यक्रम हों या तमाम इलैक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े हुए प्रचार-प्रसार के जो माध्यम हैं, यदि देखा जाए कि बच्चों पर उसका क्या प्रभाव और कुप्रभाव पड़ा, इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन सोचने वाली बात है और मेरे ख्याल से इस सदन में जीरो आवर में भी चर्चा हुई है और समय-समय पर बराबर चर्चाएं हुई हैं कि यदि हम किसी भी चैनल पर समाचार भी देखना चाहें, तो जो विज्ञापन आते हैं, वे इतने भद्दे हैं कि हम अपने बच्चों और परिवार के साथ समाचार नहीं देख सकते। आज यह स्थिति है। मंत्री जी को इस

ओर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम भद्दे विज्ञापन हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि फैशन शो के बारे में बहन सुमित्रा महाजन जी ने बड़े विस्तार से कहा है, यह होना चाहिए। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, उसके अनुरूप अगर यह हो तो किसी को उससे गुरेज नहीं होगा। हम उसका स्वागत करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी मुख्य पदाधिकारी हैं। उसके लिए करोड़ों रुपए जाते हैं, लेकिन वह पैसा कहां और कितना खर्च होता है, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी जाती है। इस विभाग में जिन कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण होता है, उनमें बहुत अच्छे कलाकारों आते हैं, लेकिन वहां की जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल नजरअंदाज करके, इसे स्थानीय अधिकारियों की मौज-मस्ती का विभाग बना दिया गया है। पूरी तरह से उन अधिकारियों के घर-परिवारों के लोग वहां जाते हैं, वहां जो कलाकार चाहते हैं, हायर करते हैं और उसका लुत्फ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यह ऐसा एकमात्र केंद्र है, इसमें समाज के लोगों और जनता से जुड़े हुए लोगों को कम से कम ऐसे कार्यक्रम दिखाने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता मजबूत हो, अच्छी बन सके। दूसरी तरफ आज एफएम और एफएम बैण्ड के बारे में यहां कहा गया है। लेकिन हम लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि हम लोगों ने गाड़ियों में समाचार वगैरह सुनने के लिए जो रेडियो लगा रखा होता है, उस पर जब कोई गाना आता है और वह जिस प्रकार टेप रिकार्डर में कैसेट की रील फंस जाती है, उसी तरह वह पांच-पांच मिनट के लिए फंस जाता है और इससे उस कार्यक्रम का आनन्द खत्म हो जाता है। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि दूरदर्शन में अगर इस प्रकार के इक्विपमेंट हैं जो खराब और पुराने हो गए हैं तो उनको बदलना चाहिए।

आजकल आप सेटेलाइट के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं लेकिन कई जगहों पर, ग्रामीण इलाकों में उसका सिगनल वीक होने के कारण कार्यक्रम नहीं पहुंचते हैं। ऐसे एरियाज में विदेशी चैनल तो बहुत साफ आते हैं, लेकिन आपके दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम बिल्कुल कमजोर सिगनल होने के कारण वहां नहीं पहुंचते हैं। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो देशभक्ति से जुड़े हों, सामाजिक गाने हों। पुरानी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन गानों में एक राग, साज और लय होती है जिसका एक मतलब होता है। उसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। टीवी पर आजकल बहुत से ऐसे सीरियल आ रहे हैं जो वाकई घर-परिवार को लड़ाने और बर्बाद करने वाले सीरियल हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए आपने सेंसर बोर्ड बनाया है। सेंसर बोर्ड को कम से कम यह देख लेना चाहिए कि उस कार्यक्रम का समाज पर क्या कुप्रभाव होगा। इसको अच्छी तरह देखकर ही प्रसारण कराना चाहिए। अभी जब बीच में रामायण का प्रसारण हुआ था, उस समय जब रामायण शुरू होता था, सड़कें खाली हो जाती थीं, लोग अपने काम-काज छोड़कर रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे। इस प्रकार के कार्यक्रम अगर बनें तो बहुत अच्छा होगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हमें सूचनाएं देर से मिलती हैं। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि चाहे आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो, इस पर कम से कम हर आधे घंटे पर राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार प्रसारित होनी चाहिए जिससे लोगों को पता चल सके कि हमारे देश या प्रदेश में क्या हो रहा है। न्यूज प्रसारण में विज्ञापन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी जाकर उसका आनंद आता है। इसी प्रकार ब्रेकिंग न्यूज की बात कही गयी है। अगर किसी जगह कोई घटना घटित हुई है तो सभी कार्यक्रम रोककर उसे पहले देना चाहिए। आजकल अनेक टीवी चैनल्स पर ग्रहों और राशियों के बारे में अनेक कार्यक्रम आते हैं। पता नहीं चैनल्स को क्या हो गया है कि हमेशा ऐसा कार्यक्रम आते हैं कि आज आपके ग्रहों की दशा कैसी है, आपका राशिफल क्या है। क्या भविष्य है। दूसरी तरफ क्राइम के बारे में इतना ज्यादा डरावना चित्रण दिखाया जाता है और भूत-प्रेतों के बारे में दिखाया जाता है, जिससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम देखकर हमारे कई नौजवानों ने इस प्रकार की घटनाएं की हैं इसलिए इससे भी अपराधों में वृद्धि हो रही है। हमें देखना चाहिए कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक चैनल दवाओं के बारे में बताता है। उसमें बताया जाता है कि अमुक दवा से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और लम्बे हो जाएंगे। इसी तरह उसमें कहा जाता है कि इस दवा से काले लोग गोरे हो जाएंगे और छोटे कद वाले लम्बे हो जाएंगे। यह फिजूल का प्रचार हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक गीत बहुत प्रचलित हैं। इसलिए लोक गीतों का कार्यक्रम प्रसारित होना चाहिए और उसका समय भी बढ़ाना चाहिए। हमारे दूरदर्शन पर कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है। चाहे वह दूरदर्शन पर आए या रेडियो पर आए, उसका समय जरूर बढ़ाएं। इससे संबंधित कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को बुलाकर मौसम के हिसाब से फसलों को उपजाने की जानकारी किसानों को देनी चाहिए। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि कृषि के लिए आप एक अलग चैनल बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए मैं इस पर जोर देकर कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपकी पार्टी से और सदस्य भी बोलेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आदरणीय मोहन सिंह जी ने सदन में कहा था कि जन्तर-मन्तर पर आपके विभाग के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाए। आप अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे वहां जाकर उनकी जो जायज मांगें हैं और जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उन्हें मानें और उनका अनशन समाप्त कराएं, तो ठीक रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ई.जी. सुगावनम** (कृष्णागिरि): माननीय उपाध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से इस अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं।

भारत में वर्ष 1992 में केबल टी.वी. आने के पश्चात् प्रसारण में भारी प्रसार आया है और इसका काफी विस्तार भी हुआ है। पहले टी.वी. देखने के लिए गांवों में लोग एक जगह इकट्ठा होकर सामुदायिक टी.वी. देखा करते थे। उसके मुकाबले अब काफी अंतर आ गया है। यह आश्चर्यजनक परंतु सत्य है कि अब केबल टीवी के आगमन से गांववासी भी शहरी लोगों की बराबरी कर रहे हैं।

केबल टी.वी. प्रसारण में डीटीएच की आगमन एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को अब बढ़िया स्तर का प्रसारण व फिल्में दिखाई देती है।

कई टी.वी. चैनलों के प्रसारण में मनोरंजन को ही प्राथमिकता दी जाती है। उनमें से केवल कुछ ही ज्ञानप्रद और विशेष कार्यक्रमों को महत्व देते हैं। चैनल अभी भी भौतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि लोगों को विकासात्मक कार्यों से लाए गए सामाजिक परिवर्तनों की जानकारी दी जाए। अत: मेरा अब सरकार से यह आग्रह है कि वह शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के प्रसारण को महत्व दे।

तमिलनाडु में डा. कालिंगार करूणानिधि की सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वर्ष 2006 से मुफ्त में रंगीन टीवी दिया है। हमारे नेता कलिंगार की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार अब उन सभी परिवारों को टी.वी. दे रही है जिनके पास राशन कार्ड है। टीवी सैट की व्यापक उपलब्धता के कारण वहां एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। अत: मेरा संघ सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस योजना को देश में अन्य सभी राज्यों में प्रारंभ करे और सूचना और इस प्रकार प्रसारण के विस्तार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए।

केबल टीवी आपरेटर अत्यधिक पैसा वसूली करते हैं और जनता द्वारा अधिक वसूली करते हैं और जनता द्वारा अधिक वसूली का विरोध किए जाने पर उन्हें धमकी देते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने केबल टीवी नेटवर्क प्रसारण का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अब सरकारी केबल टीवी किफायती दरों पर कुछ केबल कनेक्शन प्रदान कर सकती है। अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना का विस्तार सभी राज्यों में करने पर विचार किया जाए।

सरकार के कर राजस्व में फिल्म उद्योग बड़े पैमाने पर योगदान करता है। गत दो वर्षों में ही इस क्षेत्र से 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। परन्तु फिल्म निर्माण इकाइयों में कामगारों की जीवन दशा में सुधार किया जाना चाहिए। अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि फिल्म उद्योग में कामगारों और कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक निधि की स्थापना की जाए।

सेंसर बोर्ड को दिए जाने वाले दिशानिर्देशों को सुचारू बनाया जाए। अत्यधिक हिंसा और अश्लीलता के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमारी फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय नेताओं और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की गंदी छवि दिखाने से बचा जाना चाहिए।

प्रसारण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। राज्य के स्वामित्व में रेडियो और टेलीविजन संगठन कर्मचारियों की कमी की समस्या को दूर करें तथा वे कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने और कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाएं। प्रसार भारती की स्थापना के पश्चात्, कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें अनिश्चित बन गई हैं और वे लोग जो कि सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती किए गए हैं उनका भविष्य भी अधर में है। चूंकि, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारी राज्य और उसके लोगों के बीच एक संपर्क का कार्य करते है, उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के ही समान वेतन और अन्य भत्ते प्रदान किए जाने चाहिएं। इन कर्मचारियों को शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए। सरकार, विशेषरूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गलत नीतियों के कारण कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारियों को 20 वर्षों से एक भी पदोन्नति नहीं मिली है।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

यह एक स्वागत योग्य कदम है कि निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक एफएम प्रसारण सेवाओं को अनुमति दी गई है। मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच में उन्हें समाचारों का प्रसारण भी करना चाहिए। सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टेलीविजन प्रसारण को शत प्रतिशत गांवों तक पहुंचाया जाए।

सिनेमा उद्योग में अधिक निवेश करना चाहिए और फिल्म निर्माण में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। परन्तु कुछ भ्रष्ट लोग अवैध वीसीडी बनाकर भारी धनराशि कमाते हैं और मूल फिल्म निर्माताओं को भारी हानि पहुंचाते हैं। मैं सरकार से अवैध सीडी की समस्या पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। देश के विभिन्न भागों में फिल्मोत्सवों और फिल्म पुरस्कार समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए। देश के सभी चार क्षेत्रों में प्रतिवर्ष फिल्मोत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण स्टेशनों को आधुनिक बनाने का अनुरोध करता हूं। अभी तक इनके पुराने उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रसारण की गुणवत्ता खराब है। अतः, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए उपाय करने चाहिएं।

राज्य के स्वामित्व में मीडिया केवल एक या दो खेल स्पर्धाओं को प्रोत्साहित करती प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण को बदला जाए। सभी खेलों को टीवी प्रसारण में स्थान दिया जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय खेल हाकी के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जाता है। अतः, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी महत्वपूर्ण खेल स्पर्धाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

चेन्नई शहर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा मल्टीमीडिया के केंद्र के रूप में उभर रहा है। चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक फिल्म संस्थान अथवा संचार संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। अतः, मैं सरकार से यहां एक जन संचार संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र धर्मापुरी और कृष्णागिरी में प्रसारण केन्द्रों की स्थापना की जाए तथा उन कस्बों से स्वतंत्र प्रसारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उनके आस-पास के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को इससे लाभ मिल सके।

फिल्म उद्योग को पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम दरों पर उधार ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं सरकार से फिल्म उद्योग की बहुप्रतीक्षित मांगों पर ध्यान देने का भी अनुरोध करता हूं। मैं, नेशनल पोथीगाई तमिल टीवी चैनल को स्वतंत्र 24 घंटे चलाने वाले एक पूर्ण चैनल के रूप में मान्यता प्रदान करने का भी अनुरोध करता हूं।

तमिलनाडु सरकार, हमारे राज्य में तमिल भाषा को बढ़ावा देने वाले फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन दे रही है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

दिल्ली जैसे महानगर में सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स बन गए है जो कि प्रत्येक टिकट पर 300 अथवा 400 रुपये तक की अत्यधिक वसूली करते है। सरकार को सार्वजनिक और सामूहिक रूप से फिल्म देखने को बढ़ावा देने की ओर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सब निर्धन लोगों की पहुंच से बाहर न हो जाएं। पर्यटक महत्व के स्थलों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वन्य तथा पालतू जानवर पहले की फिल्मों का मुख्य आकर्षण होते थे। आजकल पशुओं से उतनी आसानी से फिल्मों में काम नहीं कराया जा सकता। पालतू जानवरों को केवल फिल्म में दिखाने मात्र के लिए भी केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनावश्यक प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को अपना समर्थन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक अहमियत है। यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के माध्यम से जहां बड़े पैमाने पर देश के करोड़ों लोगों के पास मनोरंजन का साधन है साथ ही यह सूचना का भी एक बहुत बड़ा तंत्र है, जो लोगों को अप-टू-डेट रखता है। 60-61 वर्षों में हम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। जब निजी चैनलों का समावेश मीडिया के क्षेत्र में आया है, तब से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। नैं समझता हूं कि मनोरंजन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रांति आई है। जब से निजी चैनलों का समावेश हुआ है, तब से दूरदर्शन, रेडियो के क्षेत्र में कई कम्पनियां हमें चुनौती देने का काम कर रही हैं। उन चुनौतियों का सामना करने का हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जब से कार्य संभाला है, तब से अपने स्तर पर कोशिश की है कि हम दूरदर्शन को निजी चैनलों के माध्यम से जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है, उसे कम्पीट कर पाएं और रेडियो के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा

[श्री राम कृपाल यादव]

कर पाएं। लाख प्रयास करने के बाद भी दूरदर्शन और रेडियो निजी चैनल्स को कम्पीट नहीं कर पा रहा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं।

जिस तरह से निजी चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है, जिसकी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आज चिन्ता का विषय है कि हम क्या बेचारे बन कर रह जाएंगे? यह सोचने की बात है। हम केबल एक्ट के माध्यम से इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। संसद में हर सैशन में इसकी चर्चा होती है कि निजी चैनल्स पर भद्दी और अश्लील हरकतें दिखायी जाती हैं, समाज पर कुप्रभाव डालने वाली चीजों का प्रदर्शन होता है और हम मूक दर्शक बन कर रह जाते हैं यानी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या सरकार बेचारी बन कर रह जाएगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और क्या हम एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्या ऐक्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ताकि समाज पर कुप्रभाव डालने की जो कोशिश हो रही है, उसे नियंत्रित कर सकें। आप इस पर विचार करें। यंगर जेनरेशन की मानसिकता में जो बदलाव आ रहा है, इसके कई कारण हैं। आज तरह-तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, निजी चैनलों के माध्यम से जो कहानियां गढ़ कर दिखायी जाती हैं, उनसे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और उनके अनुरूप चोरी, डकैती करते हैं। भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है। इतिहास साक्षी है। सैंकड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। खास तौर से महिलाओं का नंगा प्रदर्शन किया जाता है। आप उसे कैसे देखेंगे? अच्छे लोग तुरन्त टीवी को बंद करने का काम करते हैं लेकिन देखने वाले लोग देख रहे हैं जिस का समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है और हमारी सभ्यता और संस्कृति पर चोट पहुंच रही है। क्या आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्या विदेशी चैनलों पर नियंत्रण लगाया जा सके। नया केबल एक्ट ला कर क्यों नहीं संशोधन किया जाता है?

मनोरंजन का जमाना आ रहा है और दूरदर्शन मनोरंजन का केन्द्र बन रहा है। जब से टीवी आए हैं, लोग सिनेमा घर में कम जाते हैं और घर में ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में मनोरंजन मिल जाता है। वह अपने घर में बैठ कर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हर आदमी को मनोरंजन चाहिए। मानसिक खुराक के लिए मानव को मनोरंजन चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दूरदर्शन के माध्यम से चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, मनोरंजन मिलता है। आने वाले दिनों में इसका बड़ा व्यापार होने जा रहा है। लगभग तीन-चार वर्षों से लोग इनकी तरफ आकर्षित होकर इनवाल्व हो रहे हैं। नया प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया आ रहा है, देश-विदेश के लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक लाख करोड़ का बड़ा व्यापार होने जा रहा है। इससे अधिक भी व्यापार बढ़ सकता है। इसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। दूरदर्शन में आपके आने वाले प्रोग्रामों के प्रति लोगों का आकर्षण क्यों कम हो रहा है, इस पर विचार करिए। आप उसे कैसे पापुलर कर सकते हैं? आप प्रयास कर रहे हैं और कुछ परिवर्तन भी हुआ है लेकिन जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम समझते हैं कि दूरदर्शन कम्पीट नहीं कर पा रहा है। आज लोगों की इस तरफ रुचि बढ़ी है। दूरदर्शन के माध्यम से गांव-गांव में समाचार और मनोरंजन के कार्यक्रम जाते हैं हालांकि गांवों में बिजली का अभाव रहता है और इस तरह की कई दिक्कतें होती हैं। वहां फ्रीक्वेंसी भी नहीं पहुंच पाती है इस कारण देहाती इलाकों में कम मात्रा में कार्यक्रम दिखा पा रहे हैं इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गांव-गांव तक यह सुविधा पहुंच सके। हमारे देश में एक अरब से अधिक आबादी है, कई हजार गांव हैं, वहां तक यह पहुंच जाए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए नीति बनानी चाहिए। आज भी रेडियो पापुलर है, इसके माध्यम से समाचार या दूसरी खबरों को पहुंचा देते हैं लेकिन अब यह नहीं हो पा रहा है जिस कारण रेडियो अनपापुलर हो रहा है। आपने एफएम और कई चैनलों को परमिशन दे दी है, ठीक है आपने परमिशन दे दी है लेकिन मैं समझता हूं कि विविध भारती भी उस स्टैंडर्ड तक अट्रैक्ट कर सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए नीति और पालिसी बना करके नए कार्यक्रमों को, जो शिक्षाप्रद हों, उन्हें आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यह रेडियो के माध्यम से हो सकता है इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए।

महोदय, कई ऐसे विदेशी चैनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं जैसे बीबीसी लंदन, सीएनएन है जिसे अधिक से अधिक लोग देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रसार भारती के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के कम्पीटिशन में आ सकते हैं या नहीं? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

माननीय मंत्री जी आप कर्मठ हैं, योग्य हैं, आप में कुछ करने की क्षमता है और आप काम भी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं प्रसार भारती का अपग्रेडेशन करते ताकि दूरदर्शन को उस स्टैंडर्ड तक ले जा सकें जिससे लोग बीबीसी और सीएनएन को न देखकर दूरदर्शन को देखें। मैं समझता हूं कि इस ओर आपका और ज्यादा ध्यान जाना चाहिए जिससे हम अपने चैनलों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बना सकें। ये कार्यक्रम शिक्षाप्रद होने चाहिए और आम लोगों तक पहुंचने चाहिए। मैं एक निवेदन और करूंगा कि बड़े पैमाने पर सदन में आवाज उठती रहती है, आपने कई चैनलों का इंट्रोडक्शन किया है। उर्दू भाषा में भी कार्यक्रम और समाचार दे रहे हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हमारी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है आप इसे करिए लेकिन हम निवेदन करते हैं कि अपने देश में तीन से चार करोड़ लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। चार-पांच विदेशी देशों में भोजपुरी भाषा लोकप्रिय है। देश के

अन्य भागों में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं जो बंगाल, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, यहां भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की बढ़ोतरी हो रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): जर्मनी में टिकट जारी किया गया है।

श्री राम कृपाल यादव: जी हां, जर्मनी में भी टिकट जारी किया है। मारीशस, फिजी और दुबई में भी है। कई देशों में भोजपुरी भाषा लोकप्रिय है तो क्यों आप इसे पीछे रख रहे हैं, इसे आगे रखिए, इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लोग देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कन्कलूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अपनी पार्टी से एक ही मैम्बर बोलने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी का जितना समय था उससे ज्यादा समय दे रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: आप हमेशा कृपा करते हैं आज फिर कृपा कर दीजिए। आपकी मोहब्बत सबसे ज्यादा मुझसे है। मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मैं बता रहा था कि भोजपुरी फिल्म ने जोर पकड़ लिया है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर भोजपुरी फिल्म दिखाई जा रही हैं इसलिए मैं समझता हूं कि अगर भोजपुरी चैनल की व्यवस्था कर दें तो बड़ा उत्तम कार्य होगा। आप करोड़ों लोगों की इच्छा को अनुरूप काम करेंगे तो सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी, आपकी जय-जय होगी। बंगाल में भी तो बहुत भोजपुरी लोग हैं, आपके क्षेत्र में भी लोग होंगे। इसलिए आप अपने वोटर्स को भी मजबूत कीजिए।

अत: मैं निवेदन करूंगा कि भोजपुरी भाषा में आप चैनल जरूर चलायें। जब प्रसार भारती बना था तो ऐसी बातें कही गई थीं कि यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और ऐसा होना भी चाहिए। प्रसार भारती की स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छाशक्ति भी रहती है, मगर कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए हम उसे घेरे में ले आते हैं। हम समझते हैं कि हमारी यूपीए की सरकार ऐसा नहीं करती है और करनी भी नहीं चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि पहले दूरदर्शन के माध्यम से और दूसरे अन्य नये प्राइवेट चैनल्स के माध्यम से समाचार दिखाये जाते थे, लेकिन अब समाचार कम दिखाये जाते हैं। आजकल इन पर सांप, बिच्छू, पगला आदि दिखाये जाते हैं। ये क्या हो रहा है? इनका समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है। भूत, प्रेत और साधू बाबा दिखाये जाते हैं। कोई सिर ऐसे-ऐसे हिला रहा है, ऐसे-ऐसे कर रहा है। क्या-क्या दिखाया जाता है। आप भी देखते होंगे, आपको इन सबको बंद करना चाहिए। हमारी इन्हें देखने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन वे कहते हैं कि यह व्यावसायिकता है। क्या पैसा ही सब कुछ है। पहले समाज की तरफ भी देखो, समाज पर उसका क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, उसे भी देखो। आज निजी चैनलों में होड़ लगी हुई है, लेकिन अधिकांश चैनल न्यूज को खत्म कर रहे हैं और यही सब चीजें दिखाकर समाज को खराब कर रहे हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे चैनलों को आप नियंत्रित कीजिए। स्टिंग आपरेशन टाइप की चीजें देखिये। आज कितने स्टिंग आपरेशन हो रहे हैं। लेकिन यह क्या हो रहा है। दूसरे को दिखाने से पहले अपने आपको झांकना चाहिए। इन सब चीजों पर नियंत्रण करने के लिए आप समग्र रूप से कानून बनाइये, ताकि ये सब गलत चीजें नियंत्रित हो सकें और समाज पर कुप्रभाव डालने वाली जो मनगढ़ंत और अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं, वे भी नियंत्रित हो सकें। हमारी भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति रही है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति विदेशों में जा रही है और हम विदेशी भारतीय संस्कृति के हमले से आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इन सब चीजों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कीजिए और दूरदर्शन को एक सफल चैनल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चैनल के रूप में ख्याति प्राप्त हो, आप उसके लिए कार्रवाई कीजिए। आप हमारे रेडियो और दूरदर्शन को आगे बढ़ाइये, ताकि लोग दूसरे चैनलों को देखना बंद करके आपके ही चैनलों को देखने लगें, ऐसा कुछ कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप समाज को बांटने वाले नहीं, समाज को जोड़ने वाले कार्यक्रमों को लाइये और प्रसार भारती को नम्बर वन पर आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसी के साथ मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने काफी लंबे समय से संघ सरकार के आंख और कान के रूप में कार्य करती रही है और इस विशाल देश में अपनी पहुंच बनाई लेकिन अब इसका दायरा घट रहा है। इसकी सात मीडिया इकाइयों में विस्तार न होने के कारण तथा भर्ती के मामले में धीमी प्रक्रियाओं और अनेक मीडिया इकाइयों के लिए नई इमारतों के

*सभा पटल पर रखे गए तमिल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री एम. अप्पादुरई]

निर्माण में कोई प्रगति न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आधुनिक सूचना और संचार युग में कार्यकलापों की तेजी के अनुरूप अपने कार्यकरण में वृद्धि नहीं की है।

राज्य के स्वामित्व में रेडियो और टेलिविजन दोनों ऐसे ढंग से कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है ति वे पर्याप्त निधियों के अभाव में कार्य कर रहे हैं और अन्यत्र उपलब्ध प्रतिभावान व्यक्तियों की सेवाएं लेने में असमर्थ हैं। दोनों आकाशवाणी और दूरदर्शन हमारे लोगों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करते थे और अब वे नए उभरते हुए निजी टीवी चैनलों और रेडियो प्रसारणकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ रहने के बावजूद कार्य कर रहे हैं। केवल कुछ क्षेत्रों में ही राज्य नियंत्रित मीडिया की अच्छी साख है क्योंकि वहां कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

हमारे जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में यह आवश्यक है कि मीडिया विशेषकर समाचार मीडिया पर अहम नियंत्रण लोकतांत्रिक सरकार के हाथ में होना चाहिए। यहां तक कि अमरीका, इस एक ध्रुवीय किस्म में एक जो महाशक्ति हैं, में भी मीडिया संगठन जैसे रेडियो या टीवी स्टेशनों या चैनलों की स्थापना करना इतना आसान नहीं है। परन्तु भारत में हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल और एफएम रेडियो की संख्या बढ़ रही है जोकि अच्छा और बुरा दोनों ही है। हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अनुमति दे सकते हैं परन्तु हम राज्य नियंत्रित मीडिया जो कि शासन व्यवस्था में जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होता है को इसके उचित स्थान से वंचित नहीं कर सके।

भारत जैसे देश में जहां अनेक वर्गों के लोग रहते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से लोग एक साथ रहकर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं वहां गलतफहमी की गुंजाइश न्यूनतम होनी चाहिए। इसलिए, मीडिया को अधिक उत्तरदायी और सचेत होना चाहिए। इसलिए जब हम निजी क्षेत्र को प्रसारण में अनुमति देते हैं तो यह अच्छी साख वाले संगठनों को सौंपा जाना चाहिए और यह बेहतर होगा कि समाचार प्रसारणकर्ताओं की केन्द्र द्वारा सतर्कतापूर्वक निगरानी की जाए जबकि शिक्षाप्रद कार्यक्रमों और मनोरंजनपूर्ण कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के प्रसारणकर्ताओं को पूरी छूट दी जानी चाहिए। मेरी इस राय में सेन्सरशिप का कोई सुझाव नहीं है बल्कि यह चिन्ता है कि ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि यह देश अपनी अखण्ड रह सके। पूंजीवादी ताकतें हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को समाप्त न कर सकें विशेषकर हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श समाजवाद निहित है। इसलिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह अपने मार्ग पर ध्यानपूर्वक कदम रखें।

राज्य नियंत्रित रेडियो और टेलिविजन का कार्य अब प्रसार भारती को सौंपा गया है। इसमें कुछ अधिक नहीं किया गया है बल्कि कर्मचारियों के सरकारी कर्मचारी के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के रूप में व्यक्ति कार्यक्रम कार्यकलापों को एक रात में ही एक निगम का कर्मचारी बना दिया गया जिसके कारण उनका काफी नुकसान होगा। चूंकि इनके दर्जे का निर्धारण करने में काफी लंबा समय लगा था इसलिए अनेक कार्यक्रम अधिकारियों को उनकी पहली पदोन्नति तक प्रदान नहीं की गई जोकि अकल्पनीय ढंग से कुछ मामलों में अट्ठारह वर्ष और बीस वर्ष तक की लंबी अवधि थी। यह बिल्कुल अनुचित और अस्वीकार्य है। संघ सरकार जिसे आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभानी चाहिए को अपने दायित्व सी पीछे नहीं हटना चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग में कवर नहीं किया गया है यद्यपि केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस पर सकारात्मक रूख था। इसका कम से कम उस समय ध्यान रखा जाए जन उच्च स्तरीय समिति छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट देखेगी।

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय पुणे एक फिल्म और टीवी प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु और केरल दोनों में अनेक फिल्में बनती हैं और यह तथ्य कि ये फिल्म उद्योग भी बम्बई फिल्म उद्योग के बराबर ही पुराना है, तिरूनेलवेली में एक फिल्म और टीवी संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है जोकि सभी दक्षिणी राज्यों विशेषकर केरल, जोकि अनेक कला फिल्मों और सामाजिक जागरूकता के साथ नई लहर वाली फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है को लाभान्वित करेगा।

एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकार के सभी उपाए लोगों तक पहुंचे और यह भी आवश्यक है कि उनके बारे में सूचना विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने से काफी पहले आम जनता तक पहुंचे। इस तथ्य के आलोक में कि वैश्वीकरण और आर्थिक उदारता के युग में अनेक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं; सरकार को जनता और मीडिया दोनों को अपने नियंत्रण में रखने की अपनी अहम भूमिका को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि संघ सरकार यदि उसके लिए इस भार से मुक्ति पाना काफी आवश्यक ही है तो राज्य सरकारों को मीडिया प्रसारणकर्ताओं के मामलों का नियंत्रण करने हेतु प्रोत्साहित करे।

केबल टीवी नेटवर्क और निजी चैनलों को भोली-भाली जनता का शोषण नहीं करने दिया जाए। देश की जनता को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए इनके कार्य की भूमिका भी निर्धारित की

जानी चाहिए और निजी प्रसारणकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका निभाने के लिए न्यूनतम कुछ निर्धारित घन्टों हेतु राज्य मीडिया संगठनों द्वारा तैयार राष्ट्रीय कार्यक्रमों को दिखाना चाहिए। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह अपने दायित्व से पीछे न हटे और अपनी महत्ता और साख को घटने न दे।

***श्री कीरेन रिजीजू** (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय पूर्वोत्तर में अपने विस्तार कार्यक्रम काफी धीमी गति से चला रहा है।

मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया अरुणाचल प्रदेश में कुछ कम आबादी वाली जनजातीय बोलियों हेतु आकाशवाणी में विशेष समाचार बुलेटिन कार्यक्रम हेतु पद स्वीकृत करें।

सरकार कुछ जनजातीय लोगों हेतु समाचार बुलेटिन तैयार करने हेतु स्वीकृति क्यों नहीं दे सकती। यह सरकार जनजातीय कल्याण के बारे में इतना कुछ कहती है परन्तु नीतियां जनजातियों के विरुद्ध की जा रही हैं।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी मंत्रालय से अनुरोध किया था। मैं स्वयं मंत्रालय से अनेक बार पूछ चुका हूं। माननीय मंत्री ने भी सभा में आश्वासन दिया था। परन्तु अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों की मांग और अभिलाषा को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

यदि इस मांग को पूरा नहीं किया गया, तो हम इस सरकार को जनजातीय विरोधी और अरुणाचल विरोधी कहेंगे।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि अनेक वर्षों के पश्चात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर लोक सभा में चर्चा की जा रही है।

यद्यपि यह सत्य है कि उनके दल के नेतृत्व ने उनके साथ ठीक नहीं किया और उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय से वंचित किया गया है, फिर भी अपनी युवावस्था से हम उनका आदर करते हैं। वह सभी प्रकार के दुस्साहसवाद व अवसरवाद और विशेषकर अपने गृह राज्य में 'वामपंथ' के विरुद्ध संघर्षरत रहे हैं। हम इसके लिए उनकी सराहना करते हैं और हम वाम अवसरवाद के विरुद्ध उनके संघर्ष के लिए उनकी सफलता की कामना करते हैं।

महोदय, यह अत्यधिक चिन्ता की बात है कि जब मंत्रालय ने 11वीं योजना के लिए 16,829 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 5,529 करोड़ रु. की अल्पराशि का आवंटन किया गया।

यद्यपि यह एक दुखद पहलू है, फिर भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि 16,829 करोड़ रु. की मांग दसवीं योजना में आबंटित राशि से चार गुना अधिक थी। दसवीं योजना में यह राशि 4,831 करोड़ रु. थी। मंत्रालय द्वारा व्यय की गई राशि से यह छह गुना अधिक है। दुर्भाग्यवश, दसवीं योजना में मंत्रालय मात्र 2,808 करोड़ रु. ही व्यय कर सका था। यह इस बात का प्रमाण है कि पिछली योजना के दौरान कार्यकारिणी, नौकरशाही और मंत्रालय ने किस रीति से कार्य किया।

लेकिन यह कहा जाता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हम यह आशा करते हैं कि वर्तमान प्रशासन के अधीन मैं 'शासन' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा-परिवर्तन होगा, क्योंकि इस देश में मीडिया और मनोरंजन जगत 18 प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर से लगभग दोगुना है। अगले पांच वर्षों में इस उद्योग का आकार दोगुना होने की संभावना है, और इस विकास में सहयोग करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उद्योगमुखी नीतियां अपनानी होंगी।

अपराह्न 3.41 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

हमने अनेक सदस्यों को भविष्यवाणी, ग्रह-नक्षत्रों और फिल्मों की आलोचना करते सुना है, यह कहना उचित है कि यह अच्छा नहीं हैं और हमें केवल वही कार्यक्रम दिखाइए जो हमें एचआईवी-एड्स और इस तरह की बीमारियों से सुरक्षित रहने के बारे में बताएं। हम पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टर के रूप में दोनों टेलीविजन नेटवर्क में दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क के रूप में आकाशवाणी के लिए यह बात स्वीकार करते हैं।

हमारे ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है और क्या मंत्रालय अपनी इन जिम्मेदारियों से अवगत है, यह एक बड़ा प्रश्न है। साधारण सी बात है कि फरवरी, 2008 तक प्रसार भारती बोर्ड में 7 रिक्तियां थीं। सरकार इन रिक्तियों को नहीं भर सकी थी। आश्चर्य की बात है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में महानिदेशक भी नहीं था। इसी प्रकार, जब हम मीडिया के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हैं, तो पाते हैं कि पूरी दुनिया एचडीटीवी हाइ डेफिनिशन टेलीविजन अपना रही है। यदि दूरदर्शन को एचडीटीवी प्लेटफार्म मिल जाए, तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री तथागत सत्पथी]

मैं पिछले चार साल आईटी समिति का सदस्य हूं, मैं जानता हूं कि समिति सिफारिश करती है कि दूरदर्शन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपने कार्य पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आगे बढ़ना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समिति ने अपने 43वें प्रतिवेदन में पुरजोर सिफारिश की थी कि एचडीटीवी भावी चुनौतियों का सामना करने की दिशा में सहायक है, और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक साल बीत गया है, और इस दिशा में कोई कुछ नहीं किया गया है।

मैं भारतीय बाल फिल्म सोसायटी (सीएफसीआई) के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। एक बार यह निर्णय लिया गया था कि सीएफसीआई का हैदराबाद में एकीकृत इकाई के रूप में गठन किया जाएगा, जहां वे फिल्में बना सकें; उनका प्रदर्शन कर सकें; और इससे संबंधित क्रियाकलाप कर सकें। इस पर लगभग 7 लाख रु. व्यय किए गए थे। लेकिन, दुर्भाग्यवश हालांकि मंत्रालय में सभी जानते हैं कि सीएफसीआई एक बहुत छोटी संस्था है और इससे जुड़े अधिकांश लोग मुम्बई में रहते हैं, तथापि, जब आप हैदराबाद में शिफ्ट होना चाहते थे, वहां कुछ नहीं किया गया और आज सीएफसीआई वही हैं जहां 10 या 20 वर्ष पहले था।

आज दुनिया बदल रही है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें जानकारी दें और साथ ही उनका मनोरंजन भी करें। हम ऐसा कैसे करें? क्या हम भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें सीएफसीआई को हैदराबाद से अन्यत्र शिफ्ट करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं हैदराबाद अथवा आंध्र प्रदेश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि चूंकि इन नौ वर्षों में मंत्रालय ने कोई प्रत्यक्ष प्रगति नहीं देखी है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और हमारी सरकार, श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल सरकार आपको आमंत्रित करते हुए प्रसन्न होगी और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सीएफसीआई एकीकृत परियोजना को भुवनेश्वर अथवा उड़ीसा में सम्भलपुर अथवा कालाहांडी, जिसे आप उचित समझें, में शुरू करें। इस परियोजना के दूरगामी परिणाम होंगे, इससे आप न केवल देश के पूर्वी भाग की सहायता कर सकते हैं बल्कि आप बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो इस देश का बहुत बड़ा भाग हैं, से प्रतिभाशाली कलाकारों को काम करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप उनको प्रोत्साहित करेंगे और आपको इस दिशा में विचार करना होगा।

महोदय, मैं दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। दूरदर्शन के दो चैनल हैं- डीजी-न्यूज और डीडी इंडिया-जो प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हममें से अनेक सीएनएन और बीबीसी के विरुद्ध बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां हमें प्रतिस्पर्धा की निन्दा नहीं अपितु उसे बढ़ावा देना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम यह जाने कि वे सफल क्यों हैं। जब इस सभा में नेता सीएनएन के विरुद्ध बोल रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे सीएनएन अथवा बीबीसी क्यों देख रहे हैं। वे स्वयं इन चैनल को देखते हैं क्योंकि वे चैनल अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे और समय चाहिए। आज दूरदर्शन के लिए यह अच्छा है कि निजी न्यूज चैनल बार-बार एक ही चीज को दोहराते हैं। यदि एक बच्चा कुएं में गिर जाता है, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी खबर है सभी चैनल उसे पूरे दिन दिखाते रहते हैं। यदि किसी महिला को उसके पड़ोसी द्वारा पीटा जाता है, तो यह खबर पूरे दिन दिखाई जाती है। जोकि इन चैनलों के लिए पूरे दिन की खबर है। मैंने अनेक देशों की यात्रा की है। वहां लोग, न केवल भारतीय मूल के लोग बल्कि उन देशों के लोग भी यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि भारत में क्या हो रहा है। आप उत्तरी अफ्रीकी देशों, मध्य अफ्रीकी देशों का उदाहरण दीजिए। आप सभी पांच सीआईएस देशों का उदाहरण लीजिए। उत्तरी अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया-ये सभी देश भारतीय कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, उन्हें भारतीय फिल्में पसंद हैं और वे भारतीय गानों और संस्कृति को पसंद करते हैं।

महोदय, आज के विश्व में आप जब वामपंथियों से लड़ रहे हैं, हम यह भी कहते हैं कि इस प्रकार के साम्राज्यवाद को पराजित किया जाना चाहिए। यह ऐसा युग है जिसमें आपको अपनी संस्कृति को पूरी तरह नष्ट कर सकती है-नष्ट नहीं, परन्तु मैं स्वयं को सुधारता हूं-प्रत्येक अन्य संस्कृति को पराभूत कर सकती है और आप इन सभी देशों में कार्यक्रमों को दिखा सकते हैं और वे लोग भारतीय कार्यक्रमों को देखना पसंद करेंगे, दुर्भाग्यवश हम ऐसा नहीं कर सके हैं।

सभी सीआईएस देशों में आप तब तक भारतीय टीवी चैनल नहीं देख सकते जब तक कि आपके पास भारतीय केबल आपरेटर का कनेक्शन अथवा भारतीय उपग्रह डिस एंटिना नहीं है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल को किस प्रकार पहले से ही सक्रिय बना सकते हैं, यह अन्य देशों में कैसे पहुंच सकता है और हम अन्य उपग्रह आपरेटरों के साथ किस प्रकार तालमेल बिठा सकते हैं कि वे इन दो चैनलों को दिखाए और हम इसके द्वारा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को बढ़ा सकें कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः *अब कृपया समाप्त कीजिए।*

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, आपने मुझे अधिक समय देने का वायदा किया था। एफएम मुख्यतः जनता के लिए था। परन्तु आज हम क्या देखते हैं? एफएम को दो-तीन औद्योगिक समूहों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इन्हें पूरे देश में अधिगम या मुफ्त पहुंच मिल रही है केवल इसलिए कि उनके पास कई मिलियन डालर हैं। वे लोग अब केवल डालर में गिनते हैं। केवल आप, वामपंथी नेता और मैं एक साधारण आदमी, ही भारतीय रुपये के बारे में सोचते हैं। हमारे दिल में आपके लिए काफी सम्मान है। एक समूह के रूप में भी बीजेडी आपका सम्मान करती है।

महोदय, आप और मैं भारतीय रुपये में गिनते हैं परन्तु वे यूएस डालर में गिनते हैं। उनके पास कई बिलियन यूएस डालर है, और वे संपूर्ण देश और विश्व में कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं और वे बड़ी संख्या में एफएम पर अपना नियंत्रण कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस नीति को एक बार पुनः देखने का अनुरोध करूंगा ताकि एफएम क्षेत्र में संवेदनशीलता और समान प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आए जिसने छोटे आपरेटरों, जो सामाजिक रूप से अधिक उत्तरदायी हैं, को समान स्तर प्रदान किया जा सके। वे सामाजिक दृष्टि से अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं।

आज भारत में केवल समृद्ध और प्रसिद्ध लोगों की ही सुनवाई है। जब आप एफएम स्टेशन देते हैं, तो या तो आप बड़ी धनराशि वाले लोगों अथवा अपने राजनीतिक समर्थकों की ओर देखते हैं जैसा की उड़ीसा से प्रकट होता है, जहां तीन स्टेशनों में से, दो बड़े औद्योगिक घरानों और एक कांग्रेस सहायक संगठन के पास है। वस्तुतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे कालेजों, विश्वविद्यालयों और आईआईएमसी सहित पत्रकारिता संगठनों के लिए नागरिक बैण्ड रेडियो अथवा एफएम स्टेशन, काफी कम वहनीय लागत पर, स्वीकृत करें, जिसके द्वारा वे सरकार के संदेश का प्रसारण कर सकें। सरकार चिरस्थायी होती है। मैं यूपीए अथवा एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं और मैंने किसी राजनीतिक समूह के बारे में सरकार का संदेश और अधिक प्रभावी ढंग से लोगों के पास पहुंचना चाहिए।

यह आवश्यक है कि एक वास्तविक दृष्टिकोण ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने सभी बातें शामिल कर ली है। इसलिए, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: मैं कुछ और बातों का उल्लेख करूंगा और फिर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब श्री सुरेश प्रभु जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: दूरदर्शन विभिन्न राज्यों से संबंधित साहित्यिक दिग्गजों पर कार्यक्रम दिखता था और आज इन कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है। हमें इन कार्यक्रमों को बंद किए जाने के कारणों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। क्या प्रौद्योगिकी की कमी के कारण ऐसा किया गया है अथवा यह आपके अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा उठाया गया कदम है? आपको इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा।

हाल ही में उड़ीसा में एक बड़ा सामाजिक दिवस 'अशोक अष्टमी' था, जोकि न केवल उड़ीसा बल्कि पूर्वी भारत के भी अनेक भागों में मनाया जाता है। अशोक अष्टमी के दिन भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के सामने तीन लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे, परंतु यह आश्चर्यजनक था कि दूरदर्शन भुवनेश्वर ने इस समाचार के बारे में एक पंक्ति भी नहीं दी। इसके विपरीत दूरदर्शन अपने कार्य क्षेत्र से हटकर फिल्मों अथवा मंच कलाकारों से कुछ बेहुदे नर्तकों के कुछ बेहुदा सामाजिक कार्यक्रम दिखाता है, जिनका कोई सामाजिक संदर्भ नहीं है।

एकतरफ जहां हम फिल्म कलाकारों और फिल्म संस्कृति की आलोचना करते हैं वहीं हमें दो बातें स्वीकार करनी होंगी। हम सामाजिक नेतृत्व में पिछड़े हुए हैं जिसके कारण हमारे पास इस शून्य को भरने के लिए कोई नहीं है, जो यदि आज फिल्म उद्योग नहीं होता तो भरा जा सकता था। दूसरी तरफ हमें फिल्म उद्योग की सराहना करनी होगी, जो वह भारत की छवि के लिए कर रहा है। भारत के बाहर लोग सोचते हैं कि ये सभी संसद सदस्य, राजनीतिक महिलाओं के पीछे दौड़ते हैं ये सुन्दर महिलाएं हैं, जो फिल्मों में आ सकती हैं।

सभापति महोदय: श्री सुरेश प्रभु, आप अपना भाषण प्रारंभ कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: जबकि वस्तुतः हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में हर कोई लखपति है और हर कोई बड़ी कारें चला रहा है। परन्तु दुर्भाग्यवश, सरकार को गरीब जनता और मध्यम-वर्ग की पुकार भी सुननी होगी और उनकी अवहेलना नहीं कर सकते।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, चूंकि मैं आपका आदर करता हूं अतः मैं आपके आग्रह की अनदेखी नहीं कर सकता और अपने भाषण को छोटा रखूंगा। अतः बहुत संक्षेप में मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र ढेंकानाल में इनके एक पूर्ववर्ती द्वारा आईआईएमसी की स्थापना किया जाना अच्छा रहा है।

सभापति महोदय: यह वाद-विवाद कैसे जारी रह सकता है यदि आप पीठ के साथ सहयोग न करें?

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: यह एक बहुत अच्छा संस्थान है, लेकिन आईआईएमसी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आईआईएमसी, ढेंकानाल में एक पूर्णकालिक प्राचार्य होना चाहिए। यहां एक पूर्णकालिक प्राचार्य भी नहीं है। यहां केवल एक प्रभारी व्यक्ति है जो अच्छा कार्य कर रहा है। यहां तक कि आईआईएमसी, दिल्ली में भी प्राचार्य नहीं है। अतः, मैं निवेदन करता हूं कि दिल्ली और ढेंकानाल में पूर्णकालिक प्राचार्य होने चाहिए। उन्हें पूर्ण संकाय प्रदान किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री सुरेश प्रभु, आप शुरू कर सकते हैं। सभी सामान्य पद्धतियां असफल हो चुकी हैं। यह कठिन कार्य है। यदि आप सहयोग नहीं करें तो हम कैसे यह कार्य कर सकते हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, यह किया जाएगा।

मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन संस्थानों को अच्छे संकाय प्रदान किए जाएं ताकि ये संस्थान सफल हो सकें।

सभापति महोदय: यदि आपके पास कोई अतिरिक्त बिन्दु हों तो आप उन्हें लिखित में दे। आपको सभा का समय लेने की जरूरत नहीं है।

श्री तथागत सत्पथी: जब 1972-73 में दूरदर्शन शुरू हुआ था तब पुनः सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे गृह राज्य उड़ीसा से थे, पश्चिमी उड़ीसा संभलपुर में एक स्टूडियो था। पश्चिमी उड़ीसा संघ सरकार द्वारा इस देश का एक अपेक्षित क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि संभलपुर दूरदर्शन केन्द्र को शीघ्र ही पुनः शुरू किया जाए और आधुनिकीकृत किया जाए। इस राजकोषीय वर्ष से इसे पूर्ण दूरदर्शन केंद्र के रूप में कार्य शुरू कर देना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री सुरेश प्रभु, आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। उनका और भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मैंने अनेक बार अपने स्तर पर श्रेष्ठतम प्रणस किया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैं आपको सादर कहता हूं, कृपया समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सेंसर बोर्ड विवाद की दूसरी जड़ है। कोई नहीं जानता कि देश के विभिन्न भागों में सेंसर बोर्ड के सदस्यों के चयन के मानदण्ड क्या है। कौन सदस्य है। उन्हें कैसे चुना जाता है। क्या उन्हें राजनीतिक हितों के लिए चुना जाता है? क्या उन्हें अपने सामाजिक रवैये के कारण चुना जाता है? क्या उन्हें योग्यता या मीडिया या फिल्म से संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए चुना जाता है। वे कौन हैं। यह प्रश्न देश में अनेक लोगों को परेशान करता है। आज अनेक सदस्य चिल्ला रहे हैं। आज मीडिया में अश्लीलता है और कोई इसे नियंत्रित करने वाला नहीं है। यह एक छोटा सा उदाहरण है।

सभापति महोदय: अपनी बात समाप्त करने में आपको क्या परेशानी है? मुझे यह समझ नहीं आता। जो लोग स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे क्या कर सकते हैं?

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं आपको मार्गदर्शक मानता हूं। जब आप यहां हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। महोदय, हम आपका सम्मान करते हैं। एक आदर्श के रूप में हम आपका सम्मान करते हैं।

सभापति महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मेरे प्रति निर्दयी न बनें। मैं एक पिछड़े राज्य उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता हूं।

सभापति महोदय: यह सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने वाला है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि आज ऐसी स्थिति आ गई है जहां, समाचार पत्र उद्योग इस देश में समाप्ति के कगार पर है। सभी छोटे और बड़े, विशेषकर क्षेत्रीय, दैनिक पत्र की दुकानें लगभग बन्द होने वाली हैं क्योंकि समाचार मुद्रण की कीमतें बढ़ गई हैं।

सभापति महोदय: अब माइक्रोफोन बन्द हो जाएंगे।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: क्या किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.00 बजे

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में चर्चा कर रहे हैं परन्तु मेरे पूर्व वक्ता के भाषण का कुछ हिस्सा बिल्कुल भी प्रसारित नहीं किया गया। मेरे मित्र, श्री तथागत सत्पथी हमारे मंत्री का उल्लेख कर रहे थे के कई विभाग छीन लिये गये हैं। अत: वे उनके साथ पूरी सहानुभूति दिखा रहे थे। परंतु मैं उन्हें और अन्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थीं। प्रधान मंत्री पद के दावेदार श्री एल.के. आडवाणी वर्ष 1977 में सूचना और प्रसारण मंत्री थे। अब मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सारे सुझाव पहले ही दिए जा चुके हैं और अभी कई उम्मीदवार हैं। अत:, मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा और पहले ही अनेक सुझाव दिए जा चुके हैं।

मैं मंत्री से यह अनुरोध कहते हुए अपना भाषण प्रारंभ करूंगा कि वह इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में क्या-क्या आता है। इसकी कार्य मंत्रालय नियमावली में यह सुस्पष्ट निर्धारित और अनुबंध किया गया है कि मंत्रालय के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ-साथ कार्य विकासात्मक कार्यकलापों में लोगों को भी शामिल करे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्रालय ने इस कर्त्तव्य को कैसे पूरा किया है। भारत के आम आदमी को विकासात्मक कार्यकलापों में शामिल करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यकलाप प्रारंभ किए है।

मैंने वार्षिक प्रतिवेदन का ध्यान से अध्ययन किया है। परंतु कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि इसे कैसे किया जा रहा है। यह त्रुटि ही है कि इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है क्या किया जाना चाहिए था, कार्य मंत्रालय नियमावली में क्या निर्धारित है, और अब यह कार्य मंत्रालय को करना है, यह केवल रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया नहीं है बल्कि लोगों तक पहुंच रहा तेजी से उभरता एक ओर मीडिया इंटरनेट भी हैं। मंत्रालय कर रहा है या नहीं। मुझे इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। अत: मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मीडिया के उभरते हुए स्रोत का पता लगाएं जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकें।

मास मीडिया मंत्रालय के महत्वपूर्ण भागों में से एक हैं। वास्तव में, श्री सत्पथी एक सफल समाचारपत्र निकालते हैं। वे छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि जिला, उपजिला, तालुक और उससे ऊपर के स्तरों पर कई समाचार-पत्र, पत्रिकाएं और प्रकाशन प्रकाशित होते हैं। अत: मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इसमें एक विशेष भूमिका अदा करें और छोटे और मध्यम आकार के समाचार पत्रों की समस्याओं के समाधान पर बल दें क्योंकि वास्तव में यही समाचारपत्र लोगों तक पहुंचते हैं। वे लोगों के समीप रहकर छोटे स्थानों में कार्य करते हैं। अत: मेरा उनसे यह अनुरोध है के वे उनके बारे में सोचें।

मैं वामपंथी दलों के अपने सहयोगी द्वारा अभी दिए जा रहे भाषण में सुन रहा था वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रहे थे। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम सभी को गर्व है। हम सभी संसद सदस्य बनते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तव में आनंद लेते हैं। मंत्रालय का भी यह कार्य है कि वह इसे सुनिश्चित करे। अभी-अभी मैं एक दिलचस्प तथ्य के बारे में सोच रहा था कि जब तस्लीमा नसरीन भारत में थी तो सरकार ने उन्हें कहा था कि वह धर्म को छोड़कर अन्य विषय पर लिख सकती हैं। फिर दलाई लामा कुछ कहना चाह रहे थे परंतु उनसे कहा गया था कि वह धर्म का प्रचार कर सकते हैं राजनीति का नहीं। अत: एक व्यक्ति धर्म का प्रचार कर सकता है वह दूसरा व्यक्ति नहीं। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार लोगों से क्या कहना चाह रही है।

अपराह्न 4.04 बजे

[डा. सत्यनारायण जटिया *पीठासीन* हुए]

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी मुद्दे को आचार संहिता में शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ऐसी आचार संहिता समय-समय पर बनाता है। मेरा यह अनुरोध है कि इसे ऐसे तैयार किया जाना चाहिए। जिससे प्रिंट मीडिया सहित मीडिया में सभी रूपों की अन्तर्निहित स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण है। आचार-संहिता का प्रयोग करने के लिए हमें संहिताकरण के ऐसे नियमों को नहीं लाना चाहिए जो लोगों को अपने विचार व्यक्त करने से रोके। मंत्रालय का कार्य किसी महत्वपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने पर जैसे राज्य और सरकार के प्रमुख की मृत्यु पर दिशानिर्देश और प्रक्रिया जारी करना है। ऐसी स्थिति को कैसे संभाला जाए। इसमें यह शामिल होना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसमें कुछ अलग करने के बारे में सोचें।

मैं मंत्री जी को यह स्मरण करना चाहूंगा कि अमरीका में 9/11 की घटना के बाद वहां का सम्पूर्ण मीडिया बिना कोई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

विज्ञापन दिखाए निरन्तर काफी लम्बे समय तक कार्य करता रहा। मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि भारत में भूकम्प या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आने पर मीडिया को क्या भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे दृश्य प्रभावित लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और साथ ही देश की गलत छवि प्रस्तुत न हो। अत: यह सब आचार-संहिता से संबंधित हैं।

मैं मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले इस सभा में एक ऐतिहासिक विधान पारित किया गया था जिससे भारत की राजनीति और उसके ढांचे में सुधार लाने का प्रयास किया गया। उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि सभी राजनैतिक दलों को टेलीविजन पर प्रसारण का अधिकार होगा। पब्लिक टेलीविजन इसके लिए प्रसारण दे रहा था और हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। कानून के तहत निजी चैनलों को भी सभी राजनैतिक दलों को समय प्रदान करना है परंतु इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसा करें। इससे सभी राजनैतिक दलों को अपने विचार और मत व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। असल में, इससे आज हमारे समक्ष जो समस्या है उसका समाधान होगा। चुनावों का अर्थ है अत्यधिक धन का प्रयोग। यदि मंत्री जी ऐसा करते हैं तो इससे हमारे लोगों को अत्यधिक लाभ होगा।

जब श्री राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे उन्होंने कोंकणी को अनुसूचित भाषा घोषित किया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसा होने पर उन्हें एक बड़े नेता होने के नाते अगला तर्कसंगत कदम यह उठाना चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोंकणी कार्यक्रम वास्तव में समर्पित हो और इनके प्रसारण के लिए एक विशेष चैनल बनाया जाए।

हालांकि, मैं राष्ट्रीय मुद्दे पर बोल रहा हूं, मैं मंत्री जी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं-मैं इसलिए यहां हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे निर्वाचित किया है। दुर्भाग्यवश, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ट्रांसमीटर्स की क्षमता इतनी कम है कि वहां अनेक लोग कार्यक्रम ही नहीं देख पाते। अत:, महाराष्ट्र के सिंदूदुर्ग और रत्नागिरी जिलों पर अन्य जिलों के समान विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें वहां उच्च क्षमता वाले टावर स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां उच्च क्षमता वाले टावर स्थापित करें।

मेरा अन्य सुझाव और मंत्री जी से यह अनुरोध होगा यह सरकार का अधिदेश है-कि सभी सरकारी कार्यक्रम लोगों तक पहुंचने चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए। पीआईबी अपना कार्य कर रहा है। उसके लिए आपने जनता तक पहुंच वाले कार्यक्रम तैयार किए हैं और उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों को भी भागीदारी करने की अनुमति दें। यह लोगों तक पहुंचने का बेहतरीन स्रोत है। वे इसमें भागीदारी कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह केवल एक राजनीतिक दल का नहीं अपितु देश का कार्यक्रम। विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, के संबंध में देश के सभी राजनीतिक दल इस कार्यक्रम में भागीदारी क्यों नहीं कर सकते?

मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मित्र ने कुछ अधिक समय ले लिया है। मुझे उसकी भरपाई करनी होगी। आंदोलन करने वाले कर्मचारी जन्तर-मन्तर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। महोदय, मुझे इस बात की चिन्ता है कि कहीं उनमें से किसी की जान न चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री, जो स्वयं पहले ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं-वास्तव में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ही छात्र परिषद के नेता के रूप में शुरू किया था, से अनुरोध करूंगा कि कृपया कुछ अधिकारियों को वहां भेजिए। यह अच्छा होगा यदि मंत्री जी स्वयं उनसे मिले, उनसे बात करें और इस मामले का निपटान करने का प्रयास करें।

श्री अजय चक्रवर्ती: सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री को इस वर्ष का 'श्रेष्ठ सांसद' चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं।

बहुत समय बाद इस सभा में इस विषय पर चर्चा की जा रही है। मैं अपना भाषण निर्धारित समयावधि में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है, सूचना और प्रसारण विभाग हमारे देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। सुदृढ़ जनसंचार माध्यम न केवल भारतीय लोकतंत्र का एक स्तंभ है बल्कि प्रेस स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता का भी स्तंभ है।

महोदय, आजकल दूरदर्शन और आकाशवाणी को प्राइवेट टीवी चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। श्रीमती सुमित्रा महाजन से लेकर सभी इस बात से बहुत चिंतित थे। अन्य सदस्यों ने भी स्पष्ट रूप में कहा कि प्राइवेट टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही फिल्में और कार्यक्रम देश के लिए आपत्तिजनक और हानिप्रद हैं। इससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। यह एक सच्चाई है।

दूरदर्शन को देश की संस्कृति, विरासत और ज्ञानप्रद कार्यक्रम दिखाकर लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। आजकल, एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद और अन्य टीमें शामिल हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि

न केवल फिल्मी कलाकार बल्कि राजनीतिक नेता कोलकाता में हैं और प्रिंट मीडिया तथा टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि वे कोलकाता टीम का भारी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यह प्राइवेट चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है लेकिन वे हाकी अथवा फुटबाल अथवा एथलेटिक्स अथवा अन्य स्पोटर्स के टूर्नामेंट नहीं दिखाते। इस प्रकार दूरदर्शन को इन प्राइवेट चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ रही है।

महोदय, आप बेहतर जानते हैं कि प्राइवेट टीवी आपरेटर और प्राइवेट टीवी चैनल फूहड़ एवं अभद्र कार्यक्रम दिखा रहे हैं। वे कार्यक्रम का प्रचार करने के नाम पर ऐसे अश्लील कार्यक्रम दिखा रहे हैं और प्राइवेट चैनल वास्तव में नग्न महिला को दिखा रहे हैं। मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर वे अश्लीलता, सेक्स, अपराध और सब कुछ दिखा रहे हैं। इससे हमारे बच्चों के दिमाग में विकृतता पैदा हो रही है। यह सड़कों पर भी परिलक्षित होता है। प्राइवेट टीवी चैनल और आपरेटर द्वारा दिखाए जा रहे कार्यक्रमों के कारण दिन-ब-दिन अपहण की घटनाएं बढ़ रही हैं। अत: इसके लिए नियामक प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। इसके लिए एक आचरण संहिता होनी चाहिए। सरकार को नियामक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मुझे लगता है यदि माननीय मंत्री ऐसा कोई विधेयक लाते हैं, तो समग्र सभा सर्वसम्मति से उसका समर्थन करेगी, क्योंकि हम सभी को अश्लीलता, सेक्स और अपराध के विरुद्ध संघर्ष करना है। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी विरासत, संस्कृति और इतिहास को भूल रही है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सीमावर्ती क्षेत्र का वासी हूं और माननीय मंत्री भी सीमावर्ती क्षेत्र से हैं। हम दोनों ही भारत-बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। उन क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमिशन अथवा आकाशवाणी ट्रांसमिशन नहीं आता, लेकिन बांग्लादेश का ट्रांसमिशन अच्छी तरह आता है। पाकिस्तान के ट्रांसमिशन के साथ भी ऐसा ही है। हमारे टेलीविजन में इनका प्रसारण एकदम स्पष्ट आता है। हमारे रेडियो उनके सिग्नल अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। अत: सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे ट्रांसमिशन में सुधार किया जाना चाहिए। यह मामला इस सभा में हमारे कई सहयोगियों द्वारा अनेक बार उठाया गया है। उन्होंने इस संबंध में संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछे हैं।

एक अन्य मामला यह है कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही 37 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। मैं नहीं समझता कि इन परियोजनाओं में, जो केवल यहां की जनता के लिए हैं, एफडीआई की क्या आवश्यकता है।

मेरे अनेक मित्रों ने पहले ही बताया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया है और उनमें से पांच लोग जन्तर-मन्तर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी उनके लिए बहुत चिंतित है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया उनके पास जाएं और उन्हें आश्वासन दें कि वे उनकी न्यायसंगत भागों पर विचार करेंगे। उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए जिससे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की जान बचाई जा सके।

महोदय, मैं उन बातों को विस्तार से नहीं करूंगा जिनका उल्लेख मेरे अनेक मित्रों ने पहले ही कह चुके हैं। लेकिन, मैं 'यूनिवर्सल सीएएस' के कार्यान्वयन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे 'यूनिवर्सल सीएएस' को कार्यान्वित करेंगे। 'यूनिवर्सल सीएएस' के न होने से केवल आपरेटर अनुचित फायदा उठा रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। सरकार को इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

महोदय, अन्त में, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उन्हें अश्लील कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले प्राइवेट टीवी आपरेटरों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके लिए इन पर कुछ विनियमन होना चाहिए। मुझे आशा है कि समग्र सभा देश की विरासत और संस्कृति को बनाए रखने तथा युवा मानस को भटकने से बचाने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रयासों का समर्थन करेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे उस पर भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से दासमुंशी जी से, जिन्हें हम अक्सर दादा कहकर बुलाते हैं, कहना चाहती हूं कि इस मंत्रालय पर बोलने से पहले मैं उन्हें इस मंत्रालय की परिभाषा सुनना चाहती हूं, ताकि वह अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या वास्तव में वह उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। आपके मंत्रालय की परिभाषा है कि सूत्ना और प्रसारण मंत्रालय जन संचार माध्यमों यानी रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रेस, मुद्रित प्रकाशनों, विज्ञापनों एवं नृत्य और नाटकों जैसे प्रसारणों के परम्परागत तरीकों के जरिए लोगों को सूचना का मुक्त प्रवाह उपलब्ध कराने में प्रभावकारी भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु समूहों के

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

लोगों की मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता निवारण, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

इस मंत्रालय की यह परिभाषा बहुत अच्छी है, पर मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जितनी बातें परिभाषित की गई हैं, क्या दूरदर्शन उन बातों को लेकर चल रहा है? दूरदर्शन ने अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर दी है। दूरदर्शन आम जनता का दर्शन न होकर सिर्फ सरकार का दर्शन बनकर रह गया है। जब भी हम दूरदर्शन देखते हैं, उसमें केवल सरकारी कार्यक्रमों की झलक मिलती है। सरकार ने जो कुछ किया, वह दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। जितनी बातें, इस परिभाषा में दी गई हैं, लगता है कि दूरदर्शन उनसे कोसों दूर हो गया है। इसलिए सबसे पहले दूरदर्शन को अपनी विश्वसनीयता वापस लेनी होगी।

आकाशवाणी की बात हम करें तो आज भी गांव-गांव के समाचार सुनने, गाने सुनने का सबसे सस्ता, सरल और सशक्त माध्यम अगर कोई है, तो वह रेडियो है। उसमें विविध भारती पर गाने या चित्रहार और अन्य दूसरे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिन्हें सुनकर लोग अपना मनोरंजन करते हैं। पर माननीय सभापति जी क्या आज गांवों में बिजली है? बिजली न होने की वजह से गांव के लोग रेडियो से वंचित हो गये हैं, दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने से वंचित हो गये हैं। आपके दूरदर्शन में जो प्रोग्राम दिखाये जाते हैं वे बहुते पुराने और घिसे-पिटे होते हैं, उनका तौर-तरीका आप बदलिये। किसानों से संबंधित जो प्रोग्राम्स आते हैं, वे बहुत पुराने तरीके के आते हैं। आज नयी तकनीक आ गयी है, नयी तकनीक से हम अपनी फसल लेने लगे हैं, लेकिन आपका दूरदर्शन उसको दिखाता नहीं है। दूरदर्शन में जो क्लीयर आवाज आनी चाहिए, वह नहीं आती है। लोग प्राइवेट चैनलों की ओर क्यों भाग रहे हैं, उनको क्यों देखते हैं, क्यों डिश-एंटीना लगा रहे हैं, क्योंकि वहां दिखता भी अच्छा है, सुनाई भी अच्छा पड़ता है। दूरदर्शन में न साफ दिखता है, न साफ सुनाई देता है। इसलिए दूरदर्शन की कुछ क्वालिटी सुधारिये। बहुत से स्थानों पर, जहां दूरदर्शन केंद्र है, वहां तो आपके अधिकारी नहीं है या पूरे उपकरण नहीं है। उपकरण अगर हैं भी तो उतने नहीं है जिनसे दूरदर्शन के कार्यक्रम अच्छी तरह से दिखाए जा सकें। बहुत से सांसदों ने, मुझसे पहले, इस विषय पर बात की है। साथ ही जो प्राइवेट न्यूज-चैनल्स हैं या दूसरे प्राइवेट चैनल्स हैं, उन पर थोड़ा अंकुश लगाइये। हम सदन में केवल भाषण देकर संतोष नहीं कर सकते कि हमारी भावी पीढ़ी किस ओर जा रही है? भारतीय संस्कृति और संस्कार की दुहाई देने वाले लोग, कहेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

चौबीस घंटे के जो न्यूज चैनल्स हैं, उनको आप बंद करवाइये। चौबीस घंटे के न्यूज चैनल्स में इनके पास समाचार नहीं हैं। सुबह सात बजे से राशिफल दिखाना शुरू कर देते हैं और अगर धोखे से किसी ने अपनी राशि देख ली, मान लो कि गलती से मैंने ही देख ली तो उस दिन कबाड़ा हो जाता है। अगर राशिफल में कुछ विपरीत खबर है, तो पूरा दिन सच में खराब हो जाता है। दादा, इस पर रोक लगाइये। चौबीस घंटे न्यूज की क्या जरूरत है? व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से देश बर्बाद हो रहा है।

आप क्रिकेट खिलाड़ी खरीद कर देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। हमारे जो परम्परागत खेल हैं, उनको दूरदर्शन पर दिखाकर बच्चों को आगे बढ़ाइये। हाकी कोई नहीं दिखाएगा, कबड्डी कोई नहीं दिखाएगा, खो-खो कोई नहीं दिखाएगा, सब क्रिकेट की ओर दौड़ रहे हैं और यह 20-20 क्या चल रहा है? अगर खिलाड़ियों ने पैसा कमा लिया है तो क्या वे देश के खिलाड़ियों को खरीदकर, उनकी कला का प्रदर्शन करेंगे? अगर उनके पास पैसा है तो वे गांव में जाकर पैसा खर्च करें, गरीब की बेटियों को पढ़ाएं, गरीब की बेटियों का विवाह करें। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी, थोड़ा इस पर रोक लगाने की कोशिश कीजिए।

अश्लीलता का जितना नग्न नांच हमारे देश में हो रहा है, वह भी चिंतनीय है। बहुत से लोग कह देते हैं कि यह अश्लीलता विदेशों में से आ रही है, यह बिल्कुल गलत बात है। विदेश की अच्छी बात सीखने में हमने 60 वर्ष गंवा दिये और अच्छी बातें सीख नहीं पाए। क्यों हमने इंग्लैंड का अनुशासन नहीं सीखा, क्यों हमने विदेश की पांच दिन की वर्किंग-कैपेसिटी को नहीं सीखा? वे दो दिन अगर वीक-एंड मनाते हैं तो पांच दिन पूरी मेहनत करते हैं, तब वीक-एंड मनाने जाते हैं। हमने विदेशों की ये सब अच्छी बातें क्यों नहीं सीखीं? विदेश को दोष देने के बजाए, अपने गिरेबां में झांककर हमें देखना चाहिए।

हम मनुष्य हैं और हमारी आंखे भी उस चीज को देखना चाहती हैं, जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन अगर धोखे से वह चैनल खुल गया तो हम भी मोह-पाश में बंधकर उसे देख लेते हैं, चाहे बाद में खुद को धिक्कारें। हम उन बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, जिनके मां-बाप सर्विस करते हैं, जिनके मां-बाप राजनीति में हैं, वे बच्चों पर कितना ध्यान दे सकते हैं और कहां-कहां बच्चों के लिए ताला लगा सकते हैं और किस-किस चैनल को ताले में बंद करके रख सकते हैं कि बच्चे वह चैनल न देख सकें। लेकिन सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है, इसके लिए आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत होगी। सारे संसद सदस्य आपके साथ होंगे, लेकिन आप ऐसा कोई बिल तो लाइये, आप इन पर रोक तो लगाइये। दादा, आप मीडिया से मत डरिये। मीडिया के

बारे में कहूंगी कि मैं 27 वर्षों से राजनीति में हूं और जब मैं चुनाव लड़ती हूं तो मीडिया मेरी हार के बारे में लिखता है, कभी नहीं लिखता कि ये जीतेंगी। हर बार मीडिया ने लिखा है कि ये हारेंगी।

मंत्री जी आप मीडिया से मत डरिए। मीडिया के समाचार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ अगर कोई है, तो वह हमारा मीडिया है। मीडिया ने कहीं-कहीं अपनी विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। मीडिया की विश्वसनीयता को बनाने का अगर कोई काम कर सकता है, तो वह आपका विभाग कर सकता है। समाचार वह है, जो समय पर आए, विश्वसनीयता के साथ आए तथा ईमानदारी के साथ आए। स्टिंग आपरेशंस हो रहे हैं, हो। जो भ्रष्टाचार करेंगे, बेईमानी करेंगे, घूसखोरी करेंगे, उनके खिलाफ स्टिंग आपरेशंस हों, लेकिन उस समाचार को जांच भी लिया जाए। उस शिक्षिका ने क्या बिगाड़ा था, जिसे बार-बार टीवी पर दिखा कर बर्बाद करने की कोशिश की गई। ऐसे समाचारों से अगर बचा जाए, तो बहुत अच्छा है।

प्रिंट मीडिया ने भी व्यावसायिकता की होड़ लग चुकी है। समाचार-पत्र भी कलरफुल होने लगे हैं। कभी-कभी ऐसा समाचार पढ़ने में आता है, मैं बिना नाम लिए बोलूंगी कि अगर किसी के बच्चा पैदा होता है और उसका किसी बड़े घराने से संबंध होता है, तो वह समाचार-पत्र में आता है। क्या यह समाचार है? समाचार वह होना चाहिए कि जहां सरकार ने या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने कोई अच्छा काम किया हो। अमरीका में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, लोग मर गए, पर यह समाचार कभी नहीं आया कि साल भर हो गया और मलबा नहीं उठाया गया है। वहां का राष्ट्रपति अगर कहीं चला जाता है, तो उसके विरोध में समाचार नहीं आता है। हमारे यहां अगर यह घटना होती, तो यह समाचार आता कि प्रधानमंत्री कहीं छुप गया, प्रधानमंत्री कहीं चला गया, प्रधानमंत्री जनता के सामने नहीं है। समाचारों का क्या स्टेट्स होना चाहिए, वह किस तरह का होना चाहिए? समाचार ऐसा होना चाहिए जो देश के निर्माण को एक नई दिशा दे और हमारा देश मजबूत हो सके। हम भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। भारत निर्माण देश में अश्लीलता दिखाने से नहीं होगा। मैं इस सदन में कहना चाहूंगी कि सबसे पहले एकता कपूर के सीरियल बंद कीजिए। कौन इजाजत देता है? हमारा भारतीय संस्कार उन बड़े लोगों की जागीर नहीं है, जहां गलत काम होते हों। यह भारत महात्मा गांधी का भारत है, जहां अस्सी प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। एकता कपूर के सीरियल क्या दिखाना चाहते हैं? महिलाएं काम छोड़-छोड़ कर सीरियल देख रही हैं। सिर्फ उत्सुकता है कि अब सास क्या करेगी, अब बहू क्या करेगी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इस उत्सुकता को समाप्त कराइए। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, आप इसे बंद कराइए।

माननीय मंत्री जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहूंगी। दूरदर्शन पर जो समाचार दिखाए जाते हैं, जैसे आज की घटना है कि संसद में 200 सांसदों ने महंगाई को लेकर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे प्रदर्शन किया। दूरदर्शन ऐसे समाचारों को नहीं दिखाएगा-क्यों? विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, इसलिए आप नहीं दिखाएंगे। विपक्ष के हम सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप इस प्रदर्शन का समाचार टीवी पर दिखाइए कि 200 सांसद इकट्ठे हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया है। दूरदर्शन सरकार का तंत्र न बने, इस पर रोक लगनी चाहिए। आपने प्रसार भारती को मजबूत करने का जो काम किया है और उसके द्वारा जो फिल्में दिखाई जाती हैं, उसके लिए रायल्टी लेकर फिल्म दिखाई जा रही है, तो उससे नुकसान हो रहा है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके जो कार्यक्रम हैं, उन्हें पूरी छूट मिलनी चाहिए। उन्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए। कागज में सरकारी नियंत्रण से दूर हैं, पर सरकार का नियंत्रण है। उन्हें नियंत्रण से दूर रखिए। उन्हें काम करने का अवसर दीजिए।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि देश में जिस तरह का वातावरण टीवी चैनलों ने बना दिया है, प्राइवेट चैनल हों, कैसे चैनल हों, वे कैसे बंद होंगे, मैं नहीं जानती। अच्छे समाचार, स्वस्थ समाचार देने वाले, अच्छी संस्कृति और संस्कार दिखाने वाले समाचार दिखाए जाने चाहिए। हमारे देश की बहुत पुरानी धरोहर हैं, पुराना इतिहास है, उन्हें दिखाने वाले चैनलों को आगे बढ़ाइए और जो नग्नता का नंगा प्रदर्शन करें, चाहे वे कोई भी हों, किसी पार्टी के हों, आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ उन पर रोक लगाइए और बिलकुल मत डरें कि वे सरकार के खिलाफ लिखेंगे, हमारी पार्टी के खिलाफ लिखेंगे। जो काम करेगा, जो ईमानदारी से जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, वह हमेशा संसद में रहेगा, हमेशा सरकार में रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन बातों की चिंता छोड़ कर आप देश के लिए काम कीजिए। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): सभापति महोदय, मैं अपने युवा और कर्मठ मंत्री द्वारा प्रस्तुत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

महोदय, हम जानते हैं कि हमारे मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वस्थ एवं लाभप्रद नीतियों से प्रसारण क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आगामी पांच वर्षों में टेलीविजन में वार्षिक विकास दर 22 प्रतिशत और रेडियो में 28 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। हालांकि देश में 110 मिलियन परिवारों में टीवी सेट और 132 मिलियन रेडियो सेट हैं परंतु इस क्षेत्र में नीति दिशानिर्देशों और कानूनों का एकदम अभाव है। भारत में चैनलों की अपलिंकिंग की और टेलीपोर्ट तथा अन्य आधारभूत ढांचे की स्थापना की अनुमति लेने के लिए निबंधन और शर्तों को परिभाषित करते हुए इस सरकार ने एक ढांचा तैयार किया था।

महोदय, हमारा लोक प्रसारण—प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अधिकतम जनसंख्या को कवर करता है और यह विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला नेटवर्क है। एक देश में जहां निकटता दर काफी अधिक है, प्रसार भारती की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। मैं दूरदर्शन और एआईआर के नेटवर्क को और बढ़ाने और नए चैनलों और सेवाएं शुरू करने तथा डीटीएच के माध्यम से डीडी को और फैलाने के लिए संप्रग सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की गत पांच वर्षों में दूरदर्शन द्वारा सराहना करता हूं। उच्च, कम और अत्यधिक कम क्षमता वाले ट्रान्स मीटरों सहित कुल 142 ट्रान्समीटर, 160 केबल हैंडएन्ड्स और आठ नए स्टूडियो स्थापित किए गए हैं।

महोदय, अभी हाल ही में मदुरै में एक टीवी स्टूडियो शुरू किया गया है। महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस स्टूडियो को उन्नत बनाया जाए और मदुरई स्टूडियो से अधिक कार्यक्रम आरंभ किए जाए।

महोदय, मैं लोक सभा और राज्य सभा कार्यवाहियों के प्रसारण के लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूं। देश के कोने-कोने से श्रोता इस प्रसारण की प्रशंसा करते हैं। परंतु, कुछ स्थानों पर केवल आपरेटर इन लोक सभा और राज्य सभा चैनलों का प्रसारण नहीं कर रहे हैं। अतः, ऐसे केबल आपरेटरों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

महोदय, पिछले कुछ वर्षों से देश में जनमत तैयार करने में दृश्य मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में उभर रही इस प्रवृति के लाभ और नुकसान दोनों ही है। दृश्य मीडिया के माध्यम से लोगों तक बड़ी जल्दी संदेश पहुंचता है। परंतु दिन प्रतिदिन इस मीडिया से नुकसान अधिक हो रहा है। सबसे पहले समाचार दिखाने के लिए दृश्य मीडिया में परस्पर होड़ चल रही है। इस होड़ से समाज को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, अब साम्प्रदायिक और जातिवादी दंगे होते हैं तो प्रिंट मीडिया दंगों में मारे गए लोगों का नाम न बताकर संतुलन और शांति बनाए रखता है। इस स्वागतयोग्य कदम से शांति बनाए रखने में सहायता मिली है। परंतु कुछ दृश्य मीडिया अकसर जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते और ऐसी घटनाओं को दिखाते हैं जिनसे तनाव और अधिक बढ़ जाता है। तथ्य का पता लगाने के नाम पर दृश्य मीडिया अपनी समानान्तर जांच करता है और स्वयं ही कुछ निर्णय निकाल लेता है। हालांकि मैं असामाजिक तत्वों का भण्डाफोड़ करने के लिए दृश्य मीडिया को प्रणाम करता हूं परंतु यह जांच स्वतंत्र न्यायिक कार्यवाही करने के आड़े आती है।

प्रेस काउंसिल की तर्ज पर दृश्य मीडिया के लिए भी एक विनियामक निकाय बनाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती परंतु दृश्य मीडिया चैनलों को एक साथ मिलकर एक स्वतंत्र निकाय बनाना चाहिए जो अत्यंत आवश्यक है। दृश्य मीडिया को अपने कार्यक्रमों में हिंसा और अत्यधिक कामवासना दिखाने से भी बचना चाहिए। आज, विशेषकर युवा वर्ग की भलाई के लिए उसे शराब और सिगरेट पीने वालों को महिमामण्डित करके नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे दृश्यों पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं तमिलनाडु सरकार हेतु एक मल्टी सिस्टम आपरेशन लाइसेंस प्रारंभ करने की अनुमति देने के लिए अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। तमिलनाडु सरकार केबल निगम ने केबल क्षेत्र में लोगों की अपनी सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है। इस समय केबल सिस्टम लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है और आम आदमी से काफी धन एकत्र कर रहा है। इस नई प्रणाली के जरिए उपभोक्ता कम प्रभार देकर इसका लाभ उठा सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह (बिक्रमगंज): महोदय, आज मैं वर्ष 2008-09 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं। सरकार ने सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में कई वादे किए जो खोखले साबित हुए। निजी चैनलों द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को प्रदूषित करते हैं। हर बार संसद में इस विषय पर आवाज उठाई जाती है लेकिन कोई कारगर कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता है।

निजी केबल आपरेटरों द्वारा देश के छोटे शहरों में केबल से प्रसारण के दौरान लोक सभा टीवी का प्रसारण नहीं किया जाता

जिससे देश के करोड़ों लोग संसद की कार्यवाही एवं कई सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रमों से वंचित हो रहे हैं। ऐसे केबल आपरेटर्स के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

छोटे एवं मझोले स्तर के समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रोत्साहन हेतु सरकारी स्तर पर सहयोग की काफी कमी है। आज भी ऐसे पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशक सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के विज्ञापन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां केबल कनैक्शन सुगम नहीं हैं, वहां फ्री टू एयर चैनलों के जरिए लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए डीटीएच सेवा को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। दूरदर्शन तथा डीडी न्यूज पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि निजी चैनलों के साथ वे प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। निजी चैनल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नए-नए समाचार देते हैं, वहीं डीडी न्यूज 24 घंटे पुराने समाचारों को प्रसारित करता है।

रेडियो के कार्यक्रम आज भी गांवों के लोगों द्वारा ध्यान से सुने जाते हैं। रेडियो के माध्यम से भी सरकार द्वारा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रसारित करवाने की और अधिक उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि रेडियो मनोरंजन का आज भी सबसे सुगम साधन है तथा आम आदमी की पहुंच में है।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

जैसाकि आप जानते हैं कि माननीय मंत्री 1910 करोड़ रुपए के व्यय-700 करोड़ रुपये के योजनागत व्यय तथा 1210 करोड़ रुपए के गैर-योजनागत व्यय के लिए सभा की स्वीकृति मांग रहे हैं। इस वर्ष का बजट अनुमान पिछले वर्ष के बजट अनुमान से मात्र 18.6 प्रतिशत अधिक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मांगा गया अधिक अनुदान इस मंत्रालय द्वारा दी जा रही सेवा के मद्देनजर उचित है। जैसाकि आप जानते हैं यह मंत्रालय लोगों तक विविध जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह लोगों तक सूचना पहुंचाने के माध्यम के रूप में कार्य करता है, लोगों को शिक्षित करता है और लोगों के साक्षरता स्तर में अन्तर को पाटने का प्रयास करता है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के माध्यम से यह सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समझने में लोगों की मदद करता है।

अत: इस मंत्रालय के कार्यनिष्पादन और व्यय की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए मुझे लगता है कि सभा 1910 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृत करेगी। विपक्षी दलों के सदस्य इस मंत्रालय के कार्यकरण की अनुचित आलोचना करते रहे हैं। संभवत: वे हाल ही में विशेषकर माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी के कार्यभार संभालने के बाद इस मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर नहीं करना चाहते। कुछ नई पहलें शुरू की गई हैं। फलत:, आज यह मंत्रालय एक समर्पित संगठन के रूप में संतुलित और भली-भांति अपना कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, मंत्रालय ने लगातार पिछले चार वर्षों में अधिक मुनाफा कमाया है। यह मुनाफा 1086 करोड़ रुपए है। अत: इस मंत्रालय ने किए गए व्यय से अधिक राजस्व का अर्जन किया है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रालय ने व्यय करने के साथ-साथ राजस्व का भी अर्जन किया है। मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने 18 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है जबकि इस मंत्रालय और इसके संगठनों ने 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, इसका अभिप्राय है कि यह मंत्रालय देश के आर्थिक विकास रोजगार सृजन और आय सृजन में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इस सच्चाई को विपक्षी सदस्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह मंत्रालय द्वारा किया गया महत्वपूर्ण योगदान है।

तीसरा, मैं माननीय मंत्री को इस वर्ष 28 नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। योजना स्कीम के अंतर्गत वह 28 नई स्कीमें शुरू कर रहे हैं। कुछ पुरानी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि हमने शून्य-बजटीय प्रणाली शुरू की है और योजना आयोग ने कहा है कि ये योजनाएं भविष्य में लाभकारी और प्रासंगिक नहीं होगी और उनके स्थान पर उन्होंने 28 आकर्षक कार्यक्रम शुरू किए हैं जो सराहनीय है।

संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने अपितु लोगों को सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई है। इस सरकार ने क्रांतिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है, जो विश्व में किसी भी देश में इतने बड़े स्तर पर कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस वर्ष हम 14400 करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसके लाभार्थी हैं। हम संप्रग सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई अत्यधिक योजनाओं के बारे में कैसे बता सकते हैं? हमने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का पूरी तरह पालन किया है। जब हमने मूल्यांकन किया, तो पाया कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जिन 150 योजनाओं को लागू करने का वायदा किया गया उनमें से अब तक 123 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है जिसमें देश भर में लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। लेकिन, अनेक लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है और इस जागरूकता के अभाव में लोग इन योजनाओं के लाभ नहीं ले पाते हैं। अब, इन कार्यक्रमों को लोगों तक कौन पहुंचाएगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जनता तक व्यापक पहुंच वाले कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी और

[प्रो. एम. रामदास]

दूरदर्शन में अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। जिसके परिणामस्वरूप लोगों को इनकी जानकारी प्राप्त हो रही हैं और वे इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों से सीधे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें इसका लाभ मिल रहा है।

अतः, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकार की ओर से इस प्रचार कार्य को किया जा रहा है जिसका आकलन उसकी संख्या से नहीं अपितु गुणवत्ता से किया जा सकता है। जनता तक इसकी पहुंच सराहनीय है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया का ग्लोबल फिल्म स्कूल के रूप में उन्नयन करने की पहल तथा एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू करने के मंत्रालय के कार्यक्रम नए और उपयोगी उपाय हैं जिन्हें सरकार ने शुरू किया है।

महोदय, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहना करते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान दें जो मैं संक्षिप्त में सभा को कहने जा रहा हूं।

टीएएम रेटिंग नामक एक प्रणाली है। इस टीएएम को देश की एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा है जो इस देश की जनता का शोषण कर रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्राइवेट कम्पनी को अपने स्वामित्व में ले और सरकार को ही विज्ञापन दरों का निर्धारण करना चाहिए।

सरकार को देश में प्राइवेट केबल टेलीविजन नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, क्योंकि वे लोगों के साथ मनमानी कर रहे है। वे अपनी इच्छानुसार लोगों से किराया वसूल कर रहे हैं। वे किसी भी लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते और वे लाइसेंस के सभी प्रावधानों से बच निकलते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क को बताया जाना चाहिए कि उन्हें क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

तीसरा मुद्दा यह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों में मध्यम और उच्च स्तर के अधिकारियों के अनेक पद रिक्त हैं। इन पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए और इन लोगों द्वारा किए जा रहे अत्यधिक कार्य को देखते हुए सरकार द्वारा रोजगार के संबंध में शुरू किए गए मितव्ययिता उपायों को वापस लिया जाना चाहिए।

महोदय, जहां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का संबंध है, मैं कुछ कहना चाहूंगा। वर्तमान में, पुडुचेरी का आल इंडिया रेडियो स्टेशन 3 कि. वाट शक्ति की अंतरिम एफ एम सेवा के साथ कार्यरत है। पुडुचेरी को नए 10 कि. वाट शक्ति के एफ एम ट्रांसमीटर की तत्काल आपूर्ति कराए जाने की आवश्यकता है ताकि इसकी कवरेज को बढ़ाया जा सके लोगों की मांग को पूरा किया जा सके।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी तथा उनकी कई करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां सरकार के अधीन रहनी चाहिए तथा प्रसार भारती को भारतीय रेल के समान स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। गत दस वर्षों का अनुभव स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में प्रसार भारती न तो वित्तीय रूप से अर्थक्षम है और न ही वर्तमान प्रसारण रुझानों की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवसायिक रूप से पूरी तरह तैयार है। अतः, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए इसे सरकारी वित्तीय सहायता की बहुत आवश्यकता है।

वर्तमान में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय निजी क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा है और यदि इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना है तो केवल एक ही रास्ता है और वह है प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना। अतः, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और उकसा देने वाले कार्यक्रमों जिनमें श्रोताओं के किसी प्रकार के उपदेश अथवा कोई फीचर देखने को मिले की बजाय उन्हें अपने कार्यक्रमों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करने वाले कार्यक्रम दिखाने की स्थिति में होना चाहिए। इसके बजाय, आप आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कोई चर्चा अथवा प्रश्नोत्तर संबंधी कार्यक्रम दिखा सकते हैं। अतः, हमें कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले पहलकारी उपायों पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अधीन बहुत से संस्थान कार्य कर रहे हैं और मंत्रालय को उनके कार्यकरण का मूल्यांकन और उसकी निगरानी करनी चाहिए ताकि हम इन संस्थानों से बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें।

इसके अतिरिक्त, फिल्म प्रभाग द्वारा जो भी फिल्में सिनेमा हालों के लिए भेजी जाती है, देश के कई स्थानों पर सिनेमा हाल मालिकों द्वारा उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता। अतः, उन्हें फिल्म प्रभाग द्वारा भेजी गई फिल्मों को दिखाने के लिए कहा जाना चाहिए। अब भारतीय बाल फिल्म सोसायटी की स्थापना की गई है तथा भूमि न मिल पाने के कारण हमने आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना करने का प्रस्ताव लगभग छोड़ दिया है। मेरा मानना है कि सरकार अब महाराष्ट्र में कुछ भूमि प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। अतः, उस संस्थान को आरंभ किया जाए ताकि वह इस देश में बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

महोदय, ओलंपिक खेल निकट आ रहे है और मेरा मानना है कि उनके कवरेज के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 99 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मैं मानता हूं कि मंत्रालय को आलंपिक खेलों से संबंधित कार्य को गति प्रदान करनी होगी ताकि हम उन्हें अच्छी तरह कवर कर सकें।

मुझे आशा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भविष्य उज्जवल है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त संगठन बनाए रखेंगे।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): धन्यवाद, महोदय। मैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-09 का समर्थन करती हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, मैं यह कह सकती हूं कि यह बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि यह न केवल शिक्षित लोगों के लिए अपितु गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अशिक्षित लोगों के लिए भी है। इसे न केवल जानकारी प्रदान करनी होती है अपितु देश के अंदरुनी भागों में जीवन-आदर्श भी प्रस्तुत करना होता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक क्षेत्र के अपने गुण-दोष होते हैं। परंतु मैं यहां किसी मामले का ब्यौरा अथवा उसकी आलोचना नहीं करना चाहती हूं परन्तु मैं स्पष्ट रूप से अपनी बात रखूंगी। चाहें निजी चैनल हों अथवा दूरदर्शन या मनोरंजन, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया का क्षेत्र हो। आजकल प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। प्रत्येक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मेरा मानना है कि प्रतिस्पर्धा पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए। परन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि यह निजी चैनल बनाम दूरदर्शन प्रतिस्पर्धा हो गई है।

जहां तक निजी चैनलों का संबंध है कई माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार रखे हैं कि किस निजी स्तर पर वे अपने चैनलों को संचालित कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों की व्यावसायिक सामग्री किस प्रकार की है आदि तथा दर्शकों को आकर्षित करने और टीआरपी में सुधार करने के उनके अपने कुछ विशेष गुण हैं।

मैं यह जानना चाहती हूं कि आम आदमी को आकृष्ट करने के लिए दूरदर्शन क्या करता है ताकि उन्हें निजी चैनल न देखने पड़ें। दूरदर्शन की पहुंच देश के अन्दरुनी भागों तक है परन्तु, यदि हम उनके कार्यक्रम अथवा समाचार देखते हैं, तो

[हिन्दी]

ग्रामीण स्तर पर किसानों के लिए जो परिवर्तन लाने हैं, उसके लिए ऐसे कोई मार्डनाइजेशन के प्रोग्राम नहीं दिखा रहे हैं। जो पुरानी घिसी-पिटी न्यूज होती है, जो भी उनको जानकारी देती है, वही बार-बार देखने का मन नहीं करता है।

[अनुवाद]

एक नकारात्मक पहलू यह है कि अंदरूनी भागों में पर्याप्त बिजली नहीं होती है। मैं अक्सर अपने निर्वाचन क्षेत्र रामपुर का दौरा करती रहती हूं और मैंने गांवों में देखा है कि दिन के समय वहां मुश्किल से ही बिजली होती है। बिजली उस समय आती है जब लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं तथा और बच्चों को भी नींद आ रही होती है। वे केवल एक या दो घंटे ही सो पाते है और सुबह फिर से बिजली नहीं होती है। यदि यह स्थिति हो तो वे शिक्षा किस प्रकार प्राप्त करेंगे?

मैं प्रिंट मीडिया का भी जिक्र करना चाहती हूं। प्रिंट मीडिया समाज का दर्पण होती है।

[हिन्दी]

सुबह उठते हैं तो अखबार पढ़ने का मन करता है। उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी बातें हम जनता तक ले जाना चाहते हैं, उसमें जो अच्छे काम होते हैं, वे चौथे-पांचवें पेज पर छाप देते हैं और जो क्राइम की न्यूज होती है या किसी इंटरस्टिंग माडल की बात होती है, उसकी रंगीन फोटो फ्रंट पेज पर छाप देते हैं। इसमें भी न्यूज के हिसाब से जो क्रैडिट मिलना चाहिए, वह इंपार्टैन्स नहीं मिल रही है। इसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो इलैक्ट्रानिक मीडिया है, इलेक्ट्रानिक मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हम लोग तरह-तरह की वार्ताएं सुनते हैं चाहे वह अपराध संबंधी रिपोर्ट हो या कोई मनोरंजक कार्यक्रम अथवा कोई पारंपरिक कार्यक्रम हो या केवल समाचारों का प्रसारण हो।

महोदय, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि एंटरटेनमेंट में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। वे न्यूज दे रहे हैं, लेकिन वही न्यूज किसी को क्रिटिसाइस करने में या बार-बार दिखाने में, समाज में जो सुधार नहीं ला सकते, जो स्टिंग आपरेशन के नाम पर मीडिया से सुविधा ले रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन लाना चाहिए। उसे कंडम करना बहुत जरूरी है। मैं प्राइवेट चैनल्स के बारे में कहना चाहती हूं कि जो कमर्शियल एड्स दिखाते हैं, उसके लिए भी मीडिया मोनिटरिंग सेंटर होना बहुत जरूरी है।

महोदय, जो न्यूज बनाते हैं, उस न्यूज की मोनिटरिंग करने के लिए कोई टीम होनी चाहिए। जो न्यूज बनाएगा, वह उसमें मसाला डाल कर, लोगों को रिलीज करके दिखाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है, इससे किसी को मतलब नहीं है। परन्तु गलत समाचार दिखाकर यह आम लोगों को प्रभावित कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इसमें ज्यादातर पोलिटिकल लोग इन्वाल्वड होते हैं। इसमें अच्छे-अच्छे लोग भी काम करना चाहते हैं। उनके लिए अगर बुरा दिखाएंगे तो वे काम करना बंद कर देंगे। अतः मैं यह कहना चाहूंगी कि मीडिया जो भी मनोरंजक

[श्रीमती जयाप्रदा]

कार्यक्रम तैयार करे, उनके लिए एक मोनिटरिंग सेंटर होना बहुत जरूरी है।

महोदय, मैं आकाशवाणी के बारे में कहना चाहती हूं। गांवों में एक ही एंटरटेनमेंट का साधन होता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती जया प्रदा: महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, फिर मैं नहीं बोलूंगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलिए, आप अच्छा बोलती हैं और कम समय में भी बहुत ज्यादा बोल लेती हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: धन्यवाद सर। महोदय, यह एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए इसे मैं दो मिनट में कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगी।

महोदय, मैं आकाशवाणी के लिए कहना चाहती हूं कि रूरल एरिया में जो आकाशवाणी है, वहां अभी भी इसी से लोग एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं और एप्रीशिएट भी करना चाहती हूं। महोदय, वह बहुत सक्षम मंत्री हैं और बहुत स्नेही व्यक्ति भी हैं। वह एफएम सेवा आरंभ कर रहे हैं परन्तु, यह सेवा बहुत सीमित क्षेत्र में आरंभ की गई है। एफएम सेवा आरंभ करने हेतु कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी विचार किया जाए। जहां दूरदर्शन का नसीब है, वहां आकाशवाणी और एफएम के लिए भी नसीब होना चाहिए। मैं गांवों की बात कर रही हूं, शहरों की बात नहीं कर रही हूं। मैंने कई बार अपने क्षेत्र रामपुर के लिए भी कहा, लेकिन मंत्री जी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे लिए कोई काम नहीं किया है।

अपराह्न 4.58 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरे लिए न सही, लेकिन अन्य जो इंटीरियर विलेजेस हैं, उनके लिए एफएम बहुत जरूरी है। वहां एफएम की बहुत डिमांड है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रसार भारती के लिए फंड एलोकेट किया है, वह इसे मजबूत करने के लिए किया है। इसमें कई तरह के डिविजंस हैं, उन पर भी इन्हें ध्यान देना जरूरी है। ये फिल्म डिवीजन में एक करोड़ देते हैं और उसके बाद जो भी पार्टनरशिप होते हैं, फिल्म का जितना भी खर्चा होता है, वह भागीदारी में होना चाहिए। आजकल एक करोड़ रुपए में क्या अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस फंड को बढ़ाना चाहिए। चिल्ड्रन सोसायटी के लिए भी कई सालों से मामला पैंडिंग है। आंध्र प्रदेश में बहुत जल्दी चिल्ड्रन सोसायटी को बनाना था, उसके लिए भी मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि बहुत जल्दी उसे कम्प्लीट करें, क्योंकि चिल्ड्रन सोसायटी के अंदर कई फिल्में बच्चों के लिए बनानी बहुत जरूरी हैं। आजकल जो फिल्म आई हैं-तारे जमीन पर, अमीर खान साहब ने जो बनाई थी, यह काफी अच्छी फिल्म है। मैं चाहती हूं कि इस तरह की फिल्में बच्चों के लिए बनानी चाहिए और खास तौर पर समाज में जो वृद्ध सीनियर सिटिजंस होते हैं, इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे बागवान फिल्म बनाई गई है।

अपराह्न 5.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, 'बागवान' ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उसी तरह की फिल्म डिवीजन में इंटरेस्टिंग फार्मुलेट बनाकर काम किया जाए। पटकथा उचित और समाज के लिए सार्थक होनी चाहिए।

महोदय, एक और बात है जो मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यह बताना चाहती हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई हूं। फिल्म उद्योग को अपना योगदान देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मनोरंजन उद्योग है जो कि राष्ट्र के लिए बहुत अधिक राजस्व अर्जित कर रहा है। लेकिन सर, मैं यह बात कहना चाहती हूं और इस बात पर मैं बहुत दुखी भी हूं इसलिए कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल स्टेटस देने के बावजूद जबकि फिल्म उद्योग संकट से गुजर रहा था तो मैं पहली सांसद थी जिसने कि इसे उद्योग का दर्जा देने की बात कही थी। फिल्म इंडस्ट्री स्टेटस में जब भी बजट का नाम आता है, तो इस इंडस्ट्री हेतु बजट में कहीं कोई एलोकेशन नहीं होती है। वित्त मंत्री जी, जब भी बजट में एलोकेशन देते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज नहीं मिलता है, जबकि इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। करोड़ों वर्कर्स डेली वेजेज पर हैं। टैक्नीशियन्स हैं। कैमरा डिपार्टमेंट है, उसमें लाइट बायज हैं। उनके लिए काम करना बहुत दूभर हो रहा है। जो लाइट उठाता है, उसी को दो रोटी मुश्किल से मिलती हैं। इसमें उन्हें कई घंटे काम करना पड़ता है। यह बहुत अलग प्रकार का उद्योग है। जो कलाकार होते हैं, तो उन्हें टाप और पीक पीरियड में पैसा मिलता है, लेकिन बाद में नहीं मिलता। उनका क्रेज खत्म होने के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है।

कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जिनसे उनकी दुर्दशा की झलक मिलती है। मीना कुमारी जी से लेकर, सावित्री जी से लेकर, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनके शरीर का क्रियाकर्म करने के लिए भी लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए। हमें इस बात को कहने में बहुत दुख होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी चन्दा इकट्ठा करके करना पड़ा।

महोदय, फिल्म इंडस्ट्री के स्टेटस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, जिससे इस इंडस्ट्री को बैनीफिट मिले। जो टैक्नीशियन्स डेली वेजेज पर काम करते हैं, उनके लिए पैकेज अवश्य होना चाहिए। जो वृद्ध कलाकार होते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री स्टेटस के रूप में पेंशन के रूप में गुजारे लायक पैसा मिलना चाहिए। जो रेस इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनके लिए एलोकेशन दी गई है, वह पहले 7 करोड़ थी, उसे भी घटाकर 3 करोड़ 7 लाख कर दिया गया है। इस इंस्टीट्यूशन्स में और कलाकार और टैक्नीशियन्स आने चाहिए। इस देश में अनेक लोगों को इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग इंडस्ट्री में रोजगार मिला हुआ है और बहुत से लोग इस पर रोजगार के लिए निर्भर रहते हैं।

महोदय, इस देश के कई राज्यों में रीमेक्स पर रोक लगाई हुई है। मैं चाहती हूं कि संसद की एक कमेटी बनाई जाए, जो देखे कि किन-किन राज्यों ने रीमेक्स पर पाबन्दी लगाई हुई है और यदि लगाई है, तो क्यों? मैं चाहती हूं कि रीमेक्स सभी जगह बनाए जाने चाहिए और इस इंडस्ट्री के लिए टोटली यह हो जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। मैं आपको आपके भाषण पर बधाई देता हूं। अब श्रीमती रंजीत रंजन।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, माननीय मंत्री उत्तर देने में 40 मिनट का समय लेंगे। 6 बजे तक हमें हर हाल में इसे समाप्त करना होगा। इसलिए आप देख लीजिए कि हम कैसे करें।

अध्यक्ष महोदयः यह बात मेरे दिमाग में है और मैंने यह जांच करवाई है।

कोई भी माननीय सदस्य, जो तैयार भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हो, वह ऐसा कर सकता है। इसे सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन तो कर रही हूं, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अच्छा ठीक है। आपके चार मिनट हैं। आप कृपया अपना भाषण चार मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, आप अगर बीच में बोलेंगे, तो जो मैं बोलना चाहती हूं, उसे भूल जाऊंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप इतनी स्पष्ट हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजनः महोदय, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूं। आज के और पुराने ब्राडकास्टिंग में बहुत अन्तर आ गया है। अब लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, हम बहुत माडर्न हो गए हैं, लेकिन अगर कोई सर्वे हो, तो पता लगेगा कि हम किस क्षेत्र में कितने आगे बढ़े हैं। हमें वह वक्त अच्छा लगता है, जब सिर्फ दूरदर्शन था और हम एक हफ्ते में सिर्फ एक पिक्चर देखा करते थे। हम हफ्ते में दो दिन चित्रहार देखा करते थे और तब बहुत जेन्युइन न्यूज आती थी, जिसे परिवार के पूरे लोग बैठकर देखा करते थे।

मैं आपसे कुछ प्वाइंट्स के संबंध में कहना चाहूंगी। अभी जो प्राइवेट चैनल्स आए हैं, कुछ चैनल्स सिर्फ न्यूज के लिए आते हैं, कुछ चैनल्स सिर्फ सीरियल्स के लिए आते हैं, कुछ चैनल गेम्स के लिए आते हैं। उनका जो सैंक्शन होता है, वह इन कामों के लिए होता है, लेकिन बाद में वे न्यूज में कुछ और दिखा रहे होते हैं, स्पोर्टस में कुछ और दिखा रहे होते हैं, सीरियल्स में कुछ और दिखा रहे होते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जब ये सैंक्शन होता है, तो क्या बाद में इसकी कोई इंक्वायरी होती है या नहीं कि वे आखिर न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्या इस बात का सर्वे हुआ है कि जो आज बच्चों में अपराध बढ़ रहा है, बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण टीवी भी है। आज सरे-आम चौबीस घंटे टीवी चलती है और बच्चे उसके आगे बैठे रहते हैं। पैरेंट्स उनको मना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैरेंट्स बाहर गए, वे टीवी आन कर लेते हैं। आज टीवी हमें अपराध करना सिखा रही है, हम नशा कैसे करें, यह सिखा रही है। बहुत शर्म आती है, अगर रात ग्यारह बजे आप न्यूज देखना चाहें, तो आप

[श्रीमती रंजीत रंजन]

डर से चैनल बंद कर देंगे। बच्चे क्या बड़े भी डर जाते हैं, जिस तरह से उसमें एंकर बात कह रहा होता है कि ठहरिए... मैं कैसे बता सकती हूं? मैं कहना चाहती हूं कि आप जब इसे सैंक्शन करते हैं, तो किस तरह की वे न्यूज दिखायें, इस पर ध्यान दें। एक तरफ न्यूज आ रही होती है कि इसका हमने बलात्कार किया। यह अश्लील सीडी दिखायी गयी। वही टीवी चैनल वाला चौबीस घंटे उस अश्लील सीडी को दिखा रहा होता है, तब क्या अश्लीलता का कोई प्रचार नहीं होता है? इस तरह की चीजों को आप क्यों नहीं बैन कर रहे हैं?

मैं कहना चाहूंगी कि जो आज के सीरियल्स हैं, उनमें भारतीय महिलाओं का पूरा कैरेक्टर बदलकर रख दिया गया है। आज की भारतीय महिलाओं को सिर्फ साड़ियां, ज्वैलरी, दंगा और बदले की भावना वाली महिला दिखाया जाता है। क्या भारतीय संस्कृति की महिलाएं जैसी सीरियल्स में दिखायी जा रही है, वैसी ही हैं? उसका असर जनता पर, लोगों पर और महिलाओं पर बहुत पड़ता है। बहुत से घरों में हमने देखा है कि हसबैंड-वाइफ में लड़ाई छिड़ी हुयी है, औरतें सीरियल देख-देखकर अपनी ज्वैलरी और साड़ियां खरीद रही हैं या द्वेष भावना से प्रेरित हो रही हैं।

महोदय, मैं एंक प्वाइंट मीडिया ट्रायल के बारे में कहना चाहूंगी कि क्या कानून ने या आपने सैंक्शन किया है कि किसी का अपराध सिद्ध होने से पहले मीडिया ट्रायल हो? इसके कारण अदालत भी इफेक्टेड होती है और किसी को सजा होने से पहले, किसी का अपराध सिद्ध होने से पहले, मीडिया उसे अपराधी सिद्ध कर देता है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस पर बैन लगेगा या नहीं? आप किसी के कैरेक्टर को अदालत के बगैर अच्छा, मसीहा या अपराधी होने का पहले क्लीन चिट दे देते हैं। पहले ही उसे अपराधी बना देते हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। इससे बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं और कई लोगों की पूरी लाइफ बरबाद हो जाती है। उस वक्त जब अदालत उनसे क्षमा मांगती है, तब मीडिया की छोटी सी दो लाइनें आ जाती हैं कि हम क्षमा चाहते हैं। जब किसी को अपराधी सिद्ध करना पड़ता है तो बड़ी-बड़ी लाइनों में चौबीस घंटे तक दिखाया जाता है। यह बहुत जटिल समस्या है। इससे इंसानियत का गला घोंटा जा रहा है। क्या न्यूज चैनल में अश्लीलता दिखाने के लिए और बच्चों को जिसे हमारा चैनल और यह संस्कृति बरबाद कर रही है, उस पर बैन लगेगा या नहीं? यह सीधी सी बात यहां होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कृष्णा तीरथ।

[अनुवाद]

मैं माफी चाहता हूं मैं आपको केवल चार मिनट दे सकता हूं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मैं वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को अक्तूबर 2007 में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की नई विज्ञापन नीति को लागू करने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। मूलत: सभी विज्ञापनों का 60 प्रतिशत बड़े समाचार-पत्रों को दिया जाता है, 30 प्रतिशत मध्यम समाचार-पत्रों को और 10 प्रतिशत छोटे समाचार-पत्रों को दिया जाता है। नई नीति के अनुसार, छोटे समाचार-पत्रों को इसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, मध्यम समाचार-पत्रों हेतु इसे 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत और बड़े समाचार-पत्रों के लिए 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह नीति निसंदेह छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को मदद करेगी।

इतिहास में पहली बार, इस देश के लोग लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण इनके संबंधित चैनलों द्वारा देख सके। यह माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए निजी टीवी चैनलों के बारे में मैं कुछ तथ्य प्रकट करना चाहता हूं। लगभग 273 भारतीय चैनल, 7 विदेशी चैनल स्वीकृत किए गए और अन्य 50 विदेशी चैनलों को भारत में डाऊनलिंक की स्वीकृति दी गई है। अत: लगभग 330 चैनल इस देश में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। 273 भारतीय चैनलों में से कुछ चैनल कुछ आदर्श व्यवसायों जैसे विधि व्यवसाय, चिकित्सक और न्यायपालिका की भी बुरी तरह से आलोचना कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीवी नाटकों में वकीलों को अशिष्ट और समाज-विरोधी तत्वों, न्यायाधीशों को भ्रष्ट लोगों के रूप में दिखाया जाता है। यह इस संस्थान की नैतिकता को समाप्त कर रहे हैं, मैं सरकार से सविनय आग्रह करता हूं कि इन सभी टीवी चैनलों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें कि ऐसे दृश्यों पर प्रतिबंध लगाएं।

इसके अतिरिक्त मैं ''एफटीवी'' और एमटीवी विदेशी चैनलों पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री का उल्लेख करना चाहता हूं जो हमारे समृद्ध सांस्कृतिक देश में युवाओं के मास्तिष्क और भावनाओं को बुरी तरह प्रभावित करते है। इन चैनलों को अब से बंद कर दिया जाना चाहिए।

केन्द्र में यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने लोक सभा चैनल प्रारंभ किया है और संपूर्ण देश में लोक सभा की कार्यवाही को सीधे प्रसारण के माध्यम से देख सकते हैं। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकतर क्षेत्रों में निजी कैबल आपरेटर अपनी संबंधित केबल नेटवर्क सेवा में लोक सभा चैनल और दूरदर्शन राज्य सभा चैनल को नहीं दिखा रहे हैं। भारत सरकार की दिनांक 6.11.2002 की अधिसूचना के अनुसार यह आवश्यक है कि देश में संपूर्ण केबल नेटवर्क को दोनों चैनल दिखने चाहिए। इसलिए मैं सरकार से सविनय आग्रह करता हूं कि सभी केबल आपरेटरों को अपने नेटवर्क में इन दोनों चैनलों को अनिवार्य रूप से दिखाने के लिए निदेशित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

इसके अतिरिक्त मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष प्रसार भारती में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कुछ तथ्यों को प्रकाश में लाना चाहूंगा। प्रसार भारती, एक स्वायत्त निगम के प्रारंभ होने के बाद केवल अभियांत्रिकी और कार्यक्रम कर्मचारियों को ही प्रसार भारती में विलय के लिए बढ़े हुए वेतनमान प्रदान किए गए थे। शेष प्रशासनिक कर्मचारी जो कार्मिक और वित्तीय प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हैं, उन पर विचार नहीं किया गया। वे लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और अपने कानूनी अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसे मंत्री समूह को संदर्भित किया गया था। अब तक इन्हें किसी क्षतिपूर्ति के लिए नहीं बुलाया गया है और इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से सविनय आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाएं।

महोदय, इन वर्षों में इस देश के फिल्म उद्योग में अप्रत्याशित विकास हुआ है। निर्माता फिल्म के निर्माण हेतु कई करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। यह उद्योग मनोरंजन कर के रूप में सरकार के लिए बड़ी मात्रा में राजस्व उत्पन्न करता है। यद्यपि, विगत वर्षों में बाजार में जाली सीडी के प्रवेश के कारण उद्योग और नई फिल्मों जोकि निर्मित कर सिनेमा घरों में रिलीज की जाती है, वहां यह अधिक दिनों तक नहीं चलती, को काफी नुकसान हो रहा है। इसके कारण निर्माताओं, उद्योग और सरकार जो मनोरंजन कर से वंचित रहती है को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए, सरकार को सिनेमा उद्योग में जाली निर्माण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री दीप गोगोई** (कलियाबोर): महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर में बच्चों को राष्ट्रद्रोही कार्यकलापों में लगाया जा रहा है। उन्हे राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए, हमें इसमें मीडिया की मदद चाहिए, चाहे यह प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलिविजन या सिनेमा इत्यादि हों। विशेषकर हिन्दी सिनेमा की भूमिका सकारात्मक है और मैं यह कहता हूं कि यह पूर्वोत्तर में सुदूर भाग में अखण्डता का एक वाहन है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि फिल्मों जो विशेषकर हिंसा को नकारती हों, को बढ़ावा दिया जाए। निसंदेह बेरोजगारी पूर्वोत्तर में एक गंभीर समस्या है और पृथक्करण की भावना भी। वहां काफी कम लोग हैं। विशेषकर शिक्षित वर्ग जो शिक्षा के माध्यम से देश के अन्य भागों के संपर्क में आते हैं, परन्तु इनमें से अधिकतर पृथक्करण और अवहेलना की पीड़ा को सह रहे हैं। सरकार को इस क्षेत्र की महत्ता और सुंदरता को प्रकाश में लाने के लिए विभिन्न मीडिया की सेवा लेनी चाहिए। पिछले कुछ समय से सरकार की पूर्वोत्तर देखो नीति के कारण पूर्वोत्तर को कुछ पड़ोसी राष्ट्रों के लिए खोल दिया गया है जैसे मणिपुर में मोरेह और सिक्किम में नाथुला। हम यह भी मांग कर रहे हैं कि स्टील वैल रोड को भी खोल दिया जाए जो असम से म्यांमार होते हुए चीन में कुनमिन तक 1700 किमी. से अधिक की दूरी तय करता है। यह पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेशद्वार में परिवर्तित करेगा। मुझे याद है कि एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा था कि एक दिन पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया और पड़ोसी देशों के मध्य एक सक्रिय सेतु की भूमिका निभाएगा।

यहां मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को सुझाव देना चाहूंगा कि शांति प्रक्रिया प्रयासों के रूप में छोटे क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर के सुदूर भाग में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा दें। यह क्षेत्र में राष्ट्रद्रोह का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी उपाय होगा। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि संसद सदस्यों को अपनी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से इन रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

मैं अध्यक्षपीठ का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

***डा. सिबैस्टियन पॉल** (एर्णाकुलम): प्रसार भारती बीएसएनएल के समान सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उद्यम है। इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, परन्तु इसके पास जनशक्ति कम है। सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त प्रसार भारती बनने के बाद रोजगार-कर्मचारी अनुपात में बहुत बड़ी असमानता देखने को मिली है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया था।

[डा. सिबैस्टियन पॉल]

आकाशवाणी और दूरदर्शन को निजी क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास किए जाने चाहिएं। कार्मिकों की भर्ती पर व्यावहारिक रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। आज आकाशवाणी में प्रसारण कार्यकलापों और कार्यक्रम कार्यकलापों की लगभग 25,000 रिक्तियां हैं। आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रभाग अब अनियत कर्मचारियों की सहायता से चल रहा है। अनेक अनियत कर्मचारी यूपीएससी की आयु सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसे अनियत कर्मचारियों को प्रसार भारती के अंश के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उनके कार्यों को इस तरह वितरित किया जाए, जिससे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित हो। यद्यपि मंत्रालय ने दूरदर्शन के कार्यक्रम और अभियांत्रिकी स्टाफ की अधिकांश श्रेणियों के संबंध वेतनमान को संशोधित किया था, लेकिन कैमरामैन, वीडियो एडिटर, ग्राफिक आर्टिस्ट जैसे मुख्य व्यावसायिकों की उपेक्षा की गई है। उनके पास उच्च तकनीकी योग्यता है और वे उच्च तकनीकी कार्य करते हैं। उनकी संख्या केवल 563 है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एर्णाकुलम शाखा ने उनके पक्ष में एक निर्णय पारित किया है और मुझे आशा है कि मंत्रालय उनकी शिकायतों का निवारण करेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड फार ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल आफ द मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन ब्राडकास्टिंग, 2008-09 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुयी हूं। बहुत सारी बातें अभी सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने कहीं। ये भूल गए थे कि हमारी जो इन्फार्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जिस मंत्रालय की मंत्री राष्ट्र मां श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी रही हैं और उन्होंने इस मंत्रालय को मजबूत बनाने की कोशिश की। इसमें क्या-क्या नई चीजें आनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया। यह केवल टेलीविजन ही नहीं, टेलीविजन और रेडियो, दोनों को मिलाकर पूरे देश में कोने-कोने तक चाहे वे गांव हों या शहर हों, चाहे बस्तियां हों या रिमोट एरियाज हों, वहां तक इसे पहुंचाया गया। यह मनोरंजन का भी एक साधन है।

यहां सभी ने माना कि रेडियो में हम पहले ये-ये सुना करते थे, हवा-महल है, आदि। एफएम रेडियो का नेटवर्क जगह-जगह फैलाया गया। इसमें छायागीत, विविध भारती, एफएम, रेडियोमिर्ची द्वारा गीत-संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। ये माध्यम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का माध्यम है, क्योंकि भारत एक है। हर व्यक्ति हर जगह जाकर देख नहीं सकता है कि राजस्थान का क्या कल्चर है या हरियाणा का क्या कल्चर है? दिल्ली की अपनी क्या कल्चर है, कश्मीर की क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने प्रदेश आते हैं, साउथ में क्या है, इन सब चीजों को टेलीविजन के माध्यम से दिखाकर जानते हैं। इसमें जो बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, मैं उन्हें बताना नहीं चाहूंगी। इसमें जो एक्सपैंशन किया गया है-दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार, और नए चैनल, डीडी, डीडी का बजट, डीटीएच आदि का विस्तार। इसमें बहुत सारे एक्सपैशन्स किए गए हैं। मैं कुछ प्वाइंट्स देना चाहती हूं।

[अनुवाद]

* दूरदर्शन के क्षेत्रीय कवरेज के विस्तार हेतु 24 एचपीटी, सात एलपीटी और 19 वीएलपीटी चालू किए गए हैं;
* पूर्वोत्तर राज्यों के कवरेज से बाहर के क्षेत्रों में 160 केबल हैडेन्डस स्थापित किए गए हैं;
* 92 एलपीटी के स्थान पर आटोनोड एलपीटी लगाए गए हैं;
* आठ नए स्टूडियो चालू किए गए हैं;
* 17 प्रमुख स्टूडियो पूरी तरह डिजीटलकृत किए गए हैं और 30 छोटे स्टूडियो अंशतः डिजीटलकृत किए गए हैं;
* डीडी राज्य सभा और डीडी उर्दू चैनल शुरू किए गए है;

  लोक सभा भी इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है।
* आठ चैनलों के साथ दिल्ली के मोबाइल टीवी सेवा शुरू की गई है;
* डीडी डायरेक्ट प्लान की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है;
* पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तार और सुधार हेतु विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

इसी तरह रेडियो में भी बहुत सारे चैनल आए हैं। मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि बहुत बातें आई हैं और आप बैल बजा रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं ने, पूरी दिल्ली की ही नहीं बल्कि और जगह की महिलाओं ने भी शिकायत की है कि बाहर के चैनल, चाहे चीन का है या दूसरा

चैनल है, उसमें कार्टून नेटवर्क दिखाए जाते हैं और बच्चे फिजिकल खेल बंद कर देते हैं और टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं। इससे उनकी आंखों पर असर पड़ता है, पढ़ाई बिल्कुल खत्म होती है, वे अपनी कल्चर को भूल गए हैं और वे उससे लड़ाई-झगड़ा करना सीखे हैं। जेटिक्स, सीसीएन या जितने भी चाइनीज कार्टून्स हैं, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उन्हें टोटली बंद कर दिया जाए उन्हें देखना बंद करें और वे फिजिकल एक्सरसाइज या खेल खेलें, क्योंकि मुझे हर मां-बाप की यह शिकायत मिली है कि बच्चे उसे देखते हैं।

कुछ चैनल नए लाए जाएं ताकि जो गरीब बच्चे हैं, ट्यूशन एफोर्ड नहीं कर सकते, टीवी चैनल के माध्यम से या प्राइवेट केबल आपरेटर्स के माध्यम से उन्हें हर विषय की एजूकेशन दी जाए, चाहे वह मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिन्दी हो या साइंस हो। उन्हें हर क्लास की ट्यूशन दी जाए जिससे बच्चे घर में अपने पैरेंट्स के साथ बैठकर उन्हें ले सकें और एजूकेशन को इम्प्रूव कर सकें।

मैं डीडी न्यूज के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं जो अपने समाधान कर रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हमारी बिल्डिंग में हैं। मेरी पहले मंत्री जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे टीवी चैनल्स में रात को महिलाएं काम नहीं करतीं, लेकिन आज की डेट में भी यदि आप रात के बारह बजे, साढ़े बारह बजे, डेढ़ बजे न्यूज चलाएंगे, तो महिला न्यूज पढ़ रही होगी और उसकी मेकअप महिला भी अंदर ही रहती है। इसे रोका जाए क्योंकि उसकी कोई सोशल सिक्युरिटी नहीं है और रात के बारह बजे, एक बजे टीवी में न्यूज देने के बाद वह घर नहीं जा सकती। उन्हें घर में छोड़ने का कोई साधन नहीं है और न ही उनके लिए वहां रहने की कोई जगह है जिससे वे अपनी रात काट सके। यदि किसी के कमरे में सोफा पड़ा हुआ है तो वहां काकरोचेज हैं, टायलेट ठीक नहीं है, लाइट नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और उम्मीद करती हूं कि मंत्री जी इन सजैशन्स पर अमल करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः बहुत अच्छे सुझाव हैं। मुझे खेद है कि मुझे आपका समय सीमित करना पड़ा।

अब श्री रामकृष्ण कुसमरिया जी केवल तीन मिनट तक बोलें।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): मान्यवर, सूचना प्रसारण के विषय में माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, उसके चार चांद लगाने की आवश्यकता है। इसको यदि हम लोग शिक्षण की दृष्टि से करें तो जो हमारे न्यूज चैनल हैं, उनको आम लोगों तक ले जाना चाहिए, ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए। यदि हम इस क्षेत्र को देखते हैं तो हम अपने आपको बहुत पीछे पाते हैं, हम बाकी चैनल्स से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। रेडियो और टीवी के माध्यम से गांवों में समाचार पहुंचते हैं। टीवी के माध्यम से कार्यक्रम गांवों में पहुंचते हैं, लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें देखने के बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हमारी जो लोक संस्कृति है, उसकी रक्षा करना भी आवश्यक है। आज हम परिवार के साथ बैठकर टीवी चैनल्स को नहीं देख सकते हैं। उन पर एडवर्टीजमेंट इतने ज्यादा होता हैं कि जो लोग समाचार देखना चाहते हैं, उनका धैर्य टूट जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूज के जरिए लोगों को प्रेरणा मिले, टीवी पर ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिले। श्रीमद्भागवत गीता में एक श्लोक में कहा गया है कि "यददा चरितं श्रेष्ठः तदतत्र देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।" हमारे कार्यक्रमों में श्रेष्ठता का प्रदर्शन हो जिसका लोग अनुसरण करें। माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी, जिनका काम लोकरंजन से जुड़ा हुआ है, हमारी लोक संस्कृति की रक्षा की ओर भी ध्यान दें तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः दादा, मनोरंजन नहीं लोकरंजन की बात है।

डा. रामकृष्ण कुसमरियाः स्टिंग आपरेशन आदि जो हुए हैं, उनसे हमारे देश की फिजा बिगड़ी है। अच्छे कार्य अवश्य दिखाए जाएं जिनसे श्रेष्ठता का प्रदर्शन हो।

अध्यक्ष महोदयः श्लोक बोलने के बाद अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें सब कुछ आ गया है।

डा. रामकृष्ण कुसमरियाः इसी के साथ जो प्राइवेट आपरेटर्स और बड़े चैनल्स का तालमेल अच्छा नहीं होने के कारण असली न्यूज सामने नहीं आ पाती है। इसलिए इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है कि मैं आपको बोलने के लिए कम समय दे सका।

[हिन्दी]

***श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धन्धुका): सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर मैं मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं। आज विभिन्न चैनलों पर सिनेमा दिखायी जाती है, लेकिन विज्ञापन इतने ज्यादा दिखाये जाते है कि कौन सा सिनेमा देख रहे है वह भूल जाते है। तो विज्ञापन कम से कम समय रखा जाये और आधे घन्टे में कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाया जाये।

डरावनी सिनेमा दिखाकर बच्चों को कमजोर और अंधविश्वास का शिकार बनाना बंद करना चाहिए। महिलाओं का चरित्र और गिरता जा रहा है उसे रोकना चाहिए। देश के जो नागरिक है उनके द्वारा किया गया अच्छा कार्य लोगों के सामने लाना चाहिए। जो देश को खोखला कर रहे है उनके कार्यक्रम को रोका जाये।

गांव के कार्यक्रम को अधिक दिखाया जाये, युवाओं को प्रोत्साहन मिले एवं कार्यक्रम दिखाना चाहते है धार्मिक कार्यक्रम जो दिखाया जाता है उसके लिये धन्यवाद है।

लोक सभा चेनल का महत्व सारे देश के लिए मान्य हो। 1952 से लेकर आज तक हम लोग सभा में बैठकर अपने देश की शान बढ़ाई और उनकी शहद्दते अपने आपको मिटाकर देश का आजादी दिलायी है उनके चरित्र का लोक सभा चैनल में दिखाने का कार्यक्रम बनाया जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, प्रसार भारती में आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरिंग आफ प्रोग्रामिंग स्टाफ को हायर वेजिज और पे स्केल की मान्यता दी है, लेकिन वहां जो प्रशासनिक स्टाफ है, वह भी दूरदर्शन चलाता है, आकाशवाणी भी चलाता है, लेकिन पिछले दस साल से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। वर्ष 2005 से वे एजिटेशन कर रहे हैं। 21 नवम्बर, 2007 को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी प्राब्लम्स को ग्रुफ आफ मिनिस्टर्स के सामने सैटल करने के लिए रखा जाएगा। 11 मार्च से 13 मार्च तक उन्होंने रिले भूख हड़ताल भी की, तब भी उनकी मांगे सैटल नहीं हुई हैं। मिनिस्टर ने कहा था कि तीन अप्रैल के पहले ग्रुफ आफ मिनिस्टर्स के सामने उनकी बात रखेंगे, लेकिन वह बात एजेंडा में नहीं आई है। उनके 5 एम्पलाइज 22 अप्रैल से जंतर-मंतर पर आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आपने जो हाउस में आश्वासन भी दिया था, आज की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, उनकी प्रौब्लम सैटल कराइए ताकि उनका अनशन समाप्त हो सके। इसे आप हाउस में डिक्लेयर करिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी माननीय मंत्री जी को वाद-विवाद का उत्तर देना है।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैंने बोलने के लिए पूर्व सूचना दी हुई है। क्या मैं अपना भाषण सभा पटल पर रख सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: निश्चित रूप से, मैंने आपको इसे रखने के लिए बुलाया है।

***श्री प्रबोध पाण्डा:** महोदय, मैं अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं। इनका समर्थन करते हुए, मैं प्रसार भारती के संबंध में कुछ प्रासंगिक बातें कहना चाहता हूं। महोदय यह स्वीकार किया गया है कि प्रसार भारती से संबंधित तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस संस्थान की पहचान निधियन और कार्यकरण।

इसकी पहचान बनाने के लिए कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर जानना अनिवार्य है कि क्या एक लोक सेवा प्रसारक होना चाहिए और इसे क्या करना चाहिए?

सार्वजनिक प्रसारण व्यवस्था का एक बुनियादी उद्देश्य सूचना प्रदान करते हुए तथा देशभक्ति के उत्साह को बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करना होना चाहिए। हमारे देश की समृद्ध विरासत और, सभी अहम् मुद्दों पर वाद-विवाद और चर्चा को प्रोत्साहन और आम आदमी और नीति निर्माताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान हेतु मंच प्रदान करना। बाजारी शक्तियों से इन उद्देश्यों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रसारण का समाज पर, इसकी मूल्य व्यवस्था, सामाजिक मानकों, व्यक्तिगत व्यवहार और सांस्कृतिक पहचान पर अद्वितीय प्रभाव होता है।

लेकिन इस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि वर्तमान कार्यों में बाजार शक्तियों का मुकाबला कैसे किया जाए? केवल एक सारपूर्ण तरीका सार्वजनिक सेवा की मजबूत और प्रमुख उपस्थिति से बाजार की कमियों को सुधारना है।

इसके लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारक को मिशन और नीति के प्रति उच्च प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

अब मैं प्रसार भारती में कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारियों के संबंध में एक विशेष समस्या पर आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी इन समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। यह बताया गया है कि उन्हें अभियांत्रिकी और कार्यक्रम कर्मचारियों के बराबर उन्नत वेतनमान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के विस्तार को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने अगस्त 2005 में सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। इसे मंत्री समूह को सौंपा गया था लेकिन आज तक इससे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है।

ऐसी स्थिति में अनेक कार्यक्रमों के अवलोकन के बाद पुनः हाल ही में कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे आकाशवाणी, नई दिल्ली के परिसर में बैठे हैं और आंदोलन पूरे देश में जारी है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस गरिमामय सदन में अपने उत्तर में उन्हें एक परिणामजनक बैठक और वार्ता के लिए बुलाने का निवेदन करता हूं।

महोदय, हमारे देश में प्रसारण का बड़े पैमाने पर वाणिज्यीकरण 80 के दशक में शुरू हुआ था। निधि के विस्तार हेतु अधिक राजस्व जुटाने के दबाव के साथ बजटीय सहायता में कमी से वाणिज्यीकरण की गति को आगे बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक कार्यक्रमों में कमी आई है चूंकि प्राइम टाइम व्यावसायिक कार्यक्रमों हेतु आरक्षित कर दिया गया था। जिससे अधिकांश राजस्व अर्जित हुआ। यद्यपि कुछ अन्य रेडियो को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

भारत में सार्वजनिक प्रसारण सेवा आवश्यक है, लेकिन इसे सभी नागरिकों के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए।

***श्री फ्रांसिस्को को.श्री सारदीना** (मरमुगावो): महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समुचित नीतियों के परिणामस्वरूप देश में प्रसारण सेवा में तीव्र वृद्धि हुई है। यह देखना उत्साहजनक है कि मंत्रालय ने ऐसे दिशा-निर्देश दिए जो इस क्षेत्र के संबंध में पहले नहीं थे जैसे कि आज है, देश में लगभग 110 मिलियन परिवारों में टीवी है और 132 मिलियन रेडियो सेट है। अतः दिशा-निर्देश और नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मंत्रालय ने इस देश की लगभग 36 प्रतिशत आबादी तक बढ़ते कवरेज और नए चैनलों के संदर्भ में रेडियो और दूरदर्शन के नेटवर्क का विस्तार किया है। महोदय, हम प्रशंसा करते हैं कि मंत्रालय ने खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती) के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया है। इसकी वजह से लोग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खेलकूद स्पर्धाओं का निःशुल्क आनन्द ले सकते हैं।

मेरा राज्य गोवा को भारत अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी केन्द्र घोषित करने के लिए श्री प्रियरंजन दासमुंशी का ऋणी है। इस निर्णय का प्रत्येक गोवावासी ने स्वागत किया है और वह इस पर गर्व महसूस करता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, फिर भी माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि गोवा को इसकी सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक स्वतंत्र दूरदर्शन केंद्र, अन्य राज्यों के साथ 24 घंटे समाचार चैनल की आवश्यकता है। इसके उन्नयन में राज्य का छोटा आकार कोई पूर्वाग्रह आड़े नहीं आना चाहिए।

यद्यपि, आकाशवाणी और दूरदर्शन का असाधारण विकास हुआ है। उन्हें जी, स्टार और रेडियो मिर्ची आदि जैसे निजी चैनलों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। चूंकि उनका प्रदर्शन अधिक नवोन्मेषी, गत्यात्मक और ग्लैमरस है जबकि प्रसार भारती चैनल/दूरदर्शन कम आकर्षक है अतः दर्शकों की पसंद का अनुपात कम है। आज आवश्यकता है कि वे प्रस्तुति गुणवत्ता को सुधारने हेतु और अधिक राजस्व जुटाने हेतु अधिक प्रतिस्पर्धी बनने हेतु पर्याप्त प्रयास करें।

महोदय, दूरदर्शन केंद्र पणजी में अन्य मुख्य शहरों की तरह आधुनिकतम उपकरण हैं। दूरदर्शन केन्द्र पणजी से 1 घण्टा 15 मिनट का प्रसारण हर रोज किया जाता है। यदि यहां समाचार प्रसारण भी शुरू किया जाए तो यह अधिक दर्शक जुटा सकता है। सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध है। तथापि सभी सम्बद्ध विभागों के साथ स्वतंत्र समाचार विंग शुरू किए जाने वाले हैं।

[हिन्दी]

***डा. सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सूचना प्रसारण एवं दूरदर्शन मंत्रालय की बजट मांगों पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि मंत्रालय का नाम करना है देश को उन बातों की जानकारी हृदय और माध्यमों से देना जिससे व्यक्ति को, परिवार को और समूचे समाज को वे बातें पता लगे जो जन सामान्य के लिये तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करने तथा ज्ञानवर्धन के लिये आवश्यक हो और राष्ट्रहित में हो।

मंत्रालय के दायित्व और दायरा महत्वपूर्ण है अतएव आवश्यक है सूचना प्रसारण मंत्रालय सूचना माध्यमों को सक्षम समर्थ संयंत्र और स्वायत्ता के लिये सभी आवश्यक उपाय करें। समाचार पत्रों और उद्देश्य पूर्ण पत्रिकाओं के विकास के लिये प्रोत्साहन करें समाचार पत्रों के लिये प्रसार संख्या के महत्वपूर्ण आधार है। जितनी ज्यादा प्रसार संख्या उसका उतना बड़ा व्यक्ति से राष्ट्र तक के विकास में दायित्व होता है अतएव वे सर्वांगीण रूप से उनके योगदान के लिये सरकार पुरस्कृत और अभिनन्दित करें। इसी प्रकार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

से क्षेत्रीय और भाषायी समाचार पत्रों की प्रोत्साहन नीति बनायी जाए। मध्यम और छोटा समाचार-पत्रों को विकास के विशेष उपाय किये जाने तथा महत्व देने की आवश्यकता है।

रेडियो, की आज भी प्रासंगिकता है और इसको सूचना और कार्यक्रमों का और भी प्रभावी माध्यम बनाने के आधुनिक तकनीकी उपाय किये जाए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के लिये एफएम रेडियो स्टेशन स्वीकृत है अत: स्थापित करने के अविलम्ब उपाय किये जाए।

दूरदर्शन, संचार माध्यमों का आधुनिक और महत्वपूर्ण दृश्य-श्रव्य उपाय है जो तत्काल प्रभाव भी करता है और प्रभावित भी करता है अतएव इस माध्यम को अत्यन्त सजग और सावधान बनाने के दायित्वों का अनुशीलन करने के उपाय करना आवश्यक है।

महोदय, व्यक्ति से राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संचार माध्यमों का तथा भारतीय लोक कला शिक्षा संस्कृति, इतिहास और परम्पराओं और आदर्श मर्यादाओं की स्थापनाओं की इस महत्वपूर्ण विद्या को सार्थक सफल बनाने के सरकार उपाय करेंगी ऐसी में आशा करता हूं।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): धन्यवाद, महोदय। सर्वप्रथम, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। लगभग 17 माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और उन्होंने बहुत सी रचनात्मक बातें बताईं। लेकिन सबसे पहले, मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रशासनिक स्टाफ से जो भूख हड़ताल पर हैं, तुरन्त अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने और अनशन समाप्त करने की अपील करता हूं। ऐसा इसलिये क्योंकि श्री मोहन रावले ने इसी मुद्दे से अपनी बात समाप्त की है।

सर्वप्रथम, मैं बताना चाहता हूं कि यह समस्या मुझे राजग शासन से उत्तराधिकार में मिली है, न कि संप्रग सरकार से। राजग सरकार के समय कर्मचारियों ने कुछ विरोध किया जिसके कारण वे न्यायालय गए और न्यायालय ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम और अभियांत्रिकी विभाग को वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा, अतिरिक्त वेतन संरक्षण दिया जाना चाहिए। उस समय उन्होंने आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी। दूसरी ओर, उन्होंने धरने पर बैठने का प्रयास किया। तत्कालीन मंत्री मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे मेरे विशिष्ट सम्मानित पूर्ववर्ती थे। वे आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने उन्हें निलम्बित किया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की। आप लोगों ने उस समय इस मुद्दे को नहीं उठाया और यही कारण है कि अब यह नौबत आ गई है। जब मंत्री समूह ने इस पर पहली बार विचार किया कि उन्हें सरकारी कर्मचारी के पूर्ण दर्जे के साथ प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारी माना जाना चाहिए तो एक नई बात सामने आई और उन्होंने मांग की कि उन्हें दस साल पहले से समान वेतन दिया जाना चाहिए।

तब कर्मचारियों के अन्य बड़े समूह ने कहा कि यदि इन लोगों को यह लाभ दिये जाते हैं तो उन्हें भी एक बारगी वृद्धि दी जानी चाहिए। यह बहुत हास्यास्पद स्थिति है। मैंने उनके साथ तीन बार वार्ता की है। मैंने उन्हें बताया कि उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। चूंकि मंत्री समूह अभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और मैं उनके मामले को रख रहा हूं। तथापि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वे मंत्री समूह के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रतीक्षा किए भूख-हड़ताल आरंभ कर दी है। मैं उनसे अपील करता हूं, वे अपना अनशन समाप्त करें और इसी प्रयोजनार्थ मैं शीघ्र ही अपने संयुक्त सचिव को उनके पास भेज रहा हूं। मैं इस विषय पर मंत्री समूह से चर्चा करने से पहले 29 तारीख को उनके साथ पुन: बैठक करूंगा। तथापि, मैं मोहन रावले जी को फिर याद दिलाता हूं कि

[हिन्दी]

यह आप लोगों ने किया है और हमें सौंपकर चले गए। आपने कुछ नहीं किया।

श्री प्रबोध पाण्डा: आपने आश्वासन दिया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री समूह अभी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है। उससे पहले मैं कुछ भी कैसे कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: मोहन रावले जी ने उकसाया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं सम्मानित संसद सदस्यों से एनएएफईडी से भी बातचीत करने का निवेदन करता हूं जो 25,000 कर्मचारियों को नियंत्रित करता है जिन्होंने यह लाभ लिया है। दूसरी श्रेणियों के कर्मचारी भी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस प्रक्रिया में मुख्य संगठनों को तोड़ने का प्रयास न करें और उन्हें समझाएं। मैं यहां उनकी सहायता करने के लिए हूं। हमारी सरकार का यह स्पष्ट आदेश है कि कर्मचारियों के मुद्दे पर हमें हमेशा उदार और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सोचना है और उनका उत्पीड़न नहीं करना है जैसा कि राजग सरकार के समय किया गया था।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: उनका अनशन तो तुड़वा दें।

अध्यक्ष महोदय: मेहरबानी करके आप बैठ जाएं, क्योंकि समय कम है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस वाद-विवाद की प्रस्तावकर्ता श्रीमती सुमित्रा महाजन अभी यहां नहीं है। उन्होंने विनम्रता से सरकार और मंत्रालय के विरुद्ध आरोप लगाया कि हम मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है, हमारा रवैया लापरवाहीपूर्ण है और इसके कारण अनेक योजनाएं छोड़ दी गई है और उनमें से अनेक बदल दी गई हैं। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम योजना आयोग में अन्तिम अनुमोदन के लिए गए, तो कुछ पुरानी योजनाएं जिनकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है, हटा दी गई और कुछ योजनाओं का विलय कर दिया गया। तीन की बजाय वे दो हो गई हैं। अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमने कोई योजना छोड़ नहीं है, हमने योजना में नई जान डाल दी है और इसे नया आयाम दिया है।

मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन और उनके दल को अभी तक प्राप्त उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। राजग सरकार ने सामुदायिक रेडियो की अवधारणा केवल प्रस्तुत की थी लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं कर सकी। मेरे सम्मानित साथी श्री शरद पवार यहां हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्री समूह की बैठक हुई और हमने इसे आगे बढ़ाया और 19 फरवरी, 2006 को सामुदायिक रेडियो नेटवर्क के गठन और विस्तार संबंधी नीति घोषित की गई थी। आज देश में हर जगह इसकी मांग है। पिछला अन्तिम केंद्र जिसका मैंने उद्घाटन किया जादवपुर विश्वविद्यालय में स्थित था। विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञापन केंद्रों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य अनेक संस्थानों से ऐसे रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु अधिकाधिक अनुरोध प्राप्त हो रहे है। मैं दावा करता है कि संप्रग सरकार ने सामुदायिक रेडियो नेटवर्क के विस्तार का क्रांतिकारी कदम उठाया जो राजग सरकार नहीं कर सकी। अतः, मैं कहता हूं कि हम अपने काम के प्रति गंभीर है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर राज्य और उत्तर-पूर्व के राज्यों की लंबे समय से लंबित मांगों जिनकी राजग सरकार ने उपेक्षा की थी, को इस सरकार द्वारा पूरा किया गया। इस सरकार ने मई 2006 में उत्तरपूर्व राज्यों को एक विशेष पैकेज प्रदान किया। जिसमें साफ्टवेयर के लिये 122.55 करोड़ रुपये और हार्डवेयर हेतु 134.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर-पूर्व में यह एक क्रांतिकारी कदम था जिससे पोर्ट ब्लेयर, कोकराझार और अन्य अनेक स्थानों पर एचपीटी में अनेक सुधार हुए। उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जिसकी राजग शासन के दौरान पूरी तरह उपेक्षा की गई, पर ध्यान दिया गया। जम्मू-कश्मीर के लिए, मई 2006 में हमारे मंत्रिमण्डल द्वारा एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई जिसके तहत 143.32 करोड़ रु. प्रदान किए गए।

हम जम्मू और कश्मीर के लोगों की शिकायत सुनते रहे हैं कि वे हमारे क्षेत्र में भारतीय प्रसारण न सुन सकते है न देख सकते है लेकिन वे पाकिस्तानी टेलीविजन देख सकते हैं और रेडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं। 15 अगस्त, 2008 से हमें यह शिकायत नहीं मिलेगी क्योंकि इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी जरूरी उपकरण स्थापित कर दिए जाएंगे और उस दिन से चालू हो जाएंगे।

अतएव आप पायेंगे कि हमारी सरकार क्या परिवर्तन कर रही है और एनडीए सरकार ने क्या किए थे। श्रीमती सुमित्रा जी ने अनावश्यक ही ये आरोप लगाए हैं। मैं इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता हूं और मैं सविनय उन्हें जानकारी देता हूं और कहता हूं कि वह उपलब्धियों को देखने का प्रयत्न करें। यह वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष होने के नाते और पिछले वर्ष महात्मा गांधी के सत्याग्रह की शताब्दी के पूर्ण होने के कारण हम इस वर्ष भी स्वतंत्रता संग्राम के 151वें वर्ष को मना रहे हैं, यद्यपि यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए केवल प्रकाशन प्रभाग ने ही सत्याग्रह के गौरवग्रंथों, राष्ट्रीय क्रांतिकारी सैनानियों और विभिन्न अन्य साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन द्वारा 56.96 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। मैं सभा को जानकारी देना चाहूंगा कि प्रकाशन प्रभाग न केवल 'रोजगार समाचार' से लाभ कमा रहा है, बल्कि इसने आईआईटी, खड़गपुर से भी गठबंधन किया है, जो कि अब हमें मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में भी अतिरिक्त राजस्व प्रदान कर रहा है। मैं विनम्रतापूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि जबकि आपने अपने कार्यकाल के दौरान एनएफडीसी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को बंद करने का प्रयास किया था; जब आपने संगीत और नाटक प्रभाग को बंद करने का प्रयास किया था; जब आपने फोटो प्रभाग को बंद करने का प्रयास किया था; हमने उन्हें न केवल चालू रखा, बल्कि हमने उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाया और उनका और अधिक विस्तार किया। अतएव सबसे पहले इन दोनों सरकारों के मानदण्ड और दृष्टिकोण को पहले समझा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया मेरा संदर्भ मत दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप नहीं। कृपया इसे निजी रूप में न लें। आपकी सतत् पहलों और प्रयासों से लोक सभा चैनल ने संसदीय कार्यवाही के प्रसारण में और अधिक ऊंचाईयों को छुआ है, जोकि सर्वाधिक रचनात्मक है। आपकी पहलों और संपूर्ण सभा की सहायता से अब लोक सभा चैनल को देश में सभी लोगों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन कार्यक्रम के रूप में बताया जा रहा है। महोदय, मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने लोक सभा चैनल को अधिष्ठित और प्रोत्साहित किया है वह न केवल भारत में एक विशेष बात है, जहां तक संसदीय कार्यवाही और संसद के इतिहास का संबंध है बल्कि संपूर्ण एशिया में इस चैनल के समतुल्य कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा के सभी वर्गों का उनके विनम्र सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं मंत्री महोदय के हार्दिक सहयोग के लिए उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मैं एक साधारण और महत्वपूर्ण सुधार करना चाहूंगा। यह न केवल एशिया बल्कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा चैनल है, जिसका स्वामित्व और संचालन संसद के अधीन है। विश्व में ऐसा अन्य कोई चैनल नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अब, मैं माननीय सदस्य, श्री सुरेश प्रभु जो यहां उपस्थित नहीं हैं, को जानकारी देना चाहूंगा कि बंगलौर में भी 30 मिनट का एक कोंकणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी नामक स्थान में हमने यह काफी पहले प्रारंभ किरया था, हम प्रतिदिन कार्यक्रम प्रसारण करते हैं। पणजी में हम प्रतिदिन सायं 6 से 7.30 बजे तक और प्रत्येक शुक्रवार को सायं 6 से 8 बजे तक कोंकणी समाचार प्रसारित करते हैं। माननीय सदस्य ने मुझे रत्नागिरि में टेलीविजन प्रसारण और रेडियो प्रसारण में सुधार करने के लिये कहा था। मैं जवाब देना चाहूंगा कि इसे उनकी जानकारी के बिना एलपीटी से एचपीटी में संवर्धित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्राय: दौरा नहीं करते हैं। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि अगली बार मैं उन्हें स्वयं ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसका संवर्धन किस प्रकार किया गया है।

मैं विनम्रता और शालीनता के साथ माननीय सदस्यों को कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगा। मैं दावा करता हूं कि यह सरकार इस मंत्रालय के माध्यम से उपलब्धियां प्राप्त करने में सफल रही हैं।

अब, मैं 24 घण्टे के उर्दू चैनल पर आता हूं। यह न केवल अल्पसंख्यक जनसंख्या के कारण ही उपलब्ध नहीं है बल्कि जिस तरह से अब उर्दू चैनल कार्यक्रम और साफ्टवेयर विकसित किये जा रहे हैं, मैं ईमानदारी के साथ बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि यदि उनके पास ऐसा साफ्टवेयर होता तो उन्हें भी लाभ होता। इस प्रकार हमने उद्देश्यपरक ढंग से और बिना किसी भेदभाव के एक अलग आयाम में इस चैनल को आरंभ किया है। परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि अभी और अधिक साफ्टवेयर की आवश्यकता है मुझे इस वर्ष के अंत तक निधियां प्राप्त होने की आशा है। दूरदर्शन ने पहले ही उर्दू चैनल को मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठाये हैं। इस मामले में मैंने एक सशक्त उर्दू चैनल सलाहकार बोर्ड का गठन करने के लिए प्रसिद्ध संसद सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किए थे और मुझे विख्यात संसद सदस्य श्री हबीब तनवीर और कुछ अन्य नाम प्राप्त हुए, जिन पर मैं 15 अगस्त से पूर्व कार्यवाही करूंगा, ताकि उर्दू चैनल को एक नया आयाम प्राप्त हो सके। ऐसा पूर्ववर्ती सरकार के समय नहीं था। मैं एक अन्य मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि पहले राष्ट्रीय महत्व के खेलों जैसे हाकी या क्रिकेट का फाइनल हमारी टीम के प्रमुख टैस्ट मैचों या एक दिवसीय मैचों का प्रदर्शन केवल निजी चैनलों तक ही सीमित था, जिसके लिए हमें धन देना पड़ता था। अपने प्रिय मित्र बीसीसीआई अध्यक्ष और कृषि मंत्री श्री शरद पवार जिन्होंने इसका भार संभाला, के सहयोग से हम यह सब देखने के लिए स्थलीय चैनल में आम आदमी को शामिल करने में समर्थ हुए हैं। मैंने इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत किया था और संसद ने उसे स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी, मैं महसूस करता हूं कि अभी कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। मैं स्थलीय नेटवर्क पर डीडी स्पोर्टस की योजना बनाने के लिये योजना आयोग से संपर्क कर रहा हूं ताकि यदि मैं इसे स्थलीय नेटवर्क पर दिखाऊं, तो निजी चैनल इसका विरोध न कर सके। इसके लिए कम-से-कम 1200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यदि मुझे सहयोग मिलता है, तो मैं ऐसा कर दूंगा। यदि मुझे सहयोग नहीं मिलता है, तो मुझे श्री चिदंबरम से अनुरोध करना होगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं।

अब मैं डीएवीपी के बारे में बात करना चाहूंगा। मेरे विचार से श्रीमती सुमित्रा महाजन जी यहां नहीं हैं। हम सभी छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों के बारे में बात करते हैं। यूपीए सरकार का मापदण्ड क्या था। यूपीए का मपादण्ड था-छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के दैनिक समाचार-पत्रों को सर्वोपरि महत्व देना; अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों, बड़े दैनिक समाचार-पत्रों को अधिक महत्व न देना। हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है। हमने लघु स्तर के लिए इसे 10.52 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.56 प्रतिशत और मध्यम स्तर के लिए 24.53 प्रतिशत से बढ़ाकर 31.12 प्रतिशत और बड़े स्तर के लिए इसे 64.95 प्रतिशत से घटाकर 56.32 प्रतिशत कर दिया है। हमने अंग्रेजी समाचार-पत्रों हेतु इसे घटाकर 27.53 करोड़ रु. कर दिया और इसके परिणामस्वरूप हिन्दी और अन्य भाषाओं के समाचार-पत्रों के लिये यह बढ़कर 63.41 करोड़ हो गई। यूपीए सरकार का यह मापदण्ड है इसलिए हमारी आलोचना करने के लिये किसी एक मुद्दे को उठाने से पहले मापदण्ड और दृष्टिकोण को समझना चाहिए। राजग और संप्रग दृष्टिकोण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हम कितने चिंतित हैं।

मैं श्री तथागत सत्पथी की शिकायत को स्वीकार करता हूं। जी हां, न्यूजप्रिंट की कीमतों में वृद्धि के कारण नए छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्र संकट का सामना कर रहे हैं। इस मामले का समाधान करने और जहां तक न्यूजप्रिंट का संबंध है, छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के साथ न्याय करने के लिए अगले सप्ताह इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के साथ मेरी बैठक होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन उसमें संसद की कोई खबर नहीं थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मंत्री महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। आप न्यूजप्रिंट की बात कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: न्यूजप्रिंट मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह वाणिज्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

श्री खारबेल स्वाईं: कल, यहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की गई थी और इसके बारे में कहीं भी कोई खबर प्रकाशित नहीं की गई है। यदि ऐसा ही है, तो हम समाचार-पत्रों को न्यूजप्रिंट क्यों दें? मैं यही बात कहना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि कम से कम किसी बात पर हम एक दूसरे की बात से सहमत हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: हम उन्हें व्यर्थ में न्यूजप्रिंट क्यों दें? वे कुछ भी प्रकाशित नहीं करते *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपकी चिन्ता को समझता हूं। इस सभा में रक्षा और ग्रामीण विकास के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। यहां तक कि मूल्यवृद्धि पर हुई चर्चा को भी बहुत कम कवरेज मिला, लेकिन रक्षा और ग्रामीण विकास *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लेकिन शरद जी का भाषण नहीं।

श्री तथागत सत्पथी: केवल अंग्रेजी मीडिया ही उपेक्षा कर रहा है। यहां पर हमने यही नोट किया है। क्षेत्रीय मीडिया इन चीजों को कवर करता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सभा में आश्वासन दे सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यहां भाजपा और बीजद के बीच झगड़ा न करें।

अध्यक्ष महोदय: आप उनका पत्र नहीं पढ़ते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने यह मामला नोट कर लिया है। मैं हैरान हूं कि ऐसा हुआ है। मैं टकराव में नहीं अपितु बातचीत और समझाने-बुझाने में विश्वास करता हूं। अगले सप्ताह मैंने इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित सभी मामलों जिन्हें सदस्यों ने आज उठाया है के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही करने की योजना बनाई है। मैं इन सभी मुद्दों पर संसद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक करने जा रहा हूं। तत्पश्चात् हम निर्णय लेंगे कि हम क्या योजना तैयार करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक स्वतंत्र देश में नियंत्रण, विनियमन और हस्तक्षेप कोई समाधान नहीं है। हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए. बातचीत करने के द्वारा बहुत कुछ किया गया है। बातचीत करने के माध्यम से हमने राष्ट्र के समक्ष आए बड़े संकटों को दूर किया है।

[हिन्दी]

हम डंडे से काम नहीं लेंगे, डिसकशन करके काम करेंगे।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यही दृष्टिकोण है। मैं अश्लीलता के मामले पर अभी बात करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: केवल डंडा खाएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं पुनः माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

करूणा शुक्ला जी बैठी हैं। मैं उनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। वह आंकड़ा सुनकर न घबराएं। मैंने अपने रीजिम में कुछ चैनल्स को कुछ दिनों के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया। मैं उनकी बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, 280 नोटिस और कारण बताओं नोटिस किये गए और हमने अनेक चैनलों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की। हमने पूर्व शासन काल की अनेक चीजों की तुलना में यह किया है। मैं इसे तथ्यों के माध्यम से सिद्ध कर सकता हूं।

[हिन्दी]

आप जिस स्कूल की टीचर के बारे में कह रही हैं,

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[अनुवाद]

न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई करने से पहले मंत्रालय ने कार्रवाई की और चैनल को एक माह के लिए बंद कर दिया। निसंदेह, उनकी शिकायत सुनना और उस पर कार्रवाई करना हमारा कर्त्तव्य है। अत: ऐसा नहीं है कि हमने कार्रवाई नहीं की। कभी-कभी लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं नैतिकता का ठेकेदार बन गया हूं लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जनता, विद्यार्थियों, युवाओं और बच्चों की भावनाओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं।

मैं श्रीमती जयाप्रदा और अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए बाल फिल्मों के मामले पर आता हूं। संप्रग के विजन में पहली बार हमने बाल फिल्म देखने के लिए 2 रु. के टिकट को भी समाप्त कर दिया है, जो पहले नहीं किया गया था। जब संप्रग अध्यक्ष बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करने गई, तो उन्होंने इसकी घोषणा की और हम उस आश्वासन को पूरा कर रहे हैं। अब, बच्चे बाल फिल्में नि:शुल्क देख सकते है। यह भी संप्रग सरकार का ही निर्णय था। बाल फिल्मों के लिए पिछले दस वर्षों की तुलना में अधिक धन मुहैया कराया जा रहा है ताकि प्रतिभाशाली लोग आएं और बच्चों के लिए फिल्में बना सकें। यह हमारी विजन है।

अब, मैं संस्थानों की बात पर आता हूं। श्रीमती सुमित्रा महाजन ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। दसवीं योजना में सत्यजीत रे फिल्म संस्थान को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने अथवा पुणे में एशियन माडल अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई परिकल्पना नहीं की गई थी। यह हमारे शासन काल में 11वीं योजना में किया गया है और इसके लिए सम्पूर्ण राशि आबंटित कर दी गई है। अत:, कृपया अपने आंकड़ों और तथ्यों की पुष्टि कर लें और गलत जानकारी पर विश्वास न करें।

मैंने बंगाल के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ सत्यजीत रे फिल्म संस्थान देखा है। हमने इस संस्थान के लिए पिछले छह वर्षों में आबंटित राशि से छह गुना अधिक राशि आबंटित की है। हमारे द्वारा खरीदे गए उपकरण भारत के किसी प्राइवेट स्टूडियो में नहीं हैं। हमने ये उपकरण सत्यजीत रे फिल्म संस्थान के लिए खरीदे हैं। नए पाठ्यक्रमों के लिए मुझे योजना आयोग से संपर्क करना होगा। यदि वे इसकी लागत स्वीकृत कर दें, तो निसंदेह हम इन्हें शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रगति कर रहा है और श्री बुद्धदेव दासगुप्त जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इस संस्थान के अध्यक्ष बनने पर सहमत हो गए हैं जो संस्थान को एक नई दिशा देंगे। अत: हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि एक नए दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा कर रहे हैं।

जहां तक कार्यक्रम का संबंध है,

[हिन्दी]

करुणा जी ने कहा कि सब सरकार की चीजे दिखायी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे चैक नहीं किया। मैं उनको एक दिन आमंत्रित करूंगा और वह एक घंटे का टाइम लेकर आएं। मैं उनको चाय पर बुलाऊंगा। आप देखिए कि पिछले पांच सालों में जब एनडीए रीजिम था, उस तरफ बैठ कर हमारे नेता या दूसरे कोई कुछ बोलते थे, उसे हल्का सा एक मिनट के लिए भी नहीं दिखाया जाता था। आज आप दोनों कैसेट्स मिला कर देखें तो सारी स्थिति मालूम हो जाएगी। विरोधी दल के लोग जब एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं या कोई भाषण करते हैं, उसे काफी कवरेज मिलती है लेकिन एनडीए के समय एक गुना भी कवरेज नहीं मिलती थी। मैंने दोनों कैसेट्स की छानबीन की है। इसलिए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक दिन आकर देखिए कि हमारा कवरेज कितना आब्जैक्टिव है। हम कभी प्रसार भारती में इंटरफियर नहीं करते हैं। एक दिन इंटरफियर किया। मैंने कहा कि बच्चे जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह कैसे झंडा फयराएंगे और पिछले समय किसने कैसे झंडा फहराया? हमने सब का दिखाया। वाजपेयी जी ने कैसे झंडा फहराया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कैसे झंडा फहराया और मोरारजी भाई ने कैसे झंडा फहराया, सब का दिखाया क्योंकि हम देश के लोगों को दिखाना चाहते थे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री कैसे झंडा फहराते थे?

[अनुवाद]

यह वास्तविकता है जो मैंने संप्रग शासन में जानी है, दुर्भाग्यवश यह राजग शासन में नहीं थी। मुझे यह कहते हुए खेद है।

[हिन्दी]

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है लेकिन मैं तीन-चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। फिल्म फेस्टीवल यूपीए रिजीम में कितना कारगर बना, आप इसे सुनिए।

[अनुवाद]

महोदय, कान फिल्म महोत्सव विश्व का एक प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव है। हमारी सरकार और मंत्रालय इस समारोह में भारत की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर, उसके सम्मान में विश्वव्याप्री भावना जागृत करने में सफल रहे हैं। महोत्सव में भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था; इस वर्ष वहां अलग से भारतीय मंच और भारतीय डेस्क की व्यवस्था की गई थी; यह अनोखी बात है। यह सब भारत को सम्मान देने के लिए किया गया था। यह हमारे प्रबोधन का स्तर है।

महोदय, कान फिल्म महोत्सव में दो अन्य बातें हुई। उन्होंने मोटे तौर पर फिल्म उद्योग में भारत के योगदान की सराहना करने के लिए उस प्रदर्शन में हमारी कुछ फिल्मों का चयन किया। ऐसा पहले नहीं हुआ था। यह हमारी सरकार का प्रयास था।

महोदय, मैं फिल्म अभिलेख के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। राजग सरकार ने फिल्म अभिलेख और अन्य चीजों की पूरी तरह उपेक्षा की थी। क्या उन्होंने फिल्म प्रभाग के बहुमूल्य साज-समान का संरक्षण करने के तरीके ढूंढने के बारे में कभी सोचा? माननीय प्रधानमंत्री और संप्रग अध्यक्ष ने एक निजी रात्रि भोज में मुझे सुझाव दिया कि दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसे साज-समान का संरक्षण उचित रीति से किया जाना चाहिए। हमने पहली बार इस उद्देश्य के लिए निधियां आबंटित की और मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अभिलेखों का तीन-चौथाई कार्य पूरा हो गया है और डिजीटलीकरण का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, इस सरकार ने मुम्बई के गुलशन महल स्थित फिल्म प्रभाग परिसर में इतिहास को जीवंत बनाए रखने के लिए चल-चित्र की अवधारणा तैयार की है। हमने संग्रहालय में चित्रों का संरक्षण करने के लिए अत्यधिक धनराशि आबंटित की है। यह एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब कभी वे मुम्बई जाएं तो कम से कम एक बार संग्रहालय अवश्य जाएं और स्वयं अनुभव करें कि 10 वर्ष पहले यह कैसा था और अब कैसा है। इस प्रकार यह सरकार प्रत्येक पहलू पर ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

सरदार पटेल जी ने कैसे जहाज में नारियल फोड़ा, आप इसका लाइव देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि मोरारजी भाई ने कैसे ओथ लिया, वह भी देखेंगे। आप देखना चाहते हैं कि उस जमाने में फिल्म में कैसे डायलाग होते थे तो वह भी देखेंगे। हमने सब कुछ इतने ढंग से किया कि जो देखता है वही कहता है कि इतना बढ़िया काम कभी नहीं हुआ, यह यूपीए का विजन है, इसे मानकर चलिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यहां तक कि आप हमारे संसदीय संग्रहालय में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को भी देख सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, मैं यहां एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले 20 वर्षों से सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न फिल्म पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बहुत कम थी। पहली बार, हमने विभिन्न पुरस्कारों की पुरस्कार राशि को पांच गुना वृद्धि की है। दादासाहेब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की पुरस्कार राशि मात्र एक लाख रु. ही क्यों रखी जाए? पुरस्कारों की विषय वस्तु में भी परिवर्तन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष से हम 'लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड' भी दे रहे हैं। इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए बंगाल से श्री तपन सिन्हा, तमिलनाडु से श्रीमती वी. सरोजा, मुम्बई से सुश्री लता मंगेशकर और श्री दिलीप कुमार का चयन किया गया है। यह भी इस मंत्रालय की उत्पत्ति और उपलब्धि है। 'लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड' के लिए चयन किए गए व्यक्तियों के बारे में कोई विरोधाभास नहीं हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि हमारा कोई मापदण्ड तथा दृष्टिकोण बिलकुल अलग है।

महोदय, भारत निर्माण के मामले में, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता। भारत निर्माण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का चेहरा कितनी बार दिखाई देता है? भारत निर्माण कार्यक्रम में मंत्रियों को चेहरे कितनी बार दिखाई देते है? लेकिन हम सभी जानते हैं कि 'इंडिया शाइनिंग' कार्यक्रम में हमने किन-किन लोगों का चेहरा देखा था। यह दिखाने के लिए उसके कैसेट्स हैं। अतः, कृपया आप सरकार के कार्य की वास्तविकता और पारदर्शिता को समझने का प्रयास करें। यह मीडिया का काम है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं कीजिए।

...*(व्यवधान)**

जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा और जब तक इस ग्रह पर सूरज और चांद चमकते रहेंगे, आप इस देश के इतिहास में से महात्मा गांधी और नेहरू के नाम नहीं मिटा सकते। उस बारे में मैं क्या कर सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

अन्य सभी वक्तव्य अनधिकृत हैं और उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे गर्व है कि भारत में कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, उन्हें संबोधित मत कीजिए। कृपया, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि दलगत भावना से इतर देश में कुछ महान शहीद हुए हैं। ऐसे कुछ परिवार हैं, जिन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बढ़िया काम किया और हमारे देश के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम केवल आपके अनुरोध अथवा सुझाव पर उनके नाम नहीं हटा सकते।

मुझे लगता है कि आपको एक कार्य के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बधाई देना चाहिए।

[हिन्दी]

सब लोगों ने कहा कि सुबह उठकर भूत-प्रेत के चैनल और एस्ट्रालोजी के चैनल देखते हैं, दूरदर्शन क्यों नहीं देखते हैं और महात्मा गांधी की वाणी सुनते हैं। महात्मा गांधी की शाश्वत वाणी और सत्याग्रह का मैसेज सबको कितना अच्छा लगता है, उसके ऊपर आपकी नजर नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि घबराइये नहीं, यह चलता रहेगा।

[अनुवाद]

मैं सभा में विश्वास दिलाता हूं कि यहां उठाए गए कुछ मुद्दों पर मैं संबंधित एजेंसी को बुलाकर उनसे चर्चा करूंगा। हमारे केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। मैं श्री राम कृपाल यादव से सहमत हूं। मैं इस पर विचार करूंगा। मैं विधि मंत्रालय और राज्य सरकारों से चर्चा करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां तक निगरानी का संबंध है, उसका एक भाग राज्य सरकार के अधीन है। मैं राज्य सरकारों की अवहेलना करके केंद्र में बैठकर इस एकपक्षीय रूप से नहीं कर सकता। हमने तमिलनाडु केबल कारपोरेशन में एफएसओ के क्षेत्र में बढ़िया कार्य किया है। गरीब लोगों को यह कम मूल्य पर प्राप्त हो रहा है। हम सीएएस क्षेत्रों में सस्ती दर पर दे रहे हैं और हम इसका और अधिक क्षेत्रों तक विस्तार करेंगे। ट्राई ने पहले ही अपनी सिफारिश दे दी है। लेकिन मुझे आशा है कि हम अपने पास उपलब्ध निर्धारित समय-सीमा में ही मीडिया और फिल्म क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य पूरा कर लेंगे जैसा कि आपने राजग शासन में कल्पना की होगी। ऐसा मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूं। यह कोई दोष-सिद्धि नहीं है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए और मंत्रालय पर भरोसा रखिए। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम केवल सच्चाई बता रहे हैं और मैं आपको विश्वसनीयता के बारे में बताऊंगा, जिसका मैं अन्त में अवश्य उल्लेख करता हूं।

अध्यक्षपीठ की अनुमति से महोदय आपकी अनुमति से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने एक दिन मुझे बताया कि सोने से पहले वे डीजी-न्यूज और रेडियो पर समाचार सुनते हैं। मैं आप सभी से प्रत्येक चैनल देखने का अनुरोध करता हूं। किसी चैनल का अपमान मत कीजिए। कोई भी चैनल बुरा नहीं है। कुछ चैनल वस्तुनिष्ठ हैं।

कुछ चैनल सनसनी फैलाते हैं और कुछ चैनल 20 बार ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं परन्तु हमें पता होना चाहिए कि हम किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। सभा को इसकी जानकारी होनी चाहिए और मुझे सभा के संरक्षण की आवश्यकता है।

टी आर पी एक गेम प्लान है। यह कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। भारत की 100 करोड़ जनसंख्या में से बड़े महानगरों में लगभग 600 घरों का चयन किया जाता है जो मीटर संचालित करते हैं और पूरे बिहार पूरे पूर्वोत्तर और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करते हुए कार्यक्रमों को रेटिंग प्रदान करते हैं। आप देखिए कि क्या हो रहा है। दरों में वृद्धि करने के लिए यह रीडिंग स्टाक मार्केट की तरह ऊपर नीचे होती है। और दूरदर्शन इसके लिए संघर्ष कर रहा है। मैं अकेला ऐसा मंत्री हूं, जिसने आगे बढ़कर हस्तक्षेप किया तथा बैठकों का आयोजन किया तथा उसके तुरन्त बाद मुंबई के लिए रवाना होने से पहले मुझे पांच धमकी भरे फोन आए। आपकी अपनी पार्टी की सदस्य-मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप उसे पार्टी से निकाल देंगे-ने सबसे पहले यह जानकारी दी कि इस संबंध में किस प्रकार जोड़-तोड़ की जा रही है। उसे भी फोन पर धमकी दी गई थी। यह वह कार्य प्रणाली है, जो कि आपने विकसित की है और मैं इस प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा है कि मैं सफल रहूंगा और पूरा विश्व देखेगा कि इस क्षेत्र में एक दिन पारदर्शिता कायम होगी। अंत में, मैं समय पर समाचार देने के लिए प्रसार भारती के कर्मचारियों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

भोजपुरी बिना कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

आप केवल असम का मामला उठाते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है। बच्चे इस चिंता में हैं कि उनमें भाग लेने के लिए वहां जाए अथवा नहीं। फिर भी वे अपने बच्चों को राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए भेजते हैं। इन खेलों को किसी निजी चैनल ने कवर नहीं किया है। केवल प्रसार भारती ने उसे कवर किया है। यह उनके कार्यकरण का तरीका है।

[हिन्दी]

भोजपुरी चैनल के लिए राम कृपाल यादव जी ने जो बोला है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से चैनल होता है, उसके शेड्यूल में आने के लिए होम मिनिस्ट्री में चर्चा चल रही है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैंने एक प्राइवेट चैनल को परस्यू करके भोजपुरी चैनल चालू कर दिया है। लेकिन दूरदर्शन के द्वारा इसके ऊपर सबसे ज्यादा महत्व मैं 15 अगस्त को दूंगा।

सर किसानों के प्रोग्राम के बारे में चर्चा आई है।

[अनुवाद]

मैं, कृषि मंत्री का आभारी हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा करने हेतु अत्यधिक धनराशि प्रदान की। हमें कृषि संबंधी कार्यक्रमों और कृषि गतिविधियों की संख्या बढ़ानी होगी। ऐसे बहुत से चैनल हैं, जिन पर कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। परन्तु, मैं प्रसार भारती बोर्ड से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की जांच करे कि क्या कृषि संबंधी चैनलों पर कार्यक्रमों हेतु ऐसे घटों का चयन किया जा सकता है, जब ग्रामीण लोग खेतों में न हों। यदि ऐसे कार्यक्रम दिन के समय दिखाए जाते हैं, तो वे लोग इन कार्यक्रमों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस समय वह खेतों में होंगे। उन्हें इन कार्यक्रमों की जानकारी कैसे मिलेगी? इस प्रकार डीडी और प्रसार भारती की उपलब्धियां हैं।

पहली बार हम पाइरेसी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने एक अच्छा अधिनियम अधिनियमित किया है। मैं फिल्म उद्योग और पाइरेसी के मुद्दे को अत्यधिक महत्व देता हूं। फिक्की और सीआईआई ने मुझे एक अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। श्रीमती शबाना आजमी ने एक समिति की अध्यक्षता की। हमें उसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। हम मुंबई में एक पूर्ण सम्मेलन करेंगे और इस मामले में एक नीतिगत निर्णय लेंगे ताकि डिजीटलीकरण के तकनीकी पद्धति और राज्य सरकार की प्रशासनिक पद्धति दोनों के माध्यम से पाइरेसी का सामना किया जा सके। मैं आज केवल यही कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप पांच मिनट और बोल सकते हैं। अन्यथा, मुझे किसी और मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को उठाना होगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारा मंत्रालय पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों को समय देने का प्रयास करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता जो कि हमारी सरकार ने एफएम रेडियो के संबंध में बनाए रखी-मैं अपनी बात दोहराता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के कारण-हम एफएम रेडियो हेतु बोली प्रक्रिया में ही 1500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। *...(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: एफएम रेडियो में एकाधिकार के विषय में आपके क्या विचार है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: एफएम रेडियो में व्यापक एकाधिकार संचालन के संबंध में मैं श्री तथागत सत्पथी से सहमत हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति चल रही है। हमें इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से लगातार ध्यान देना होगा।

मीडिया द्वारा मुझे बदनाम किए जाने की कीमत पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसी पद्धति लागू करने जा रहा हूं। जिसमें पूरी जानकारी को प्रत्येक वर्ग के साथ बांटा जा सकता है न कि केवल कुछ चयनित सभाओं के द्वारा। यह सत्य है कि कई नामों से वे बोली लगाते हैं और उन पर कब्जा कर लेते है।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्माण 'क्रान्ति यात्रा' को देखने के लिए अगले सत्र के दौरान दो दिन का समय निकालें। *...(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह बता चुका हूं कि जीओएम एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे का निपटान कर देगा।

क्रान्ति यात्रा के संबंध में, मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि वह आएं और यह देखें कि इसका निर्माण कैसे किया गया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आम कलाकार जिन्हें अच्छा पारिश्रमिक नहीं मिलता है ने किस स्तर का कार्य किया है। फिर भी मेरा यह दावा है कि यह बहुत उत्कृष्ट कार्य है। मैं माननीय अध्यक्ष को भी अगले सत्र में ले जाऊंगा।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

इसमें प्लासी की लड़ाई से आरंभ करके सिपाहियों की बगावत, पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त तक का वर्णन किया गया है। पूरा निर्माण, प्रकाश और छवि के माध्यम से बहुत उत्कृष्ट रूप से दिया गया है। कई विशेषज्ञों ने मुझे इसमें सुधार करने का परामर्श दिया। हमारी इसका उन्नत संस्करण तैयार करने की योजना है। हम सभी संसद सदस्यों को इसे देखने के लिये ले जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कोलकाता उत्तर-पूर्व): भगत सिंह की जन्मशती पर वृत्तचित्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अनेक लघु फिल्में और अन्य कार्यक्रम निर्मित किए गए हैं।

मैं सभा को आधिकारिक रूप से सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की स्मृति में एक फीचर फिल्म बनाने का कार्य सौंपा है। श्री श्याम बेनेगल, श्री यश चोपड़ा, श्री जावेद अख्तर और श्री के.एल. यादव, इतिहासकार को सम्मिलित कर एक समिति गठित की गई थी। इन्होंने विस्तृत चर्चा के उपरांत जिसमें हमने हस्तक्षेप नहीं किया। निर्णय लिया है और फिल्म का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। फिल्म का शीर्षक 'तथिया' होगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये का योगदान किया जाएगा और 25 करोड़ रुपये का योगदान निजी निर्माता द्वारा किया जाएगा। सरकार को उसका पूरा पैसा वापस किया जायेगा और वह अपने लिए धन स्वयं कमाएगा। यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म जगत में हमारा नाम सबसे ऊपर है। अफ्रीकी बाजार में, यूरोपियन बाजार में, और अन्यत्र भी भारतीय फिल्मों की मांग है। वस्तुतः हमारा न्यूज स्टाफ हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जन-जन तक पहुंचाता है। ...*(व्यवधान)* हां, कुछ फिल्में असफल होती हैं। हमे इसका दोष नहीं दिया जा सकता। मंत्रालय फिल्में नहीं बनाता है, परन्तु कुछ बहुत अच्छी और बेहतर फिल्में आ रही हैं। मैं वादा करता हूं और सभा को आश्वस्त करता हूं कि एनएफडीसी नई प्रतिभाओं और इस. क्षेत्र में अनुभवी प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित करने के लिए धन का निवेश एक नया कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है देश के फिल्म क्षेत्र में नई कला फिल्मों और रचनात्मक फिल्मों का निर्माण किया जा सके। यद्यपि पूर्व सरकार एनएफडीसी को बंद करने जा रही थी, मैंने इसे चालू रखा और मेरे प्रिय मित्र श्री पी. चिदम्बरम, कम से कम कुछ धन यहां लगाने पर विचार कर रहे है। हम सब उनके आभारी हैं। ...*(व्यवधान)* मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आभारी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके समक्ष श्री चिदम्बरम जी से अनुरोध करूंगा कि यदि वित्त मंत्रालय अगले छह माह के लिए उदारता का परिचय दे तो जहां तक फिल्मों और एनएफडीसी का संबंध है सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रदर्शन उत्कृष्ट होगा। ...*(व्यवधान)*

जहां तक कर्मचारियों के मुद्दे का संबंध है, सरकार उन पर चर्चा करती है। मैं सभा में वास्तविक कार्यवाही पर चर्चा नहीं कर सकता। मैं इसे मंत्री समूह के साथ अंतिम बैठक में उठाऊंगा और सभापति श्री शिवराज पाटिल का प्रसार भारती के मुद्दे और अन्य मुद्दों के प्रति काफी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है।

इसलिए, मैं एक बार पुनः भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से अपनी भूख हड़ताल तोड़ने और 29 को मुझे उनसे बात करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध करता हूं ताकि मंत्री समूह को इसकी वस्तुपरक रिपोर्ट दे सकें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन: महोदय वे अभी भूख हड़ताल पर हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कृपया सुनिए, कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता। केवल यही आश्वासन है कि मैं उनसे 29 को बात करूंगा और मंत्री समूह को वस्तुस्थिति से अवगत करवाऊंगा। यही मेरा आश्वासन है ...*(व्यवधान)* मैं इसे यथाशीघ्र करूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जो काम आपने नहीं किया, उसके बारे में रावले जी आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय: आपको तो एप्रिशियेट किया है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाप्रदा: अध्यक्ष महोदय, जो डेली वेजेज के वर्कर्स हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट इंडस्ट्री में डेली वेज गवर्नमेंट डिटरमिन नहीं करती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी क्या आप चाहते हैं आपकी मांगें पारित की जाए या नहीं?

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा: फिल्म उद्योग को सरकार द्वारा एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप जरा पैसा कम लीजिए, उनको ज्यादा मिल जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं क्षमा चाहता हूं। यहां समय महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे आपको चाय इत्यादि पर बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें समय का ध्यान रखना है। श्रीमती जयाप्रदा जी, यह आप जानती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाप्रदा जी, आप क्या कर रही हैं? यह नहीं किया जा सकता। आपको इन बातों का पता होना चाहिए। आप इस सभा की पुरानी सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 18 पर आते हैं, यद्यपि यह पूर्णतः न्यायालयीय नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या कर रहे हैं आप?

[अनुवाद]

आप जानते हैं कि शाम के 6 भी बजते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल)**:** महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई कार्य नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मंत्रालयों/विभागों के संबंध में बकाया अनुदानों की मांगों को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया उन्हें स्पष्ट करें कि उन्हें भत्ते प्राप्त नहीं होंगे।

सायं 6.00 बजे

बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा जाना (गिलोटीन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की बकाया मांगें सभा में मतदान हेतु रखूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्या(ओं) के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:-

1. कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3;
2. परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5;
3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 6 और 7;
4. नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 8;
5. कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 9;
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 10 और 11;
7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 12 से 14;
8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 15 और 16;
9. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 17;
10. संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 18;
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 27;
12. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 28;
13. पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 29;
14. विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 30;
15. वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 31 से 33, 35, 36, 38 से 44;
16. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 45;
17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 46 से 48;
18. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 49 और 50;
19. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 56;
20. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 57 और 58;
21. श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 60;
22. विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 61 और 62;
23. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 64;
24. खान मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 65;
25. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 66;
26. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 67;
27. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 68;
28. पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 69;
29. संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 70;
30. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 71;
31. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 72;
32. योजना मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 73;
33. विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 74;
34. लोक सभा से संबंधित मांग सं. 76;
35. राज्य सभा से संबंधित मांग सं. 77;
36. उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग सं. 79;
37. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 83 से 85;
38. पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 86 और 87;
39. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 88;

40. अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग सं. 89;

41. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 90;

42. इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 91;

43. वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 92;

44. पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 93;

45. जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 94;

46. शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 100 से 102;

47. जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 103;

48. महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 104; और

49. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 105"।

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-2009 के लिए विभिन्न मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित अनुदानों की मांगें-बजट (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 2008 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2117,89,00,000	14,24,00,000	8337,31,00,000	76,21,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	446,67,00,000		2233,33,00,000	...
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	320,98,00,000	2,67,00,000	1036,99,00,000	13,33,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
4.	परमाणु ऊर्जा	482,83,00,000	333,84,00,000	2436,41,00,000	1669,42,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	247,31,00,000	254,48,00,000	1239,09,00,000	1272,40,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
6.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	30,22,00,000	8,37,00,000	266,58,00,000	41,83,00,000
7.	उर्वरक विभाग	6868,64,00,000	7,67,00,000	27466,87,00,000	38,37,00,000
नागर विमानन मंत्रालय					
8.	नागर विमानन मंत्रालय	79,34,00,000	28,66,00,000	396,72,00,000	143,32,00,000
कोयला मंत्रालय					
9.	कोयला मंत्रालय	57,58,00,000	5,00,00,000	287,92,00,000	25,00,00,000

1	2	3	4	5	6
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
10.	वाणिज्य विभाग	470,62,00,000	118,50,00,000	2353,12,00,000	592,50,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	103,91,00,000	8,33,00,000	569,54,00,000	41,67,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
12.	डाक विभाग	1260,35,00,000	71,10,00,000	6301,81,00,000	355,51,00,000
13.	दूरसंचार विभाग	989,88,00,000	33,46,00,000	4949,37,00,000	167,29,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	252,75,00,000	16,58,00,000	1363,75,00,000	82,92,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
15.	उपभोक्ता मामले विभाग	38,67,00,000	5,34,00,000	193,32,00,000	26,70,00,000
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	5622,58,00,000	62,57,00,000	28112,97,00,000	312,88,00,000
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	26,33,00,000	7,50,00,000	131,67,00,000	37,50,00,000
संस्कृति मंत्रालय					
18.	संस्कृति मंत्रालय	163,11,00,000	7,72,00,000	815,57,00,000	38,60,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय					
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	221,08,00,000	23,92,00,000	1106,42,00,000	119,58,00,000
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
28.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	91,34,00,000	70,81,00,000	456,68,00,000	354,07,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	279,45,00,000	5,06,00,000	1397,22,00,000	25,27,00,000
विदेश मंत्रालय					
30.	विदेश मंत्रालय	799,63,00,000	140,99,00,000	3416,41,00,000	704,94,00,000
वित्त मंत्रालय					
31.	आर्थिक कार्य विभाग	687,47,00,000	99,85,00,000	3437,37,00,000	499,27,00,000
32.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1210,60,00,000	468,20,00,000	6053,04,00,000	2341,03,00,000
33.	वित्तीय सेवा विभाग	10,00,00,000	...	49,98,00,000	2,00,000

1	2	3	4	5	6
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	8680,56,00,000		43402,78,00,000	...
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		60,00,00,000	...	300,00,00,000
38.	व्यय विभाग	6,98,00,000	1,00,00,000	34,88,00,000	5,00,00,000
39.	पेंशन	1321,79,00,000		6608,97,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	207,28,00,000	49,00,000	1036,42,00,000	2,46,00,000
41.	राजस्व विभाग	1551,65,00,000	14,00,000	4645,33,00,000	68,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	315,00,00,000	70,33,00,000	1456,98,00,000	132,67,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	300,77,00,000	148,36,00,000	1503,83,00,000	166,84,00,000
44.	विनिवेश विभाग	350,00,000	388,33,00,000	17,50,00,000	1941,67,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	42,43,00,000	7,40,00,000	212,17,00,000	37,00,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2992,51,00,000	155,28,00,000	14962,52,00,000	776,40,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	103,50,00,000	33,00,000	517,50,00,000	1,67,00,000
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	88,63,00,000		443,12,00,000	
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय					
49.	भारी उद्योग विभाग	35,83,00,000	98,71,00,000	179,13,00,000	493,53,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	2,42,00,000		12,08,00,000	
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
56.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	117,50,00,000	25,00,000	737,50,00,000	1,25,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	6637,00,00,000		34030,00,00,000	
58.	उच्च शिक्षा विभाग	1593,98,00,000	...	9258,89,00,000	...

1	2	3	4	5	6
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	352,89,00,000	2161,00,000	2015,47,00,000	108,04,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय					
61.	निर्वाचन आयोग	2,58,00,000		12,92,00,000	
62.	विधि और न्याय	114,31,00,000	1,00,000	571,53,00,000	2,00,000
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय					
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय	182,67,00,000	139,00,000	1748,44,00,000	692,00,000
खान मंत्रालय					
65.	खान मंत्रालय	64,51,00,000	863,00,000	322,55,00,000	43,17,00,000
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय					
66.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	156,47,00,000	1250,00,000	782,36,00,000	62,50,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	98,98,00,000	5,03,00,000	494,91,00,000	25,17,00,000
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय					
68.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	9,17,00,000	1,67,00,000	45,83,00,000	8,33,00,000
पंचायती राज मंत्रालय					
69.	पंचायती राज मंत्रालय	796,75,00,000		3983,75,00,000	
संसदीय कार्य मंत्रालय					
70.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,00,00,000		5,00,00,000	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	59,20,00,000	7,50,00,000	319,52,00,000	39,51,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	485,50,00,000	...	2452,50,00,000	...
योजना मंत्रालय					
73.	योजना मंत्रालय	15,96,00,000	1,67,00,000	610,04,00,000	16,33,00,000
विद्युत मंत्रालय					
74.	विद्युत मंत्रालय	1014,87,00,000	51,09,00,000	5074,33,00,000	255,47,00,000

1	2	3	4	5	6
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय					
76.	लोक सभा	52,37,00,000		271,10,00,000	
77.	राज्य सभा	19,00,00,000		94,98,00,000	
79.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	28,00,000		1,41,00,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	287,25,00,000	11,15,00,000	1436,23,00,000	55,75,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	345,23,00,000	1,10,00,000	1726,17,00,000	5,50,00,000
85.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	153,17,00,000		765,83,00,000	
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
86.	नौवहन विभाग	175,42,00,000	62,46,00,000	877,09,00,000	352,78,00,000
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग				
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	383,33,00,000	23,17,00,000	1936,67,00,000	115,83,00,000
अंतरिक्ष विभाग					
89.	अंतरिक्ष विभाग	382,35,00,000	296,53,00,000	1911,76,00,000	1482,67,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	312,45,00,000	4,05,00,000	1562,27,00,000	20,23,00,000
इस्पात मंत्रालय					
91.	इस्पात मंत्रालय	17,34,00,000	2,58,00,000	86,68,00,000	12,92,00,000
कपड़ा मंत्रालय					
92.	कपड़ा मंत्रालय	510,76,00,000	43,16,00,000	2553,77,00,000	215,82,00,000
पर्यटन मंत्रालय					
93.	पर्यटन मंत्रालय	81,00,00,000	93,50,00,000	405,00,00,000	467,50,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय					
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	43,84,00,000	8,34,00,000	219,21,00,000	41,67,00,000

1	2	3	4	5	6
शहरी विकास मंत्रालय					
100.	शहरी विकास मंत्रालय	191,04,00,000	817,98,00,000	744,72,00,000	1201,40,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	132,35,00,000	59,20,00,000	661,77,00,000	295,98,00,000
102.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	36,85,00,000	2,00,000	184,27,00,000	11,00,000
जल संसाधन मंत्रालय					
103.	जल संसाधन मंत्रालय	132,26,00,000	18,29,00,000	661,31,00,000	91,47,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
104.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1209,50,00,000	...	6052,50,00,000	...
युवा मामले और खेल मंत्रालय					
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	162,88,00,000	22,42,00,000	814,41,00,000	112,10,00,000
	सकल राजस्व/पूंजी	98836,00,00,000	15893,38,00,000	4150,74,82,00,000	75859,12,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया अनुदानों की मांगें पारित हुईं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ और मंत्रालय नहीं जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूं। अन्यथा अध्यक्ष को बड़ी परेशानी होती। अब, मद सं. 19-श्री पी. चिदम्बरम।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है। अत: व्यवस्था प्रश्न कहां है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा एक प्रश्न है। अभी भी मुझे यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: यद्यपि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं रोक सकता। आपको रोका नहीं जा सकता।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं इसकी अनुमति नहीं दूं तो क्या आप प्रसन्न रहेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस सभा में कार्य के विनियमन से संबंधित नियम 376 के खण्ड 1 के अंतर्गत है।

अब, प्रश्न यह है कि प्रत्येक वर्ष, विभिन्न अनुदानों की मांगों पर विचार करने के लिए सदस्यों के अवसर कम हो रहे हैं। हमने केवल चार मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा की थी। यह सही है कि स्थायी समितियां इसकी जांच कर रही हैं और वे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी सिफारिशें भी करते हैं। उनमें से कुछ को स्वीकार किया जा सकता है और जबकि कुछ को अस्वीकार किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण मांगों पर विचार करने हेतु सदस्यों के पास एक अवसर है। अब हमने उन्हें गिलोटिन कर दिया है। उनमें से कुछ कर दिया है। उनमें से कुछ को गिलोटिन करने के कारणों को मैं समझ सकता हूं किन्तु बहुत बड़ी संख्या में गिलोटिन करना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। हम इन मामलों पर चर्चा अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय करेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के सदस्यों के अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। हमें अवसर नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अब, मुझे एक मौका दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह सच है कि स्थायी समितियों द्वारा जांच की जाती है, लेकिन वह केवल सीमित उद्देश्य के लिए हैं। इस सभा में चर्चा होनी चाहिए। सदस्यों को यह अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: चर्चा को कम करना कुछ हद तक तो समझ में आता है लेकिन पूरी चर्चा को ही काट देना बिल्कुल अवांछित अतर्क संगत और अनौचित्यपूर्ण है और इसे न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कम-से-कम अगले वर्ष इसे बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष इसमें कटौती की जा रही है। अंततः, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी अनुदानों की मांगों को बिना कोई चर्चा किए इस सभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया। कृपया उन्हें रोकिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बात केवल यह है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप चाहते थे कि आप की बात सुनी जाए। प्रश्न यह है कि जब एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्री उत्तर दे रहा था, तब लगभग 10 से 15 सदस्य उपस्थित थे। तो इसमें हम यह रुचि दिखा रहे हैं। जब रक्षा मंत्रालय के संबध में चर्चा हो रही थी, तो 15 से 20 सदस्य उपस्थित थे। हमें अपने स्वयं की और अधिक पोल नहीं खोलनी चाहिए। मैं साल में 365 दिन बैठने के लिए तैयार हूं।

अब, मद संख्या 19 पर आते हैं। इस सभा में थोड़ा आत्म-विश्लेषण भी होना चाहिए।

सायं 6.09 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को लेगी।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंश बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 दिनांक 29.04.2008 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, कृपया विशेष उल्लेख को लें।

अध्यक्ष महोदय: आज नहीं, आप इसे कल उठा सकते हैं। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.12 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2008/5 वैशाख, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	डा. राम लखन सिंह	441
2.	श्री मनोरंजन भक्त	442
3.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्रीमती जयाप्रदा	443
4.	श्री अधीर चौधरी श्री महावीर भगोरा	444
5.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	445
6.	श्री चन्द्रभान सिंह श्रीमती मिनाती सेन	446
7.	श्री रूपचन्द मुर्मू श्री छत्तर सिंह दरबार	447
8.	डा. एम. जगन्नाथ	448
9.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री मनसुखभाई डी. वसावा	449
10.	चौ. मुनव्वर हसन	450
11.	श्री उदय सिंह श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	451
12.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	452
13.	श्री किन्जरपु येरननायडु	453
14.	श्री रामदास आठवले	454
15.	श्री मित्रसेन यादव श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	455
16.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	456
17.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	457
18.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री जीवाभाई ए. पटेल	458
19.	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	459
20.	श्री टेक लाल महतो	460

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	4411
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4373, 4419, 4474, 4507, 4529
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	4388
4.	अजय कुमार, श्री एस.	4379
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	4412
6.	आठवले, श्री रामदास	4438, 4494, 4536
7.	आजमी, श्री इलियास	4371
8.	बर्मन, श्री हितेन	4340
9.	बर्मन, श्री रनेन	4344, 4435, 4484
10.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	4372
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4365
12.	भगोरा, श्री महावीर	4361, 4441, 4502
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	4442, 4485, 4528, 4540
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4402, 4435
15.	बोस, श्री सुब्रत	4344
16.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	4455
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4392
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	4377, 4464, 4497, 4501
19.	चौरे, श्री बापू हरी	4404, 4462
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4429, 4483, 4516
21.	चिन्ता मोहन, डा.	4460, 4463
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4407
23.	चौधरी, श्री पंकज	4497
24.	चौधरी, श्री अधीर	4445
25.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	4424

1	2	3
26.	धनराजु, डा. के.	4382, 4444, 4520
27.	धोत्रे, श्री संजय	4384
28.	दूबे, श्री रमेश	4367, 4436
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	4403, 4463, 4471
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4418
31.	गांधी, श्रीमती मेनका	4369
32.	गंगवार, श्री संतोष	4342, 4449, 4490, 4515
33.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4396
34.	हसन, चौ. मुनव्वर	4422, 4491, 4517, 4535
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	4448, 4489, 4514
36.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4357, 4450
37.	जयाप्रदा, श्रीमती	4455, 4482, 4518
38.	जिन्दल, श्री नवीन	4423, 4482, 4544
39.	जोगी, श्री अजीत	4390, 4461
40.	करूणाकरन, श्री पी.	4492, 4496
41.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4355, 4431, 4480, 4511, 4533
42.	खां, श्री सुनील	4385, 4451
43.	खन्ना, श्री अनिवाश राय	4360
44.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4350, 4428, 4479, 4510, 4532
45.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4348, 4427, 4478, 4509, 4531
46.	कृष्ण, श्री विजय	4421, 4476, 4508, 4548
47.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4387, 4460, 4499, 4523
48.	मान, श्री जोरा सिंह	4408
49.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4415, 4475
50.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4370, 4462, 4500
51.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4443, 4486, 4512
52.	महरिया, श्री सुभाष	4401
53.	महतो, श्री नरहरि	4344, 4354, 4430
54.	माझी, श्री परसुराम	4378
55.	मसूद, श्री रशीद	4366
56.	मिडियम, डा. बाबू राव	4347, 4469
57.	मेघवाल, श्री कैलाश	4363, 4469
58.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4410
59.	मैन्या, डा. टोकचोम	4381
60.	मोहन, श्री पी.	4455
61.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4391
62.	मंडल, श्री अबु अयीश	4409
63.	मुर्मु, श्री हेमलाल	4376, 4468, 4504, 4526, 4547
64.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	4447, 4488
65.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	4405
66.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4413
67.	निखिल कुमार, श्री	4402, 4455, 4470, 4505
68.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	4339
69.	ओराम, श्री जुएल	4416
70.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	4362, 4433, 4506, 4527, 4539
71.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	4364, 4479
72.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4400, 4467
73.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4346, 4453
74.	पासवान, श्री रामचन्द्र	4380, 4439

1	2	3
75.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4398, 4459
76.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4466, 4503, 4525, 4530, 4541
77.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4414
78.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	4406
79.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4497
80.	प्रधान, श्री प्रशान्त	4395
81.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4457
82.	प्रसाद, श्री लालमणि	4378
83.	राजगोपाल, श्री एल.	4397, 4465, 4546
84.	राजभर, श्री चन्द्रदेव	4351
85.	राव, श्री के.एस.	4393
86.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4458, 4497, 4498
87.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4545
88.	रेड्डी, श्री करूणाकर	4341, 4359, 4416, 4432, 4481, 4524
89.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4374, 4393
90.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4383
91.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4356, 4388
92.	रिजीजू, श्री कीरेन	4453
93.	साई प्रताप, श्री ए.	4389
94.	साय, श्री नन्द कुमार	4368, 4503, 4525, 4530, 4538, 4541
95.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4338, 4434, 4497, 4500, 4522
96.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4386, 4444
97.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4504
98.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4419, 4474, 4507, 4529
99.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	4405
100.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	4341, 4537

1	2	3
101.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4543
102.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4352, 4516
103.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4446, 4487, 4513, 4534
104.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4417
105.	सिंह, श्री राकेश	4472, 4542
106.	सिंह, श्री सुग्रीव	4399, 4466, 4503, 4525, 4538
107.	सिंह, श्री सूरज	4394, 4463, 4499
108.	सिंह, श्री उदय	4452, 4492, 4518
109.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4343, 4404
110.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4345, 4401, 4426, 4477, 4493
111.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	4349
112.	सुमन, श्री रामजीलाल	4387, 4394, 4423, 4353, 4456
113.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	4353, 4456
114.	ठुम्मर, श्री वी.के.	4398
115.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4346, 4358
116.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4454, 4495
117.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4440, 4496, 4521, 4537
118.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4459
119.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4420, 4474
120.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4373
121.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	4375
122.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4455
123.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4389
124.	यादव, श्री बालेश्वर	4439
125.	यास्खी, श्री मधु गौड	4418
126.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4437, 4445, 4493, 4519

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	441, 450, 456
नागर विमानन	:	443, 444, 445, 453
संस्कृति	:	455, 459
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	447, 449, 460
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	451
रेल	:	452, 454, 458
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	442, 446, 448
इस्पात	:	
पर्यटन	:	457

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	4344, 4347, 4354, 4355, 4363, 4383, 4412, 4420, 4422, 4425, 4430, 4431, 4438, 4453, 4467, 4478, 4494, 4542, 4545
नागर विमानन	:	4346, 4349, 4359, 4362, 4367, 4368, 4371, 4373, 4382, 4396, 4397, 4398, 4406, 4409, 4418, 4434, 4436, 4437, 4445, 4452, 4455, 4458, 4470, 4476, 4480, 4482, 4492, 4496, 4497, 4498, 4500, 4505, 4512, 4518, 4519, 4520, 4427, 4534, 4544
संस्कृति	:	4339, 4343, 4352, 4369, 4370, 4381, 4407, 4421, 4432, 4435, 4471, 4538, 4540, 4543
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	4361, 4395, 4433, 4442, 4461, 4489, 4495
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	4388, 4451, 4509, 4531, 4546
अल्पसंख्यक मामले	:	4372, 4447, 4485, 4502, 4513

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4353, 4356, 4379, 4387, 4390, 4394, 4399, 4400, 4402, 4404, 4413, 4419, 4429, 4456, 4459, 4460, 4466, 4473, 4475, 4481, 4490, 4491, 4499, 4504, 4506, 4507, 4508, 4515, 4517, 4529, 4536, 4539
रेल	:	4342, 4345, 4348, 4350, 4351, 4357, 4358, 4360, 4364, 4365, 4374, 4375, 4376, 4377, 4380, 4384, 4391, 4393, 4401, 4408, 4410, 4411, 4414, 4415, 4416, 4417, 4423, 4426, 4427, 4428, 4440, 4443, 4444, 4446, 4449, 4450, 4454, 4457, 4464, 4465, 4468, 4469, 4479, 4486, 4487, 4488, 4493, 4510, 4511, 4522, 4526, 4528, 4532, 4533, 4545, 4547
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	4341, 4378, 4386, 4424, 4439, 4441, 4448, 4472, 4483, 4514, 4530, 4541
इस्पात	:	4340, 4385, 4403, 4405, 4463, 4474, 4477, 4484, 4501, 4503, 4523, 4525
पर्यटन	:	4338, 4366, 4389, 4392, 4462, 4516, 4521, 4524, 4537, 4548.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध **है:**

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण **सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे** लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.—48/34/23/2008/1930 (एन०)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।